सप्तम माला, खंड 44, अंक 10 मंगलवार, 6 मार्च, 1984/16 फाल्गुन, 1905 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी संस्करण

(Seventh Lok Sabha)

(चौदहवां सत्र)

(खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

# विषय सूची

अंक 10, मंगलवार, 6 मार्च, 1984/16 फाल्गुन, 1905 (शक)


| | | |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | | 1—30 |
| * तारांकित प्रश्न संख्या : | 121, 122 और 124 से 128 | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | | 30—295 |
| तारांकित प्रश्न संख्या : | 123, 129 से 140 | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : | 1389, से 1446 1448 से 1493 और 1495 से 1620 | |
| सभा-पटल पर रखे गए पत्र | | 295—296 |
| राज्य सभा से संदेश | | 296—297 |
| तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक | | 297 |
| राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित | | 297 |
| लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण विधेयक | | 297 |
| राज्य सभा द्वारा यथापारित | | 297 |
| अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1983-84— | | |
| विवरण प्रस्तुत किया गया | | 297—298 |
| अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1981-82— | | |
| विवरण प्रस्तुत किया गया | | 298 |
| लोक लेखा समिति | | 298 |
| 178वां प्रतिवेदन | | 298 |
| लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति | | 298—300 |
| 8वां प्रतिवेदन | | 298 |


* किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उक्त प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** | 300—317 |
| संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान और बंगलादेश में सैनिक अड्डे स्थापित किये जाने के कथित प्रयास | 300 |
| श्री जगपाल सिंह | 300 |
| श्री पी० वी० नरसिंह राव | 300 |
| श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार | 306 |
| प्रो० के० के० तिवारी | 308 |
| श्री हरिकेश बहादुर | 313 |
| श्री राजेश कुमार सिंह | 315 |
| **एक सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण** | 317—319 |
| (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) | 319 |
| **जीवन बीमा निगम विधेयक** | 319 |
| संयुक्त समिति के लिए निर्वाचन | 319 |
| **कार्य-मंत्रणा समिति** | 319—320 |
| 56वां प्रतिवेदन | 319 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | 320—325 |
| (एक) दिल्ली में कुष्ठ रोग को रोकने के उपाय | 320 |
| श्री चिन्तामणि जेना | 320 |
| (दो) आलू उत्पादकों के लिये उचित न्यूनतम मूल्य | 320 |
| श्रीमती गीता मुखर्जी | 320 |
| (तीन) दिल्ली में चूहों के कारण उत्पन्न संकट | 321 |
| श्री कमल नाथ | 321 |
| (चार) गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय विद्यालय की मांग | 322 |
| श्री जैनुल बशर | 322 |
| (पांच) भारतीय रेलों में कार्मिक संघों का पुनर्गठन | 322 |
| श्री ईरा अनबारासु | 322 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|

(छः) जौनपुर (उत्तर प्रदेश) का औद्योगीकरण — 323

डा० ए० यू० अदजमी — 323

(सात) मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में दूरदर्शन सुविधायें — 323

श्री बाबूराव परांजपे — 323

(आठ) लौह चूर्ण की खरीद के लिये इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा दामोदर सीमेंट कम्पनी के साथ किये गये करार की समाप्ति — 324

श्री बसुदेव आचार्य — 324

(नौ) बालोप अथवा डामोल (रत्नगिरि) में एक तापीय बिजलीघर स्थापित करना — 324

श्री बापूसाहिब परुलेकर — 324

(दस) डाकघरों में कतिपय श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों को बेहतर बनाना — 325

श्री हरिकेश बहादुर — 325

**रेल बजट 1984-85**—सामान्य चर्चा — 325—385

श्री जगन्नाथ पाटिल — 329

श्री भुवनेश्वर भूवन — 329

श्री बालकृष्ण वासनिक — 333

श्री इरा मोहन — 336

प्रो० नारायण चन्द पराशर — 343

श्री गिरधारी लाल व्यास — 346

श्री नारायण चौबे — 349

श्री वृद्धि चन्द्र जैन — 358

श्री शांतुभाई पटेल — 361

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव — 36

श्री नन्दी येल्लैया — 369

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| श्री पी० शनमुगम | 372 |
| श्री एस० टी० के० जक्कायन | 374 |
| श्री विष्णु प्रसाद | 377 |
| श्री राम नगीना मिश्र | 381 |
| प्रो० सैफुद्दीन सोज | 385 |

# लोक-सभा

**मंगलवार, 6 मार्च, 1984/16 फाल्गुन, 1905 (शक)**

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**

**श्री नीरेन घोष** : समाचार पत्रों में ऐसी खबरें छपी हैं कि नवम्बर में लोक सभा का चुनाव कराने को कहा गया है। प्रधान मन्त्री ने एक शिष्टमण्डल से यह बात कही। यदि ऐसा है तो क्या जनता और संसद को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए ? समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित हुई है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप सलाह कर लें, मैंने तो सुना नहीं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : बूटा सिंह जी से बात करके तय कर लेंगे।

**संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह)** : बुरा मत सुनो। बुरा मत देखो।

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो वैसे ही मुझे बड़ी मुश्किल से नजर आते हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष जी, यह उधर जा रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं।

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता में वृद्धि

*121. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता को बढ़ाने का विचार किया गया है;

(ख) इनकी प्रसारण क्षमता कब तक और कितनी बढ़ाई जाएगी;

(ग) इस सम्बन्ध में कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(घ) क्या देश में कम प्रसारण क्षमता वाले दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने सम्बन्धी कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** :(क) दिल्ली, आसनसोल, अहमदाबाद इलाहाबाद, त्रिवेन्द्रम, अगरतला, भोपाल, जम्मू, गोहाटी, इन्दौर, पटना, बंगलौर, पणजी और नागपुर में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों, की शक्ति बढ़ाई जा रही है।

(ख) और (ग) दिल्ली के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाकर 20 किलोवाट की जाएगी। अन्य सभी ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाकर 10 किलोवाट की जाएगी। उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के संस्थान का कार्य 1984-85 के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

(घ) जी हां। 16-84-85 के दौरान विवरण I और विवरण II के अनुसार 29 उच्च शक्ति वाले और 118 अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू हो जाने की उम्मीद है।

**विवरण I**

**छटी योजना के दौरान स्थापित किए जा रहे नए ट्रांसमीटरों की सूची।**

**उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर (10 किलोवाट)**

| क्रम संख्या | स्थान | राज्य |
|---|---|---|
| 1. | विजयवाड़ा | आन्ध्र प्रदेश |
| 2. | विशाखपत्तनम |  |
| 3. | गोहाटी | असम |
| 4. | पटना | बिहार |
| 5. | राँची |  |
| 6. | अहमदाबाद | (अंतरिम ढांचा चालू हो गया) |
| 7. | द्वारका | गुजरात |
| 8. | राजकोट |  |
| 9. | कसौली | हिमाचल प्रदेश |
| 10. | जम्मू | जम्मू और काश्मीर |
| 11. | पूंछ |  |
| 12. | कोचीन | केरल |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 13. | त्रिवेन्द्रम | |
| 14. | भोपाल | मध्य प्रदेश |
| 15. | इन्दोर | |
| 16. | कटक | उड़ीसा |
| 17. | भटिंडा | पंजाब |
| 18. | कोडेकनाल | तमिलनाडु |
| 19. | इलाहाबाद | (अन्तरिम ढांचा चालू हो गया) |
| 20. | आगरा | उत्तर प्रदेश |
| 21. | वाराणसी | |
| 22. | गोरखपुर | |
| 23. | अगरतला | त्रिपुरा |
| 24. | आसनसोल | (अन्तरिम ढांचा चालू हो गया है) |
| 25. | कुर्सियांग | पश्चिम बंगाल |
| 26. | मुर्शिदाबाद | |

**विवरण-II**

**अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर (100 वाट)**

| क्रम संख्या | स्थान | राज्य/संघ शासित क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1. | डिब्रुगढ़ | असम |
| 2. | तेजपुर | |
| 3. | वारंगल | आन्ध्र प्रदेश |
| 4. | राजामुन्दरी | |
| 5. | नेल्लोर | |
| 6. | निजामाबाद | |
| 7. | कुर्नूल | |
| 8. | अनन्तपुर | |
| 9. | तिरुपति | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. | अडोनी | |
| 11. | कुडप्पा | |
| 12. | महबूब नगर | |
| 13. | करीम नगर | |
| 14. | धनबाद | बिहार |
| 15. | जमशेदपुर | |
| 16. | गया | |
| 17. | भागलपुर | |
| 18. | दरभंगा | |
| 19. | मुंगेर | |
| 20. | पूर्णिया | |
| 21. | बेतिया | |
| 22. | सूरत | गुजरात |
| 23. | वदोदरा | |
| 24. | भावनगर | |
| 25. | नवासेरी | |
| 26. | भरूच | |
| 27. | पतन | |
| 28. | हिसार | हरियाणा |
| 29. | भिवानी | |
| 30. | धारवाड़ | कर्नाटक |
| 31. | मैसूर | |
| 32. | मंगलोर | |
| 33. | बेलगांव | |
| 34. | बेल्लरी | |
| 35. | देवनागरे | |
| 36. | शिमोगा | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 37. | बिजापुर | |
| 38. | रायचूर | |
| 39. | गदग बेतागड़ी | |
| 40. | हासपेट | |
| 41. | कालीकट | केरल |
| 42. | कन्नानोर | |
| 43. | पालघाट | |
| 44. | जबलपुर | मध्य प्रदेश |
| 45. | ग्वालियर | (चालू हो चुका है) |
| 46. | रतलाम | |
| 47. | सागर | |
| 48. | बुहानपुर | |
| 49. | रीघा | |
| 50. | मुरवाड़ा | |
| 51. | बिलासपुर | |
| 52. | कोरबा | |
| 53. | सिंगरौली | |
| 54. | शोलापुर | महाराष्ट्र |
| 55. | नासिक | |
| 56. | कोल्हापुर | |
| 57. | औरंगाबाद | |
| 58. | सांगली | |
| 59. | अमरावती | |
| 60. | मालेगांव | |
| 61. | अकोला | |
| 62. | धुले | |
| 63. | नांदेड | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 64. | अहमद नगर | |
| 65. | जलगांव | |
| 66. | जलना | |
| 67. | भुसावल | |
| 68. | चंद्रपुर | |
| 69. | लातूर | |
| 70. | परभनी | |
| 71. | गोंदिया | |
| 72. | लोकताक | मणिपुर |
| 73. | राउरकेला | उड़ीसा |
| 74. | बेरहामपुर | |
| 75. | कोरापुर | |
| 76. | जोधपुर | राजस्थान |
| 77. | अजमेर | |
| 78. | कोटा | |
| 79. | बीकानेर | |
| 80. | उदयपुर | |
| 81. | अलवर | |
| 82. | गंगा नगर | |
| 83. | भीलवाड़ा | |
| 84. | खेतड़ी | |
| 85. | जैसलमेर | |
| 86. | बारमेड़ | |
| 87. | पठानकोट | पंजाब |
| 88. | तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु |
| 89. | सलेम | |
| 90. | वेल्लोर | |
| 91. | कुम्बकोनम | |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 92. | कोयम्बत्तूर | |
| 93. | नेवेली | |
| 94. | बरेली | उत्तर प्रदेश |
| 95. | मुरादाबाद | |
| 96. | अलीगढ़ | |
| 97. | झांसी | |
| 98. | सुल्तान पुर | |
| 99. | रायबरेली | |
| 100. | फैजाबाद | |
| 101. | इटावा | |
| 102. | बहराइन | |
| 103. | शाहजहांपुर | |
| 104. | रामपुर | |
| 105. | पौड़ी | |
| 106. | फरुखाबाद | |
| 107. | सम्बल | |
| 108. | नैनीताल | |
| 109. | खड़गपुर | पश्चिम बंगाल |
| 110. | बर्द्धमान | |
| 111. | सिलीगुड़ी | |
| 112. | बालुरघाट | |
| 113. | शांति निकेतन | |
| 114. | कुल्लू | हिमाचल प्रदेश |
| 115. | लेह | जम्मू और काश्मीर |
| 116. | कारगिल | |
| 117. | तुरा | |
| 118. | पांडिचेरी | पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र) |

**श्री सत्यनारायण जटिया** : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने प्रसारण की जो योजना बतायी उसके अन्तर्गत अल्प शक्ति और उच्च शक्ति की क्षमता 10 किलोवाट और 20 किलोवाट क्रमश: बताई, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसका कितना एवरेज होगा ? इन्सेट 'बी' के अध्ययन के किए जाने वाले प्रसारण किन-किन केन्द्रों से होंगे और कितना रंगीन प्रसारण होगा और इस योजना के अनुसार 1984-85 के अन्तर्गत कितनी जनसंख्या इससे लाभान्वित हो सकेगी ?

**श्री एच० के० एल० भगत** : मैं पहले अन्तिम प्रश्न को लूंगा । अब हम 29% जनसंख्या को लाभान्वित करते हैं । पूरी योजना के पूर्ण हो जाने पर हम 70% जनसंख्या को लाभान्वित करेंगे ।

70% पापुलेशन का एवरेज होगा । दूसरा सवाल आपने किया कि कितना रेंज होगा ? तो लो पावर ट्रांसमीटर का रेंज 20 से 25 किलोमीटर तक है और हाई पावर ट्रांसमीटर 10 किलोवाट तक का ववरेज 80-85 किलोमीटर है । लेकिन अगर बहुत ऊंचाई पर हो तो उसका ववरेज 100 से 125 किलोमीटर तक भी जाता है । दिल्ली का 20 किलोवाट का होगा । उसमें 280 फुट का लगाया जा रहा है । इस समय दिल्ली का ववरेज 100 किलोमीटर है इसके बाद दिल्ली का करीब 200 किलोमीटर हो जाएगा ।

जहां तक रंगीन का सवाल है, उसमें कितने ट्रांसमीटर लगाए जायेंगे, उनकी जो कलर कैपेब्लिटी होगी, उसी के मुताबिक रंगीन ट्रांसमीशन हो सकता है । रंगीन का परसेन्टेज इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी रंगीन देने की फैसेलिटीज किस हद तक बढ़ती हैं । जैसे-जैसे स्टूडियो बढ़ेंगे, रंगीन की इक्विपमैंट आयेंगी वैसे ही रंगीन प्रोग्राम दिए जायेंगे । इससमय डिफरेंट स्टेशन्ज पर डिफरेंट कैपेसिटी है कहीं, 20 है, कहीं 25, 30, 35 या 40% परसेंट कलर की कैपेसिटी है ।

**श्री सत्य नारायण जटिया** : मध्य प्रदेश में जो स्टूडियो बनने वाली बात है, क्या भोपाल और इंदौर में स्टूडियो बनाए जायेंगे ? मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जो इस योजना से वंचित रह जायेंगे ?

**श्री एच० के० एल० भगत** : भोपाल में ट्रांसमीटर 10 किलोवाट के लगेंगे, वहां स्टूडियों बनाने का प्रोग्राम भी है । मध्य प्रदेश में कौन से जिले रह जायेंगे या कौन से आ जायेंगे, मेरे पास टोटल कन्ट्री की पिक्चर मौजूद है, माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि वह मेरे पास आ जायें, मैं उनकी डिटेल दे दूंगा ।

**श्री एडूआर्डो फलीरो** : जहां तक गोआ का सम्बन्ध है, बताया गया था कि वहां 150 मीटर ऊँची ट्रांसमिशन मीनार स्थापित की जायेगी किन्तु बाद की सूचना यह है कि मीनार की ऊँचाई को घटाकर 100 मीटर कर दिया गया है । यदि यह सूचना सही है तो मैं मननीय

मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि हम बम्बई दूरदर्शन से कार्यक्रम प्राप्त कर रहे हैं, क्या-क्या प्रबन्ध करने के लिए मंत्री महोदय निदेश दे रहे हैं, ताकि इस संघशासित प्रदेश के लोगों को स्थानीय कार्यक्रम सुलभ हों ।

**श्री० एच० के० एल० भगत :** इस समय मैं यह नहीं बता सकता । मैं नहीं जानता कि ऊंचाई की मीनार जो गोवा में लगायी जाने वाली है के घटाने का कोई प्रस्ताव है । निस्संदेह, ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर 10 कि० वा० किया जा रहा है । मैं पता करूंगा कि क्या इस मीनार की ऊँचाई को 150 से घटाकर 100 मीटर करने का कोई प्रस्ताव है, जहां तक मीनार का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं देखता हूं गोवा में तथा अन्य स्थानों में वे निर्माणाधीन हैं और हम उन्हें ट्रांसमीटरों के साथ ही पूरा करने की आशा रखते हैं । यही हम करने का प्रयास कर रहे हैं ।

**श्री एडुआर्डो फलीरो :** स्थानीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मेरे प्रश्न के दूसरे भाग के बारे में क्या है ?

**श्री एच० के० एल० भगत :** जहां तक स्थानीय कार्यक्रमों का सम्बन्ध है यह विभिन्न केन्द्रों पर दी जाने वाली दूरदर्शन स्टूडियो सुविधाओं पर निर्भर करेगी इस प्रयोजन के लिए हमारे पास विभिन्न कार्यक्रम हैं । इस समय अधिकांश ट्रांसमीटर दिल्ली के कार्यक्रम दिखाएंगे । जहां तक गोवा का सम्बन्ध है, मैं सोचता हूं, वहां दूरदर्शन कार्यक्रम केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु बाद में बहुत से दूरदर्शन कार्यक्रम केन्द्र बनाने की योजना है । अंततः हमारी दृष्टिकोण अधिक स्थानीय कार्यक्रम की सुविधायें जुटाने का है ।

**श्री सुधीर गिरि :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के फिल्म प्रभाग की 1984 में 'भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में कांग्रेस की भूमिका' विषय पर वृत्तचित बनाने की कोई परियोजना है और क्या सरकार उस वृत्तचित को 1984 में दूरदर्शन के माध्यम से दिखाना चाहती है ?

**श्री एच० के० एल० भगत :** चूंकि आपने इस प्रश्न को पूछने की अनुमति दे दी है इसलिए मैं भी इसका उत्तर दे रहा हूं । किसी भी दशा में हम इसके किए प्रतिबद्ध हैं । यह सच है । यह इसलिए नहीं कि सरकार ने कांग्रेस को महत्व देने का निर्णय कर लिया है वरन यह इसलिये तय किया गया है कि हम देश के स्वतंत्रता संग्राम को 1857 से आरम्भ हुआ, पर प्रकार डाला जाए और सरकार का इस देश को स्वतंत्रता संग्राम को चित्रित करने वाले बहुत से वृत्तचित्र बनाने का प्रस्ताव है

(व्यवधान)

**कुछ माननीय सदस्य :** खड़े हुए ।

**श्री एच० के० एल० भगत :** मुझे उत्तर तो पूरा करने दीजिए...(व्यवधान)

**श्री सुनील मैत्रा** : इसका अर्थ यह हुआ कि आप स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका की कहानी बताने जा रहे हैं ।

**श्री एच० के० एल० भगत** : अब मुझे यह पूरी तरह स्पष्ट करने दीजिए कि हमारा प्रस्ताव दलगत भावना का ध्यान रखे बिना स्वतंत्रता संग्राम विभिन्न पहलुओं, विभिन्न व्यक्तियों' विभिन्न मामलों, विभिन्न नेताओं और स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न वर्गों के लोगों और समूहों द्वारा दिए गए योगदान पर प्रकाश डालने का है... (**व्यवधान**)...

कृपया रुकिए । मुझे उत्तर तो देने दीजिए, इसीलिए, सरकार ने स्वतंत्रता संग्रामपर न केवल वृत्तचित्रों के माध्यम से वरन आकाशवाणी के कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों तथा अन्य बातों के माध्यम से प्रकाश डालने का निर्णय लिया है...

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदन** : अगला प्रश्न—श्री वासनिक ।

**श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : श्रीमन् यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने अनुमति दी है...

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने अनुमति नहीं दी है ।

**श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है । मैं अगले प्रश्न पर आ चुका हूं । यदि आप चाहते हैं, तो इस बारे में अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं ।

## कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजूरी को कार्य रूप देने के लिए 16 सूत्री कार्यवाही योजना

*122. **श्री बालकृष्ण वासनिक**† :

**श्री गुफरान आजम** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उनके मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजूरी को कार्यरूप देने के लिए कोई 16 सूत्री कार्यवाही योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए पृथक समितियां गठित की जायेंगी कि न्यूनतम मजूरी संबंधी योजना को कार्यरूप दिया जाय ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी संबंधी समस्या को हल करने में सरकार कहां तक समर्थ हो सकेगी ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर :** (क) और (ख) कृषि में न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के बारे में राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी नई दिल्ली में 7 से 9 फरवरी, 1984 को हुई। इस विचार-गोष्ठी में हुए निष्कर्षों को दर्शाने वाला विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र में कुछ फार्मों को छोड़कर, कृषि में न्यूनतम मजदूरों दरों में संशोधन और उनका प्रवतन संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन और उनका प्रवर्तन सतत क्रिया है क्योंकि मजदूरी-दरों में समय-समय पर संशोधन करना पड़ता है ताकि इस क्षेत्र के श्रमिकों को राहत दी जा सके। अतः इस प्रयोजन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

**विवरण**

**7-9 फरवरी, 1984 को नई दिल्ली में हुई कृषि में न्यूनतम मजदूरी के प्रशासन संबंधी राष्ट्रीय गोष्ठी के निष्कर्ष।**

1. कृषि में न्यूनतम मजदूरी का प्रशासन एक नियामक प्रक्रिया बल्कि एक विकास प्रक्रिया है यह ग्रामीण विकास के विस्तृत और समेकित प्रयास का एक भाग है।

2. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-इतर, विशेषकर बेमौसमी समय में रोजगार पैदा करने वाले कार्यकलाप इन प्रयासों के आवश्यक सहायक तत्व है।

3. कृषि में न्यूनतम मजदूरी के स्तर में सुधार करने के लिए एक प्रमुख कारक है कृषि क्षेत्र का ही विकास।

4. अतिरिक्त रोजगार के अवसर सजन करने और कृषि क्षेत्र के कार्य में सुधार लाने के लिए कम मजदूरी वाले एवं खेती बाड़ी की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

5. जिन राज्यों न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया जाना है, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे संशोधित दरों को अधिसूचित करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करें।

6. न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण करते समय या इनमें संशोधन करते समय श्रमिक और उसके परिवार के जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए ताकि वह गरीबी की रेखा से ऊपर आ सके। मजदूरी के विद्यमान स्तरों को भी ध्यान में रखना होगा ताकि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों और विद्यमान मजदूरों में बहुत अधिक अन्तर न हो।

मजदूरी के कम से कम कुछ भाग की जिन्स के रूप में, विशेषकर खाद्यान्नों के रूप में अदायगी को बढ़ावा देना चाहिए। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखना होगा कि श्रमिकों को जिन्स के रूप में मजदूरी निर्धारित मात्रा में तथा ठीक क्वालिटी की मिले। जिन्स के रूप में ऐसी अदायगी सदा श्रमिक के विकल्प के अनुसार होनी चाहिए।

7. पुरूषों और महिलाओं की मजदूरी दरों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भेद भाव नहीं होना चाहिए।

8. व्यवसायों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य का भी ख्याल करते हुए कि ग्रामीण श्रमिकों की आवश्यक समस्याएं एक सी हैं, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन कृषि और अन्य अनुषंगी अनुसूचित रोजगारों के संबंध में मजदूरी की अलग-अलग दरें निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। इनके लिए दरों का एक ही सेट पर्याप्त होगा।

न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करते समय कबायली क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, अधिसूचित क्षेत्रों जैसे विशेष क्षेत्रों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उन्हें उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

9. रोजगार सृजन करने संबंधी योजनाओं तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए निर्धारित और भुगतान की गई मजदूरी दरें कृषि और अन्य अनुसूचित रोजगारों के सम्बन्ध में अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुरूप होनी चाहिए।

सरकारी विभागों को विशेषकर ऐसी मजदूरी की अविलंब और पूरी अदायगी सुनिश्चित करनी चाहिए।

10. रोजगार सृजन करने संबंधी योजनाओं तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों में भी मजदूरी अदायगी को उत्पादकता से सम्बद्ध करने के प्रयासों का यह परिणाम नहीं होना चाहिए कि ऐसा मजदूरी समय-दर न्यूनतम मजदूरी से कम हो जाय; इस उद्देश्य के लिए, यदि आवश्यक हो तो, काल्पनिक समय-दर मजदूरी निर्धारित करनी चाहिए जहां अदायगी उजरती-दर आधार से भिन्न है।

11. न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए केवल सरकारी तंत्र पर ही निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है।

12. कार्यान्वयन के उद्देश्य से सरकारी तंत्र की घोर अपर्याप्ता को देखते हुए और इस कार्य के साथ सक्रिय रूप में स्वयं को लगाने में सम्बद्ध विभागों की विफलता के कारण, निरीक्षण तंत्र को दृढ करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए अलग स्वर्ग बनाना वांछनीय है। कम से कम सातवीं योजना में इन प्रस्तावों को "प्लान-स्कीम" के रूप में समाविष्ट करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जाना चाहिए।

कृषि श्रमिकों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने, उनके बीच मजदूरी की न्यूनतम दरों और अन्य उपबन्धों का प्रचार करने, तथा सहभागिता की कुशलता बढ़ाने, और श्रमिकों के बीच जागरुकता को बढ़ावा देने एवं उनको स्वयं ही संगठित होने में सहायता करने के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करनी चाहिए। मजदूरी दरों का प्रचार मुनादी, पोस्टरों, सिनेमा स्लाइडों रेडियो, टेलीविजन आदि के माध्यम से किया जा सकता है तथा स्थानीय लोक साधनों (फोक मीडिया) का भी प्रयोग किया जाना चाहिए।

13. न्यूनतम मजदूरी-दरों को लागू करने तथा अधिनियम के अन्य उपबन्धों का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए गांव, ब्लाक और उच्च स्तरों पर चौकसी (वाचडांग) समितियों का गठन किया जाना चाहिए जो न्यूनतम मजदूरी दरों के कार्यान्वियन पर समय-समय पर निगरानी करेंगी।

कृषि श्रमिकों तथा अन्य ग्रामीण गरीबों को संगठित कराने के प्रयासों के साथ इन समितियों तथा स्वैछिक संगठनों और सामाजिक कार्य दलों की सहायता को सहयोजित करना चाहिए।

14. अन्ततोगत्वा यह श्रमिकों के संगठन की अन्तर्निहित शक्ति ही है जिससे न केवल न्यूनतम मजदूरी का उचित कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जा सकता है बल्कि समय-समय पर मजदूरी के न्यूनतम स्तर में बढ़ोत्तरी की कार्यवाही की जा सकती है।

अधिसूचित मजदूरी की अदायगी की मांग के समर्थन में श्रमिकों द्वारा प्रकट किए गए विरोध को कानून और व्यवस्था के रख-रखाव से सम्बन्धित समस्याओं के रूप में नहीं लेना चाहिए।

15. कृषि श्रमिकों सम्बन्धी जैसा विधान केरल में बनाया गया है वैसा ही विधान सभी राज्यों द्वारा बनाया जाना चाहिए।

16. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए जुर्माना को सख्त बनाया जाना चाहिए, विशेषकर जबकि दूसरी बार और उसके बाद दोहराए गए अपराध के लिए। कानून में दावा याचिकाओं यथा अभियोजना चलाने के लिए उपबन्धों को सरल बनाया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी की समय से तथा पूरी अदायगी की गई है, यह सिद्ध करने का भार नियोजक के ऊपर होना चाहिए। ऐसे सबूत की अनुपस्थिति में यह मान लिया जाना चाहिए की अवश्य ही नियोजक दोषी है।

17. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वियन सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए।

18. मजदूरी दरों के संशोधन हेतु समायोजना के साथ-साथ आवधिक मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके न्यूनतम मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं

किया जा रहा है तथा जहां यह भुगतान किया जा रहा है, वहां इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, कौन सी बराबर की शक्तियां अर्थव्यवस्था में कार्य कर रही हैं तथा उन्हें कैसे निष्प्रभावी किया जा सकता है ।.

19· सांख्यिकीय सूचना आधार को सुधारने के प्रयास भी किए जाने चाहिएं तथा ऐसे आंकड़ों की शीघ्र तथा पूर्ण सूचना देने के प्रयास भी किए जाने चाहिएं, जिनका अर्थपूर्ण नीति बनाने के लिए संग्रहण तथा विश्लेषण किया जा सकता है।

20· जिन्स में मजदूरी के भुगतान के तरीकों पर सही तथा पूर्ण सूचना एकत्र की जानी चाहिए ।

21· अगली ग्रामीण श्रम जांच शुरू करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए, क्योंकि पिछला सर्वेक्षण 1974-75 से संबंधित था । ऐसे सर्वेक्षणों को अधिमान्यतः प्रत्येक पांच वर्षों के बाद दुबारा किया जाना चाहिए । मजदूरी वितरण के बारे में आंकड़े सतत् आधार प्राप्त करने के लिए अध्ययन शुरू किए जाने चाहिएं, क्योंकि जिला तथा राज्य स्तरों के औसत उन श्रमिकों की प्रतिशतता नहीं दर्शायेंगे, जो अधिसूचित स्तरों से कम और अधिक मजदूरी प्राप्त करते हैं तथा उनसे यह भी पता नहीं लगेगा कि मजदूरी में ऐसी विभिन्नताएं किस सीमा तक हैं।

22· चूंकि न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण श्रमिकों की मूल आवश्यकताओं से संबंधित होगा, इसलिए इन आवश्कताओं का पता लगाना और उनका परिमाग-निर्धारण करना होगा और संगत मद्दों के संबंध में मूल्यों को एकत्र करने के लिए व्यवस्थाएं करनी होंगी। विस्तृत जांच के होने तक, एक सुझाव दिया गया था कि कृषि श्रमिकों के सूचकांक को तैयार करने के लिए अपनाई गई बास्केट तथा पांच के परिवार में दो श्रमिकों के औसत को अपनाया जाए । चूंकि जनसंख्या के निम्न तबके द्वारा किए जा रहे उपभोग व्यय से पता चलता है कि उनका 50 प्रतिशत व्यय अनाज पर होता है, इसलिए न्यूनतम मजदूरी आवश्यक क्लोरिफिक मूल्य प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अनाज की उपयुक्त भाग के मूल्य से दुगनी पर निर्धारित की जा सकती है ।

23· ग्रामीण लोगों में उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में सामाजिक जागरुकता उत्पादन करना न्यूनतम मजदूरी के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण घटक है । इस उद्देश्य की पूर्ति विभिन्न तरीके हो सकते हैं जैसे ग्रामीण शिविर, श्रमिक शिक्षा, जन संचार साधनों, आदि के माध्यम से प्रचार ये तरीके परस्पर अपवर्जत नहीं है और इन्हें साथ-साथ विकसित किया जा सकता है । तथापि, यह महत्वपूर्ण है कि ये कार्यक्रम तब तक प्रभावी नहीं हो सकते जब तक कि उचित तरीकों और तकनीकों को अपनाया नहीं जाता है । थ्यूरी संबंधी अभ्यासों तथा प्रयोगिक परिजनाओं के माध्यम से उपयुक्त तरीकों और तकनीकों के विकास पर पर्याप्त

ध्यान दिया जाना चाहिए और इस कार्यकलापों में कार्यरत कार्यकर्त्ताओं को इनका उचित रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

**श्री बालकृष्ण वासनिक** : कृषि में न्यूनतम मजूरी की समस्या एक बहुत गम्भीर समस्या है और हम देखते हैं कि खेतीहर मजदूर को उचित मजदूरी प्राप्त नहीं होती है और जब कभी भी देश के विभिन्न भागों में खेतीहर मजदूर अपनी मजूरी के बारे में कहता हूं, तब हमारे देश में विद्यमान सांमतीय व्यवस्था में ऐसा होता है कि जो लोग अपनी मजदूरी बढाने के लिए कहते हैं, नक्सलवादी कहकर, निर्दयता से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। देश के बहुत से भागों, विशेषकर बिहार, आन्ध्र मध्य प्रदेश इत्यादि में ऐसा ही होता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस समस्या पर गम्भीर रूप से विचार करें और चूंकि हम बहुत प्रकार के भूमि सुधार कर चुके हैं और हमारी योजनाएं निर्धन वर्ग — जो मुख्यतया: अनुसूचित जाती और जन-जाती के लोग हैं, को लाभ पहुंचाने के लिए ही होती हैं, अत: मैं महोदय से कहना चाहूंगा कि वह बताएं कि विचार-गोष्ठी में की गयी सेस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए वह क्या विशेष पद उठा रहे हैं।

**श्री धर्मवीर** : यह सिम्पोजियम 7 से 9 फरवरी तक दिल्ली में हुआ था। इसकी जो रीकमेंडेशन्ज हैं, उनमें से अधिकांश को लागू कर रहे हैं। इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार और आंध्र प्रदेश से इस प्रकार के समाचार आए हैं कि जहां पर कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को मिनियम वेजेज नहीं मिलते। उसके भारत सरकार, श्रम मंत्री महोदय और विभाग की तरफ से, विभागीय अधिकारीयों का ध्यान इस तरफ बराबर आकर्षित किया जाता है साथ-साथ एक उच्च स्तर के अधिकारी को भी बिहार में विशेष तौर पर हमने इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए भेजा है। उसकी सेकमेंडेशन आई है। उसके आधार पर राज्य सरकार को लिखा गया है क्योंकि जैसा मैंने निवेदन किया था न्यूनतम मजदूरी की धारा का लागू करने का जो व्यावहारिक कार्य है वह राज्य सरकारों का है, इसलिए राज्य सरकारों को हम बराबर समय समय पर अवगत कराते रहते हैं।

**श्री बाल कृष्ण वासनिक** : श्रीमन्, यह उत्तरदायित्व पूरी तरह से राज्य सरकारों के कन्धों पर डालना उचित नहीं होगा। हम जानते हैं कि केन्द्र सरकार को भी इस बारे में काफी कुछ करना है। विचार गोष्ठी की 12वीं संस्तुति के संबंध कार्यान्वियन के लिए प्रयाप्त सरकारी तन्त्र न होने। इसके तथा सम्बन्धित विभागों की इस कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने की विफलता को भी दृष्टि में न रखते हुए तन्त्र के निरीक्षण को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार विशेष रूप से इस संस्तुति और इसके कार्यान्वियन के बारे में बताएं कि वह इसके लिए क्या ठोस पग उठाने जा रही है तथा उठाए जाने वाले पग क्या सातवी योजना की समय सीमा के अन्दर ही होंगे ?

**श्री धर्मवीर** : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि 12 नवम्बर की रेकमेंडेशन का सवाल है, जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, इन सारे निर्णयों के बारे में विभाग की तरफ से कार्यवाही हो रही है और उसको हम इम्पलीमेंट कर रहे हैं। जहां तक एडीक्वेट मशीनरी का ताल्लुक है, मैंने निवेदन किया था कि राज्य सरकारों के माध्यम से ही हम न्यूनतम मजदूरी की धारा को लागू कर पाते हैं और राज्य सरकारें अपने यहां अपने ताल्लुकों में एस० डी० एम० और तहसीलदार तथा और नीचे के तमाम रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा इसे लागू करती है हालांकि बिहार और गुजरात में हमने इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नया डारेक्टोरेट बनाया है और केन्द्र सरकार की तरफ से चूंकि इस क्षेत्र में मजदूर असंगठित हैं उनको संगठित करने के लिए, उन को मिनिमम वेजेज एक्ट धाराओं से अवगत कराने के लिए और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग कराने के लिए, देश में सामाजिक वातावरण बनाने के लिए । हजार ब्लाकों का चयन किया गया है जिसमें सेम्पल सर्वे के आधार पर एक आर्गेनाइजर की नियुक्ति की गई जिसके माध्यम से श्रमिकों को इस बात से अवगत कराएंगे। जैसा मैंने कहा यह राज्य सरकारों का काम है लेकिन गुजरात और बिहार में सेपरेट डायरेक्टोरेट बनाया है जिसके माध्यम से मिनिमम वेजेज को लागू करने का काम कर रहे हैं। केन्द्र स्तर पर इसके लिए ऐडवाइजरी कमेटी है और राज्य सरकारों की भी सलाहकार समितियां हैं जिनके माध्यम से यह कार्य कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री गुफरान आजम, यहां नहीं हैं। श्री रंगा।

**श्री एन० जी० रंगा** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रसन्न हूं कि सरकार ने अन्ततः यह निर्णय ले ही लिया कि न्यूनतम मजूरी तीन वर्ष में एकबार नहीं वरन् वर्ष में एक बार निर्धारित की जाएगी। किन्तु इस बात को देखते हुए कि अधिकांश आदिवासी लोग और अधिकांश कृषि श्रमिक पहले तो समाचार पत्र ही पढ़ते हैं, दूसरे वे इन बातों को नहीं जानते हैं तथा स्थानीय शासन भी इसका प्रचार करने में रुचि नहीं लेते हैं कि कितनी न्यूनतम मजूरी निर्धारित की जा रही है। क्या सरकार प्रसारण मन्त्रालय और समाचार-पत्रों पर अपने प्रभाव का प्रयोग करेगी कि हरेक कृषि-मौसम के दौरान समय-समय पर या कम से कम एक बार अवश्य इस बात का प्रचार किया जाए कि भारत सरकार ने या भारत सरकार के सुझाव पर राज्य सरकारों ने क्या न्यूनतम मजूरी निर्धारित की है। श्रमिकों के लाभ के लिए अच्छा तो यह होगा कि कृषि-मौसम के दौरान सप्ताह में एक बार अवश्य इस बात का प्रचार किया जाए ताकि वे जान सकें कि उनकी सही मजूरी क्या है ?

**श्री धर्मवीर** : मान्यवर, रंगाजी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें इस बात की जानकारी अवश्य होगी कि इन क्षेत्रों में जहां तक मिनिमम वेजेज के इम्प्लीमेंटेशन की जानकारी का सवाल है, यह सही है कि हम राज्य सरकारों पर आश्रित रहते है। **(व्यवधान)** जैसाकि मैंने पहले ही बताया है या आर्गेनाईजेशन्स कहीं पर बनाए जा रहे हैं जहां ट्राइबल्स और हरिजनों की संख्या

अधिक है। चूंकि ये लोग असंगठित हैं और इनकी अपनी कोई यूनियन न होने की वजह से भी निवेदन किया है कि वे इनको इससे अवगत कराएं कि मिनिमम वेजेज क्या के बारे में साक्षात्कार होते रहते हैं और हम आशा करते हैं कि हमें इस सम्बन्ध में सहयोग मिलेगा तथा सहयोग लेकर, मिनिमम वेजेज का प्रोफेगेंडा दूरवर्ती क्षेत्रों में भी हो सके इसके लिए हम प्रयास करेंगे।

**श्री नीरेन घोष** : यह प्रश्न हमारे देश के लिए मूलभूत महत्व का है। देश में सपरिवार लगभग 5-6 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं। जब भी उन्होंने अपनी न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की मांग की है—वो नहीं जो अधिनियम में निर्धारित की गई है—तो बिहार, कर्नाटक तथा देश के लगभग सभी राज्यों से मिले अनेक समाचारों के अनुसार जमींदारों ने उन पर बन्दूकों से हमले किए, उनके गांव नष्ट कर दिए, यहां तक कि सामूहिक हत्याएं हुई हैं। यह केवल प्रचार का प्रश्न नहीं है। इसलिए, मैं केन्द्र से पूछना चाहता हूं कि उनकी मांगों को पूरा करवाने तथा नृशंस हत्याओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इन लोगों के बन्दूक लायसैन्स रद्द कर दिए जाने चाहिए।

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : महोदय, जब भी मजदूरों पर किए गए अत्याचारों की ऐसी खबरें हमारे ध्यान में लाई जाती हैं, हम तुरन्त सम्बन्धित राज्य को लिखते हैं। कुछ मामलों में मैंने स्वयं मुख्य मंत्रियों को लिखा है और उनसे अनुरोध किया है कि वे मामले की छानबीन करें तथा तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें। जहां तक कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी को लागू करने का सम्बन्ध है, भारत सरकार इस बारे में बहुत उत्सुक है और इसीलिए यह देखने के लिए कि न्यूनतम मजदूरी का सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके, हमने 7 से 9 फरवरी तक एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया।

श्रीमन्, हमारे पास ऐसे कई मंच हैं, जहां हम इन समस्याओं पर विचार कर सकते हैं। हमने इस विषय पर श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया था। इसके अतिरिक्त, श्रम सचिव की अध्यक्षता में हमारी एक अन्त:—विभागीय समिति है। इस समिति की बैठक हर साल होती है। फिर, हमारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड भी है। राज्य स्तर पर भी ऐसे बोर्ड हैं। इस अधिनियम के सही ढंग से कार्यान्वियन की निगरानी के लिए मन्त्रालय में हमारा एक निगरानी कक्ष भी है, और जहां हमें पता चलता है कि इसका कार्यान्वियन नहीं हो रहा है, हम इसे तुरन्त सलाहकार बोर्डों के ध्यान में लाते हैं। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सभी राज्यों में भेजते हैं। वे गुप्त रूप से जाते हैं। वे यादृच्छिक सर्वेक्षण करते हैं। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, जो भी कदम आवश्यक हैं, हम उठा रहे हैं। हम पूरी गम्भीरता से सभी उपयुक्त कदम उठा रहे हैं ताकि खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को सही अर्थों में कार्यान्वित किया जा सके।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस विचार गोष्ठी का आयोजन

किया गया और विचार गोष्ठी की मुख्य सिफारिशों से मुझे पता चलता है कि जो सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं वे बहुत अच्छे तथा उत्तम हैं, बशर्ते कि उन्हें व्यवहार में लाया जाए। अब श्रीमन, मैं एक बात जानना चाहता हूं। ऐसे बहुत से केन्द्रीय कानून हैं जिनका उपयोग वस्तुतः राज्य सरकारों के हाथों में है। लेकिन, इसके बावजूद भी एक केन्द्रीय कानून है। इस लिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य है कि देश में खेतिहर मजदूरों के लिए कार्य कर रहे सभी संगठनों ने, अपनी राजनीति का ध्यान दिए बिना—इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सत्ताधारी दल में भी आस्था रखते हैं—सर्वसम्मति से पिछले कई वर्षों से यह मांग की है कि इन खेतिहर मजदूरों के लिए केवल एक केन्द्रीय व्यापक कानून होना चाहिए। चाहे इसका कार्यान्वयन राज्य करें, लेकिन, यदि केन्द्रीय कानून है तो यह राज्य सरकार के हाथ मजबूत करता है, इससे कार्यान्वयन का स्तर सुधारता है। यहां उन्होंने एक सिफारिश में कहा है कि जैसा कानून केरल में लागू है, उसी तरह का कानून अन्य सभी राज्यों में भी लाया जाना चाहिए। लेकिन, केन्द्र में क्यों नहीं? सभी एक ऐसे अखिल भारतीय कानून की मांग कर रहे हैं जो व्यापक हों। और उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि कार्यान्वियन के लिए प्रशासनिक तंत्र पर निर्भर न करें। इसके लिए कार्यान्वियन समितियां होनी चाहिए और इन सिफारिशों में से कुछ का सकावेश करके केन्द्रीय कानून वास्तव में उनके हाथों को मजबूत करेंगे। कम से कम इन समितियों को सांविधिक दर्जा दिया जासकता है, जिससे वे कार्य करने में समर्थ हो सकें। लेकिन ऐसा करने की बजाए वे कह रहे हैं कि वे राज्य सरकारों को निर्देश तथा परिपत्र भेज रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कृषकों से सम्बन्धित —न केवल न्यूनतम मजदूरी बल्कि खेतिहर मजदूरों के अन्य लाभों के लिए—एक केन्द्रीय अखिल भारतीय व्यापक कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है?

**श्री वीरेन्द्र पाटिल** : यह सच है कि कुछ संगठनों ने खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून की माँग की है। मन्त्रालय ने इसकी सिफारिश की थी तथा कानून का मसौदा भी तैयार कर लिया गया था। यह विषय श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन के सम्मुख रखा गया। दुर्भाग्यवश, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति नहीं हो पाई। उसमें भिन्न-भिन्न राय थीं। कुछ मंत्री तथा कुछ राज्य केन्द्रीय कानून के पक्ष में थे, कुछ राज्य इस पक्ष में नहीं थे। अतएव, अन्ततः भारत सरकार ने सोचा कि इसे राज्य सरकारों पर छोड़ना बेहतर होगा। राज्य या तो अपना कानून बना सकते हैं या केरल के नमूने पर कानून बना सकते हैं क्योंकि कृषिक परिस्थितियां सारे देश में एकसार नहीं हैं। एक ही राज्य के भाग और दूसरे भाग में स्थितियां भिन्न हैं। इसलिए यह विचार किया गया कि केन्द्रीय कानून बनाना उचित नहीं है। इसकी बजाए हमने सभी राज्यों को केरल के नमूने पर कानून बनाने के लिए लिखा है। मुझे बताया है कि कुछ राज्य जैसे गुजरात, तमिलनाडु तथा कर्नाटक कानून बनाने में रुचि रखते हैं। उन्होंने हमें बताया है कि वे स्वयं अपना कानून बनाना चाहते हैं और इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अतः हम राज्य सरकारों को इस बारे में सूचित कर चुके हैं। इस पर विचार करना उनका काम है।

**श्री हीरालाल आर० परमार** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि मिनिमम वेजेज गरीब लेबरों के लिए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो मिनिमम वेज का कानूर बनाया है, वह कानून जनता के लिए है या सरकार के लिए ? जो आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम के अन्दर पांच रुपया दिया जाता है, उसको दिलाने की सरकार क्या कोशिश करेगी ?

**श्री धर्मवीर** : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं कि चाहे कहीं भी कोई भी काम हो, सार्वजनिक क्षेत्र में भी उनको मिनिमम वेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मिनिमम वेज न दिए जाएं, राज्य सरकारों को इसके लिए बराबर लिखा गया है। आई० आर० डी० पी० और एन० आर० इ० पी० के सारे कार्यक्रमों में मिनिमम वेज दी जाती है।

**श्री रामविलास पासवान** : कैसे दी जाती है ? बिहार में चौकीदार का वेतन 90 रुपए महीना है।

**श्री धर्मवीर** : वह पार्ट-टाइम वर्कर है।

**श्री रामविलास पासवान** : यू० पी० में 13 रुपया है और वे सब के सब हरिजन हैं।

## अखबारी कागज की मांग और उत्पादन

*124. **डा० कृपा सिन्धु भोई** :

**श्री अशफाक हुसैन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार-पत्र उद्योग को अखबारी कागज की कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) देश में अखबारी कागज की कुल आवश्यकता कितनी है और अखबारी कागज कारखानों का कुल उत्पादन कितना है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग के राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1983-84 के लिए अखबारी कागज की आवश्यकता का अनुमान 3.50 लाख मीट्रिक टन लगाया गया था। इसमें से, 1.90 लाख टन की पूर्ति स्वदेशी मिलों द्वारा और

1·60 लाख टन की पूर्ति आयातों द्वारा की जानी थी । वर्ष के बीच समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया था कि स्वदेशी उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए अखबारी कागज की 20,000 टन की अतिरिक्त मात्रा आयात की जाए ।

अप्रैल, 198 से जनवरी, 1984 तक स्वदेशी अखबारी कागज मिलों का उत्पादन इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| नेपाल | 42,836 मीट्रिक टन |
| केरल | 41,445 मीट्रिक टन |
| मैसूर | 52,219 मीट्रिक टन |
| कुल : | 1,36,500 मीट्रिक टन |

**डा० कृपासिन्धु भोई** : महोदय, सलाहकार समिति की पिछली बैठक में माननीय मंत्री ने सदस्यों को आश्वासन दिया था, जो 'स्टेट्समैन' तथा 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में भी प्रकाशित हुआ था कि अखबारी कागज की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आएगी । लेकिन लघु तथा क्षेत्रीय समाचार प्रकाशकों की सदैव यह शिकायत रहती है कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका कोटा नहीं मिल रहा है । अतएव इस आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि अखबारी कागज की आवश्यकताओं का निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या है और मेरा विचार है कि उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि वर्ष 1983-84 के लिए 3-5 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता होगी ।

अब जनवरी, 1984 के अन्त तक देश में तीन स्वदेशी अखबारी कागज मिलों का उत्पादन 1, 36, 500 मीट्रिक टन है । लेकिन, आपने अनुमान लगाया था कि स्वदेशी उत्पादन लगभग 1·90 लाख मीट्रिक टन होगा । अन्तर बहुत अधिक है । अब वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे ? अधिक से अधिक वे 28,000 मीट्रिक टन का उत्पादन कर पाएंगे । लगभग 54,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज के आयात के लिए आपने वित्त मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली है । लेकिन अपने उत्तर में आपने कहा है कि आप केवल 20,000 मीट्रिक टन का आयात करेंगे । श्रीमन् हम आत्मनिर्भरता में विश्वास रखते हैं । आप देश की कुल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन से कदम उठा रहे हैं ?

**श्री एच० के० एल० भगत** : महोदय, देश की अखबारी कागज की आवश्यकताएं आयात तथा स्वदेशी उत्पादन दोनों से पूरी की जाती हैं । वास्तव में, अखबारी कागज का कुल उत्पादन बढ़ रहा है । अपनी गणना तथा अनुमानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई कमी नहीं है, इस अर्थ में कि देश की जो भी आवश्यकताएं हैं हम उन्हें आयात तथा स्वदेशी उत्पादन दोनों से पूरा करते हैं । यदि कभी-कभी हम यह अनुभव करते हैं कि स्वदेशी उत्पादन

में कुछ कमी है तो हम अखबारी कगाज के आयात में वृद्धि करने के लिए अवश्य कहते हैं और कहते रहे हैं। अब पिछले वर्ष की खपत के आधार पर प्रार्थना-पत्र मांगे गए हैं और उनकी मांग के आधार पर कुल गणना की जाती है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि अखबारी कागज की कोई कमी नहीं है और अब तक आवेदन के जितने भी मामले हैं, सभी निपटा दिए गए हैं। अब तक हमारे पास ऐसा कोई मामला नहीं आया है जहां अखबारी कागज न मिलने के कारण कोई समाचार कार्यालय बन्द हो गया हो। जो अधिकृत हैं उन्हें अखबारी कागज का कोटा मिल रहा है। लम्बित मामले-वे जानकारी तथा अन्य तथ्य न दिए जाने के कारण लम्बित हैं—जितनी जल्दी सम्भव होगा, निपटा दिए जाएंगे।

**डा० कृपासिन्धु भोई** : स्वदेशी अखबारी कागज उद्योग की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है और क्षमता का उपयोग कितना है? हम आत्म-निर्भरता में विश्वास करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आयात करते समय इसे दृष्टिगत रखते हुए तथा इसे आधार मानकर माननीय मंत्री ने इस विषय पर उद्योग मंत्री से विचार-विमर्श किया है और क्या उन्होंने देश में अखबारी कागज उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव रखा है क्योंकि हमारे देश में कच्चा माल बहुतायत में उपलब्ध है।

**श्री एच० के० एल० भगत** : माननीय सदस्य ने जो भी मुद्दे उठाए हैं मैं उन्हें उद्योग मंत्रालय को भेजा दूंगा।

**श्री एम० एम० लारेंस** : आयातित अखबारी कागज की तुलना में स्वदेशी अखबारी कागज पर लागत अधिक आती है। इसके कारण प्रमुख समाचार पत्रों तथा लघु समाचार पत्रों दोनों को चला पाने में कठिनाई हो रही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए क्या माननीय मंत्री स्वदेशी अखबारी कागज का मूल्य कम करने या अखबारी कागज से सम्बन्धित आयात नीति को उदार बनाने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करेंगे?

**श्री एच० के० एल० भगत** : यह सच है कि आयातित अखबारी कागज तथा स्वदेशी अखबारी कागज के मूल्य में अन्तर है, लेकिन जो अखबार 300 टन तक की खपत करते हैं, उनके पास यह विकल्प है कि वे स्वदेशी अखबारी कागज लें या आयातित अखबारी कागज। जो अखबार 300 टन से अधिक की खपत करते हैं, उन्हें 50 : 50 के आधार पर अखबारी कागज मिलता है, अर्थात्, आधा आयातित और आधा स्वदेशी। प्रत्यक्षतः समाचार पत्र आयातित अखबारी कागज लेने को तरजीह देते हैं क्योंकि वह सस्ता है, लेकिन विभिन्न हितों को दृष्टिगत रखते हुए तथा आवश्यकताओं को जहां तक सम्भव हो सके पूरा करने के लिए हमारा विचार दोनों में संतुलन रखने का है। वास्तव में, उद्योग मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय का यह विचार है कि पूल मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, यह विचाराधीन है। जबकि समाचार पत्र कीमत में अन्तर के कारण अधिक आयातित अखबारी कागज लेना चाहते हैं, सरकार स्वदेशी दृष्टिकोण की उपेक्षा नहीं कर सकती।

**बल्क औषध के आयात से देश की औषध क्षमता पर विपरीत प्रभाव**

*125· **श्री राजेश कुमार :**

**श्री दौलत राम सारण :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऐसी अनेक बल्क आषधियों के आयात में वृद्धि की है, जिनकी पर्याप्त उत्पादन क्षमता देश में विद्यमान है, और परिणामस्वरूप देश में इन औसधियों के उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) :** (क) और (ख) जी, नहीं। स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन आर्फ इंडिया लि० (एस० टी० सी०) के माध्यम से सरकार द्वारा बल्क औसधों के आयात में गत तीन भागों में उत्तरोत्तर कमी हुई है।

**श्री दौलत राम सारण :** अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न बहुत साफ था। हो सकता है कि कुल आयात में कमी हुई हो लेकिन मेरा प्रश्न था कि ऐसी अनेक बल्क औषधियों के आयात में वृद्धि की है, जिन की पर्याप्त उत्पादन क्षमता देश में विद्यमान है। क्या यह सही नहीं है कि कुछ ऐसी बल्क औषधियां हैं, जिनकी उत्पादन क्षमता देश में मौजूद हैं लेकिन उनका आयात होता है।

**श्री वसंत साठे :** आप बल्क ड्रग की बात कर रहे हैं, उनके नाम बताइए, तो मैं जानकारी दे सकता हूं। जनरलटी की क्या मैं बात करूं।

**श्री दौलत राम सारण :** मैंने साफ प्रश्न पूछा है कि कुछ बल्क ड्रग्स का आयात बढ़ाया गया है।

**श्री वसंत साठे :** 'कुछ' का मतलब में क्या समझूं।

**श्री दौलत राम सारण :** 'कुछ' का मतलब नहीं समझते लेकिन कुछ का आयात बढ़ा होगा और कुछ का कम हुआ होगा। उनको आप बता सकते हैं।

**श्री वसंत साठे :** कई हजार दवाइयां देश में बिक रही हैं। मैं कुछ के बारे में कैसे बता सकता हूं। आप नाम बताएँ, तो मैं बता दूंगा।

**श्री दौलत राम सारण :** मैं आप को नाम बताता हूं।

इटाइभोमाइसीन, डोक्सीसाइक्लीन,एसप्रीन, क्लोटोकुमीन, सेलबुटामोल, डेपसोन, विटामिन ए, एनल्जीन, पेथीडीन, विटामिन सी तथा विटामिन के।

इनका का आयात बढ़ा है।

**श्री वसंत साठे :** नहीं बढ़ा है। आप ने जो नाम लिये हैं, हकीकत यह है कि केनेलाइज्ड आइटम्स जो हैं, उन में ये दवाइयां आती हैं। आप की जानकारी के लिए मैं पूरे नाम ही पढ़ देता हूं :

एम्पिसीलीन एनहाइड्रस, क्लोरम्फेनीकोल पावडर, क्लोरम्फेमीकोल पाल्मीटेट, विटामिन सी, टेट्रासाइक्लीन, डोक्सीसाइक्लीन, इरायोमाइसीन, विटामिन डी 3, विटामिन पी विटामिनके तथा बिटामिट ई एसीटेट।

ये बंल्क औषधियां हैं जिन्हें सरणीबद्ध किया जाता है।

**प्रो० मधु दंडवते :** ये जंगली जानवर या पालतू जानवर ?

**श्री वसंत साठे :** डोमेस्टीकेटिड। विटासिन 'स' नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि पिछले जो हम 1978-79 में इम्पोर्ट करते थे, उस समय 24 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट किया करते थे। अब वह घट कर 4 करोड़ रुपये पर आ गया है। इतना कम इम्पोर्ट हो गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इम्पोर्ट घट गया है।

**श्री दौलत राम सारण :** अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने 24 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट करने की बात कही और यह कहा है कि अब 4 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट कर रहे हैं। यह खुशी की बात है कि आप देश से ही उत्पादन क्षमता पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि बल्क ड्रग्स की जो हमारी उत्पादन क्षमता है, क्या उसमें हमारी क्षमता के मुताविक पूरा उत्पादन हो रखा है ? यदि नही तो किन-किन क्षेत्रों में कम हो रहा है ?

**श्री वसंत साठे :** जो हमने चार करौड़ रुपये की दवाइयां मंगाई हैं उनमें सारी दवाइयां आ जाती है। अगर किसी विशिष्ट दवाई के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप जब नोटिस देंगे तो मैं उसकी जानकारी दे दूंगा।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, चालू मिक्सचर पिला रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** कम्पाऊण्ड पिला रहे हैं।

**डा० वी० कुलनदईवेलु :** हमारे यहां मधु मेह के बहुत से रोगी हैं, जिनमें संसद सदस्य और मंत्री भी शामिल है। हम इन रोगियों के बारे में बहुत चिंतित हैं। यहां तक की इंसुलिन के, जो हमारे देश में उपलब्ध है, प्रतिरोधी रोगियों के मामले भी हैं।। हमने अभी तक एकघटक इंसुलिन का उत्पादन करने का कोई प्रयास नहीं किया, जो कि प्रतिरोधी रोगियों के

लिए सुझायी जा सकती है, तो हमने अभी तक एक घटक वाली इंसुलिन का उत्पादन आरम्भ नहीं किया है और न ही इस देश में एक घटक वाली इंसुलिन उपलब्ध कराने के लिए इसका काफी मात्रा में आयात ही किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ? क्या आप तुरन्त एक घटक वाली इंसुलिन का उत्पादन करने अथवा काफी मात्रा में इसका आयात करने जा रहे हैं ?

**श्री वसंत साठे** : सर्वप्रथम, न तो मैं डाक्टर हूं और न ही मधुमेह का रोगी, इसलिए मैं इंसुलिन की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं जानता। लेकिन यह मानते हुए कि ऐसा है और आप समझते हैं कि यह एक घटक वाली दवा वांछनीय है, यदि भारत में कोई व्यक्ति यह आवश्यक दवा बना सकता है, तो हमें बहुत खुशी होगी। हम उसे प्रोत्साहन देना चाहेंगे।

**विद्युत उत्पादन और वितरण के लिए राष्ट्रीय नीति**

*126. **श्री एस० ए० दोराई सेबास्तियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फैडरेशन ने सरकार को यह बताया है कि जब तक विद्युत उत्पादन और वितरण के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं अपनाई जाती है, तब तक अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

(क) और (ख) ऑल इण्डिया पावर इंजीनियर्स फैडरेशन ने 1980 में विद्युत पर राजाध्यक्ष समिति को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखत मुख्य सुझाव शामिल थे :—

1. विद्युत केन्द्र का विषय होना चाहिए।

2. जल-विद्युत के विकास पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिये। बहते हुए पानी को राष्ट्रीय संसाधन घोषित किया जाना चाहिए।

3. ताप विद्युत केन्द्रों को कोयला पिट हैडो के समीप स्थित किया जाना चाहिए और यूनिटें पर्याप्त रूप से बड़े आकार की होनी चाहिए।

4. विद्युत के भावी विकास में न्यूक्लीय विद्युत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होना अनिवार्य है।

5. बड़े-बड़े केप्टिव विद्युत संयंत्रों को प्रतिष्ठापित करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए।

6. विद्युत आयोजना 15 वर्षीय परिपेक्ष्य के आधार पर होनी चाहिए।

7. विद्युत क्षेत्र का संगठनात्मक ढांचा, केन्द्रीय, क्षेत्रीय और एरिया बिजली बोर्डों की तीन श्रेणियों में होना चाहिए।

राष्ट्रीय नीतियों और उद्देश्यों के अनुरूप पंचवर्षीय योजनाएं बनाते समय उपरोक्त पहलुओं पर समय-समय पर विचार किया गया है। संविधान के अन्तर्गत "विद्युत को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एक 15 वर्षीय संदर्शी राष्ट्रीय विद्युत आयोजना तैयार की है। जबकि, कोयला पिट हैडों पर सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना की जा रही है, जल विद्युत उत्पादन के विकास पर भी बहुत बल दिया जा रहा है जहां तक संभव है न्यूक्लीय विद्युत का भी विकास किया जा रहा है। प्रत्येक विशिष्ट मामले के गुण-दोषों की जांच के बाद ही केप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुमति दी जाती है। विद्युत क्षेत्र के संगठनात्मक ढांचे के संबंध में के० वि० प्रा०, क्षेत्रीय बिजली बोर्ड तथा राज्य बिजली बोर्ड इस समय कार्य कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय ग्रिड की संकल्पना तैयार की जा रही है।

**श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : विद्युत औद्योगिक और कृषि विकास की मूल आवश्यकता है। 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना मेगावाट, ताप बिजली की अधिष्ठापित क्षमता 11,383.78 मेगावाट, ताप बिजली की क्षमता 19,000.93 मेगावाट और परमाणु शक्ति की क्षमता 640 मेगावाट थी। कुल अधिष्ठापित क्षमता 3,1024.71 मेगावाट थी।

छठी पंचवर्षीय योजना में 19.668 मेगावाट के अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की संकल्पना की गई है। अतः वर्तमान क्षमता सहित कुल 50690.71 मेगावाट बिजली की प्राप्ति होगी। अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या हमने 19,666 मेगावाट विद्युत क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है क्योंकि वर्तमान विद्युत क्षमता अनुमानित क्षमता के अनुरूप रही हैं और जिन कृषकों ने वर्ष 1976 में पंप सेट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कराया था उनमें से अधिकांश कृषक आज तक पंप सेट प्राप्त नहीं कर पाए। उसका अर्थ है कि पंजीकरण के आठ वर्ष बाद भी, किसान बिजली प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही, तो मैं नहीं जानता कि हम 1500 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर पायेंगे। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्षमताओं संबंधी कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

**श्री आरिफ मोहम्मद खां** : मध्यावधि मूल्यांकन में संशोधन कर 14,500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। और हमें आशा है कि योजना की समाप्ति तक लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। जहां तक कृषकों को बिजली देने का संबंध है, दूसरे प्रश्न के बारे में हमने बिजली द्वारा कृषि क्षेत्र को दी जा रही बिजली संबंधी सूचना सभा पटल पर रख दी थी। तथापि, चूंकि प्रश्न केवल नीति संबंधी है, मैं सदस्य को पृथक से इसकी सूचना भेज दूंगा।

**श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि जैसा कि मंत्री महोदय पहले ही उत्तर दे चुके हैं, कि उन्होंने राष्ट्रीय ग्रिड को 15 वर्ष से ही प्राप्त करने की संकल्पना की है, मैं जानना चाहता हूं कि, यदि राष्ट्रीय ग्रिड तैयार किया जा रहा है तो कार्यक्रम की रूपरेखा किस संबंध में बनाई जाएगी और क्या केन्द्रीय सरकार समूचे बिजली उत्पादन कार्यक्रम को हाथ में लेने जा रही हैं अथवा जैसा कि इस समय है, क्या राज्य सरकारों की भी बिजली उत्पादन और वितरण दोनों में ही दिलचस्पी है, जो कि एकदम भिन्न है। उत्पादन को ध्यान में रखते हुए देखें तो हम निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे हैं अतः केन्द्र सरकार को कम से कम उत्पादन के पहलू पर ध्यान देना चाहिए ताकि राज्य सरकारें वितरण कर सकें। राजाध्यक्ष समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें केन्द्र सरकार को स्वीकार्य नहीं हो सकतीं क्योंकि जब तक हम संविधान से संशोधन नहीं करते इसमें बहुत कठिनाई होगी। यदि विद्युत का राष्ट्रीयकरण किया जाना है तो इस विषय को समवर्ती सूची से निकाल दिया जाएगा क्योंकि केन्द्र सरकार समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रिड की संकल्पना संबंधी कार्यक्रम को आप किस तरह पूरा करने जा रहे हैं।

**श्री आरिफ मोहम्मद खां** : राजाध्यक्ष समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं। उनमें से कुछ सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जिन्हें राज्य सरकार के विरोध के कारण हम स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। तथापि, जैसा कि मैंने कहा, वे विचाराधीन है। राष्ट्रीय ग्रिड के संबंध में भी उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं। उनकी कम से कम पक्ष की प्रशासन की एक सिफारिश एक प्रादेशिक स्तर की एक राष्ट्रीय स्तर और एक स्थानीय स्तर की थी। और जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया कि यद्यपि कोयला पिट हैडों पर सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना की जा रही है, अतः जल विद्युत उत्पादन के विकास पर भी बहुत बल दिया जा रहा है। विद्युत हमारे संविधान का समवर्ती विषय है चूंकि इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही पर हैं अतः इन सिफारिशों के संबंध में अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : आजकल कुछ राज्य जहां विपक्षी दलों का शासन है, अधिक विद्युत की मांग कर रहे हैं। उनके इस रुख को ध्यान में रखते हुए क्या राष्ट्रीय ग्रिड

बनाने की कोई सम्भावना है ? यदि राज्य असफल होता है तो केन्द्र सरकार की समूची नीति असफल हो जाती है मेरे राज्य में फालतू बिजली थी। लेकिन राज्य सरकार की नीति के के कारण मेरे राज्य में बिजली के मामले में लगभग दिवालिया हो गई है और अब वहां बिजली की बहुत कमी है। चूंकि यह विषय समवर्ती सूची में है, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही हैं ;

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर)** : जहां तक बिजली का समवर्ती सूची में होने का संबंध है, इस अवस्था में उसमें विघ्न डालना संभव नहीं है। राज्य सरकारें और केन्द्र दोनों ही बिजली का उत्पादन करते हैं। यह केवल इसकी इस पृष्ठभूमि में है कि सरकार विभिन्न ताप बिजली केन्द्रों और पन-बिजली केन्द्रों का निर्माण कार्य अपने हाथ में ले रही थी।

राष्ट्रीय ग्रिड के संबंध में वास्तव में राजाध्यक्ष समिति ने एक विशिष्ट समिति की थी कि सभी 400 के० वी० लाइनें केन्द्र सरकार को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। जहां तक 220 के० वी० लाइनों का संबंध है जिनका नियंत्रण फिलहाल राज्यों के हाथ में है जहां तक उनके अंतर्राज्य से संबंध है विद्युत का जिसका उत्पादन सुपर ताप बिजली केन्द्रों तथा पन बिजली केन्द्रों, जो केन्द्र के हाथ में हैं, द्वारा किया जा रहा, संचालन करने के लिए उन्हें अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। इस बारे में कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई थी। मैंने स्वयं इसे आरम्भ करने के लिए उत्तरी क्षेत्र के मुख्य मंत्रियों के साथ एक-दो बैठकें की हैं राज्य अपनी ट्रांसमीशन लाईनें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूं इसमें विभिन्न राज्यों को इस तरह की ट्रांसमीशन लाइनों का नियंत्रण देने के लिए राजी करने में कुछ समय लगेगा ताकि अंततः सुपर पावर केन्द्रों से प्रवेश के विभिन्न राज्यों में बिजली देने के लिए तैयार किया गया नियंत्रण सूत्र एवं वास्तविकता बन जाए।

**टेलीफोन कनेक्शनों की बकाया मांग**

***127. श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के अंत में टेलीफोन की बकाया मांग की तुलना में वर्ष 1983 के अंत में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग कितनी है ;

(ख) वर्ष 1983 के दौरान यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो उसकी तुलना में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए और यदि निर्धारित लक्ष्य से कम टेलीफोन कनेक्शन दिए गए तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) टेलीफोन कनेक्शनों की सम्पूर्ण बकाया मांग को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और इसे किस तरह पूरा किया जाएगा ?

**संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल)** : (क) 31 दिसम्बर, 1982 की 6.6 लाख बकाया मांग की तुलना में 31 दिसम्बर, 1983 को टेलीफोन की बकाया मांग 7.5 लाख थीं।

(ख) वर्ष 1983 के दौरान, अर्थात पहली जनवरी से 31 दिसम्बर, तक प्रदान किए गए नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 1.5 लाख थी। कैलेंडर वर्ष 1983 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ग) संपूर्ण बकाया मांग (बैक लांग) को 1990 तक निपटाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। सातवीं योजना में स्विचन उपस्कर, केबिल लाइन सामग्री, टेलीफोन आदि का स्वदेशी उत्पादन-बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक एवं तकनीकी संरचना को भी मजबूत बनाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि साधन और निधि उपलब्ध रहे।

**श्री जयपाल सिंह कश्यप** : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो टेलीफोन व्यवस्था की इस समय देश में स्थिति है और दूसरे जो देश हैं उनसे हम बहुत पीछे हैं। विदेशों में जहां 100 फीसदी वहां की जनता को टेलीफोन उपलब्ध है, वहां हमारे देश में, 3 परसेंट ही उपलब्ध है, और शहरी एरिया में केवल 4 परसेंट उपलब्ध हैं।

जो वृद्धि की बात रही है हमारा कोई लक्ष्य कहीं रहा है और 1982 में 6.6 लाख और जो बैक लांग था वह जा कर के 1983 में 7.5 लाख हो गया, और केवल 1983 में आप 1.5 लाख टेलीफोन कनेक्शन ही दे पाये...

आपने 1990 तक देश में जो बैकलाग है उसको पूरा करने की बात की है। देश ने जो डेवलपमेंट होगा और उसके आधार पर लोगों टेलीफोन के लिए डिमांड बढ़ेगी उस डिमांड के अनुसार आप लोगों को किस तरह से टेलीफोन दे सकेंगे। देहातों में टेलीफोन की सेवा उपलब्ध नहीं है। दो-तीन किलोमीटर से अधिक लोगों को न जाना पड़े इसके लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल)** : महोदय, योजना इस पूर्वानुमान से बनायी गई है कि प्रति वर्ष मांग में 11 % की वृद्धि होगी। उस आधार पर यह कहा गया है कि 1990 तक हम उन सभी नगरीय क्षेत्रों में, जो भी चाहते हैं, टेलिफोन देने की स्थिति में होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले सदन में बताया था, यह योजना बनाई गई है कि भारत को 5-5 किलोमीटर के षडभुजों में विभाजित किया जायेगा और प्रत्येक षडभुज में एक टेलिफोन की सुविधा दी जायेगी। 1990 तक का यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह कार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकानामिक ग्रोथ को सौंपा गया था। उन्होंने भारत को 5-5 किलोमीटर क्षेत्र के षडभुजों में विभाजित किया है और तदानुसार स्थानों का पता लगाकर टेलिफोन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

**श्री जयपाल सिंह कश्यप** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से जो उत्तर दिया है भविष्य के बारे में टेलीफोन व्यवस्था के बारे में वह स्पष्ट नहीं है। इस समय प्रतिवर्ष 2-3 लाख से

ज्यादा आप टेलीफोन बनाने और देने की स्थिति में नहीं हैं। अगले सात साल में आप ज्यादा से ज्यादा 10 लाख टेलीफोन दे पाए प्रतिवर्ष। लेकिन पूरा जनता की आवश्यकता को आप इससे पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या मांग के अनुसार आप उस क्षमता तक पहुंचने के लिए कोई नीति तैयार कर रहे हैं। आप वह क्षमता कब तक प्राप्त कर सकेंगे ?

**श्री वी० एन० गाडगिल** : महोदय, मैं सभी विवरण देने के लिए तैयार हूं। हमने अपनी आवश्यकतानुसार 9·50,000 लाइनों के लिए उपकरण आयात किए हैं। स्थानीय उत्पादन इस तरह होगा !

3, बंगलौर—1 1/2 लाख स्ट्रॉजर लाइनें एवं 0·6 लाख क्रॉस बार लाइनें प्रति वर्ष।

3, रायबरेली —1 लाख स्ट्रॉजर उपकरण की लाइनें।

राय बरेली —2 लाख क्रॉस बार उपकरण की लाइनें।

मनकापुर (गोंडा)—5 लाख ई० 10 बी० की लाइनें (क्रॉस की तकनीक)।

बंगलौर के नजदीक—5 लाख ई० 10 बी० की लाइनें प्रतिवर्ष (क्रॉस की तकनीक।

इससे वर्ष 1990 तक आवश्यकता पूरी हो जाने का अनुमान है।

**श्रीमती प्रमिला दंडवते** : उपाध्यक्ष महोदय, 1982 में बम्बई में आग लगी थी। पिछले वर्ष, 1983 में, मालाबार हिल क्षेत्र के लोगों ने टेलिफोनों की बरसी मनाई थी। चूंकि आप बकाया मांग पर ध्यान देने जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप यह देखने जा रहे हैं, कि वे सभी टेलिफोन कनेक्शन जो इस केन्द्र विशेष में आधिष्ठापित किए गए थे, तुरन्त आधिष्ठापित किए जाएंगे और यदि नहीं, तो उन्हें कब तक आधिष्ठापित किया जायेगा ?

**श्री वी० एन० गाडगिल** : महोदय, जहां तक मालाबार केन्द्र का संबंध है, काफी समय पहले सभी टेलिफोन कनैक्शन पुनः लगा दिए गए थे। मैं उन सभी लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास पहले से टेलिफोन थे। यदि आप भविष्य की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बम्बई की योजना के बारे में बता सकता हूं। हमने महनागरों की अलग अलग योजनाएं तैयार की हैं। मैं माननीय सदस्यों को उन टेलिफोन कनैक्शनों के आंकड़े दे सकता हूं, जिनके अगले वर्ष तक पूरा हो जाने का अनुमान है।

## जबरी छुट्टी की अवधि के लिए पूर्ण मजूरी का भुगतान

*128. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जबरी छुट्टी की अवधि के लिये मुआवजे के रूप में पूर्ण मंजूरी के भुगतान का उपबन्ध करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इससे जबरी छुट्टी का, जहां यह न्यायोचित होती है, असली उद्देश्य विफल हो जाता है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब और प्रश्न उत्तर नहीं होंगे। प्रश्न काल समाप्त हो गया।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### मद्य कारखानों (डिस्टिलरीज) की क्षमता का उपयोग

*123. **श्री जी० भूपति** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान शीरे की उपलब्धता की तुलना में मद्य कारखानों (डिस्टिलरीज) की क्षमता कम थी जिसके परिणामस्वरूप शीरा फालतू पड़ा रहा ;

(ख) विश्व बाजार में मद्यसार और शीरे का वर्तमान मूल्य क्या है और क्या शीरे अथवा मद्यसार का निर्यात करना भारत के लिए लाभप्रद है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ)** : (क) जी, नहीं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत से निर्यात के प्रचलित मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

**अल्कोहल**

280 डालर से 300 डालर प्रति मी० टन) 1250 लिटर एफ० ओ० बी०

**शीरा**

45 डालर से 50 डालर प्रति मी० टन० एफ० ओ० बी०

अधिशेष उपलब्धता की सीमा तक शीरा/अल्कोहल का निर्यात भण्डारण/प्रदूषण समस्याओं पर काबू पाने और विदेशी मुद्रा कमाने के लिए लाभप्रद है।

**'पोलीबुटेडेन" रबड़ का उत्पादन और बिक्री मूल्य**

129. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
कि :

(क) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, बड़ौदा द्वारा निर्माण किये जा रहे पोलीब्रुटेडेन रबड़ का वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ख) इस उत्पाद का बिक्री मूल्य क्या है और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा अपने डीलरों को किस दर पर छूट दी जाती है ;

(ग) क्या पोलीब्रुटेडेन रबड़ का मूल्य विदेशों में स्टायरेनब्रुटेडेन रबड़ से 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अधिक रखा जाता है ; और

(घ) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा पोलीब्रुटेडेन रबड़ को इतने कम मूल्य पर बेचे जाने के क्या कारण हैं विशेषकर जबकि टायर निर्माता टायरों के मूल्य मनमाने ढंग से बढ़ा रहे हैं।

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क)

| | |
|---|---|
| 1980-81 | 6,465 मी० टन |
| 1981-82 | 11,481 मी० टन |
| 1982-83 | 16,176 मी० टन |

(ख) ग्रेड के अनुसार यह 15,500 रुपये से 1[illegible],000 रुपये प्रति मी० टन के बीच है। डीलरों को कोई छूट नहीं दी जाती है। तथापि, 500 रुपये प्रति मी० टन तक डीलर का कमीशन दिया जाता है।

(ग) यह सच है कि विदेशों में पी० बी० आर० का मूल्य एस० बी० आर० के मूल्य से अधिक है। मूल्य का अन्तर 2 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के बीच है।

(घ) यह कहना ठीक नहीं है कि इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बेचे जाने वाले पी० बी० आर० का मूल्य बहुत कम है इसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक है। इसके मूल्य को निर्धारित करते समय एक बात, जिसको ध्यान में रखा गया है वह यह है कि इसका देश में उत्पादन केवल छः वर्ष पूर्व ही शुरू किया गया था तथा उद्योग द्वारा उपयोग को बढ़ावा देना होगा।

### जम्मू और कश्मीर की जल विद्युत क्षमता

*130. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर की जल विद्युत क्षमत 30,000 मेगावाट है ;

(ख) क्या उन्हें इस बात की जानकारी भी है कि जम्मू और कश्मीर मात्र 200 मेगावाट बिजली बनाने तक ही अपने जल स्त्रोतों का उपयोग कर पाया है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर** : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए अद्यतन पुनर्मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार जम्मू और कश्मीर की कुल विद्युत क्षमता 60% भार अनुपात पर 7350 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है। इसकी तुलना में कुल 177 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता की जल विद्युत स्कीमें पहले से प्रचालन में हैं तथा राज्य में कुल 809 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता की स्कीमें नामतः सलाल (345 मेगावाट), दुलहस्ती (390 मेगावाट), अपर सिंह चरण-दो (70 मेगावाट) तथा सतकना (4 मेगावाट) क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

जम्मू और कश्मीर की जल विद्युत आवश्यकता के उपयोग के लिए सतत रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। इस सबंध में, उरी (480 मेगावाट) करनाह (2 मेगावाट) तथा कारगिल (3.75 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा कुछ और जल विद्युत परियोजनाओं की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त, लगभग 15 वृहत तथा 100 मिनी जल विद्युत स्कीमों का राज्य प्राधिकारियों द्वारा अन्वेषण किए जाने की रिपोर्ट मिली है।

### बरौनी उर्वरक कारखाने से यूरिया की चोरी

*131. **श्री नवल किशोर शर्मा** :
**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स के बरौनी उर्वरक कारखाने से 2 करोड़ रुपये मूल्य का यूरिया गायब पाया गया है ;

(ख) क्या भारी मात्रा में यूरिया की इस चोरी का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) कारखाने के गोदामों से हुई यूरिया की उक्त चोरी से सम्बन्ध पाये गये उर्वरक कारखाने के कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**कोयले के मूल्य में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट**

*132. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के मूल्य में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उसी अवधि में श्रमिक विवादों के कारण कोयले के उत्पादन में 50 लाख टन की वार्षिक कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो कोयले के मूल्य में इतनी वृद्धि और श्रमिक विवादों के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** (क) और (ग) राष्ट्रीयकरण के समय कोयले की औसत कीमत रु० 37.50 प्रति टन थी। तब से उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है जिसके कारण हैं—उत्पादन सामग्रियों की लागत में वृद्धि, मूल्य ह्रास और ब्याज में वृद्धि, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि, आदि। कामगारों की मंजूरी में भी उन तीन राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौतों के कारण काफी वृद्धि हुई है जो 1-1-1975, 1-1-1979 और 1-1-1983 से लागू हुए थे। राष्ट्रीयकरण से अब तक कोयले की खान मुहाना कीमतों में छह बार संशोधित किए गए हैं और आखिर संशोधन, किग गए हैं और आखिरी संशोधन, औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो की सिफारिशों पर तथा अन्य सभी संगत बातों पर विचार करके, 8-1-1984 से किया गया। कोयले की वर्तमान औसत खान मुहाना कीमतें कोल इंडिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले के मामले में रु० 183 प्रति टन और सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले के मामले में रु० 192 प्रति टन हैं।

कोयले का उत्पादन लगातार बढ़ता रहा है। वर्ष 1973-74 के लगभग 76 मिलियन टन कोयला उत्पादन की तुलना में 1983-84 में कोयले का उत्पादन 139 मिलियन टन होने की आशा है। श्रमिक अशान्ति (जिसमें कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याएं शामिल हैं) के

कारण वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में कोयले के उत्पादन में कमी का जो हिसाब कोल इण्डिया लि० ने लगाया है वह क्रमश: 0.63, 0.47 और 0.77 मि० टन है।

कोयला क्षेत्रों में श्रमिक विवादों के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) अन्तर-यूनियन प्रतिद्वन्द्विता;

(2) गैर-कानूनी-हड़तालों के खिलाफ किए गए उपाय;

(3) काम की असुरक्षित दशाओं के बारे में आरोप;

(4) आकस्मिक कामगारों को नियमित करने की मांग;

(5) विभिन्न मांगों को पूरा करना;

(6) उच्चतर श्रेणियों में मजदूरी के भुगतान की माँग;

(ग) कोयले के उत्पादन और श्रमिक विवादों से संबंधित समस्याएं हल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) कोल इण्डिया लि० में उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए अपनाए जा रहे उपायों में यह बातें शामिल हैं —नई खानों में विशाल धनराशि लगाना, पहले ही बनी खनन क्षमता का पूरा उपयोग, उन्नत तक्नालाजी शीघ्रता से लागू करना, उपकरणों का अधिक कुशलता से प्रयोग और उनकी बेहतर देखभाल, सामग्री सूची पर कड़ा नियन्त्रण और भंडार सामग्री के प्रयोग में किफायत, जनशक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए अनुपस्थिति की प्रवृति पर नियंत्रण करना और बेहतर अनुशासन लागू करना तथा देशी कामगारों का पता लगाकर समुचित प्रशिक्षण के बाद उन्हें दूसरे कामों पर लगाना, दुर्लभ उत्पादन सामग्री जैसे बिजली, विस्फोटक पदार्थ, लकड़ी आदि को अधिक उपलब्ध कराना, कोयले का शीघ्रता से प्रेषण करके और बेहतर वितरण-प्रणाली अपनाकर खान महाना स्टाक कम करना, नई परियोजनाओं को जल्दी-जल्दी और समय से पूरा करना तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार और बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों में माफिया गिरोहों की गतिविधियों पर नियन्त्रण।

(2) कोयला उद्योग के लिए एक संयुक्त द्विपक्षीय समिति का गठन जिसमें प्रबंधमंडल और राष्ट्रीय स्तर की केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के बराबर प्रतिनिधि हैं। यह समिति जिन विषयों पर बातचीत करनी है वह हैं—मजदूरी व्यवस्था, मंहगाई भत्ता और अन्य भत्ते, सेवा की दशाएं जिनमें आवास, जलपूर्ति, चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और अन्य अनुषंगी लाभ, उत्पादकता, कार्यकुशलता और औद्योगिक शांन्ति। अब तक कोयला उद्योग की

संयुक्त द्विपक्षी समिति ने 11 दिसम्बर 1974, 11 अगस्त 1979 और 11 नवम्बर 1983 को बातचीत करके तीन राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते किए हैं। इनमें से प्रत्येक समझौता 4 वर्ष के लिए लागू किया गया था।

(3) कंपनी स्तर, एरिया स्तर और कोलियरी स्तर पर परामर्शदात्री समितियों का गठन। इन समितियों में प्रबन्ध मण्डल और यूनियनों के बराबर-बराबर सदस्य होंगे और यह उत्पादन, उत्पादकता, सुरक्षा और श्रम कल्याण से संबंधित मामलों पर सिफारिशें करेंगी।

(4) कामगारों की शिकायतों पर कार्रवाई के संबंध में शिकायत दूर करने की क्रिया-विधि का पालन।

(5) अनिर्णत विवादों को संराधन के जरिए और जहां आवश्यक हो वहां मध्यस्थ-निर्णय के जरिए हल करना।

**गैर-सरकारी क्षेत्र में बीमार यूनिटों का लाभ अर्जित करने वाले यूनिटों में मिलाया जाना**

*133. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र की उन बीमार यूनिटों की संख्या क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान एक ही प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य कर रही लाभ अर्जित करने वाली यूनिटों में मिलाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) इस प्रकार की कम्पनियों को मिलाने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ; और

(ग) क्या तमिलनाडु में हाल ही में एक उपक्रम के मिलाए जाने के मामले में सरकार द्वारा इन शर्तों का पालन नहीं किया गया और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) पिछले तीन वर्षों (1981-83) की अवधि में, केन्द्रीय सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 23(2) के अन्तर्गत अन्तः सम्बन्धित लाभ अर्जित करने वाली एककों सहित 12 बीमार एककों के समामेलनों का अनुमोदन किया है।

(ख) समामेलन की योजनाओं का, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की प्रस्तावना तथा धारा 28 तदैव में उल्लिखित मार्ग-संदर्शिका को दृष्टिगत करते हुए परीक्षण किया जाता है इस प्रकार की शर्तों का कोई मानक रूप नहीं है। इस प्रकार की योजनाओं का अनुमोदन करते समय, अगर कोई स्थिति किसी विशेष मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के कारण आती है तो, उनका उल्लेख किया जाता है।

(ग) उपक्रम के नाम के अभाव में, मांगी गई सूचना देना सम्भव नहीं है।

**पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करना**

*134. **श्री छांगुर राम** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की बहुत समय से मांग की जा रही है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए एक आयोग का गठन भी किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो आयोग से कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और आयोग की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ कब तक स्थापित किया जाएगा ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क), (ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित किए जाने की मांग की गई थी। उक्त मांग से उत्पादन सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए 4 सितम्बर, 1981 को जसवन्त सिंह आयोग का गठन किया गया था और आयोग को छह मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, समय-समय पर, समय बढ़ाने की मांग की है।

गोहाटी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थायी न्यायपीठें स्थापित किए जाने की मांग भी की गई थी।

जसवन्त सिंह आयोग के विचारार्थ विषय बढ़ा दिए गए हैं और 14 दिसम्बर, 1983 को आयोग की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। आयोग से अब यह अपेक्षा की गई है कि वह इन मांगों की समीक्षा करे और रिपोर्ट दे और उच्च न्यायालयों के प्रधान स्थानों से भिन्न स्थानों पर उनकी न्यायपीठों की स्थापना के सामान्य प्रश्न के सभी पहलुओं की समीक्षा करे और इस सम्बन्ध में अनुसरण किए जाने वाले सामान्य सिद्धान्तों और मापदण्डों के विषय में रिपोर्ट दे। आयोग को अपनी रिपोर्ट 13 दिसम्बर, 1984 तक प्रस्तुत करनी है।

(घ) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्यायपीठ की स्थापना के विषय में विनिश्चय आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात ही किया जा सकता है।

**विकास कार्यक्रमों सम्बन्धी समाचारों का प्रसारण**

***135. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

**श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रसारण माध्यमों को निदेश जारी किए हैं कि वे विकास कार्यक्रमों के समाचारों को अधिक प्रचारित करें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कश्मीर, पंजाब, कर्नाटक और पश्चिमी बंगाल में हाल के आन्दोलनों के कारण हुई हिंसक घटनाओं का ब्यौरा भी उच्च प्राथमिक के आधार पर प्रसारित किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) और (ख) इस प्रकार के कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार बुलेटिन राजनैतिक और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर समाचारों की अपेक्षा नहीं कर सकते। माध्यमों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त, अन्य बातों के साथ-साथ, ये हैं कि प्रस्तुत किए जाने वाले समाचार और फीचर अन्वेषी और व्यापक होने चाहिए और विकास तथा राष्ट्र निर्माण के समाचारों के नए क्षेत्रों का पता करने के लिए सविचार प्रयास किया जाना चाहिए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति को विद्युत सुविधायें**

***136. श्री लक्ष्मण मलिक :**

**श्री छीतूभाई गामित** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का लाभ नहीं पहुंचा है हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने उनके मामले में आर्थिक क्षमता के लिए मानदण्ड को कम किया है क्योंकि उन्हें विद्युतीकरण के लाभ प्राप्त नहीं हो सकें ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बिजली के बिल की अदायगी के लिए पांच किलोमीटर से भी अधिक चलना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) यह सच नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम से लाभ नहीं हुआ।

(ख) कुछ राज्यों में बिल एकत्र करने की सुविधाएं उनके गांवों से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हैं।

(ग) बिल एकत्र करने की सुविधाओं की संख्या में उपयुक्त बढ़ोत्तरी करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

**दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बिलों सम्बन्धी जांच की रिपोर्ट**

*137. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मन्त्री दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बिलों की जांच सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट के बारे में 22 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न सं० 1295 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और कल इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर)** : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार संस्थान के सतर्कता विभाग द्वारा मामले की अभी जांच की जा रही है।

**महाराष्ट्र के चन्द्रपुर और भण्डारा जिलों में टेलीफोन सुविधा**

*138. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर और भण्डारा जिलों में ऐसे प्रखण्ड मुख्यालयों की संख्या कितनी है, जहां टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ख) उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वहां कब तक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी ?

**संचार राज्य मन्त्री (श्री पी० एन० गाडगिल)** : (क) "बाद" को छोड़कर चन्द्रपुर और भण्डारा जिलों के सभी ब्लाक मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है।

(ख) नए गढ़चिरोली जिले में यह ब्लाक अभी हाल ही में बनाया गया है।

(ग) इस ब्लाक मुख्यालय में टेलीफोन सुविधा 1984-85 में प्रदान किए जाने की योजना हैं।

**आकाशवाणी का ग्वालियर केन्द्र**

*139. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के ग्वालियर केन्द्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने की कोई योजना है ; और

(ख) आकाशवाणी के ग्वालियर केन्द्र में कार्यक्रमों को रिकार्ड करने की सुविधाओं की कब तक व्यवस्था कर दी जाएगी ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, नहीं। अब भी, समूचे ग्वालियर जिले और भिंड, मोरेना, शिवपुरी और दतिया जिलों में ग्वालियर के मीडियम वेव ट्रांसमीटर से सेवा प्राप्त होती है।

(ख) इस प्रकार की सुविधाएं पहले ही विद्यमान हैं।

**"यूनेस्को" का समर्थन करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों के सूचना मन्त्रियों का संकल्प**

*140. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी में जकार्ता में गुट-निरपेक्ष देशों के सूचना मन्त्रियों की बैठक में, अमरीका के "यूनेस्को" से निकलने के बाद "यूनेस्को" को पूरा-पूरा सहयोग देने का एक संकल्प पारित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके अनुपालन में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, हां। संकल्प की प्रति परिशिष्ट—1 में संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 7839/84]

(ख) गुट-निरपेक्ष देशों के सूचना मन्त्रियों के जकार्ता में हुए सम्मेलन द्वारा उपरि उल्लिखित संकल्प के पारित किए जाने से पहले भी, भारत सरकार के सरकारी प्रवक्ता ने यूनेस्को से हट जाने के अमरीका के निर्णय पर 31 दिसम्बर, 1983 को निम्नलिखित वक्तव्य दिया था :—

"हम इस समाचार से निराश हैं और हमें यह काफी आशा है कि अमरीका की सरकार अपने कथित निर्णय की समीक्षा करेगी"।

अमरीका ने यूनेस्को से जनवरी, 1985 से हट जाने का नोटिस दिया है और वह इस संगठन से अभी नहीं हटा है। भारत इस समय अन्य देशों, विशेषकर गुट-निरपेक्ष देशों, के परामर्श से मामले के सभी पहलुओं का आकलन कर रहा है।

**बायो-गैस कार्यक्रम की प्रगति**

1389. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थापित किए गए बायो-गैस संयंत्रों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से कम होने से देश में बायो-गैस कार्यक्रम की प्रगति असंतोषजनक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के पहले दो वर्षों में 1,10,000 बायो-गैस संयंत्रों में से केवल 82,867 गैस संयंत्र ही स्थापित किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो लक्ष्य की प्राप्ति न होने के प्रमुख कारण क्या हैं ; और

(घ) बायो-गैस संयंत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य कब तक पूरे हो जाएंगे ?

**ऊर्जा मन्त्री (श्री प्रो० शिव शंकर)** : (क) से (ग) बायो-गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना नवम्बर, 1981 में अनुमोदित की गई। जन शक्ति को प्रशिक्षित करने, सीमेंट एवं बैंक ऋण प्राप्त करने और संगठनात्मक अवसंरचना की कमी जैसी समस्याओं के बावजूद भी कार्यक्रम संतोषजनक रहा और 2 1/2 वर्ष में 75 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया।

(घ) चालू वर्ष के लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 75,000 संयंत्रों का लक्ष्य है और जनवरी, 1984 के अन्त तक 48,000 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। यह आशा है कि चालू वर्ष का लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त कर लिया जाएगा।

**गैर-रियायती दर वाले मिट्टी के तेल की बिक्री**

1390. **श्री जी० एम० बनातवाला** :
**श्री ए० के० बालन** :
**श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1983 से मिट्टी का तेल की दोहरी मूल्य नीति समाप्त किए जाने के बाद से डीलरों को गैर रियायती दर वाला मिट्टी के तेल को रियायती दामों में बेचना है जिससे उन्हें घाटा उठाना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार डीलरो को मुआवजा देने पर विचार करेगी ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

**ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री(श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क)और(ख) मूल्य में वृद्धि या कमी के कारण होने वाले बाहरी लाभ या हानियां सदा डीलरो-या वितरकों के लेखे में डाले जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

**उर्वरकों का उत्पादन**

1391. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1980-81, 1981-82, 198_-83 और 19_3-84 (दिसम्बर 1983 तक) के वर्षों के दौरान उर्वरकों की संयत्र-वार उत्पादन-लक्ष्य क्या रखा गया और कितनी मात्रा में उनका उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या देश में उत्पादित उर्वरकों की मात्रा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी ;

(ग) यदि नहीं, तो 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में नाइट्रोजन तथा पी 2 ओ 5 का आयात किया गया ; और

(घ) इस संबंध में वर्ष 1984-85 के लिए कैसी स्थिति रहने का अनुमान है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे)** (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 7840/84]

(ख) जी, नहीं ;

(ग) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

| वर्ष | आयात (लाख टनमें) | |
|---|---|---|
| | नाइट्रोजन | पी 2 ओ 5 |
| 1980-81 | 15·10 | 4·52 |
| 1981-82 | 10·54 | 3·43 |
| 1982-83 | 4·25 | 0·63 |
| 1983-84 (जनवरी 1984 तक) | 4·61 | 0·90 |

(घ) 1984-85 के दौरान आयात की मात्रा उपलब्ध स्टाक, वर्ष के दौरान स्वदेशी उत्पादन और सम्भावित खपत के ऊपर निर्भर करेगा।

**दूरदर्शन पर त्रिविमितीय (थ्री डाइमेन्सन) कार्यक्रम आरम्भ करना**

1392. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास स्थित वैज्ञानिकों द्वारा दूरदर्शन पर्दे पर फिल्मों के त्रिविमित्तीय दृश्य दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में दूरदर्शन पर त्रिविमित्तीय दृश्य कार्यक्रम को आरम्भ करने में कितना समय लगेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) और (ख) टेलीविजन पर त्रिविमितीय प्रभाव उत्पन्न करने का देश और विदेशों में अध्ययन और प्रयोग किया जाता रहा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, विकास ऐसी अवस्था पर नहीं पहुंचे हैं कि नियमित सेवा के रूप में चालू करने के बारे में विचार किया जा सके। इस पद्धति को नियमित सेवा के रूप में अभी तक कहीं भी चालू नहीं किया गया है।

(ग) इस अवस्था पर कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

**कोयला उद्योग के अधिग्रहण के बाद कोयले के मूल्य में वृद्धि**

*1393. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के बाद कोयले के मूल्य में 1970-71 से वर्ष-वार हुई मूल्य वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

(ख) वर्ष 1970-71 के मूल्य के अनुसार खनिकों को मंजूरी में वर्षवार हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1970-71 से सामग्री उत्पादन के मूल्य में वर्षवार हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या कोयले की मूल्य वृद्धि मंजूरी वृद्धि तथा कुल लागत वृद्धि के अनुपात के अनुसार नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों को हिन्दी में लिखे गए पत्र**

*1394. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा देश के क, ख और ग क्षेत्र राज्यों में स्थित विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों को राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान अलग-अलग कितने मूल पत्र लिखे गए ;

(ख) उनमें से राज्यवार और वर्षवार अलग-अलग कितने पत्र हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए;

(ग) इन वर्षों के दौरान उनके मन्त्रालय क, ख और ग क्षेत्रों के राज्यों में स्थित अपने विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों से वर्ष-वार कितने मूल पत्र प्राप्त हुये; और

(घ) इन मूल पत्रों में से राज्य-वार अलग-अलग कितने पत्र हिन्दी और अंग्रेजी में प्राप्त हुए ?

**ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क), (ख), (ग) और (घ) ऊर्जा मन्त्रालय में पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग राजभाषा अधिनियम, 1983

की व्यवस्थाओं और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में गृह मन्त्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार यथासम्भव किया जाता है। लेकिन मंत्रालय से जारी मूल पत्रों या हिन्दी में प्राप्त पत्रों का संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, व्यक्तियों/संगठनों, राज्य सरकारों आदि के लिए अलग-अलग रिकार्ड रखने का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए ऐसे आंकड़े मंत्रालय में नहीं रखे जाते।

**डाक और तार विभाग के विभागीय इंजीनियरिंग स्टाफ (सिविल विंग) के भर्ती नियम**

1395. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागीय इंजीनियरिंग स्टाफ (सिविल विंग) में, विशेष रूप से उच्च ग्रेड में पदोन्नतियों को प्रभावित करने संबंधी भर्ती नियमों के प्रति अत्यधिक रोष है;

(ख) क्या ग्रुप "बी" की सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों और विभागीय उम्मीदवारों की परस्पर वरीयता सूची को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; औष

(ग) यदि हां, तो क्या पी० एण्ड टी० इंजीनियर्स एसोसिएशन क्लास-II सिविल विंग के प्रतिनिधियों को, परस्पर वरीयता सूची के अन्तिम रूप देते ससय विश्वास में ले लिया गया था, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**संचार राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी नहीं। तथापि, सिविल और विद्युत इंजीनियर के कुछ विभागीय अधिकारियों ने कार्यकारी इंजीनियर के ग्रेड में भर्ती के मौजूदा नियमों में संशोधन करने के लिए कहा है।

(ख) ग्रुप "बी" की सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों और विभागीय उम्मीदवारों की आपसी वरिष्ठता का निर्धारण सेवा के प्रारम्भिक गठन की शर्तों और भर्ती नियमों के अनुसार किया जा रहा है।

(ग) इप स्थिति में प्रश्न ही नहीं उठता।

**हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा खाद्य यूनिटों की बिक्री**

1396. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पूर्ण भारत में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कर्मचारियों ने अपने महासंघ के माध्यम से यह मांग की है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की 4 यूनिटों को लीवर-लिपटन इंडिया लिमिटेड की बिक्री के लिए इन दोनों कम्पनियों के बीच हुए करार का मामला एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को भेज दिया जाए;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयोग ने इस मामले में अब तक कोई भी कार्यवाही करने में असमर्थता व्यक्त की है जब तक की उपरोक्त धारा के अन्तर्गत उसका मामला नहीं भेजा जाता; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कर्मचारियों तथा शेयरधारियों की आशंकाओं को दूर किया जा सके ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) :** (क) वाणिज्य कर्मचारियों के संघों के महासंघ और हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और/या उसके सहयोगी/समरूपी कम्पनीयों के कर्मचारियों के महासंघ ने सुझाव दिया है कि मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा मैसर्स लिप्टन इण्डिया लिमिटेड को चार उपक्रमों की बिक्री के सम्बन्ध में मामले को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापरिक व्यवहार आयोग को जांच के लिए भेजा जाए। इसी प्रकार का सुझाव हिन्दुस्तान लीवर मजदूर सभा द्वारा अपने दिनांक 3-10-1983 के पत्र द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को दे दिया गया था।

(ख) हिन्दुस्तान लीवर मजदूर सभा द्वारा भेजे गए पत्र के उत्तर में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने अपने पत्र दिनांक 19-10-1983 में स्थिति को स्पष्ट किया कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको विनिर्देश पर केवल मामले में अमलदारी कर सकते थे।

(ग) मैसर्स लिप्टन इण्डिया लिमिटेड को 22-8-1983 को सूचित किया गया था कि उनके द्वारा चार उपक्रमों का अधिग्रहण, प्रथमदृश्या, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक अधिनियम, 1969 की धारा 21 की परिभाषा के अन्तर्गत उनकी विद्यमान गतिविधियों में व्यापक विस्तार का परिणामी होगा। तथापि, कम्पनी ने अभिवेदन दिया है कि अधिनियम की उक्त धारा 21 के उपबन्ध उनके प्रस्ताव पर लागू नहीं होंगे। अभिवेदन पर विचार किया जा रहा है और कार्यवाही गुण दोषों पर सरकार द्वारा की जाएगी।

**कतार के गैस भण्डारों के अधिकतम उपयोग हेतु भारत और कतार द्वारा किया गया संयुक्त तकनीकी अध्ययन**

1397 **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कतार ने खाड़ी के उस देश (कतार) के गैस के विशाल भंडारों के अधिकतम उपयोग हेतु संयुक्त तकनीकी अध्ययन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो सहयोग के तरीकों को निश्चित करने में कितने भारतीय विशेषज्ञ लगे हुए हैं; और

(ग) उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत दोनों देशों द्वारा किए जाने वाले काम का ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

**औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियमों में संशोधन**

1398. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो कब तक संशोधन किये जाएंगे; और

(ख) क्या उनमें श्रमिकों की भागीदारी को भी सम्मिलित किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसे कब तक सम्मिलित कर लिया जायेगा ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी हां। नियमों के मसौदे के प्रकाशन संबंधी अधिसूचना 11 जनवरी, 1984 को जारी की गई थी। संबंधित पक्षों से टिप्पणियों मांगी गई हैं और इन टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात नियमों के मसौदे को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ख) प्रबन्ध में श्रमिकों की सहभागिता को प्रस्तावित संशोधनों में शामिल किया गया है। प्रबन्ध में कर्मचारी सहभागिता की योजना को पहले ही 30 दिसम्बर, 1983 को अधिसूचित कर दिया गया है।

**जम्मू और काश्मीर में छम्ब के शरणार्थियों का पुनर्वास**

1399. **श्री अब्दुल रसीद काबुली :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 की भारत-पाकिस्तान लड़ाई के बाद से छम्ब से निकले लोगों के जम्मू और काश्मीर में पुनर्वास के लिए आज तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इस काम पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और आगे क्या उपाय किए जाने हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** (क) भारत-पाक संघर्ष, 1971 के परिणाम स्वरूप जम्मू और काश्मीर राज्य में छम्ब-नियाबत क्षेत्र से आए 18,700 विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा 1974 में छम्ब विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास प्राधिकरण (छ० वि व्यक्ति पु० प्रा०) की स्थापना की गई थी। 1.10.1979 को अन्तिम राहत शिविर के बन्द किए जाने के बाद, विस्थापिय व्यक्ति को पुनर्वास स्थलों पर भेजदिया गया और उनके लिए स्थापित की गई 129 बस्तियों में उन्हें आवास प्लाट आवंटित किए गए और आवास अनुदान भी दिया गया। अनुमोदित पद्धति के अनुसार, कृषक परिवारों को भूमियां और अन्य वित्तीय सहायता ओर गैर-कृषक परिवारों को दुकान-प्लाट, अनुदान तथा कारोबार के लिए ऋण दिए गए। भूमि को अपर्याप्त उपलब्धता के कारण, 31 कृषक परिवारो को अभी तक भूमि आवंटित नहीं की गई है और 779 परिवारों को अनुमोदित पद्धति से कम भूमि आवंटित की गई है।

(ख) जनवरी, 1984 तक इन विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास पर 1494.46 लाख रुपये व्यय किए गए हैं। जिन व्यक्तियों को निर्धारित पैमानों के अनुसार भूमि आवंटित नहीं की गई है उनकी आय को बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

**सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग करने वाले किसान का राज्य बिद्युत बोर्डों से असंतुष्ट होना**

1400. **श्री भीखाभाई :**

**श्री के मालन्ना** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सिचाई के लिए बिजली का उपयोग करने वाले किसान राज्य बिद्युत बोर्डों से असुन्तुष्ट हैं क्योंकि बार-बार बिजली जाने से उनके कार्यों में नुकसान होता है ;

(ख) यदि हां तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) इन किसानों को कनेक्शन देरी से देने के संबंध में किसानों से राज्यवार औपचारिक/अनोपचारिक रूप से कितने मामले प्राप्त हुए हैं और उन पर राज्य बिद्युत बोर्डों द्वारा क्या कार्रवाही की गई है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरीफ मोहम्मद खां)** : (क) और (ख) सिंचाई प्रायोजनों के लिए कृषि उपभोक्ता को बिद्युत सप्लाई करने के मामले में उच्च प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों और बिजली बोर्डो से कहा है । तथापि ताप बिद्युत केन्द्रों में जब आकास्मिक जवरन बन्दियां होती हैं । अथवा जब पारेषण लाइनों में ट्रिपिंग होती है तब बिद्युत की सप्लाई में बाधा आती है । सभी राज्यों में कृषी प्रायोजनों के लिए 6 से 8 घंटे प्रतिदिन न्यूनतम बिद्युत सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**ओखला, दिल्ली में एक ई० एम० आई० अस्पताल खोलना**

1401. **श्री निहाल सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का एक नया अस्पताल खोलने की मांग की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ओखला, औद्योगिक क्षेत्र में 35 हजार से अधीक कार्य करते हैं तथा उन्हें इलाज के लिए बसई दारापुर जैसे काफी दूर पड़ने वाले स्थानों पर जाना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इस क्षेत्र में 200 पंलगों एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल के निर्माण करने का निर्णय लिया है और प्रस्ताविक अस्पताल के लिए उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

**राष्ट्रीय दूरदर्शन अन्तः सम्पर्क पर क्षेत्रीय फिल्मों का प्रदर्शन**

1402. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय दूरदर्शन अन्तः सम्पर्क पर प्रदर्शन के लिए क्षेत्रीय फिल्मों का किस आधार पर चयन किया जाता है ;

(ख) विभिन्न केन्द्रों पर उनको कितनी बार दिखाया जाता है तथा विभिन्न राज्यों में दर्शकों के दूरदर्शन द्वारा दिखाई जाने वाली विभिन्न क्षेत्रीय फिल्मों में समानता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) क्या निर्माताओं से प्राप्त किए गये फिल्म के उसी प्रिन्ट को क्रमवार विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर दिखाया जाता है;

(घ) साप्ताहिक "चित्रमाला" में सम्मिलित करने के लिए क्षेत्रीय फिल्मों से गीतों को किस आधार पर चुना जाता है और क्या इनको सभी दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है;

(ङ) क्षेत्रीय फिल्मों तथा साप्ताहिक "चित्रमाला" में सम्मिलित गीतों से संबंधित घटनाओं को सप्लाई करने के लिए निर्माताओं को कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) और (ख) हिन्दी की फिल्मों की तरह क्षेत्रीय फिल्में राष्ट्रीय संजाल पर साथ-साथ टेलीकास्ट नहीं की जानी होतीं हैं। तथापि, प्रमुख दूरदर्शन केन्द्रों हर सप्ताह अन्य क्षेत्रों की भी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में टेलीकास्ट कर रहे हैं। विभिन्न भाषाओं के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय फिल्मों को बारी-बारी से टेलीकास्ट किया जाता है। तथापि, यह भाषा विशेष की फिल्मों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के गीत और नृत्य अनुक्रमों को दूरदर्शन के कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास केन्द्रों से टेलीकास्ट किया जाता है और उनको "चित्रमाला" जो राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किए जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम का अंग है, में शामिल किए जाने के लिए दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र को भेज दिया जाता है।

(ङ) दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट की जाने वाली क्षेत्रीय फिल्मों के लिए भुगतान की दर-सूची विवरण में दी गई है। "चित्रमाला" में शामिल किए जाने वाले प्रति गीत और नृत्य अनुक्रम के निर्माता/वितरक को 1025 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है।

## विवरण

### दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किए जाने वाली क्षेत्रीय फिल्मों का दर ढांचा

फिल्मों की भाषा से संबंधित क्षेत्र में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों से क्षेत्रीय फिल्मों को टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दरें तथा महानगरीय केन्द्रों अर्थात बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली से उपशीर्षकों के साथ टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दरें वही होंगी जो हिन्दी फिल्मों के लिए हैं। शेष दूरदर्शन केन्द्रों के लिए दरें वही होंगी जो "सी" श्रेणी की फिल्मों के लिए हैं। केवल ए श्रेणी की क्षेत्रीय फिल्में ही भाषायी क्षेत्र के बाहर के दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट किए जाने के लिए प्राप्त होंगी।

हिन्दी की फीचर फिल्मों के लिए भुगतान की दरें इस प्रकार हैं :

(1) हिन्दी की सादी फीचर फिल्मों के लिए भुगतान की दरें इस प्रकार होंगी :

| फिल्मों की श्रेणी | 1. दिल्ली-मसूरी<br>2. बम्बई-पुणे-बंगलौर-पणजी | 1. कलकत्ता<br>2. मद्रास<br>3. जलंधर-अमृतसर | 1. श्रीनगर<br>2. लखनऊ कानपुर<br>3. हैदराबाद<br>4. जयपुर | 1. रायपुर<br>2. मुजफ्फरपुर<br>3. गुलबर्गा<br>4. सम्बलपुर<br>5. नागपुर<br>6. अल्पशक्ति वाले 20 ट्रांसमीटर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ( रुपयों में ) | | |
| "ए" | 20,000 | 5,000 | 10,000 | 3,000 |
| "बी" | 15,000 | 10,000 | 7,500 | 2,250 |
| "सी" और पुनः टेलीकास्ट होते वाली। | 10,000 | 7,500 | 5,000 | 1,500 |

(2) संजाल में जुड़े किसी अन्य स्वतन्त्र केन्द्र पर सादी फिल्म के टेलीकास्ट करने के लिए अतिरिक्त भुगतान कालम 5 में उल्लिखित दर पर किया जायेगा, यदि ट्रांसमीटर 1 किलोवाट या इससे कम की शक्ति पर कार्य करता है और यदि ट्रांसमीटर 10 किलोवाट की शक्ति पर कार्य करता है तो भुगतान कालम चार में उल्लिखित दर पर किया जायेगा।

**उन राज्यों/जिलों का ब्यौरा जिन में विविध सहायता समितिया नहीं हैं**

1403. **राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां जिला स्तर पर विधिक सहायता समितियां नहीं हैं;

(ख) शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहां विधिक सहायता समितियां नहीं हैं और उन जिलों में (दहेज या अन्य पारिवारिक कारणों से) कष्ट पा रहीम हिलाओं को विधिक सहायता देने का क्या प्रबन्ध है;

(ग) क्या यह आशा की जाती है कि ऐसी महिलाएं (वित्तीय रूप से या अन्यथा) अन्य जिलों/राज्यों में आकर विधिक सहायता प्राप्त करने की स्थिति में हैं; और

(घ) महिलाओं को एक वर्ग के रूप में विधिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई विशेष व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) से (ग) जानकारी इकठ्ठी की जा रही है।

(घ) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति ने, महिलाओं को विशेष वर्ग मानकर, परा-विधिक प्रशिक्षण केन्द्र गठित करने के अपने कार्यक्रम को तेज कर दिया है और उसने आवश्यक विधिक सहायता देने के लिए एक समन्वय-सेज भी प्रारम्भ किया है।

निम्नलिखित सामाजिक संगठनों को, जो अनन्य रूप से महिलाओं की सेवा करते के लिए स्थापित किए गए हैं, विधिक सहायता के लिए नियत सहायता अनुदान दिया गया है :—

| | संगठन का नाम | सहायता अनुदान की रकम |
|---|---|---|
| 1. | सेवा मन्दिर, उदयपुर | 13,150 रु० |
| 2. | भारतीय महिला अध्ययन संगम, नई दिल्ली | 10,000 रु० |
| 3. | महिला समन्वय परिषद, कलकत्ता | 50,000 रु० |
| 4. | भारतीय समाज कल्याण परिषद्, बम्बई | 25,000 रु० |
| 5. | श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय, बम्बई | 72,000 रु० |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | महिला दक्षता समिति, नई दिल्ली | 20,000 रु० |
| 7. | सहेली, नई दिल्ली | 30,000 रु० |
| 8. | अखिल भारतीय महिला सम्मेलन और भारतीय बकील संघ, नई दिल्ली | 5,000 रु० |
| 9. | महिलाओं के लिए विधिक सहायता केन्द्र, नई दिल्ली | 15,000 रु० |

**स्वतंत्रता संग्राम को चित्रित करने के लिए स्मारक डाक टिकटें जारी करने की योजना**

1404. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम को चित्रित करने के लिए 11990 तक स्मारक डाक टिकटों की कुछ श्रृखलाओं में जारी करने की एक योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में अब तक जारी टिकटों के नाम तथा अन्य विवरण क्या है तथा कैलेंडर वर्ष 1984 के दौरान जारी की जाने वाली टिकटों क नाम और उनका विवरण क्या है ; और

(ग) क्या पूर्ण श्रृंखलाओं के संबंध में निर्णय कर लिया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल)** : (क) जी हां । "भारत के स्वाधीनता संग्राम" की महत्वपूर्ण एतिहासिक घटनाओं को चित्रित करने वाली एक डाक-टिकट श्रृंखला शुरू की गई है और यह भारत की स्वाधीनता के स्वर्ण जयंती वर्ष, 1997 तक जारी रह सकती हैं ;

(ख) इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक भारत छोड़ो प्रस्ताव, महादेव देसाई, मीरा बहन, हेमू कालाणी, विनोबा भावे, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी और वासुदेव बलवंत फड़के पर डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 934 के दौरान, इस श्रृंखला के अंतर्गत मंगल पांड़े, नाना साहिब, तांत्या टोपे, बेगम अहजरत महल और बाबा काशीराम पर डाक-टिकट जारी करने का प्रस्ताव है ।

(ग) इस शृंखला के अंतर्गत आगे डाक टिकट जारी करने के लिए अस्थायी तौर पर जिन विशिष्ट व्यक्तियों/विषयों को चुना गया है, उनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शताब्दी

मास्टर तारासिंह

ककोरी कॉड

अशफाकउल्ला खान

मानवेंद्र नाथ राय

मदनलाल ढींगरा

एस० सत्यमूर्ति

डा० हृदय नाथ मंजरु

हकीम अजमल खान

श्याम जी कृष्ण वर्मा

आचार्य कृपलानी

सैफुद्दीनकिचलू

वी० जी० पिंगले

खुदी राम बोस

राजकुमारी अमृत कौर

खान अब्दुल गफ्फार खान

सन हेनरी कांटन

चन्द्रशेखर आजाद

डा० मथुरा सिंह

वांची अय्यर

सी० विजय राधव चरियार

खान अब्दुल समद

फिरोजशाह मेहता

गोपाल गणेश अगारकर

ऊधम सिंह

चापेकर बंधु।

**क्योंझोर के चक्रधर पुर में बरास्ता हरिचन्दर एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोला जाना**

1405. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में चक्रधरपुर में बरास्ता हरिचन्दर एक सार्वजनिक टेलीफोन खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां तो क्या उपरोक्त प्रस्ताव चालू वित्त वर्ष के दौरान क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मौजूदा नीति के अन्तर्गत क्योंझर जिले के चक्रधर पुर गांव में सहायता प्रदान करके लंबी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन पर प्रदान करने का औचित्य नहीं बनता है।

**नैमित्तिक कलाकारों की सेवायें नियमित किया जाना**

1406. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्रों, लखनऊ दूरदर्शन आदि में नैमित्तिक आधार पर (अल्पावधि ठेका अर्थात 14 दिन) कितने "प्रोडक्शन असिस्टेट, केमरा मेन, फ्लोर असिस्टेट और लाइटमेन" कार्य कर रहे हैं ;

(ख) स्थायी आधार पर बाहर से लोगों को लेते समय नैमिद्धिक आधार पर कार्यरत इन ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी न बनाए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) 1980 से 84 तक ऐसे प्रोडेक्शन असिस्टेट प्रोड्यूसर्ज नियुक्त किए गए हैं जो प्रशासनिक कर्मचारियों से संबद्ध हैं ;

(घ) क्या नैमितिक कर्मचारी बंधुआ मजदूरों के ही समान हैं और

(ङ) इन नैमित्तिक कर्मचारियों को कब निमित किया जायेगा और प्रशिक्षण की तारीख से वरिष्टता प्रदान की जायेगी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (ङ) **दूरदर्शन** केन्द्र व्यक्तियों को जरूरी कार्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नैमित्तिक आधार पर तब लगाते हैं जब नियमित पदधारी छुट्टी, प्रशिक्षत, आदि के कारण थोड़ी अवधियों के लिए अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को नियमित नियुक्तियां नहीं दी जा सकतीं, क्योंकि नियमित रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति उपलब्ध होते हैं। इन रिक्तियों को नियमित रूप से भरने के लिए सुनिर्धारित प्रक्रियाएं हैं। जब भी इस प्रकार की रिक्तियों को विज्ञापित किए जाए वे उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदन-पत्रों पर विधिवत् विचार किया जायेगा बशर्ते कि वे पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। इस बात से कि उनको नैमित्तिक आधार पर लगाया गया था उनको स्वत: नियमित किए जाने का हक नहीं मिलता।

प्रासंगिक रूप से, इस प्रकार के व्यक्तियों को थोड़ी भग्न अवधियों के लिए लगाया जाता है। विभिन्न कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों में (1) प्रोडक्शन असिस्टेंटों, (2) कैमरामैनो (3) फ्लोर असिस्टेंटों और (4) लाइटिंग असिस्टेंटों की श्रेणियों में इस प्रकार के व्यक्तियों को संख्या तथा इन केन्द्रों में प्रोडक्शन असिस्टेंटों और प्रोड्यूसरों की श्रेणियों में उनकी संख्या, जिनके दूरदर्शन के प्रशासनिक संवर्ग में सम्बन्धी है, के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथा समय लोक सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

**1984-87 के दौरान टेलीफोन लाइनें**

1407. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1984-87 के दौरान 1,65,000 नई टेलीफोन लाइनें स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) क्या स्टोर्ड प्रोग्राम कन्ट्रोल्ड इनेलोलाइन टाइप के 90,000 के स्थानीय एक्सचार्जी के लिए उपकरण जापान से आयात किये जा रहे हैं और 45,000 लाइनों के डिजीटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों और 30,000 लाइनों के डिजीटल स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए उपकरणों का फ्रांस से आयात किया जा रहा है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) और (ख) जी हां।

**ग्रामीण श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशा का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन**

1408. **श्री के० मालन्ना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों, विशेषकर असंगठित श्रमिकों की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक दशा का मूल्यांकन करने के लिए कोई नई अध्ययन जांच आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों के श्रमिकों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करना श्रम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन श्रम ब्यूरो, राष्ट्रीय श्रम संस्थान तथा अन्य कार्यालयों का सतत् कार्य रहा है। असंगठित क्षेत्र में श्रम ब्यूरो ने निम्नलिखित उद्योगों के संबंध में सर्वेक्षण किए हैं। ये सर्वेक्षण सामान्यतः उन क्षेत्रों में किया गया है, जहां उद्योगों का जमाव है और जरूरी नहीं है कि ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हो :—

(i) भवन और निर्माण (दिल्ली-1977-1978)

(ii) जरी उद्योग (सूरत-गुजरात-1978)

(iii) आतिशबाजी (शिवाकाशी-तमिल नाडु-1979)

(iv) हौजरी (पंजाब-1981)

(v) अगरबत्ती (कर्नाटक-1981)

(vi) मेटलवेअर (मुरादाबाद-1981)

(vii) ईंट भट्टा (चण्डीगढ़-1982)

(viii) दिया सलाई (शिवाकाशी-तमिलनाडु)

(ix) खांडसारी (उत्तर प्रदेश)

(x) मेटलवेअर (जगाधरी-हरियाणा)

(xi) ईंट भट्टा (पंजाब और हरियाणा)

(xii) धान कूटना (पंजाब और हरियाणा)

(xiii) काजू (केरल)

(xiv) बीड़ी (1978)

कुछ सर्वेक्षण रिपोर्ट पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं तथा अन्य रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही हैं।

**तेल उद्योग के बारे में संयुक्त भारत-रूस कार्यकारी दल द्वारा लिया गया निर्णय**

1409. **श्री एन० ई० होरो :**

**श्री सभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :**

**श्री सनत कुमार मण्डल :**

**श्री अनन्त रामुलू मल्लु :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्त सरकार संयुक्त आयोग के अन्तर्गत तेल उद्योग के बारे में गठित कार्यकारी दल द्वारा रूस भारत सहयोग सहित विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई है तथा अनेक निर्णय लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो रूस तथा भारत सरकार के बीच इस बारे में किये गये करार का ब्यौरा क्या है ।

**ऊर्जा मंत्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) :** (क) जी हां ।

(ख) दोनों पक्षों ने भू-कम्पीय आंकडे प्राप्तकरने, इनके संसाधन, पेट्रोलियम भू-विज्ञान, वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान संस्थानों के बीच पारस्परिक क्रिया, सोवियत विशेषज्ञों की भारत में प्रतिनियुक्ति और भारतीय विशेषज्ञों की सोवियत संघ में प्रतिनियुक्ति तथा सोवियत संघ में, सम्बद्ध क्षेत्रों में, भारत इंजीनियरों तथा भू-वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी सहयोग को और अधिक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की ।

दोनों पक्षों ने पश्चिम बंगाल में बोदरा-2 में खुदाई कार्य की प्रगति की तथा वर्क-ओवर रिगों के साथ वर्क ओवर कार्य-संचालनों की प्रगति की समीक्षा की । सोवियत पक्ष ने इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी में सोवियत विशेषज्ञों की प्रति नियुक्ति करके प्रशिक्षकों के दल की भारत में प्रतिनियुक्ति करने तथा ड्रिलिंग विशेषज्ञों की भारत में प्रतिनियुक्ति पर भी सहमति व्यक्त की । पक्षों ने, प्रचलित विभिन्न करारों के अन्तर्गत उपकरणों, सामग्री, तथा फालतू पुर्जों की प्रगति की भी समीक्षा की ।

**निर्धनों को विधिक सहायता**

1410. **श्री अमर सिंह राठवा :**

**श्री पी० के० कोडियन :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के निर्धन वर्ग के लोगों को, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में, वर्ष 1983 के दौरान दी गई नि:शुल्क विधिक सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में, विशेष रूप से गुजरात में, इस स्कीम का फायदा कितने लोगों को प्राप्त हुआ है ;

(ग) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इस स्कीम पर प्रत्येक राज्य में कितनी धनराशि खर्च की ;

(घ) आगामी वर्ष के लिए क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ङ) यह स्कीम कितनी सफल रही है ।

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

(घ) अगले वर्ष में विधिक सहायता के लिए 35,28,000.00 रु० की व्यवस्था की गई है ।

(ङ) देश में विधिक सहायता आंदोलन तेज हो गया है । इसने गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है और यह अन्य राज्यों में भी प्रगति कर रहा है ।

**प्रमुख औद्योगिक घरानों के कार्यकारी-अधिकारियों के निवास स्थानों पर सुरक्षा गार्डों पर खर्च की गई धनराशि**

1411. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 6 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2311 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शेयर-धारकों के खर्चे पर पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के निदेशकों द्वारा मनोरंजनार्थ फालतू खर्चे करने पर अंकुश लगाने, अपने यहां नौकर रखने तथा राजधानी में अपने घरों पर सुरक्षा गार्ड नियत करने के औचित्य पर निगरानी रखने में सफल रही है ;

(ख) क्या वे बिरला, मफतलाल, जे० के० सिंघानियां, मोदी तथा अन्य प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कार्यकारी अधिकारियों के निवास-स्थानों पर सुरक्षा-गार्डों की व्यवस्था करने पर खर्च की जा रही कुल धनराशि के सही-सही आंकड़े बताएंगे तथा इस सूचना को सभा पटल पर रखेंगे ; और

(ग) क्या इन कम्पनियों द्वारा सीधे ही किया जा रहा यह खर्च अथवा भाड़े पर प्राप्त सुरक्षा सेवाओं पर किया जा रहा खर्च कम्पनी विधि के अन्तर्गत आता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और उनकी सहायकों के प्रबन्ध निदेशकों और पूर्ण कालिक निदेशकों तथा प्रबन्धकों की परिलब्धियों सहित पारिश्रमिक को कम्पनी कार्य विभाग द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत तथा समय समय पर विभाग द्वारा जारी की गई मार्ग संदर्शिका द्वारा नियमित किया जाता है। प्रबन्धकीय कार्मिकों के मनोरंजन और उनके घरों पर सुरक्षा गार्डों को तैनात करने पर ऊपर कहा गया व्यय विद्यमानमार्ग-संदर्शिका के अन्तर्गत परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं हैं। तथापि, कम्पनी के कार्य के लिए कम्पनी द्वारा मनोरंजन या सुरक्षा गार्डों को तैनात करने पर किया गया कोई व्यय ना तो निषिद्ध है और ना ही कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नियमित किया जाता है।

(ख) तथा (ग) इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है और इस पर किये जाने वाले श्रम पर विचार करते हुए, अपेक्षित सूचना को सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है। तथापि, माननीय सदस्य किसी विशेष कम्पनी के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं तो वह मंगाई जा सकती एवं प्रस्तुत की जा सकती है।

**कोयला उत्पादन का लक्ष्य**

1412. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कोयले के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान उक्त लक्ष्य कहां तक प्राप्त हुआ है ?

**ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में (श्री दलबीर सिंह** : (क) वर्ष 1984-85 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 152·00 मिलियन टन निश्चित किया गया है।

(ख) अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1984 की अवधि के लिए कोयला उत्पादन के अनुपातिक लक्ष्य और इस अवधि के दौरान उत्पादन निम्नलिखित है :—

(मिलियन टन)

| 1983-84 अनुपातिक लक्ष्य | अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1984 अवधि के दौरान उत्पादन |
|---|---|
| अप्रैल, 1983-फरवरी, 1984 | |
| 127·31 | 12?·01 |

**उप-क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार, द्वारा भविष्य निधि विवरण न जारी किया जाना**

1413. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि सम्बद्ध कारखाने के भविष्य निधि कार्यालय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक अंशदाता की भविष्य निधि की राशि दर्शाने वाला विवरण भेजना चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उप-क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार) ने गत चार वर्षों से विष्णु सूगर मिल्स लिमिटेड, गोपालगंज और भारत सूगर मिल्स लिमिटेड, सिधवालिया गोपालगंज के क्रमशः फैक्ट्री कोड संख्या बी आर/192 और 198 वाले तत्सम्बन्धी अंशदाताओं के भविष्य निधि खाते के विवरण नहीं भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध या 31 मार्च, 1984 से पू. सम्बन्धित अंशदाताओं की भविष्य निधि खाते के विवरण भेजा जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने पर विचार है ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार इन दो मिलों के भविष्य निधि अंशदाताओं को वर्ष 1979-80 तक के लेखों के वार्षिक विवरण जारी कर दिए गए हैं। बाद के वर्षों के लेखे इन दो मिलों के प्रबन्धतंत्रों से अपेक्षित विवरणियां प्राप्त न होने के कारण अभी संकलित नहीं किये जा सके। अब भविष्य निधि निरीक्षकों के जरिए अपेक्षित विवरणियां प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इन अपेक्षित विवरणियों के प्राप्त होने पर ही, लेखों के विवरण जारी करने के लिए आगे कार्यवाही की जाएगी। चूंकि लेखों के विवरण को जारी करने में विलम्ब नियोजकों द्वारा निर्धारित विवरणियां न भेजे जाने के कारण हैं, इसलिए किसी अधिकारी के दोषी होने आदि का प्रश्न नहीं उठता।

**बिजली की दरों में वृद्धि**

1414. **श्री बाबू राम पराजये** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) मार्च, 1977, (दो) मार्च, 1979, तीन जनवरी, 1980 (चार) दिसम्बर 1983 के दौरान विद्युत (प्रकाश और पंखा) की उपभोक्ता के लिए राज्यवार दरें क्या थी ; और

(ख) (एक) मार्च, 1977-फरवरी 1979, (दो) मार्च, 1979-दिसम्बर 1979 और (तीन) जनवरी, 1980-दिसम्बर, 1983 के दौरान उपरोक्त प्रभारों में किन-किन तारीखों

को कितनी वृद्धि की गई और इस प्रकार प्रत्येक बार की गई वृद्धि से राजस्व में कितनी वृद्धि हुई ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) और खां (1) मार्च 1977, (2) मार्च 1979 (3) जनवरी 1980 से दिसम्बर 1983 के दौरान बिजली (लाइट और पंखों) के उपभोक्ता के लिए राज्यवार दरें तथा ट्रैफिक के संशोधन की तारीखों के साथ-साथ उपरोक्त प्रभारों में की गई प्रतिशतता को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 7841/84]

राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त सूचना के आधार पर 1977-78 से 1982-83 की अवधि के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं से बसूल की गई वार्षिक राजस्व दिखाने वाला विवरण II संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी 7841/84]

**मध्य प्रदेश में स्टाकयार्ड संबंधी गतिविधियों से कोल इंडिया लि० को कुल राजस्व प्राप्ति**

1415. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश में स्टाकयार्ड संबंधी गतिविधियों में कोल इन्डिया लिमिटेड को । अगस्त, 1983 तक कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है और । अगस्त, 1983 से 31 जनवरी 1984 तक रेल द्वारा माल भेजने में कितनी आय हुई है ; और

(ख) मध्य प्रदेश में 1 अगस्त 1983 तक किस स्टाकयार्ड से कोल इंडिया लि० अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ है और क्या उचित स्टाकयार्ड में आज भी कार्य चल रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) मध्यप्रदेश में सड़क द्वारा लाए गए कोयले से स्टाकयार्ड चलाकर 31-7-1983 तक कौल इंडिया लिमिटेड को रु० 30·40 लाख का कुल राजस्व प्राप्त हुआ। रेल द्वारा लाए गए कोयले के मामले में दिनांक पहली अगस्त, 1983 से 31 अक्तूबर, 1983 तक रु० 14·81 लाख राजस्व प्राप्त हुआ। पहली अगस्त 1983 से पहले मध्य प्रदेश के स्टाकयार्डों को रेल से कोई कोयला नहीं पहुंचाया गया था। नवम्बर 1983, दिसम्बर, 1983 और जनवरी, 1984 महीनों के लिए आकड़े एकत्र किए जाएंगे और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(ख) मध्य प्रदेश के इन्दौर स्टाकयार्ड से अगस्त, 1983 तक कौल इंडिया लि० को

सबसे अधिक राजस्व प्राप्त हुआ। यह स्टाकयार्ड चल रहा है और अब इससे रेल द्वारा लाया गया कोयला दिया जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**कर्मचारियों की छंटनी और जबरन छुट्टी को विनयमित करने के लिए पृथक कानून**

1416. **श्री जो बाई. कृष्णन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल में छटनी और जबरन छुट्टी को विनियमित करने के लिए एक पृथक कानून बनाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने चल रही हड़तालों तथा यदा-कदा उत्पन्न हो जाने ही जाने वाली विवादस्पद स्थिति की पृष्ठ भूमि की जानकारी के लिए यूनियनों के प्रतिनिधियों को विश्वास में लिया है ।

(ग) क्या ग्रेड, वेयतमान और मजूरी आदि संबंधी विषयों की भी जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम की जबरी-छुट्टी और छंटनी संबंधी धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है। यह संशोधन औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम 1982 में समाविष्ट काम-बन्दी से संबंधित उपबंधों के नमूने के अनुसार किया जाएगा। उक्त उपबंध एक्सैल एवं मुकदमे कें उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टीका-टिप्पणियों को ध्यान में रखकर पुन तैयार किए गए थे। इस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में समाविष्ट कामबन्दी से संबंधित धारा 25 ण को रद्द कर दिया था। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए यूनियनों से सलाह मशविरा करने का प्रश्न नहीं उठता

(ग) और (घ) जनवरी छुट्टी और छंटनी से संबंधित उपबन्धों मे ग्रेडों और वेतन मानों तथा मजदूरी आदि को ध्यान में नहीं रखा गया है।

**अशोधित तेल का उत्पादन**

1417. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छटी योजना में अशोधित तेल का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान अशोधित तेल का उत्पादन बढाने के लिए कौन से कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे ।

**ऊर्जा मन्त्रालय पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** (क) छठी योजना के पहले चार वर्षों के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन की स्थिति नीचे दिखाई गयी है :

आंकड़े मि० मी० टनों में

| | |
|---|---|
| 1980-81 | 10·51 |
| 1981-82 | 16·19 |
| 1982-83 | 21.06 |
| 1983-84 | 51·47) जनवरी, 84 तक |

(ख) 1984-85 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन का 29·63 मि. मी. टन है। मरम्मत का कार्यक्रम, और अधिक विकास कूओं की खुदाई उपकरणों का आधुनिकीकरण तथा तेल प्राप्ति को उच्च तकनीकों का प्रयोग किया जाना शामिल है।

**इन्टर नेशनल एसोसिएसन आफ इनर्जी इकोनामिस्ट्स का सम्मेलन**

1418· **श्री चिन्तमणी जैना** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में इन्टरनेशनल एशोसिएशन आफ बनर्जी इकोनामिस्ट्स का सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें भाग लेने वाले देशों के नाम क्या थे ?

(ग) इसमें हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसकी उपलब्धिया क्या है ?

**उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) जी हां।

(ख) इन्टरनेशनल एसोसिएशन आफ एनर्जी इकोनामिस्ट्स एक गैर सरकारी व्यवसायिक संस्था है, जिसके सदस्यों में विद्वान, अनुसंधान ऊर्जा से संबंधित संगठनों के प्रतिनिधि आदि अपनी-निजी हैसियत में, शामिल हैं। अत: विभिन्न देशों के कोई सरकारी प्रतिनिधि नहीं थे। तथापि उन देशों के नाम जहां से सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि लाए थे विवरण में संलग्न है।

(घ) सम्मेलन में विचार विमर्श समस्त विश्व के चुने हुए लेखकों द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज के एक सेट पर केन्द्रित था। ये दस्तावेज कई तकनीकी और पूर्ण अधिवेशनों में प्रस्तुत गए थे। और उन पर विचार-विमर्श किया गया था। ये दस्तावेज ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न

मामलों से संबंधित थे यथा, ऊर्जा की अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट, खर्जा प्रौद्योगिकियां-धिकास तथा अन्तरण, वित्तीय पहलू, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा की सप्लाई आदि ।

(घ) सम्मेलन ने ऊर्जा से संबंधित धिभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच की व्यवस्था की है । विभिन्न देशों के ऊर्जा के क्षेत्र के विशेषज्ञों, अनुसंधानकर्ताओं और नेताओं को आस में कार्यवाही करने का अवसर भी इस सम्मेलन से मिलता है ।

**विवरण**

1. फिलैन्ड
2. सोमालिया
3. कौरिया
4. कुवेत
5. यू० एस० ए०
6. यू० के०
7. फ्रांस
8. ग्रीक
9. नेपाल
10. मलेशिया
11. थाइलैंड
12. कनाडा
13. स्विटजरलैंड
14. जापान
15. इंडोनेशिया
16. वैनूजुला
17. आस्ट्रेलिया
18. नार्वे
19. वैल्जियम
20. श्री लंका
21. बंगला देश

| | |
|---|---|
| 22. | सिंगापुर |
| 23. | बेलिजे |
| 24. | फिजी |
| 25. | सेनेगल |
| 26. | चीन |
| 27. | भारत |

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों को मजदूर संगठनों को सौंपा जाना**

1419. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**
**श्री टी० एस० नेगी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों, स्वास्थ्य, मनोरंजन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का प्रबन्ध-कार्य मजदूर संगठनों को सौंपने का है ;

(ख) क्या मजदूर संगठनों द्वारा सरकार को उपर्युक्त दिशा में कुछ सुझाव दिए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष को श्रमिक संगठनों के नामजद व्यक्तियों में से मनोनीत करने के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं लेकिन सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को तकनीकी सहयोग के लिए प्राप्त पेशकश**

1420. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियर्ष इण्डिया लिमिटेड तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को तकनीकी सहयोग के लिए कुछ व्यक्तियों अथवा फर्मों से कोई पेशकश प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो पेशकर्ताओं के नाम तथा पेशकशों के बारे में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ।

**ऊर्जा मन्त्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) :** (क) और (ख) ये संस्थान अपने कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग के लिए समय-समय पर बहुत-सी विदेशी पार्टियों से प्रस्ताव प्राप्त करते रहते हैं। अगर प्रस्ताव अथवा पेशकश को निर्दिष्ट किया जाये तो सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

**कार्यरत तथा स्थापित किए जाने वाले तापीय बिजली घर**

1421. **श्री तारिक अनवर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत तापीय बिजली घरों की संख्या कितनी है तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ;

(ख) क्या देश में ऊर्जा की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार नए बिजली घरों को स्थापित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो निर्माणाधीन बिजली घरों की संख्या क्या है तथा वे किन स्थानों पर स्थापित हैं ;

(घ) इन तापीय बिजली घरों के निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ङ) इन बिजली घरों की उत्पादन क्षमता कितनी है और इनके द्वारा क्षेत्रवार कितनी मांग को पूरा करने की सम्भावना है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्र (श्री आरिफ मोहम्मद खां) :** (क) देश में कार्य कर रहे विद्युत ताप केन्द्रों की संख्या और उनके स्थल संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) : निर्माणाधीन और स्वीकृत ताप विद्युत केन्द्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता चालू करने का संभावित वर्ष, स्थल तथा यूनिटों की संख्या संलग्न विवरण II में दिखायी गई हैं। उपरोक्त विद्युत केन्द्रों से संबंधित राज्यों की मांग उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता से पूरी किए जाने की संभावना है। केन्द्रीय परियोजनाओं के संबंध में लाभों को क्षेत्र के राज्यों के बीच बाट दिया जाएगा।

**विवरण I**

**देश में मौजूदा ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों का ब्योरा**

| क्रम सं० | राज्य/प्रणाली | यूनिटों की संख्या (20 मेटा. और अधिक) | क्षमता (मेगा.) (27·2·84 की स्थिति के अनुसार) |
|---|---|---|---|
| 1. | दिल्ली | 10 | 1002·5 |
| 2. | हरियाणा | 5 | 400·0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | पंजाब | 4 | 440.0 |
| 4. | राजस्थान | 2 | 220.0 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 31 | 3379 0 |
| 6. | गुजरात | 17 | 2001.0 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 25 | 2602.5 |
| 8. | महाराष्ट्र | 13 | 3985.0 |
| 9. | आन्ध्र प्रदेश | 29 | 1392.5 |
| 10. | तमिलनाडु | 18 | 1710.0 |
| 11. | बिहार | 11 | 830.0 |
| 12. | दामोदर घाटी निगम | 14 | 1445.0 |
| 13. | उड़ीसा | 6 | 4 70.0 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 26 | 1748.0 |
| 15. | एन० ई० आर० (असम) | 4 | 180.0 |
| | अखिल भारत | 215 | 21815.5 |

## विवरण II

**निर्माणाधीन/स्वीकृत ताप विद्युत स्कीमों की प्रतिष्ठापित क्षमता, चालू करने का सम्भावित वर्ष दिखाने वाला विवरण**

| राज्य/स्कीम का नाम | प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट) | वर्ष के दौरान लाभ (मेगा०) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1983-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 88-89 | 89-90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **क्षेत्र उत्तरी** | | | | | | | | |
| **हरियाणा** | | | | | | | | |
| 1. पानीपत चरण 1 | | | | | | | | |
| चरण-2 | 2X110 = 220 | — | — | 110 | 110 | — | — | — |
| पानीपत | | | | | | | | |
| चरण-3 | 1X210 = 210 | — | — | — | — | 210 | — | — |
| **पंजाब** | | | | | | | | |
| 1. रोपड़ | 2X210 = 420 | — | 420 | — | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **उत्तर प्रदेश** | | | | | | | | |
| 1. परिच्छा | 2X110=220 | 110 | 110 | — | — | — | — | — |
| 2. अनपाड़ा "क" | 3X210=630 | — | — | 420 | 210 | — | — | — |
| 3. अनपाड़ा "ख" | 2X500=1000 | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 4. टांडा | 4X110=440 | — | — | 110 | 220 | 110 | — | — |
| 5. ऊंचहर | 2X210=420 | — | — | 210 | 210 | — | — | — |
| **राजस्थान** | | | | | | | | |
| 1. कोटा | 2X110=220 | 110* | — | — | — | — | — | — |
| 2. कोटा विस्तार | 2X210=420 | — | — | — | — | 210 | 210 | — |
| **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | | | |
| 1. सिंगरौली चरण I फेज 2 एसटीपीएस | 2X200+2X500 = 1400 | 420* | — | — | 500 | 500 | — | — |
| 2. रिहन्द एस. टी. पी. एस. | 2X500=1000 | — | — | — | — | 500 | 500 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्षेत्र पश्चिम** | | | | | | | | |
| **गुजरात** | | | | | | | | |
| 1. उकई 5वीं यूनिट | 1X210 = 210 | — | 210 | — | — | — | — | — |
| 2. कच्छ लिगनाइट | 2X70 = 140 | — | — | — | 70 | 70 | — | — |
| 3. वानक बोरी यूनिट | 1X210 = 210 | 210* | — | — | — | — | — | — |
| 4. वानक बोरी विस्तार | 3X210 = 630 | — | — | 420 | 210 | — | — | — |
| 5. सिक्का रिप्लेसमेंट | 1X120 | — | — | — | — | 120 | — | — |
| 6. साबरमती रिप्लेसमेंट | 1X110 = 110 | — | 110 | — | — | — | — | — |
| 7. गांधी नगर विस्तार | 1X210 = 210 | — | — | — | — | — | 210 | — |
| **मध्य प्रदेश** | | | | | | | | |
| 1. सतपुड़ा 9वीं यूनिट | 1X210 = 210 | 210* | — | — | — | — | — | — |
| 2. कोरबा पश्चिम | 2X210 = 420 | 420* | — | — | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. कोरबा पश्चिम विस्तार | 2X210 = 420 | — | — | 420 | — | — | — | — |
| 4. सेरसिहौड़ | 2X210 = 420 | — | — | — | — | 210 | 210 | — |
| **महाराष्ट्र** | | | | | | | | |
| 1. चन्द्रापुर यूनिट 1 व 2 | 2X210 = 420 | 210* | 210 | — | — | — | — | — |
| 2. चन्द्रा विस्तार | 2X210 = 420 | — | — | 210 | 210 | — | — | — |
| 3. चन्द्रपुर विस्तार | 2X500 = 1000 | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 4. ट्रोम्बे | 1X500 = 500 | 500* | — | — | — | — | — | — |
| 5. पारली यूनिट 4 | 1X210 = 210 | — | — | 210 | — | — | — | — |
| 6. उरान गैस विस्तार | 4X60 = 240 | 4 | — | 120 | 120 | — | — | — |
| **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | | | |
| 1. कोरबा एस.पी.टी.एस | 3X210+1X500 = 1130 | 420* | — | — | — | 500 | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. वोरबा एस.टी.पी.एस. त्रिस्तार | 2X500 = 1000 | — | — | — | — | — | 500 | 500 |
| 3. विन्ध्याचल एस. टी. पी. एस. | 6X210 = 1260 | — | — | — | — | 420 | 420 | 420 |
| **दक्षिण क्षेत्र** | | | | | | | | |
| **आन्ध्र प्रदेश** | | | | | | | | |
| 1. विजयवाड़ा विस्तार | 2X210 = 1260 | — | — | — | — | — | 210 | 210 |
| **कर्नाटक** | | | | | | | | |
| 1. रायचूर | 2X210 = 420 | — | — | 420 | — | — | — | — |
| **तमिलनाडु** | | | | | | | | |
| 1. मेत्तूर | 2X210 = 420 | — | — | — | — | 210 | 210 | — |
| 2. मेत्तूर विस्तार | 2X120 = 420 | — | — | — | — | — | — | 210 |
| **केन्द्रीय क्षेत्रीय** | | | | | | | | |
| 1. रामागुण्डम | 3X200+1X500 = 1100 | 200* | 400 | — | — | — | 500 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. रामागुण्डम विस्तार | 2X500 = 1000 | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 3. नेयवेली सेकिंड माइन कट | 3X210 = 630 | — | — | 210 | 420 | — | — | — |
| 4. नेयवेली सेकिंड माइन कट विस्तार | 4X210 = 840 | — | — | — | — | — | 420 | 420 |
| **पूर्वीय क्षेत्र** | | | | | | | | |
| **बिहार** | | | | | | | | |
| 1. पतरातू 9 व 10 यूनिट | 2X210 = 220 | — | 110 | 110 | — | — | — | — |
| 2. बरौनी 7वीं यूनिट | 1X110 = 110 | — | — | 110 | — | — | — | — |
| 3. मुजफ्फरपुर | 2X110 = 220 | — | 110 | 110 | — | — | — | — |
| 4. तेनुघाट | 2X210 = 420 | — | — | — | — | — | 210 | 210 |
| **डी० वी० सी०** | | | | | | | | |
| 1. बोकारो "ख" | 1X210 = 210 | — | — | 210 | — | — | — | — |
| 2. बोकारो "ख" विस्तार | 2X210 = 420 | — | — | — | — | 210 | 210 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **पश्चिम बंगाल** | | | | | | | | |
| 1. कोलाघाट | 3X210 = 630 | — | 210 | 210 | 210 | — | — | — |
| 2. कोलाघाट विस्तार | 3X210 = 630 | — | — | — | — | 210 | 210 | 210 |
| 3. डी० पी० एल० विस्तार | 1X110 = 110 | — | — | 110 | — | — | — | — |
| 4. सी० ई० एस० सी० (टीटागढ़) | 4X60 = 240 | 120* | 60 | — | — | — | — | — |
| **केन्द्रीय क्षेत्र** | | | | | | | | |
| 1. फरक्का एस. टी. पी. एस. चरण-I | 3X210 = 630 | — | 210 | 210 | 210 | — | — | — |
| **उत्तर पूर्वी क्षेत्र** | | | | | | | | |
| **असम** | | | | | | | | |
| 1. बोंगईगांव विस्तार | 2X60 = 120 | — | 60 | 60 | — | — | — | — |
| 2. नामरूप वेस्ट | 1X22 = 22 | — | 22 | — | — | — | — | — |
| 3. लाकवा गैस | 3X15 = 45 | 15* | — | — | — | — | — | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. लाकवा गैस विस्तार | 1X15 = 15 | — | 15 | — | — | — | — | — |
| 5. बोरगोलाई | 2X30 = 60 | — | — | — | — | — | 30 | 30 |
| 6. चन्द्रपुर विस्तार | 1X30 = 30 | — | — | — | — | 30 | — | — |
| **त्रिपुरा** | | | | | | | | |
| 1. बारामुरा गैस बेस्ड टी० पी० एस० | 2X5 = 10 | — | — | 10 | — | — | — | — |
| **एन० ई० सी०** | | | | | | | | |
| 1. गारो हिल्स | 2X30 = 60 | — | — | — | — | — | — | 30 |
| **अंडमान निकोबार द्विप समूह** | | | | | | | | |
| 1. थर्मम | 2X5 = 10 | — | — | — | — | 5 | 5[illegible] | — |

2. यूनिट चालू कर दी/रोल कर दी गई।

3. एक यूनिट चालू कर दी गई/रोल कर दी गई।

**उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का विधिकरण**

1422. **श्री वृज मोहन महन्ती** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शीघ्र न्याय और मामलों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चत करने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के विविधीकरण का कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ।

**विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जग नाथ कौशल)** : संभवत :, मानवीय सदस्य महोदय के मन में विशेष प्रकार के मामलों के निपटार के लिए अधिकरणों की स्थापना का विचार है । सिद्धान्त रूप से सरकार ने कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का विनिश्य किया है ; राज्यों से परामर्श किया गया है और सरकार के ग्रह मंत्रालय का कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग इस विषय में कर रहा है ।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण का गठन पहले ही कर दिया गया है ।

**अपने मकान रहने वाले सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा**

1423. **डा० ए० यू० आजमी** : : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य आवास पूल के पात्र दिल्ली/नई दिल्ली स्थित उनके मंत्रालय के तथा अधीनस्थ कार्यलयों के कितने सरकारी कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गई तथा उन्होंने अपने मकान पूरे बिना लिए हैं ;

(ख) उनमें से कितनों को सरकारी आवास आवंटित था तथा उनमें से कितने अपने निजी मकानों में चले गए हैं और उन्होंने आवंटित सरकारी आवास को खाली कर दिया है अथवा उन्होंने उसको आगेकिराए पर दे दिया है ; और

(ग) सरकारी आवास आवंटन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्व की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रशासन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथा समय लोक सभा की मेज पर रख दिया जाएगा ।

**मध्य प्रदेश में तेल और गैस की खोज और ड्रिलिंग**

1424. **श्री फूल चन्द्र वर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में तेल और गैस की खोज और ड्रिलिंग के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ।

(ख) किन क्षेत्रों में तेल और गैस उपलब्ध होने का पता चला है ; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ।

**ऊर्जा मन्त्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क) मध्य प्रदेश में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक 17500 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र का टोह तथा अर्ध-विस्तृत सर्वेक्षणों द्वारा मानचित्रण किया है । आगे का विस्तृत सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा हैं ।

(क) और (ग) इस समय उन स्थलों के नाम बताना संभव नहीं है जहां तेल तथा गैस प्राप्त होने की आशा है ।

**राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों का खोला जाना**

1425. **श्री राम कुमार मीना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कार्यरत सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों और टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है ;

(ख) सरकार का वर्ष 1984 तथा 1985 के दौरान राजस्थान में नए टेलीफोन एक्सचेंजों तथा सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है ;

(ग) उन स्थानों के क्या नाम हैं, जिनको इस उद्देश्य के लिए चुना गया है ; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) राजस्थान में इस समय 772 लम्बी दूरी सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा 496 टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1984-85 में जिन गांवों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा एक्सचेंज प्रदान किए जाने हैं उनके नामों को अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(घ) संबंधित सर्किलों को एक मुश्त अनुदान दे दिया जाता है जिसमें ऐसे सभी कार्य शामिल होते हैं । वर्ष 1984-85 के दौरान लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए दो करोड़ रुपए तथा टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए एक करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है ।

**आदिवासी क्षेत्रों में पेट्रोपलयम उत्पादों का बेहतर वितरण और समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था हेतु सर्वेक्षण**

1426. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश के आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों का बेतरह वितरण करने और उन्हें समय पर उपलब्ध कराने के लिए कोई सर्वेक्षण शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या आदिवासी, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में, समस्याओं को विस्तार से जानने और योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए इस प्रकार का सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के पास है ?

**ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क) देश के आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों, विशेषकर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के लिए तेल कम्पनियों को पहले से ही निर्देश दिए गये हैं कि वे सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा बताए गये स्थानों पर तालुका मिट्टी के तेल के डिपु (टी० के० डी०) खोलें। जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में कई पहाड़ी और दूर-इराज के क्षेत्रों मे कई स्थानों का पता लगाता जा चुका है और वहां पर ऐसे डिपुओं की स्थापना करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

**उत्पादन प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों पर सामान्य रूप से प्रयोग किये जा रहे रसायनों की प्रभाव सीमा के बारे में अनुसंधान**

1427. **श्री ए० नीलालोहित वसन नाडार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन ने उत्पादन प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों पर सामान्य रूप से प्रयोग किए जा रहे 60,000 रसायनों की प्रभाव सीमा के बारे में अनुसंधान करने के लिए कहा है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार के पास सामान्य रूप से प्रयोग किए जा रहे उक्त 60,000 रसायनों में से कुछ के बारे में सूचना और आंकड़ें हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन रसायनों को उनके व्यावसायिक खतरे को देखते हुए श्रेणियों में रखा गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए आवश्यक स्वास्थ्य जोखम बीमा शुरू करेगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) से (घ) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के 224वें अधिवेशन में (15-18 नवम्बर, 1983), कार्य पर्यावरण में रसायन पदार्थों के व्यावसायिक खतरों की सीमा को प्रमाणित करने के लिए नीतियों संबंधी विशेषज्ञों की बैठक की रिपोर्ट पर विचार किया गया। हालांकि शासी निकाय ने इस रिपोर्ट पर ध्यान दिया, लेकिन इस बारे में सरकार को महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

**सोडा-ऐस संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की उपसमितियां**

1428. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडा-ऐश सम्बन्धी उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 19 जुलाई 1983 को हुई अपनी प्रथम बैठक में दो उप-समितियां बनाने का निर्णय किया था।

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों उप समितियां बना दी गई है,

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के कारण क्या है, और

(घ) इन दो उप-समितियों के गठन को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ)** : (क) और (ख) जी, हां। दो उप-समितियों का गठन हाल ही में किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**रक्षित विद्युत संयंत्र लगाना**

1429. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेयाम, साकरित और लोहत शुगर मिल्स तथा अशोक पेपर मिल्स के लिए रक्षित विद्युत संयंत्र लगाने तथा हाथ से चलने वाले पम्प सैट लगाने जैसे बिजली की बचत करने के तरीकों के लिए राज सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : रेयाम, सकरित, और लोहत शुगर मिल्स तथा अशोक पेपर मिल्स में केप्टिव विद्युत यूनिटों की प्रतिष्ठापना करने के बारे में सरकार को अनुमोदन हेतु कोई निशिष्ट प्रस्ताव नहीं हुआ है। यदि प्रस्ताव को आर्थिक दृष्टि

व्यवहार्य पाया गया तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन हाथ से चलने वाले पम्पों जैसे उपकरणों के लिए आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव पर अन्य प्रस्तावों के साथ समान रूप से विचार किया जा सकता है।

**1984-85 और 1985-86 के लिए अखबारी कागज की आवश्यकता**

1430. **श्री ईरा अनबरासु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1984-85 और 1985-86 में घरेलू खपत के लिए अखबारी कागज की कुल कितनी आवश्यकता होगी ;

(ख) उक्त वर्षों में देश में सप्लाई के लिए कितता अखबारी कागज होने की संभावना है ; और

(ग) कमी को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) 1984-85 और 1985-86 के वित्तीय वर्षों में घरेलू खपत के लिए अखबारी कागज की कुल आवश्यकता का लगाया गया अनुमान इस प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1984-85 | = | 3·85 लाख टन |
| 1985-86 | = | 4·00 लाख टन |

(ख) उक्त वर्षों में देश में सप्लाई के लिए अखबारी कागज की निम्नलिखित मात्रा होने का अनुमान है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1984-85 | = | 2·00 लाख टन |
| 1985-86 | = | 2·25 लाख टन |

(ग) 1984-85 में 1·85 लाख टन और 1985-86 में 1·75 लाख टन की अनुमोदित कमी को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयातों द्वारा पूरा किया जाना है।

**नावों की डिजाइन बनाने वाली एक फर्म को "आफ-शोर प्लेटफार्म स्पोर्ट-कम-सप्लाई वैशल" के निर्माण का ठेका दिया जाना**

1431. **श्री छोटे सिंह यादव** :
**श्री जगपाल सिंह** :
**श्री दौलत राम सारण** :
**श्री त्रिलोक चन्द** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 1983 के मध्य में

किसी समय नार्वे की एक डिजाइन तैयार करने वाली फर्म को "आफ पोर प्लेटफार्म स्पोर्ट-कम-सम्पलाई वैसल" के निर्माण का ठेका दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस ठेके का दिया जाना, पश्चिमी देशों की हेरा-फेरी से बचने के लिए प्रौद्योगिकी अपने स्रोतों में विविधता अपनाने की देश की नीति के विरुद्ध था और इससे न केवल देश के वाणिज्यिक हितों की उपेक्षा की गई बल्कि प्रतियोगी दरों पर उपकरण खरीदने के अवसरों को भी सीमित किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने किन कारणों से नार्वे की डिजाइन बनाने वाली फर्म को चुना ?

**ऊर्जा मंत्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क), (ख) और (ग) 1983 के मध्य में अपतटीय प्लेट फार्म सहित आधार-पूर्ति पोतों के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने नार्वे को किसी डिजाइन फर्म को कोई ठेका नहीं है ।

तथापि, 1983 के दौरान विभिन्न आकार के 12 अपतटीय पूर्ति पोतों के निर्माण के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने स्वदेशी शिपयार्डों को आर्डर दिए थे तथा भारतीय शिपयार्डों द्वारा स्वयं हो उत्सतियन, नार्वे से प्राप्त किये गए डिजाइन के आधार पर इनका निर्माण किया जा रहा है ।

### "एमडोपा" और "एल्डोमट" नामक औषधियों की अनुपलब्धता

1432. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

**श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एमडोपा" और "एल्डोमट" नामक जीवन रक्षक औषधियों की भारी कमी है और ये देश में उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन औषधियों को सस्ती दरों पर आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे)** : (क) और (ख) पिछले महीनों के दौरान अलग-अलग समय में कुछ जगहों से अल्डोमेट और एम्डोपा गोलियों की कमी की सूचना मिली थी । ये कमियां मुख्यत: मार्क-शार्प एण्ड धोमे के कारखाने में औद्योगिक समस्याओं के कारण अल्डोमेट गोलियों का उत्पादन बन्द करने तथा उसके परिणामस्वरूप एम्डोपा की मांग में वृद्धि से हुई । तथापि, दिसम्बर, 1983 में अल्डोमेट गोलियां का उत्पादन पुनः आरम्भ करने

तथा आई० डी० पी० एल० द्वारा एम्डोपा गोलियों तथा मैसर्स डेज मेडिकल स्टोर्स द्वारा मेल्डोपा गोलियों के अधिक उत्पादन के कारण ये कमियां घटी हैं। सूचना मिली है कि सरकार के परामर्श पर सम्बन्धित कम्पनियां उन स्थानों पर शीघ्रता से इन दवाओं की आपूर्ति कर रही है जहां से अस्थायी कमियों की सूचना मिल रही है।

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन प्रपुंज औषध मिथाइल डोपा और इसके फार्मूलेशनों के निर्धारित मूल्य उचित एवं उपयुक्त हैं।

**केरल और आन्ध्र प्रदेश से जाली दस्तावेजों के आधार पर साऊदी अरब को भेजी गई नर्सें तथा अर्द्ध-चिकित्सा कर्मचारी**

1433. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि केरल, आन्ध्र प्रदेश और अन्य दक्षिणी राज्यों से, वर्ष 1983 के दौरान, जाली दस्तावेजों के आधार पर हजारों नर्सों और अर्द्ध-चिकित्सा कर्मचारी नौकरी के लिए सऊदी अरब को भेजे गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही है ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**तपेदिक रोधी दवाई "रिफाम्पिसिन" का उत्पादन**

1434. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तपेदिक रोधी दवाई "रिफाम्पिसिन" का उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे;

(ख) क्या यह सच है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा बड़े पैमाने पर अत्याधिक कम मूल्य पर इस महत्वपूर्ण दवाई का आयात, जो कुष्ठ रोग के इलाज में भी समान रूप से प्रभावी है देश में इसके उत्पादन के लिए निरुत्साहक सिद्ध हुआ है, और

(ग) रिफाम्पिसिन की कीतनी मात्रा का आयात किया जा रहा है और इस दवाई की अनुमानित मांग कितनी है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे)** : (क) सरकार ने रिफेम्पिसिन के उत्पादन के लिए 7 औद्योगिक अनुमोदन जारी किए थे । विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया गया, जहां उन्हें सरकार की नीति के मानदण्डों के अनुसार पाया गया ।

(ख) रिफेम्पिसिन को जमा करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है । तथापि, यह सम्भव हो सकता है कि 1982 और 1983 में रिफेम्पिसिन के सी० आई० एफ० मूल्यों में कमी का औषध के स्वदेशी उत्पादन में निवेश पर प्रभाव पड़ा हो ।

(ग) छठी योजना कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1984-85 में औषध की वार्षिक मांग 24 मी० टन होगी ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात निम्न प्रकार थे :—

| वर्ष | आयात (मी० टन) |
|---|---|
| 1980-81 | 8.95 |
| 1981.82 | 16.07 |
| 1982-83 | 36.90 |

**औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन और उसके लिए समान मूल्य संबंधी नीति**

1435. **श्री बी० डी० : सिंह** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक अल्कोहल के वर्ष 1982-83 में उत्पादन की तुलना में 1983-84 (आज की तारीख तक) कुल कितना उत्पदन हुआ तथा इसकी क्षमता में किस सीमा तक कमी हुई है;

(ख) वर्ष 1981-82 और 1982-83 में अल्कोहल के प्रयोग की तुलना में यदि कोई कमी हुई हो तो कितनी कमी हुई तथा इसकी खपत में आई कमी के क्या कारण हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार इसके प्रयोग और उत्पादन में कोई एक कारण है कि औद्योगिक अल्कोहल पर अधिक लेवी लगाया जाना है, और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक अल्कोहल की समान मूल्य नीति अपनाने के लिए सरकार का विचार तथा कदम उठाने का है ताकि औद्योगिक अल्कोहल की पूरी उत्पादन क्षमता प्राप्त की जा सके तथा अल्कोहल पर आधारित उद्योगों का तेजी से विकास हो सके ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ)** : (क) औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन के कोई पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अल्कोहल वर्ष 1983-84 (दिसम्बर 1983-नवम्बर 1984) के दौरान लगभग 6544 लाख लिटर अल्कोहल का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। अल्कोहल वर्ष 1982-83) (दिसम्बर 1982 नवम्बर 1983) के दौरान अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 5355 लाख लिटर था।

(ख) से (घ) अल्कोहल वर्ष (दिसम्बर-नवम्बर) 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग किए गए अल्कोहल का अनुमान निम्न प्रकार हैं :—

(मात्रा लाख मीटर में)

| | |
|---|---|
| 1981-82 | 2228 |
| 1982-83 | 2183 |
| 1983-84 | 3736 |

उक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष 1983-84 के दौरान औद्योगिक प्रयोजन के लिए अल्कोहल की खपत पिछले दो अल्कोहल वर्षों की खपत की तुलना में पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगी।

1982-83 में औद्योगिक अल्कोहल का उपभोग शुल्क की ऊंची दरों और कुछ राज्यों द्वारा अल्कोहल पर लगाए गए प्रभारों जैसे विभिन्न पहलुओं के कारण 1981-82 की तुलना में कुछ कम रहा।

यद्यपि एथिल अल्कोहल कारखानों से बहार मूल्य पर अल्कोहल (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1971 के अधीन नियंत्रण रखा जाता है जो देश में सभी आसवनियों पर एक समान रूप से लागू होता है। कारखाने से बहार मूल्य पर अनेक प्रभारों की वसूली जैसे पहलू इसके उत्पादन और प्रयोग पर प्रभाव डालते हैं। सरकार राज्य सरकारों पर यह दवाब डालने का निरन्तर प्रयास कर रही है कि प्रयोग किए जाने वाले, विशेष कर औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रयोग किए जाने वाले अल्कोहल पर उपकारों को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।

## परिसीमन आयोग की स्थापना

1436. **श्री टी० आर० शमन्ना :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि कई संसदीय निर्वाचन क्षेत्री में मतदाताओं की संख्या में परस्पर बहुत भिन्नता है; और

(ख) क्या अगले साधारण निर्वाचन से पूर्व परिसीमन आयोग स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) :** (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने, अपने द्वारा प्राप्त किए गए इस आशय के विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात कि विभिन्न बातों के कारण, जिनके अंतर्गत लोगों का एक जिले/तालुक/ग्राम से दूसरे जिले/तालुक/ग्राम को प्रवास भी है, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का, जिनका 1976 में परिसीमन दिया गया था, पुनः समायोजन किए जाने की आवश्यकता है। यह सिफारिश की कि संविधान के अनुछेद 82 और 170 (3) में ऐसा उपयुक्त संशोधन करने के लिए कदम उठाए जाएं कि लोक सभा और विभिन्न विधान सभाओं में विभिन्न राज्यों को आबंटित स्थान की कुल संख्या को अपरिवर्तित रखकर, प्रत्येक दस वर्षीय जनगणना के पश्चात प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन किए जाने की मूल स्थित को प्रत्यावर्तित किया जा सके। सरकार का आरम्भ में इस प्रयोजन के लिए संविधान में उपयुक्त संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुनः स्थापित करने और उस पर आगे कार्यवाही करने का प्रस्ताव था। परिसीमन आयोग को, जिसे संविधान में आवश्यक संशोधन किए जाने के पश्चात ही गठित किया जा सकता था, अपना कार्य पूरा करने में सामान्यतः लगभग दो वर्ष का समय लगता। अतः यदि ऐसा आयोग गठित कर लिया जाए तो भी, यह हो सकता है कि वह साधारण निर्वाचनों से पूर्व, जो 1985 के आरम्भ में होने हैं, समय रहते यह कार्य पूरा न कर पाए। अतः यह विनिश्चय किया गया है कि इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही न की जाएं।

## दामोदर घाटी निगम द्वारा ब्याज का भुगतान रोका जाना

1437. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

**श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

**डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम ने बंगाल और बिहार सरकारों को ब्याज का भुगतान करना बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा निर्णय करने के क्या कारण हैं;

(ग) इस निगम ने कुल कितनी ऋण की राशि अभी विभिन्न राज्य सरकारों को देनी है; और

(घ) क्या योजना आयोग ने भी इस प्रकार के निर्णय को अपनी सहमति दे दी है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) से (घ) दा. घा. नि. अधिनियम की धारा 30 के अधीन भागीदार सरकारों नामशः केन्द्र सरकार और बिहार तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को दा. घा. नि. के पूंजीगत कार्यक्रम के लिए निधियों की व्यवस्था करनी है। भागीदार सरकारों ने 1969-70 से दा. घा. नि. के लिए कोई योगदान नहीं किया है। अपनी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए दा. घा. नि. को भागीदर सरकारों को ब्याज का भुगतान रोकना पड़ा था और इस राशि का विकास तथा विस्तार कार्यक्रमों के लिए पूँजी के रूप में उपयोग किया। योजना आयोग द्वारा ली गई बैठकों में निगम वार्षिक योजना परिव्ययों को अन्तिम रूप दिए जाने के सम्बन्ध में रोके गए ब्याज को नकद आय के स्रोत के रूप में माना गया है। दा. घा. नि. ने राज्य सरकारों से कोई ऋण नहीं लिया है। दा. घा. नि. अधिनियम के अधीन भागीदार सरकारों द्वारा दी गई पूँजी वापस लौटाई नहीं जानी है।

## आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण रोकने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उद्देश्यों की विफलता के बारे में किया गया अध्ययन

1438. **श्री के० ए० राजन** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा में किए गए एक अध्ययन के अनुसार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम सहकारी क्षेत्र में एकाधिकार में वृद्धि और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने के अपने उद्देश्य में असफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने सुचित किया है कि आयोग द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

**भारत कोकिंग कोल लि० के अन्तर्गत धारिया के नजदीक हरिलाडीह में हुई कोयला खान दुर्घटना के संबंध में जांच आयोग की रिपोर्ट**

1439. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अधीन धारिया के पास हरिलाडीह में हुई कोयला खान दुर्घटना के संबंध में जांच आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री विरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**इण्डियन एल्यूमीनियम कम्पनी ('इंडाल') का महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के साथ विलय और 'अलकान' संबंधी मामले**

1440. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डिया एल्यूमीनियम कम्पनी तथा महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के साथ विलय संबंधी प्रस्ताव पर गहराई से विचार किया गया है;

(ख) इस बारे में उक्त दोनों कम्पनियों के शेयरधारकों और कर्मचारियों के विचारों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की यह नीति है कि "अलकान" जैसी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनियों द्वारा एक अग्रणी भारतीय व्यापार-गृहों के नियंत्रण शेयर-प्राप्त किए जा सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम आयोग ने उक्त विलय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) तथा (ख) मैसर्स इण्डियन एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड (इंडाल) और मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड ने केन्द्रीय सरकार का महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड के साथ इंडाल के विलय की योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23(2) के अन्तर्गत संयुक्त रूप से आवेदन पत्र दिया था। इस योजना का

दोनों कम्पनियों के शेयरधारियों द्वारा अनुमोदन कर दिया गया था, किन्तु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम 1970 के नियम 4क के अधीन कम्पनीयों द्वारा आम सूचना को प्रकाशित कराने अनुसरण में कुछ शेयरधारियों, जमाकर्ताओं, इंडाल के श्रमिक संगठनों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं से काफी संख्या में आपत्तियां प्राप्त की गई थीं। आवेदन पत्र की गहन परीक्षा करने के पश्चात, उसको सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था क्योंकि प्रस्ताव के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों सहित उसको एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की प्रस्तावना में प्रस्थापित आपत्तियों और धारा 27 में उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों तथा मामले के अन्य तथ्यों तथा परिस्थितियों पर ध्यान देने पर लोकहित में समीचीन नहीं समझा गया था।

(ग) तथा (घ) उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए उत्पन्न नहीं होता।

**आल इंडिया लिमिटेड द्वारा हेरा फेरी और गलत ढंग से टेंडर जारी किया जाना**

1441. **श्री जगपाल सिंह :**

**श्री त्रिलोक चन्द :** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 फरवरी, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में "आयल इंडिया" के खिलाफ हेरा फेरी की शिकायत शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक सरकारी उपक्रम आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा हेरा फेरी और गलत ढंग से टेंडर जारी किये जाने संबंधी आरोपों की जांच कराने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि हेलिस्विस स्विटजरलैंड और गल्फ हैलीकाप्टर्स, दुबई की तुलना में मोदी रबड़ की पेशकश 32 लाख रुपये अधिक थी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की संसद सदस्यों की एक समिति द्वारा जांच करवायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो किस प्रकार की इसकी जांच कराई जा रही है ?

**ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) मामले की जांच की गयी है। राजस्थान भू-कम्पीय सर्वेक्षण प्रयोजना के लिए हैलीकाप्टर को चार्टर-किराये पर लेने के लिए आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा

मांगे गए एक विश्वव्यापी निविदा के संदर्भ में तकनीकि दृष्टि से स्वीकार्य केवल छः प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। मैसर्स हैलिस्विस स्विटरलैंड की निविदा सबसे कम मूल्य की थी परन्तु मासिक तथा उड़ान शुल्कों का भुगतान 50 प्रतिशत रुपयों में तथा 50 प्रतिशत विदेशी मुद्रा में किया जाना था, तथा संगठन तथा विघटन प्रभारों का भुगतान पूरी तरह विदेशी मुद्रा में किया जाना था। मैसर्स मोदी रबर लिमिटेड की बोली (बिड) जिसमें सारा भुगतान रुपयों किया जाना था, मैसर्स हैलीस्विय के प्रस्ताव से लगभग 24 लाख रुपये (32 लाख नहीं जैसा कि आरोप लगाया गया था) अधिक थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके प्रस्ताव में भुगतान पूरी तरह रुपयों में किया जाना था तथा उसमें कई अन्य कार्य प्रचालन संबंधी लाभ भी थे जैसा कि ज्यादा बैठने/माल क्षमता तथा रेगिस्तानी क्षेत्र में बहुत अधिक तापमान में बेहतर कार्यसंचालन क्षमता इत्यादि, मैसर्स मोदी रबर से अनुरोध किया गया था कि वह अपने प्रस्ताव को मैसर्स हैलीस्विस के न्यूनतम प्रस्ताव के अनुरूप बनायें तथा वे अपने कुल संविदा मूल्य को लगभग 20 लाख रुपये कम करने को राजी हो गये।

न्यूनतम रुपयों में भुगतान के प्रस्ताव के आधार पर संचालन समिति (जिसमें आयल इण्डिया लिमिटेट, वित्त मंत्रालय तथा ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे) ने स्वीकृति के लिए गल्प हैलिकाप्टर्स एण्ड एअर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग और भागीदारी के साथ मैसर्स मोदी रबर लिमिटेड के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। समाचार रिपोर्ट में लगाया गया आरोप सही नहीं हैं और ऐसा प्रतीत हैं कि यह जानबूझ कर लगाया गया था।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

### विडियों पर फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन

1442. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य फिल्मों की तरह विडियो पर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियमित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जनता को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वीडियो फिल्मों के लोक प्रदर्शन पर चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्ध लागू होते हैं। इसलिए विडियो फिल्मों के लोक प्रदर्शन के लिए सेंसर प्रमाणपत्र आवश्यक हैं और प्रदर्शकों को उन सभी अपेक्षाओं का पालन करना है जो

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने अपने लाइसेंसिंग कानूनों में निर्धारित की हुई हैं। सेंसरशिप को छोड़ कर सिनेमा का विषय राज्य विषय है और यह राज्य सरकारों का काम है कि वे विडियो पर फिल्मों के नियमित प्रदर्शन को उसी ढंग से विनियमित करें जिस ढंग से फिल्मों को विनियमित किया जाता है।

**बाल श्रम कल्याण परियोजना, कलकत्ता**

1443. **श्री रामलाल राही :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कलकत्ता में बाल श्रम कल्याण परियोजना प्रायोजित की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजना धन की कमी के कारण बंद होने की स्थिति में पहुंच गई है और इसके पास केवल तीन महीने तक कार्य करने लायक धन राशि रह गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना को चालू रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) जी, हां। वर्ष 1983-84 के दौरान श्रम मंत्रालय ने बाल श्रमिकों की शैक्षिक प्रसुविधाओं तथा स्वास्थ्य दशाओं में सुधार करने की व्यवस्था करने के बारे में कलकत्ता में मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक अनुसंधान संस्थान कलकत्ता द्वारा चलाई जा रही बाल श्रम कल्याण परियोजना प्रायोजित की।

(ख) इस परियोजना के 2.93 लाख रुपए के कुल अनुमानित बजट में से 60 प्रतिशत अर्थात्, 1.76 लाख रुपए तक का सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया गया था। अब तक इस संस्थान को 1.36 लाख रुपए की राशि चार किस्तों में दी गई है। 40,000 रुपए की चौथी किस्त फरवरी, 1984 में दी गई थी और 40,000/-रुपए की पांचवी एवं अन्तिम किस्त देने के संबंध में कार्रवाई की जा रही हैं।

**गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के लिए सर्वेक्षण**

1444. **श्री नवीन रावणी :**

**श्री मोहन लाल पटेल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षित क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले तथा इसकी खोज के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

**ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र का भू-वैज्ञानिक तौर पर मानचित्रण कर लिया गया है । 'छोटी' राजकोट तथा अगरेली क्षेत्रों में गुरुत्व तथा भू-कम्पीय सर्वेक्षण किए गए हैं । राजकोट के दक्षिण में तथा कोडीनार क्षेत्रों में और आगे भू-कम्पीय सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । धनदूका में 1317 मीटर की गहराई तक एक कुआं खोदा गया है ।

(ग) अब तक, इस क्षेत्र में कोई हाइड्रोकार्बन नहीं मिले हैं ।

### बिहार में "लो टेम्प्रेचर कार्बोनाइजेशन" संबंधी संयंत्र का चालू होना

1445. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार बिहार में "लो टेम्प्रेचर कार्बोनाइजेशन" का एक संयंत्र चालू करेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह संयंत्र गैस, साफ्ट कोक और तारकोल का उत्पादन करेगा, लेकिन इसमें विलंब किया जा रहा है ;

(ग) यह संयंत्र कब तक चालू हो जाएगा तथा इसमें कब से उत्पादन होना शुरू हो जाएगा ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने के क्या कारण हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

### खड़गपुर में टेलीविजन रिले केन्द्र की स्थापना

1446. **श्री नारायण चौबे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर में एक टेलीविजन रिले केन्द्र की स्थापना की योजना और कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

**सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, हां। स्थान का चयन कर लिया गया है तथा ट्रांसमीटर और उपकरणों के लिए आर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं।

(ख) केन्द्र के 1984 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

**रोजगार के इच्छुक लोगों की धोखेबाजों से सुरक्षा**

1448. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार के इच्छुक लोगों को धोखेबाजों से बचाने के लिए कुछ उपाय किए हैं ;

(ख) क्या विदेशों में भर्ती के लिए कदाचार की घटनाएं हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो 1983-84 में सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए हैं ; और

(घ) धोखेबाजों के विरुद्ध क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी, हां। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 और उसके अधीन बनाए गए नियम 30-12-1983 से लागू किए गए हैं। इस अधिनियम के अधीन, केवल वही भर्ती एजेन्ट, जो सरकार के पास विधिवत: पंजीकृत हैं, उत्प्रवासियों को विदेश में भेज सकते हैं।

(ख) जी हां। सरकार को ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) वर्ष 1983 के दौरान सरकार 105 को मामलों की सूचना दी गई है।

(घ) 1983 के उत्प्रवास अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यह व्यवस्था है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो किसी उत्प्रवासी को धोखा देता है, कम से कम छः माह की कारावास की सजा होगी, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और कम से कम 1000 रुपए का जुर्माना होगा जिसे 2000 रु० तक बढ़ाया जा सकता है और बाद के प्रत्येक अपराध के लिए सजा दुगनी होगी।

**कृषि में न्यूनतम वेतन लागू करने संबंधी विचार गोष्टी**

1449. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा हाल में कृषि में न्यूनतम वेतन लागू करने संबंधी एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था।

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में भाग लेने वालों के नाम क्या हैं ;

(ग) उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) क्या उद्योगों में जहां वेतन में कोई संशोधन नहीं किया गया है और जहां न्यूनतम बेतन का भुगतान नहीं किया जाता है, न्यूनतम वेतन लागू करने के संबंध में एक ऐसी ही गोष्ठी आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी, हां।

(ख) विचार गोष्ठी में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नामों की सूची विवरण में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 7842/84]

(ग) संगोष्ठी के निष्कर्ष विवरण II में दिए गए हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 7842/84]

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ यूनियन की सदस्यता का सत्यापन**

1450. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने 1981 और 1982 में ई० पी० एफ० स्टाफ यूनियन की सदस्यता का सत्यापन कराया था;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम यूनियन को बताए गए थे? और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल क्षेत्र में काम कर रही यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन के काम के, जो 1982 में शुरू किया गया था, परिणामों को उस समय तक रोके रखा गया है जब तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में क्षेत्रीय संयुक्त सलाहकार तंत्र के गठन के बारे में निर्णय नहीं ले लिया जाता।

**मोटर वाहनों को चलाने के लिए एल० पी० जी० का प्रयोग**

1451. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इंडिया दुलियाजन ने यह प्रयोग किया है कि मोटर वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल की तुलना में एल० पी० जी० कई० प्रकार से बेहतर है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मोटर चालकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी कि वे अपने वाहनों को दोनों प्रकार के ईंधन से चलने में सक्षम वाहनों में परिवर्तित करवा लें ;

(ग) यदि इस पद्धति को अपनाने की अनुमति दी जाती है, तो क्या इससे घरेलू रसोई गैस की सप्लाई को और धक्का नहीं लगेगा, जिसकी सप्लाई पहले ही कम है ; और

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार किया गया है।

**ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क) जी हां।

(ख) देश में घूरेलू प्रयोग के लिये एल० पी० जी० की बहुत मांग है, जिसे प्रथम प्राथमिकता देनी होगी। निकट भविष्य में गैस के फालतू हो जाने की स्थिति उत्पन्न होने की आशा नहीं है और इस कारण सरकार का फिलहाल, अनुसंधान तथा प्रयोगिक प्रयोजनों को छोड़कर, आटोमोटिव ईंधन के रूप में एल० पी० जी० के प्रयोग को बढावा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

**दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित**

1452. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगनन्थ कौशल)** : (क) से (ग) भारत के संविधन के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ठ होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोहन से समय-समय पर, नियत करे।" भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**देश में दूर संचार व्यवस्था**

1453. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि दूर-संचार को उच्च प्राथमिकता देने तथा इस व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अधि पूंजी निवेश करने का समय आ गया है ;

(ख) क्या देश में संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीति निर्णय, उनमें से कुछ प्रधान मंत्री के निदेश पर, लिये गये है ;

(ग) यदि हां, तो देश में दूर संचार व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गये हैं ; और

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान इसमें सुधार के लिए क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं की संख्या कितनी हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी हां। अतिरिक्त टेलीफोन सुविधाओं की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा सुविधा प्रदान करने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि दूर संचार को उच्च-प्राथमिकता दी जाए।

(ख) जी हां।

(ग) यह निर्णय लिया गया है कि दूरसंचार को एक औद्योगिक संगठन के रूप में माना जाए और इसे मंत्रिमंडल समिति की नियमित मानीटरिंग के अंतर्गत लाया जाए।

(घ) सरकार, दूरसंचार सेवा की गुणता में सुधार लाने से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों की जांच कर रहीं हैं। विशेषकर, उन क्षेत्रों में, जहां लाइन-संयंत्र की गणता पर इलेक्ट्रानिक प्रणाली के अत्यधिक जटिल विनिर्देशनों के अनुकूल नए इलेक्ट्रानिक एक्सचेज स्थापित किए जाएंगे और इन एक्सचजों से जुड़े उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से वहां के नेटवर्क को नया रूप देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

**उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी**

1454· **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना के कारगर कार्यान्वियन में हुई प्रगति का क्या ब्यौरा है ;

(ख) क्या यह सच है कि गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में इस योजना के कार्यान्वियन में कोई प्रगति नहीं हो रही है ; और

(ग) यदि हां, तो गैर सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रबन्ध के विभिन्न स्तरों पर श्रमिकों की कारगर भागीदारी के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 192 उपक्रमों में से, 124 उपक्रमों ने श्रमिक सहभागिता की स्वैच्छिक योजनाओं (1975 या 1977 की) को किसी न किसी रूप में कार्यान्वित करने के बारे में सूचित किया है। इस बीच बीच, सरकार ने श्रमिक सहभागिता की नयी योजना 30 दिसम्बर, 1983 को अधिसूचित की है।

(ख) निजी क्षेत्र में, योजना के कार्यान्वियन में अधिक प्रगति नहीं हुई है।

(ग) सरकार देश में प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता को औद्योगिक संबंध पद्धति का का अभिन्न अंग बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है। प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता विकास प्रक्रिया है और नयी योजना इस विकास में एक कदम है। प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागो को सलाह दी गई है कि वे सरकार द्वारा 30 दिसम्बर, 1983 को अधिसूचित योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक वर्ष का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें।

**निर्वाचनों में पर्यवेक्षकों की विधिक शक्तियां**

14:5· **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

**श्री सूरजभान** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की बढ़ती हुई घटनाओं और पर्यवेक्षकों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं को, जिनके समाधान के लिए उन्हें स्थल पर ही उपाय करने होते हैं, ध्यान में रखते हुए, पर्यवेक्षकों

की विधिक शक्तियां बढ़ाने की सिफारिश की है ताकि वे अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सरकार ने किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ।

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) से (ख) निर्वाचन आयोग ने हाल ही में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की सिफारिश की है कि निर्वाचनों के समय आयोग द्वारा नियुक्त किए गए प्रेक्षकों को आयोग/प्रादेशिक आयुक्त की ओर से जिला निर्वाचन आफिसरों, रिटर्निंग आफिसरों, पीठासीन और मतदान आफिसरों को, निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, स्थल पर निदेश जारी करने की वही कानूनी शक्तियां दी जाएं जो उप निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के सचिव की हैं । सरकार इस सिफारिश की, आयोग से प्राप्त अन्य सिफारिशों के साथ, समीक्षा कर रही है ।

### 1970 से 1983 तक कारखाना मजदूरों की वास्तविक आय

1456. **श्री अजय विश्वास** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970 से 1983 तक के वर्षों में कारखाना मजदूरों की मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत हुई वास्तविक आय के सूचकांक संबंधी कोई आंकड़े सरकार के पास हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सूचकांक का ब्यौरा क्या है ;

(ग) मजदूरों की वास्तविक आय में वृद्धि और गिरावट के क्या कारण हैं ; और

(घ) मजदूरों की वास्तविक आय के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें मजदूरी संदाय अधिनियम के अधीन कारखाना श्रमिकों की वर्ष 1978 तक की वास्तविक आय का सूचकांक दिया गया है ।

(ग) वास्तविक आय में कमी या बढ़ोत्तरी का सीधा संबंध सामान्य मूल्य स्थिति से होता है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रतिबिम्बित होती है ।

केन्द्रीय सरकार समय-समय पर मूल्य-स्थिति की बारीकी से पुनरीक्षा करती आ रही

है और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक कदम उठाती रही है। श्रमिकों की वास्तविक आय को मजदूरी दरों में आवधिक संशोधनक करने के अलावा कीमतों की बढ़ोत्तरी को निष्क्रिय करने के लिए जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक से सम्बद्ध प्रतिपूरक/मंहगाई भत्ता देकर संरक्षित किया जा सकता है संगठित क्षेत्रों-सरकारी और निजी-दोनों ही में, जहां प्रायः मजदूरी दरें सामूहिक सौदेकारी के जरिये तय होती हैं, वहां समझौते पर पहुंचने के लिए मूल्य बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखा जाता है इसके अतिरिक्त, औद्योगिक श्रमिकों से सम्बद्ध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तथा प्रतिबिम्बित जीवन निर्वाह खर्च में हुई बढ़ोत्तरी को निष्क्रिय करने के लिए श्रमिकों को समय समय पर मंहगाई भत्ते की अदायगी की जा रही है। असंगठित क्षेत्रों के संबंध में, जहाँ मजदूरी दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निर्धारित की जाती हैं, जुलाई 1980 में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि न्यूनतम मजदूरी में कम से कम दो वर्ष में एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइंटों की वृद्धि होने पर, इनमें जो भी पहले हो, संशोधन किया जाए। यह निर्णय सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है ? कि वे न्यूनतम मजदूरी में परिवर्त्ती महंगाई भत्ते के फार्मूले को सम्बद्ध करने की व्यवहार्यता पर विचार करें ताकि मजदूरी को आवश्यकतानुसार समय-समय पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुए परिवर्तन के अनुसार समायोजित किया जा सके।

**विवरण**

विनिर्माण उद्योग में प्रतिमाह 400/-रुपये और 1000/-रु० से कम आय वाले श्रमिकों की 1962-78 के लिए वास्तविक आय का सूचकांक।

| वर्ष | आय का सूचकांक | अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार को 1661 = 100 तक बदल दिया गया) | वास्तविक आय का सूचकांक कालम 2 x 100 / कालम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| प्रतिमाह 400/-रु० से कम कमाने लाले श्रमिकों के लिए (आधार 1961 = 100) | | | |
| 1962 | 106 | 103 | 103 |
| 1963 | 109 | 106 | 103 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1964 | 114 | 121 | 94 |
| 1965 | 128 | 132 | 97 |
| 1966 | 139 | 146 | 95 |
| 1967 | 151 | 166 | 91 |
| 1968 | 160 | 171 | 94 |
| 1969 | 170 | 169 | 101 |
| 1970 | 180 | 178 | 101 |
| 1971 | 185 | 183 | 101 |
| 1972 | 199 | 194 | 103 |
| 1973 | 210 | 228 | 92 |
| 1974 | 207 | 293 | 71 |
| 1975 | 207 | 310 | 67 |
| प्रतिमाह 1000/रु० से कम कमाने वाले श्रमिकों के लिए | (आधार को 1976 = 100 तक बदल दिया गया) | | |
| (आधार 1976 = 100) | | | |
| 1977 | 112 | 108 | 104 |
| 1978 | 118 | 111 | 106 |

**नोट** : कारखाना श्रमिकों से सम्बद्ध आंकड़ों में रक्षा प्रतिष्ठानों के आँकड़े शामिल हैं लेकिन रेलवे कार्यशालाओं, तथा मौसमी स्वरूप वाले उद्योग-वर्गों, जिनमें खाद्य, पेय पदार्थ, तम्बाकू और निर्माण शामिल हैं, के आंकड़े नहीं हैं।

1961 = 100 के आधार पर सूचकांक का अनुमान 1976 की श्रृंखला के 100 को 1961 214·24 के बराबर मान कर लगाया जा सकता है। इस आधार पर वर्ष 1977 का अनुमानित सूचकांक 240 है।

**पार्थसारथी समिति की सिफारिशें**

1457. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रसारण माध्यमों के लिए समाचार नीति सम्बन्धी पार्थसारथी समिति द्वारा की गई सिफारिशों में यह बताया गया है कि राजनीतिक मतभेदों सम्बन्धी समाचार देने में प्रसारण माध्यमों को अधिक वस्तुपूरक होना चाहिए और दृष्टिकोणों की भिन्नता को उसी समाचार बुलेटिन में व्यक्त किया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) प्रसारण माध्यमों द्वारा राजनैतिक विवादों को कवर किए जाने की समाचार नीति सम्बन्धी पार्थसारथी समिति द्वारा की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं :--

(1) राजनैतिक विवादों की रिपोर्टिंग में, प्रसारण माध्यमों का मार्गदर्शन वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता द्वारा किया जाना चाहिए ;

(2) राजनैतिक गतिविधियों को मुख्यतया सामाचारिक महत्व के आधार पर ही कवर किया जाना चाहिए। राजनैतिक रिपोर्टिंग में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी एक या अन्य दल के प्रति कोई पक्षपात न हो ;

(3) उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों को समुचित प्रतिनिधित्व देने का होना चाहिए ;

(4) यदि एक ही बुलेटिन में विविध दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित नहीं किए जा सकते हों तो संतुलन की उचित समयावधि के अन्दर प्राप्ति की जानी चाहिए।

(ख) इन्हें स्वीकार कर लिया गया है और मार्गदर्शी सिद्धान्तों को कार्यान्वयन हेतु अकाशवाणी और दूरदर्शन को सूचित कर दिया गया है।

**भंडारों से जमुआ तक टेलीफोन लाइन बिछाना और इसे गिरिडीह जिला मुख्यालय के साथ जोड़ना**

1458. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गिरिडीह जिले के राजधनवार, सुरिया, इशरी, बाजार, जमुआ टेलीफोन एक्सचेंजों के टेलीफोन ग्राहक जिला अधिकारियों अथवा विशिष्ट व्यक्तियों से जिला मुख्यालय टेलीफोन एक्सचेंज अथवा किसी अन्य एक्सचेंज के माध्यम से सीधा सम्पर्क नहीं कर सकते ;

(ख) क्या उन्हें बेकार में ही टेलीफोन बिल चुकाने पड़ते हैं और इसके विरोध में कई अभ्यावेदन भेजे जा चुके हैं ;

(क) क्या यह भी सच है कि सुरिया और धनवार से पटना गिरिडीह, हजारीबाग, दिल्ली और कलकत्ता के लिए व्यापारिक प्रयोजन हेतु ट्रंक-काल बुक करने के बाद भी लाइन नहीं मिलती ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार भण्डारों (बाजधनवार) से जमुआ तक सात किलोमीटर की नई लाइन बिछाकर और उसे सीधा गिरिडीह जिला मुख्यालय से जोड़ कर संचार प्रणाली को अधिक उपयोगी और लाभदायक बनाने का है और यदि हां, तो कब तक ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० एन० गाडगिल)** : (क) जी नहीं ।

(ख) उपभोक्ताओं को मिलाई गई ट्रंक कालों से सम्बन्धित टेलीफोन बिल तथा केवल टेलीफोन का किराया देना पड़ता है । राजधानबाड़ को गिरिडीह के साथ जोड़ने के बारे में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, जो तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है ।

(ग) जी नहीं । फिर भी, लम्बी दूरी ओपेन वायर एलाइनमेंट तथा रेलवे विद्युतीकरण केबिलों के कारण कभी-कभी गिरिडीह तथा इससे दूर के स्थानों की ट्रंक काल मिलने में कठिनाई होती है ।

(घ) भंडारों (राजधानवाड़) से जम्मू तक नई लाइन बिछाना तथा इसे गिरिडीह जिला मुख्यालय के साथ सीधा जोड़ना इस देहाती इलाके में ओवरहेड इलाइनमेंट के रखरखाव में पेश आने वाली दिक्कतों के कारण तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है । तथापि, संचार प्रणाली को अधिक उपयोगी एवं लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से इशरी बाजार से गिरिडीह और सूर्या से इसरी बाजार के बीच कैरियर प्रणाली की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है ।

**महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री के महत्वपूर्ण भाषणों के कैसेट**

1459. **श्री भीकू राम जैन :**

**श्री सुभाष चन्द्र यादव :**

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आम लोगों के उपयोग के लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री के कतिपय महत्वपूर्ण भाषणों को कैसेटों के रूप में उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ;

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) और (ख) कापीराइटों, आदि कोई हों, के अनुरूप आकाशवाणी ग्रामोफोन डिस्क/कैसेट बनाने वाली वाणिज्यिक फर्मों को राष्ट्रीय नेताओं के भाषणों और प्रख्यात कलाकारों के गीतों और उनकी विविध कलात्मक और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के अन्य रूपों की रिकार्डिंगों के आकाशवाणी के संकलन का वाणिज्यिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि उनका लोगों में व्यापक रूप से वितरण हो। इस स्कीम के अन्तर्गत "ट्राइस्ट विद डेस्टीनों" और "दि लाइट हैज गान-आउट" नामक पंडित जवाहर लाल नेहरू के भाषणों को ग्रामफोन कम्पनी द्वारा पहले ही रिलीज किया चुका है और वे लोगों को बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। आकाशवाणी की संग्रहालयीन सामग्री तक मान्यताप्राप्त सार्वजनिक निकायों और विश्व-विद्यालयों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों को भी वास्तविक अनुसंधान और संदर्भ के लिए पहुंच तथा उनकी प्रतियां उनको देने की अनुमति है।

**राव तुलाराम पर स्मारक डाक-टिकट जारी करना**

1460. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष और स्मारक डाक-टिकट जारी करने के सम्बन्ध में कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) क्या वर्ष, 1984 के लिए ऐसे डाक-टिकट जारी करने का कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या वर्ष 1984 के दौरान 1957 के स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम पर कोई स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां। वर्ष 1984 के दौरना जारी किए जाने वाले स्मारक विशेष डाक-टिकटों का कार्यक्रम विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं। "भारत के स्वाधीनता संग्राम" की महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित करने वाली डाक-टिकट श्रृंखला 1983 से आरंभ की गई है। इस श्रृंखला के अंतर्गत राव तुलाराम पर डाक-टिकट जारी करने की सिफारिश नहीं की गई।

## विवरण

### 1984 के दौरान स्मारक डाक टिकट जारी करने का अस्थायी कार्यक्रम

| विषय | तारीख |
|---|---|
| 7 वीं लाइट कैवलरी | 1 जनवरी |
| डेक्कन हॉर्स | 9 जनवरी |
| एशियाई सोसाइटी की द्विशती | 15 जनवरी |
| राष्ट्रपति द्वारा नौसैनिक बेडे का निरीक्षण (चार टिकटों का सेट) | 12 फरवरी |
| डाक जीवन बीमा | 1 फरवरी |
| 12 वीं अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ कांग्रेस | 20 फरवरी |
| वासुदेव बलवंत फड़के | 21 फरवरी |
| भारत-सोवियत मानवयुक्त संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान | अप्रैल (तारीख निश्चित की जानी है) |
| **भारत का स्वाधीनता संग्राम (सेट)** | 10 मई |
| मंगल पांडे | |
| नाना साहिब | |
| तात्या टोपे | |
| बेगम हजरत महल | |
| घनश्याम दास बिरला-पहली पुण्यतिथि | 11 जून |
| औलम्पिक (सेट) | जुलाई (तारीख निश्चित की, जानी है) |
| सफेद पंखों वाला वुड डक | 1 अक्तूबर |
| बाल दिन | 14 नवम्बर |
| भारत के किले (सेट) | |
| भारतीय गुलाब (सेट) | तारीख निश्चित की जानी है। |

| 1 | 2 |
|---|---|
| योगेन विल्ले (सेट) | |
| दुलहिनें (सेट) | |
| बाबा काशी राम | |
| डा० राजेन्द्र प्रसाद | 3 दिसम्बर |
| स्वामी हरिदास | 6 दिसम्बर |

**समाचार बुलेटिनों के प्रसारण में प्रतिदिन लगने वाला समय**

1461. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : अकाशवाणी और दिल्ली दूरदर्शन से अंग्रेजी/हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार बुलेटिनों के प्रसारण में प्रतिदिन कितना समय लगता है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :**

**आकाशवाणी**

(क) घरेलू सेवा : लगभग 26 घन्टे 19 मिनट

(ख) विदेश सेवा लगभग 8 घन्टे 37 मिनट

**दूरदर्शन**

अंग्रेजी और हिन्दी के बुलेटिनों के लिए दिया गया समय 40 मिनट है। दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली प्रादेशिक भाषाओं में कोई समाचार बुलेटिन टेलीकास्ट नहीं करता।

**1984-85 के दौरान कोटा और झालावाड़ जिले के गांवों का विद्युतीकरण**

1462. **श्री चतुर्भुज :** क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कोटा, झालावाड़ जिलों के प्रत्येक तहसील में 1984-85 के दौरान किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है ;

(ख) क्या राजस्थान के कोटा जिले की अधीन तहसील के कुज्जर, उद पुरिया तिरोड, दिवाली, भेसरा अतीन और अन्य गांवों को विद्युत की नियमित दर और उचित पूर्ति बापावेर ग्रिड से बिजली की पूर्ति में कठिनाई के कारण बरान से की जाती हैं ;

(ग) क्या कोटा जिले में बापावेर ग्रिड के लिए एक "एम० वी० ए०" ट्रांसफार्मर मंजूर किया गया है और वहां ग्यारह हजार लाइनों के लिए खम्बे पहले ही लगा दिए गए हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो 1 1/2 किलोमीटर की के० बी० लाइन कब तक बिछा दी जाएगी और इन गांवों को बिजली उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक "एम० वी० ए०" ट्रांसफार्मर कब तक लगाया जाएगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) से (घ) राज्य बिजली बोर्ड से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**बिहार में बिजली की दरें**

1463. **श्री कमलामिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि बिहार में बिजली के लिए प्रभार की दरें तुलनात्मक रूप में कहीं अधिक हैं जबकि अन्य राज्य सरकारों ने लघु उद्योगों के विकास के लिए इसकी दरें कम रखी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बिहार में लघु उद्योग अपने को जीवित रख सकें और प्रगति कर सकें इसके लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) और (ख) बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लघु उद्योगों लगाए गए बिजली के प्रभार देश में केवल बम्बई विद्युत प्रदाय और परिवहन उपक्रम को छोड़ कर सब से अधिक हैं। लघु उद्योगों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/लाईसेंसधारियों के लिए औसत बिजली की दरों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/लाईसेंसधारियों के लिए अनुमानित औसत बिजली की दरों को दिखाने वाला विवरण :**

| क्रम संख्या | राज्य बिजली बोर्ड लाईसेंसधारियों के नाम | दर पैसे में किलोवाट आवर लघु उद्योग 5 अश्व शक्ति 10 संयंत्र भार अनुपात (272 किलोवाट आवर/प्रतिमाह) दर | बिजली दर | एफ सी ए | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 51·84 | — | — | 51·84 |
| 2. | असम | 55·00 | 2·00 | — | 57·00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | बिहार | 84·00 | 2·00 | — | 76·00 |
| 4. | गुजरात | 38·23* | 1·12 | 16·70 | 56·05 |
| 5. | हरियणा | 42·00 | 4·00 | — | 36·00 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 30·00 | 4·00 | — | 34·00 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 20·00 | 2·70 | — | 22·70 |
| 8. | कर्नाटक | 40·00 | 4·50 | — | 44·50 |
| 9. | केरल | 23·86 | 2·39 | — | 26·25 |
| 10. | मध्य प्रदेश | | | | |
| | शहरी | 46·00 | 1·50 | — | 47·50 |
| | ग्रामीण | 42·00 | 1·50 | — | 43·50 |
| 11. | महाराष्ट्र | 44·25 | 1·00 | — | 45·25 |
| 12. | उड़ीसा | 40·00 | 6·33 | 2·22 | 48·55 |
| 13. | मेघालय | 67·00 | 1·00 | — | 68·00 |
| 14. | पंजाब | 30·00 | 5·00 | 2·40 | 37·40 |
| 15. | राजस्थान | 34·00 | 6·00 | — | 40·40 |
| 16. | तमिलनाडु | | | | |
| | मद्रास | 65·00 | — | — | 65·00 |
| | अन्य क्षेत्र | 60·00 | — | — | 60·00 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 50·00 | 2·00 | 1·283 | 53·283 |
| 18. | पश्चिम बंगाल | 60·00 | 1·50 | — | 61·50 |
| 19. | अहमदाबाद | 40·71 | 1·19 | 32·1599 | 74·0599 |
| 20. | बैस्ट | 59·332 | 1·00 | 34·24 | 94.572 |
| 21. | बम्बई (सुवर्वन) | 51·14 | 1.00 | 32.45 | 84·59 |
| 22. | सी. ई. एस. सी. | 39·00 | 1.50 | 26·80 | 67·30 |
| 23. | डेसू | 35.00 | 3·00 | — | 38·00 |

*"केवल रात्रि के दौरान (10 बजे रात्रि से 6 बजे प्रातः तक) बिजली की खपत पर 5 पैसे/प्रति किलोवाट आवर छूट की अनुमति दी गई है।

**एच० एफ० सी० की हल्दिया यूनिट के 30 मेगावाट के रक्षित बिजली संयंत्र का निर्माण कार्य**

1464. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन की हल्दिया यूनिट के 30 मेगावाट का रक्षित बिजली संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ;

(घ) क्या इस संबंध में पूँजी निवेश का निर्णय कर लिया गया है ;

(ङ) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन की हल्दिया यूनिट के 30 मेगावाट के रक्षित बिजली संयंत्र के निर्माण हेतु धनराशि दे दी गई है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने 29.04 करोड़ रुपये की लागत पर हल्दिया में 30 मेगावाट का केपटिव पावर संयंत्र स्थापित करने के लिए नवम्बर, 1981 में अनुमोदित प्रदान किया था। अमोनिया, यूरिया और एन. पी. के संयंत्रों को चलाने के लिए पावर की वर्तमान कुल आवश्यकता 32 मेगावाट है और ग्रिड गैस टरबाइन तथा स्टीम संयंत्र से पावर की वर्तमान उपलब्धि लगभग 32 मेगावाट है। संसाधनों की कठिनाइयों तथा बारम्बार मेकेनिकल खराबियों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि इस स्तर पर केपटिव पावर प्लांट पर अतिरिक्त निवेश न किया जाए बल्कि सभी प्रयासों एवं क्षेत्रों को अमोनिया, यूरिया और नाइट्रोफास्फेट संयंत्र को चालू करने पर केन्द्रित किया जाए।

(ङ) से (छ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के लिए दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी लागू किया जाना**

1465. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह जानकारी है कि खेतीहर मजदूरों के लिए निश्चित मजूरी को अनेक राज्यों में लागू नहीं किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी भी है कि अधिकांश राज्यों में न्यूनतम मजूरी दरों को लागू करने के लिए कोई पृथक तंत्र नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों में एक तन्त्र के जरिए कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजूरी लागू किए जाने का निश्चय करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी नहीं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार अधिकांश राज्य सरकारों ने उनके द्वारा निर्धारित मजदूरी की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

(ख) हालांकि राज्यों ने कृषि में न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए उपाय किए हैं, फिर भी यह महसूस किया गया कि कई राज्यों में वर्तमान तंत्र पर्याप्त नहीं हैं।

(ग) जुलाई 1980 में हुए राज्य श्रम मन्त्री सम्मेलन ने सिफारिश की कि कृषि में न्यूनतम मजदूरी को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए।

(1) कृषि में न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन को 20-सूत्री कार्यक्रम की एक मद के रूप में तेजी से आगे बढ़ाया जाए।

(2) सामान्यतः श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए और विशेषकर कृषि में न्यूनतम मजदूरी को जिला और तालुक स्तरों पर लागू करने के लिए एक अलग तंत्र होना चाहिए। ऐसे तंत्र को प्रत्येक राज्यों में स्थिति के अनुसार, राजस्व, पंचायत और अन्य विभागों की सहायता लेनी चाहिए ;

(3) कृषि में न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन का काम देखने के लिए राज्य के भीतर विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय समितियां गठित की जानी चाहिए ;

(4) न्यूनमत मजदूरी अधिनियम के अधीन नियोजक द्वारा देय न्यूनतम मजदूरी के सम्बन्ध में कृषि श्रमिकों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को तेज किया जाना चाहिए ;

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संगठन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कृषि में न्यूनतम मजदूरी को लागू करने में सुविधा होगी।

ये सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे (1) सांविधिक न्यूनतम मजदूरी का टेलीविजन, रेडियो, प्रैस तथा ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों के माध्यम से व्यापक प्रचार करें; (2) उन अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के प्रवर्तन पर ज्यादा ध्यान दें जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषि श्रमिक केन्द्रित हैं; (3) न्यूनतम मजदूरी के प्रवर्तन को विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि के कार्यान्वियन के साथ समन्वित करना चाहिए और (5) जहां कहीं भी आवश्यक हो, वर्तमान प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

**लघु क्षेत्र, संगठित उद्योगों और सरकारी कर्मचारियों की वैतनिक छुट्टियों में एकरूपता**

1466. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु क्षेत्र में कामगारों की संगठित उद्योगों में कामगारों की तुलना में कम वैतनिक छुट्टियां दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो वैतनिक छुट्टियों के मामलों में लघु क्षेत्र के कामगारों को संगठित क्षेत्र के कामगारों के बराबर लाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों की तरह सभी औद्योगिक कामगारों के लिए एक समान आधार पर वार्षिक वैतनिक छुट्टियां निर्धारित करने का है ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) औद्योगिक श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय और त्यौहारों छुट्टियों के पैटर्न में समानता नहीं है। राष्ट्रीय और त्यौहार छुट्टियों देने के लिए प्रश्न को इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा निर्धारित किया जाता है और जहां कोई कानून नहीं है, वहां राज्य के नियोजकों तथा श्रमिक संगठनों के साथ परामर्श करके राज्य सरकार द्वारा अधिसूचनाएं जारी करके किया जाता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**मंगलौर कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स कर्नाटक का बन्द होना**

1467. **श्री डी०एम० पुत्ते** : क्या **गौडा रसायन और उर्वरक** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि बिजली की जबर्दस्त कटौती के कारण

कर्नाटक राज्य के पनाम्बुर स्थित संयुक्त क्षेत्र की मंगलौर कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है ;

(क) क्या यह सच है कि यदि मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में यह स्थिति जारी रही तो 2000 से अधिक मजदूर बेकार हो जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे)** : (क) जी, हां। मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० का उर्वरक कारखाना राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लागू की गई विद्युत कटौती के कारण 5 फरवरी, 1984 की सांय से पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है।

(ख) और (ग) कंपनी ने सूचित किया है कि इस समय सभी कर्मचारी अनुरक्षण कार्य और अन्य कार्यकलापों में व्यस्त हैं। तथापि, यदि कारखाना इस माह के मध्य से आगे तक बन्द चलता रहा तो लगभग 520 कामगारोंको जबरन छुट्टी देनी पड़ेगी सरकार ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० को अपेक्षित मात्रा में पावर की आपूर्ति पुनः प्रारंभ करें। भविष्य में विद्युत कटौतियों के कारण होने वाली हानियों से बचने के लिए कंपनी एक कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना करने का प्रस्ताव रखती है।

**अलमोड़ा (उत्तर प्रदेश) में मंडलीय अभियन्ता टेलीफोन का कार्यालय खोलना**

1468. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अलमोड़ा में मंडलीय अभियंता, टेलीफोन का कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यालय द्वारा कब तक कार्य शुरू कर दिए जाने की सम्भावना है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी नहीं। निर्धारित कार्यभार संबंधी मानदंडों के आधार पर इस प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध नहीं होता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**समाचार पत्र कर्मचारियों की मजूरी में वृद्धि के लिए कार्यवाही**

1469. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों की मजूरीको सरल और

युक्तिसंगत बनाने संबंधी बहु-वर्जित पालेकर अवार्ड वर्ष 1974-75 के आय-व्यय आंकड़ों पर आधारित था ;

(ख) क्या समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ जाने के कारण समाचार-पत्रों का लाभ कई गुना बढ़ गया है, जबकि दूसरी ओर मूल्यों में बढ़ जाने के कारण कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति काफी कमजोर हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने की संभावना की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार समाचार पत्र कर्मचारियों को मजूरी बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने का है ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) पालेकर अधिकरणों ने अपनी सिफारिशों के प्रयोजन के लिए समाचार पत्रों के संबंध में वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 तथा समाचार एजेंसियों के संबंध में 14-4-78 से 31-12-79 तक के लिए औसत सकल राजस्व को ध्यान में रखा गया था।

(ख) से (घ) इस समय, समाचार पत्र कर्मचारियों की मजदूरी बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

तथापि, पालेकर टधिकरण ने यह सिफारिश की थी कि लेखा वर्ष 1982 के बाद पिछले 3 वर्षों के औसत कुल राजस्व के अधार पर नियोजक या कर्मचारी समाचार पत्रों के पुन: वर्गीकरण की मांग कर सकते हैं।

जहां कहीं भी कर्मचारी ऐसा समझते हैं कि राजस्व में हुई वृद्धि के कारण उनकी मजदूरी में बढ़ोतरी किए जाने का औचित्य है, वहां वे इन अधिकरणों की इस सिफारिश का सहारा ले सकते हैं।

**डाक और तार विभाग द्वारा अर्जित राजस्व**

1470. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोस्टकार्ड से अर्जित राजस्व से डाक और तार विभाग को घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्तर्देशीय पत्रों, विदेशी पत्रों, डाक शुल्क, तारों, स्थानीय/ट्रंक टेलीफोनों और पंजीकृत वस्तुओं जैसी आय मदों से कितना अनुमानित राजस्व, और लाभ, प्राप्त हुआ है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल :** (क) जी, हां।

(ख) नीति के अनुसार पोस्टकार्डों की दर वास्तविक लागत से इसलिए कम रखी जाती है क्योंकि सामान्य लोगों द्वारा इनका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।

(ग) अंतर्देशीय पत्र कार्डों, पत्रों एवं रजिस्टर्ड वस्तुओं का प्राक्कलित राजस्व तथा शुद्ध लाभ/हानि नीचे दी गई है। अन्य मदों के बारे में यह सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

| मद का नाम | 1983-84 | |
|---|---|---|
| | प्राक्कलित राजस्व | शुद्ध लाभ (+) शुद्ध हानि (—) |
| | (आंकड़े करोड़ रुपयों में लगभग) | |
| अंतर्देशीय पत्र | 32 | (—) 29 |
| पत्र | 128 | (+) 21 |
| रजिस्टर्ड वस्तुएं | 70 | (—) 42 |

## आंध्र प्रदेश विधान परिषद् को समाप्त किया जाना

1471. **श्री चित्त बसु** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश राज्य विधान सभा ने राज्य विधान मंडल के उपरि सदन को समाप्त करने का संकल्प पारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वह संकल्प केंद्रीय सरकार को उपयुक्त कार्यवाही किए जाने के लिए भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगनन्थ कौशल)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सरकार के लिए आंध्र प्रदेश की विधान परिषद् को समाप्त करने के लिए विधान लाने के प्रस्ताव से सहमत होना संभव नहीं हो पाया है।

**वर्ष 1982-83 में निर्मित फिल्में**

1472. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान कुल कितनी फिल्में प्रदर्शित की गई ;

(ख) ये फिल्में किन-किन भाषाओं में बनी थीं तथा प्रत्येक भाषा में कितनी कितनी फिल्में बनी थीं ; और

(ग) इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास यह जानकारी नहीं है कि भारत में कितनी फिल्में निर्मित या प्रदर्शित की गई। तथापि, लोक प्रदर्शन के लिए इसके द्वारा प्रमाणीकृत भारतीय फीचर फिल्मों के बारे में यह भाषा-वार आँकड़े रखता है। यह सूचना कैलेंडर वर्षवार के आधार पर रखी जाती है। 1982 और 1983 के दौरान बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत भारतीय फीचर फिल्मों की भाषावार संख्या निम्नानुसार है :—

| क्रम संख्या | भाषा | प्रमाणीकृत फिल्मों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | 1982 | 1983 |
| 1. | असमिया | 5 | 4 |
| 2. | बंगला | 49 | 49 |
| 3. | भोजपुरी | 3 | 11 |
| 4. | बृजभाषा | 1 | — |
| 5. | अंग्रेजी | 1 | 1 |
| 6. | गुजराती | 39 | 27 |
| 7. | हिन्दी | 148 | 132 |
| 8. | कन्नड़ | 51 | 72 |
| 9. | कौंकणी | 1 | — |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. | मैथिली | 1 | — |
| 11. | मलयालय | 117 | 112 |
| 12. | मालवी | 1 | — |
| 13. | मराठी | 24 | 20 |
| 14. | नेपाली | 2 | 2 |
| 15. | उडिया | 9 | 12 |
| 16. | पंजाबी | 6 | 19 |
| 17. | राजस्थानी | 3 | 4 |
| 18. | तमिल | 141 | 128 |
| 19. | तेलुगु | 154 | 134 |
| 20. | उर्दू | 7 | 4 |
| 21. | गढ़वाली | — | 1 |
| 22. | हरियाणवी | — | 1 |
| 23. | खांसी | — | 1 |
| 24. | मणिपुरी | — | 3 |
| 25. | संस्कृत | — | 1 |
| 26. | मूक | — | 1 |
| 27. | कश्मीरी | — | 1 |
| 28. | तुलु | — | 1 |
| | कुल : | 763 | 741 |

**गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा आदि स्थानों पर टेलीफोन ट्रंक एक्सचेंज स्थापित करना**

1473. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में दूरसंचार प्रणाली का सुधार करने हेतु फ्रांस की एक

सरकारी क्षेत्र की कंपनी के साथ इलेक्ट्रानिक डिजिटल स्विचिंग (ई० डी० ए०) प्रणाली का निर्माण करने के लिए दो फैक्ट्रियां स्थापित करने हेतु एक समझौता किया है ;

(ख) क्या केन्द्र ने दिल्ली, कलकत्ता बम्बई और मद्रास में नवीनतम इलेक्ट्रोनिक डिजिटल टेक्नोलाजी के ट्रंक एक्सचेंज स्थापित कर लिए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या गुजरात में दूरसंचार की व्यवस्था को सुधारने हेतु अहमदाबाद, बड़ौदा आदि स्थानों पर नवीनतम इलेक्ट्रोनिक डिजिटल टेक्नोलाजी के टेलीफोन ट्रंक एक्सचेंज स्थापित किए जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के एक्सचेंज कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी हां। भारतीय टेलीफोन उद्योग लि० ने उत्तर प्रदेश के मनकापुर (गोंडा) में एक बड़ी अंकीय ई० एस० एस० फैक्ट्री स्थापित करने के लिए फ्रांस की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के साथ करार किया है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक अंकीय ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों के विनिर्माण के लिए भारतीय टेलीफोन उद्योग की पालघाट स्थित मौजूदा फैक्ट्री का विस्तार करने के सम्बन्ध में भी एक करार किया गया है।

(ख) जी नहीं। इसी प्रकार के इलेक्ट्रानिक स्वचल एक्सचेंज बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में स्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ) गुजरात में राजकोट तथा सूरत में अंकीय ट्रंक स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है। अहमदाबाद तथा बड़ौदा में अद्यतन अंकीय तकनालॉजी वाले ट्रंक एक्सचेंज स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु अहमदाबाद में पहले ही एक क्रासबार ट्रंक स्वचल एक्सचेंज है जो बड़ौदा को भी सेवा प्रदान करता है।

### महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा खराब कोयला मिलने की शिकायत

1474. **श्री बाला साहिब पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को उसके ऊर्जा संयंत्रों के लिए खराब किस्म का कोयला सप्लाई किया है जिसके बारे में उक्त बोर्ड ने आपत्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने इस बारे में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है ?

**ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह** : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के बिजली घरों को सप्लाई किए गए कोयले की किस्म अधिकांशित वायलर परिसापों के अनुरूप थी। लेकिन मुख्यत: आकार और नमी के बारे में कुछ शिकायतें रही हैं। सही आकार का कोयला सप्लाई करने के लिए कोयला रख-रखाव संयंत्र लगाए जा रहे हैं। कोयले में नमी के कारणों में एक कारण यह था कि उन विशाल स्टाकों की आग बुझाने के लिए पानी छिड़कना पड़ा था जो काम्प्टी-इन्दर पर इसलिए जमा हो गए थे कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने अपने रज्जुमार्ग के ठीक से काम न करने के कारण कम माल उठाया था। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को कहा गया है कि वह रज्जुमार्ग की मरम्मत के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।

**बोकारो शहर और औद्योगिक विकास केंद्र के बीच टेलीफोन की सुविधा**

1475. **श्री धर्मबीर सिन्हा** :

**श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो शहर और औद्योगिक विकास केन्द्र के बीच कोई टेलीफोन सुविधा नहीं है जबकि बोकारो शहर की जनसंख्या 5 लाख है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी नहीं। बोकारो शहर और औद्योगिक विकास केन्द्र के बीच टेलीफोन सुविधा है।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

**उड़ीसा में शाखा डाकघरों और उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाना**

1476. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 में उड़ीसा में शाखा डाकघरों और उप-डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) 1984-85 के दौरान उड़ीसा राज्य के विभिन्न जिलों में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए 21 प्रस्ताव अभी तक प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इन प्रस्तावों के जिलेवार नाम नीचे दिए गए हैं :—

| | |
|---|---|
| कटक | 1. अंतरे |
| | 2. चतरा |
| | 3. तिनीमुहानी |
| | 4. संतरा |
| | 5. कनिकपाड़ा |
| पुरी | 1. खण्डागिरी |
| | 2. नागपुर |
| गंजम | 1. बावनपुर |
| | 2. सोरादा |
| | 3. बालीसिरा |
| बालासोर | 1. बारन बताली गाढ़ |
| | 2. आंधुवान |
| | 3. कडबारंग |
| धेनकनाल | झारपाड़ा |
| बोलंगीर | मंगाल |
| कालाहंडी | भेला |
| फुलबनी | गुलटिंगा |
| क्योंझर | केशुद्रेपाल |
| मयूरभंज | 1. अनीला |
| | 2. मिचुवापाड़ा |

यह भी प्रस्ताव है कि उदितपुर डाकघर का दर्जा बढ़ाकर मुख्य डाकघर बनाया जाए। इन प्रस्तावों की विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है। तथा इनका दर्जा तभी बढ़ाया जाएगा जबकि पदों के सृजन पर लगी मितव्ययी आदेशों को समाप्त कर दिया जाए उनमें ढील दे दी जाए।

**वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अन्तर्गत एक नया क्षेत्र "कोतमा" का गठन**

1477. **श्री दलबीर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत सौहागपुर क्षेत्र को दो हिस्सों में विभाजित करके एक नया कोतमा क्षेत्र बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए नए बनाए गए कोतमा क्षेत्र में शहडोल जिले के हसदेव क्षेत्र को कोलफील्ड्स में शामिल करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ?

**ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी, हां।
(ख) जी, नहीं।

(ग) हसदेव एरिया, जिला शहडोल के कोयला क्षेत्र को नए बनाए गए कोटमा एरिया में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**नेवली कम्पलेक्स तमिलनाडु, में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना**

1478. **डा० बी० कुलन्दईवेलु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेवैली कम्पलैक्स में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तमिलनाडु में नेवैली कम्पलेक्स में दूरदर्शन केन्द्र किस तारीख तक स्थापित होने की संभावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) नेवेली में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

**बम्बई और पुणे में खाना पकाने की गैस और मिट्टी के तेल लाइट डीजल तेल के डीलर**

1479. **श्री आर० आर० भोले** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और पुणे शहर में खाना पकाने की गैस और मिट्टी का तेल लाइट डीजल

तेल के डीलरों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितने डीलर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हैं ;

(ख) उक्त प्रत्येक डीलर को खाना पकाने की गैस के कितने सिलेंडर और कितना मिट्टी का तेल सामान्य तौर पर आवंटित किया जाता है तथा इनमें से कितने डीलर सिलेंडरों की सामान्य संख्या तेल की मात्रा से अधिक ले रहे हैं ; और

(ग) बम्बई और पुणे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपरोक्त प्रत्येक डीलरों खाना पकाने की गैस के कितने सिलेंडर और कितना मिट्टी का तेल दिया जाता है।

**ऊर्जा मन्त्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क) बम्बई तथा पुणे नगरों में एल० पी० जी० तथा एस० के० ओ०/एल० डी० ओ० डीलरों की संख्या नीचे दी गई है :—

| नगर का नाम | एल० पी० जी० डीलरों की कुल संख्या | इनमें से एस० सी/एस० टी डीलरों की संख्या | एस० के० ओ/एल० डी० ओ० डीलरों की कुल संख्या | इनमें से एस० सी/ एस० टी० डीलरों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| बम्बई | 110 | 3 | 92 | 22 |
| पुणे | 26 | 1 | 18 | 1 |

(सहकारी समितियों को छोड़कर)

(ख) बम्बई तथा पुणे में प्रत्येक डीलरों के लिए/भरे हुए सिलेंडरों तथा एस० के० ओ/की मात्रा की निर्धारित सीमा तुलना में उन डीलरों की संख्या जिनका आवंटन उच्चतम सीमा से अधिक है, नीचे दी गई है :

| नगर का नाम | प्रतिमाह भरे हुए सिलेंडरों की निर्धारित सीमा | उन एल० पी० जी० डीलरों की संख्या जिनके आबंटन उच्चतम सीमा से अधिक हैं। | निर्धारित एस० के० ओ/एल० डी० ओ० की मात्रा (कि० ली० प्रतिमाह) | एस० के० ओ०/एल० डी ओ० डीलरों की संख्या जिनका आबंटन उच्चतम सीमा से अधिक है। |
|---|---|---|---|---|
| बम्बई | 6,000 | 27 | 250 | 40 |
| पुणे | 4,000 | 1 | 250 | 13 |

(ग) बम्बई तथा पुणे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक डीलर को आबंटित किए गए सिलेंडरों/की संख्या/मात्रा नीचे दी गई है :

| उत्पाद का नाम | नगर का नाम | डीलर का नाम | प्रतिमाह सिलेंडरों की संख्या | प्रतिमाह एस० के० ओ/एल० डी० ओ की आबंटित मात्रा किलोमीटरों में |
|---|---|---|---|---|
| एल० पी० जी० | बम्बई | 1. मैसर्स सैनाथ गैस सर्विस | 2,400 | |
| | | 2. मैसर्स आनन्द गैस सर्विस | 3,836 | |
| | | 3. मैसर्स बोरी माती गैस सर्विस | 2,980 | |
| | पुणे | 4. मैसर्स दीपक गैस सर्विस | 1,250 | |
| एस० के० ओ/ एल० डी० ओ | बम्बई | 1. मैसर्स अभ्युदया केरोसीन एजेन्सी | | |
| | | 2. मैसर्स वैस्टर्न केरोसी एजेन्सी | | 302 |
| | | 3, मैसर्स समता केरोसीन एजेन्सी | | 259 |
| | | 4. मैसर्स प्रफैक्ट केरोसीन एजेंसी | | 260 |
| | | 5. मैसर्स भारती केरोसीन एजेंसी | | 260 |
| | | 6. मैसर्स एम्पी केरोब्यूटर्स | | 250 |
| | | 7. मैसर्स रामा केरोसीन एजेन्सी | | 250 |
| | | 8. मैसर्स किरण सेल्स कारपोरेशन | | 343 |
| | | 9. मैसर्स वी० एच० जाधव | | 327 |
| | | 10. मैसर्स वी० ई० गदकारी | | 324 |
| | | 11. मैसर्स यूनिवर्सल ट्रेडर्स | | 250 |
| | | 12. मैसर्स हिन्दुस्तान आयल कम्पनी | | 250 |
| | | 13. मैसर्स लक्को केरोसीन डीलर्स | | 250 |
| | | 14. मैसर्स श्री जैमिनी | | 250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 15. मैसर्स नेशनल आयल कम्पनी | 250 |
| | | 16. मैसर्स जी० आर० एन्टरप्राईसीस | 250 |
| | | 17. मैसर्स इण्डो आयल एजेंसी | 250 |
| | | 18. मैसर्स राजेश एजेंसी | 250 |
| | | 19. मैसर्स वैशाली केरोसीन | 260 |
| | | 20. मैसर्स चीमा एजेन्सीसे | 260 |
| | | 21. मैसर्स अर्चना एजेन्सीस | 250 |
| | | 22. मैसर्स डायमेंड केरोसीन एजेन्सी | 250 |
| पुणे | | 1. मैसर्स सुपर आयल एजेन्सी | 261 |

## राष्ट्रीय/जोनल मजूरी नीति

1480. **श्री ए० के० वालन :** क्या **श्रम और पुर्नावास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूरी संबंधी विषमताओं के कारण हथकरघा बीड़ी, समुन्द्री खाद्य, हिमकरण और निर्यात आदि जैसे पारम्परिक उद्योगों में मजदूरों के एक राज्य दूसरे राज्यों को चले जाने को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय/जोनल मजूरी नीति बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) :** (क) और (ख) जुलाई, 1980 में हुए राज्य श्रम मन्त्री सम्मेलन में, यह निर्णय किया गया था कि यद्यपि मजदूरी दरों में पूर्ण एकरूपता संभव नहीं है तथापि, निकटवर्ती राज्यों द्वारा निर्धारित मजदूरी दरों में बहुत अधिक विषमता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे उद्योग और व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाने की सम्भावना है। तदनुसार मजदूरी अधिनियम के अधीन मजदूरी का निर्धारण/संशोधन करते समय इस बात पर उचित ध्यान दिया जाए, कि निर्धारित मजदूरी दरों से अन्य राज्यों में विशेष रूप से निकटवर्ती राज्यों में, उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सम्मेलन के यह निर्माण मार्ग दर्शन हेतु सभी राज्यों/प्रशासनों के ध्यान में ला दिया गया है।

**जन संपर्क माध्यमों के संबंध में विधि आयोग की रिपोर्ट**

1481. **श्री अमल दत्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने जन सम्पर्क माध्यमों की जानकारी के स्रोत के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) क्या सरकार, हाल में इस पर हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस रिपोर्ट की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई विधायी उपाय करेगी ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : विधि आयोग ने "जन संपर्क माध्यमों द्वारा जानकारी के स्रोत का प्रगटीकरण" के विषय में अपनी तिरानवेवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

(ख) सरकार इस पर विचार कर रही है ।

**सबसे बड़ी 20 भेषज कम्पनीयों में अनिवासी ईक्विटी धारिता**

1482. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सबसे बड़ी ऐसी 20 भेषज कम्पनीयां (मार्किट शेयर अथवा कुल बिक्री के आधार पर) कौन-कौन सी हैं, जिनमें अनिवासी इक्विटी शार्यता कुल इक्विटी पूंजी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं है;

(ख) गत दस वर्षों के दौरान उनकी वार्षिक कुल बिक्री क्या रही है;

(ग) इस अवधि से संबंधित उनके कर चुकता करने से पहले और कर चुकता करने के बाद लाभ कमा रहे हैं तथा उन्होंने कितने-कितने लाभांश और बोनस जारी किए हैं; और

(घ) वर्ष 1973-74 में उनकी इक्विटी पूंजी और अस्तिओं का मूल्य क्या था और इस समय उनकी इक्विटी पूंजी और अस्तियों का मूल्य क्या है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे)** : (क) संगठित क्षेत्र में उन सबसे बड़ी 20 भेषज कंपनियों के मार्किट शेयर विवरण में दिए गए हैं जिनकी गैर आवासी शेयर धारिता, यदि कोई हो, 26 प्रतिशत से अधिक नहीं है । यह अक्तूबर, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 163 मुख्य कम्पनियों के फार्मुलेशनों की खुदरा बिक्रियों पर आधारित हैं ।

(ख), (ग) और (घ) विवरण एकत्र किए जाएंगे और सभा के पटल पर रख दिए जाएंगे।

**विवरण**

| क्रमांक | कम्पनी का नाम | कुल मार्किट शेयर में प्रतिशतता |
|---|---|---|
| 1. | मै० साराभाई | 5.8 |
| 2. | मै० एलेम्बिक | 3.6 |
| 3. | मै० केडिला | 2.7 |
| 4. | मै० रैनबेक्सी | 2.0 |
| 5. | मै० रपटानोस ब्रेट | 1.9 |
| 6. | मै० एस. जी. कैमिकल्स एण्ड फार्मा | 1.8 |
| 7. | मै० आई. डी. पी. एल. | 1.7 |
| 8. | मै० यूनीकैम | 1.6 |
| 9. | मै० सिप्ला | 1.4 |
| 10. | मै० डेज मेडीकल | 1.3 |
| 11. | मै० थेमिस फार्मा. | 1.2 |
| 12. | मै० फ्रेन्को इंडियन | 1.2 |
| 13. | मै० ईस्ट इंडिया | 1.2 |
| 14. | मै० लिका लेब्स | 1.1 |
| 15. | मै० फेयरडील कार्पो. | 1.1 |
| 16. | मै० स्टेन्डर्ड फार्मा. | 1.0 |
| 17. | मै० यूनीक्यू फार्मा. | 0.9 |
| 18. | मै० बोखारडी प्रा. लि. | 0.9 |
| 19. | मै० बायोलोजिकल इवेन्स | 0.8 |
| 20. | लुपिन लेब्स | 0.7 |

**दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रंक काल बुक कराना**

1483. **श्री सज्जन कुमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे स्थानों के लिए जहां के लिए सीधी टेलीफोन सेवा की सुविधा उपलब्ध है बुक कराई जाने वाली ट्रंक कालों पर छह-छह घंटों तक सम्पर्क नहीं हो पाता ;

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक देरी होने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या यह भी सच है कि 22 फरवरी 1984 को लखनऊ के लिए बुक कराई गई कालों पर छह घंटे बाद भी बात नहीं हो सकी; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की असामान्य देरी के क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। 22 फरवरी, 1984 को लखनऊ के लिए बुक की गई कुल 43 ट्रंक कालों (106 प्राथमिकता श्रेणी में, 212 आवश्यक श्रेणी में तथा 115 सामान्य श्रेणी में) में से 245 कालें (83 प्राथमिकता श्रेणी में, 97 आवश्यक श्रेणी में तथा 65 सामान्य श्रेणी में) मिलाई गई तथा शेष 188 कालें विभिन्न कारणों से रद्द की गई। मिलाई गई कालों में से 132 (57.8 प्रतिशत) कालें बुक कराने के एक घंटे के भीतर तथा 10 (7.3 प्रतिशत) चार घंटे के भीतर और 8 (3.2 प्रतिशत) चार घंटे के बाद मिलाई गई।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**देश में टेलीफोन के नये कनेक्शन के लिए विचाराधीन पड़े आवेदन पत्र**

1484. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर (राज्य-वार) में टेलीफोन के नये कनेक्शन के लिये कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ख) इन आवेदन पत्रों के कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) देश में 1-1-84 को टेलीफोनों के लिए राज्यवार प्रतीक्षा सूची विवरण में दी गई है।

(ख) प्रतीक्षा सूची के इन आवेदकों को आगामी पांच वर्षों में उत्तरोत्तर टेलीफोन दिए जाने की सम्भावना है।

**विवरण**

**देश में 1-1-1984 को टेलीफोनों के लिए प्रतीक्षा सूची की विवरणी**

| क्रम संख्या | टेलीफोन जिलों सहित राज्य में टेलीफोन सेवा प्रदान करने वाला दूरसंचार सर्किल | 1.1.1984 को प्रतीक्षा सूची |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद, विजयवाड़ा टेलीफोन जिलों सहित) | 43891 |
| 2. | बिहार (पटना टेलीफोन जिले सहित) | 7954 |
| 3. | गुजरात (अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत टेलीफोन जिलों सहित) दमन, दीव, दादर एवं नगर हवेली, सलवासा को भी सेवा प्रदान करता। | 68935 |
| 4. | जम्मू व कश्मीर | 4783 |
| 5. | कर्नाटक (बंगलूर टेलीफोन जिले सहित) | 32288 |
| 6. | केरल (कोयम्बतूर, त्रिवेन्द्रम, एर्नाकुलम, कालीकट टेलीफोन जिलों सहित) माहे एवं लक्षद्वीप को भी सेवा प्रदान कर रहा है। | 47015 |
| 7. | मध्य प्रदेश (इंदौर टेलीफोन जिले सहित) | 20874 |
| 8. | महाराष्ट्र (नागपुर, बम्बई और पुणे टेलीफोन जिलों सहित) गोआ को भी सेवा प्रदान कर रहा है। | 222330 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 9. | उत्तर पूर्व (गौहाटी टेलीफोन जिले सहित) असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड मेघालय, अरुणाचल प्रदेश को सेवा प्रदान कर रहा है। | 5335 |
| 10. | उत्तर पश्चिम (अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और चण्डीगढ़ टेलीफोन जिलों सहित) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को सेवा प्रदान कर रहा है। | 41370 |
| 11. | उड़ीसा | |
| 12. | राजस्थान (जयपुर टेलीफोन जिले सहित) | 18662 |
| 13. | तमिलनाडु (मद्रास, मदुरै टेलीफोन जिले सहित) | 55294 |
| 14. | उत्तर प्रदेश (आगरा, लखनउ, कानपुर और वाराणसी टेलीफोन जिलों सहित) | 31153 |
| 15. | पश्चिम बंगाल (कलकत्ता टेलीफोन जिले सहित) | 34423 |
| 16. | दिल्ली (दिल्ली टेलीफोन जिला) | 110184 |

**हड़ताल, तालाबन्दी और जबरी छुट्टी के कारण जन दिवसों की हानि**

1485. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान वर्ष-वार देश में एक और हड़ताल के कारण तथा

दूसरी ओर तालाबन्दी और जबरी छुट्टी के कारण जन दिवस में की हुई हानि के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि जन दिवसों की अधिकांश हानि का कारण तालाबन्दी और जबरी छुट्टी है यदि हां, तो इनकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहें हैं।

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) श्रम ब्यूरो, शिमला में प्राप्त सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है, जिसमें वर्ष 1980 से 1983 तक के लिए हड़तालों, तालाबन्दियों जबरी छुट्टियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या दर्शाई गई है। कामबन्दी के कारण श्रम दिनों की हानि नहीं पो सकती।

(ख) यद्यपि तालाबन्दियों की तुलना में हड़तालों के कारण हमेशा काफी संख्या में श्रम दिनों की हानि होती है, तथापि वर्ष 1982 और 1583 में तालाबन्दियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या हड़तालों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या से अधिक है। केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों ही औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन तालाबन्दियों को प्रतिषिद्ध करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं और ऐसी कार्यवाही करते समय यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रश्नागत विवादों को शीघ्र निपटाया गया है। 1982 के औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम में गैर-कानूनी समझी जाने वाली तालाबन्दी का प्रस्ताव करना या इसे जारी रखना एक अनुचित श्रम पद्धति है, जो कि अधिनियम के अधीन दंडनीय है। संशोधी अधिनियम से, जब यह लागू हो जाता है, गैर-कानूनी तालाबन्दियों की संख्या में और कमी हो जाएगी।

**विवरण**

1980-83 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों तथा अप्रैल 1981 से मई, 1983 के दौरान जबरी छुट्टयों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या संबंधी विवरण।

| वर्ष | निम्नलिखित के कारण हानि हुए श्रम दिन (मिलियन में) | | |
|---|---|---|---|
| | हड़तालों | तालाबन्दियों | जबरी छुट्टियों |
| 1980 | 12·02 | 9·91 | उ० न० |
| 1981 | 21·21 | 15·37 | 0·69 x x |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1982 (अ) | 10 71 x | 22.50 | 2.55 |
| 1983 (अ) | 7.91 x | 17.14 | 1.24 (अ अ) |

उ० न० = उपलब्ध नहीं।

(xx) = अनंतिम और अप्रैल, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए।

(x) = बम्बई कपड़ा हड़ताल के कारण हानि हुए श्रम दिनों को छोड़कर जो अनुमानित 1982 में 441.7 लाख श्रम दिन और 1983 में 193.0 लाख श्रम दिन है।

(अ) = अनंतिम

(अ अ) = जनवरी से मई, 1983 तक की अवधि के लिए।

**दिल्ली की पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली**

486. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **विधि, न्याय औरकंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की पुनरीक्षित निर्वाचक सूचियां प्रकाशित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि :—

(i) नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली करोल बाग और चांदनी चौक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का 1-1-1983 को अर्हता की तारीख मानकर घर-घर प्रगणना करके गहन रूप से पुनरीक्षण किया गया है।

(ii) पूर्व दिल्ली और बाह्य दिल्ली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामा-

वलियों का 1-1-1984 को अर्हता की तारीख मानकर घर-घर प्रगणना करके गहन रूप से पुनरीक्षण किया गया है ;

(iii) सदर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों का 1-1-1982 को अर्हता की तारीख मानकर घर-घर प्रगणना करके गहन रूप से पुनरीक्षण किया गया था और उक्त नामावलियों का अब 1-1-1984 को अर्हता की तारीख मानकर सरसरी तौर पर पुनरीक्षण किया गया है, किन्तु उनके 60 मतदान केन्द्रों से संबंधित भाग का गहन रूप से पुनरीक्षण किया गया है; और

(iv) सभी निर्वाचन-क्षेत्रों की पूर्वोक्तानुसार पुनरीक्षित नामावलियों का, अर्थात्, 1-1-1983 को अर्हता की तारीख मानकर पुनरीक्षित की गई नामावलियों का 30 दिसम्बर, 1983 को और 1-1-1984 की तारीख मानकर पुनरीक्षित की गई नायावलियों का (सदर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली को छोड़कर) 31 जनवरी, 1984 को अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है, सदर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की इस प्रकार पुनरीक्षित नामावलियों का अंतिम रूप से प्रकाशन 14 फरवरी, 1984 को किया गया था ।

**जम्मू तथा कश्मीर में जाड़नों के मौसम में बिजली की कमी**

1487. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेंट्रल ग्रिड से कश्मीर घाटी को बिजली की सप्लाई के लगभग अंशत: अस्त व्यस्त हो जाने के परिणाम स्वरूप वर्ष 1983-84 में जाड़े के मौसम में जम्मू तथा कश्मीर राज्य को सामान्य रूप से तथा कश्मीर घाटी को विशेष रूप से काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो बाराभूला में झेलम पन बिजली परियोजना में किये गये मरम्मत संबंधी कुछ कार्यों के परिणामस्वरूप, जिसका जाड़े के मौसम में विशेष रूप से अक्तूबर से दिसम्बर, 1983 के अन्त तक की अवधि में, काश्मीर में बिजली की सप्लाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, होने वाली कमी को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये वचन का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) और (ख) अक्तूबर से मार्च के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में विद्युत की कमी हुई है। यह कमी मुख्य रूप से सर्दी के मौसम में अर्न्तवास कम होने के परिणामस्वरूप इसके जल-विद्युत उत्पादन में

कमी होने के कारण और इसके साथ ही विद्युत की मांग में वृद्धि होने के कारण है। सर्दी के महीने के दौरान जम्मू और कश्मीर में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए जम्मू और कश्मीर को उसको प्राप्त होने वाले हिस्से के अलावा विद्युत भाखड़ा-ब्यास प्रबंध बोर्ड से और उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से सामान्य रूप से सहायता दी जाती है।

सर्दी के चालू महीनों के दौरान राज्य में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अक्तूबर, 1983 से आगे भाखड़ा और केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से वास्तविक सहायता निम्नानुसार की गई है :—

| महीना | भाखड़ा से जम्मू और कश्मीर का हिस्सा | भाखड़ा से जम्मू और कश्मीर को की गई वास्तविक सप्लाई | जम्मू और कश्मीर को सहायता दी गई | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भाखड़ा | बदरपुर | सिंगरौली | बैरास्यूल | जोड़ |
| | | | | (आकड़े एल० यू०/प्रतिदिन के है) | | | |
| अक्तूबर, 83 | 3·60 | 10·60 | 7·00 | 2·55 | 2·05 | 1·50 | 13·11 |
| नवम्बर, 83 | 3·60 | 10·32 | 6·72 | 4·79 | कुछ नहीं | 1·50 | 13·01 |
| दिसम्बर, 83 | 3·60 | 11·65 | 8·05 | 417 | 1·55 | 1·75 | 15·52 |
| जनवरी, 84 | 3·60 | 12·23 | 8·63 | 1·86 | 2·2[illegible] | 1·75 | 14·47 |
| फरवरी, 84 (5 तक) | 3·60 | 9·63 | 6·03 | 4·97 | 0·56 | 1·75 | 13·31 |

अतः अक्तूबर, 1983 से लेकर अब तक भाखड़ा/केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन केन्द्रों से जम्मू और कश्मीर को वास्तविक सहायता लगभग 13 से 15·5 एल० यू० प्रति दिन की गई है।

**जम्मू और काश्मीर में दूरदर्शन केन्द्र**

1488. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर में कितने नये टेलीविजन केन्द्र और टेलीविजन रिले केन्द्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) जम्मू और काश्मीर में प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने संबंधी कार्य कब शुरू किया जायेगा ; और

(ग) इनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है और इन परियोजनाओं के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जम्मू और काश्मीर में, उच्च शक्ति वाले दो ट्रांसमीटर जम्मू और पून्छ में तथा अल्प शक्ति वाले दो ट्रांसमीटर लेह और कारगिल में स्थापित करने का कार्यक्रम है।

(ख) अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है तथा जम्मू में दूरदर्शन ट्रांसमीटर भवन निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के लिए स्थान का पता कर लिया गया है तथा ट्रांसमीटरों और अन्य उपकरणों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं।

(ग) इन परियोजनाओं के 1984-85 के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है। प्रत्येक उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर और अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर पर क्रमशः लगभग 270 लाख रुपए और 23.6 लाख रुपए लागत आती है।

**अन्तर्राष्ट्रीय संचार में चोरी**

1489. **श्री भीखाभाई** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय संचार में बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1982, 1983 में राजकोष को इस बाबत कुल कितना नुकसान हुआ है ; और

(ग) मुफ्त के कालों को रोकने के लिये क्या दोषरहित उपाय अपनाये गये हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) (ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**खेतिहर मजदूरों का न्यूनतम वेतन और सामाजिक आर्थिक दशा के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञ का सुझाव**

1490. **श्री के० प्रधानी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि श्री गेराल्ड स्टार ने, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतमवेतन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञ हैं, 8 फरवरी, 1984 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम वेतन के बारे में आयोजित एक गोष्ठी में भाग लेते हुये, खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम वेतन की दरों का सरल ढांचा अपनाने का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो ग्रामीण श्रमिकों की वर्तमान सामाजिक आर्थिक दशा को सुधारने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधार करना है, लेकिन श्रम विभाग ग्रामीण श्रमिक के कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए बनाए गए विभिन्न श्रम कानूनों के के प्रवर्तन में सुधार लाने के लिए निरन्तर पुनरीक्षा और कार्यवाही कर रहा है।

**मध्य प्रदेश के सागर जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र**

1491. **श्री राम प्रसाद आहिरवार** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश के सागर जिले में कुल कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र काम कर रहे हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान इन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों से कुल कितनी 'काल' की गई ; और

(ख) इनमें से कितने केन्द्र काम कर रहे हैं और कितने खराब पड़े हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) मध्य प्रदेश के सागर जिले में काम कर रहे सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की कुल संख्या 52 है तथा इन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों से पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई कालों की संख्या निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | स्थानीय काल | ट्रंक काल |
|---|---|---|
| 1980-81 | 12882 | 7488 |
| 1981-82 | 12917 | 5441 |
| 1982-83 | 13488 | 5559 |

(ख) सभी सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र 1-1-1984 को सही हालत में थे तथा कोई भी खराब नहीं था।

## नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा आवासीय मकानों का निर्माण

1492. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नया नांगल, जिला रोपड़ (पंजाब) ने उन व्यक्तियों के प्रयोग के लिए, जिनके आवास स्थल पंजाब और हिमाचल प्रदेश में नांगल-तलवारा रेल लाइन के निर्माण के परिणामस्वरूप गिरा दिए जायेंगे, आवश्यक वैकल्पिक आवासीय मकानों का निर्माण शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित रेल लाइन के निर्माण की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए नया निर्माण कार्य शीघ्रता से कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए इस निर्माण कार्य को कोई उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे)** : (क) जी, हां।

(ख) वैकल्पिक आवास के लिए अपेक्षित 24 आवासी एककों में से 8 एककों के अप्रैल मई, 1984 तक अधिवास के लिए तैयार होने की संभावना है और शेष के जून-जुलाई, 1984 तक।

## अन्तर्राष्ट्रीय संचार वर्ष (1983)

1493. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय संचार वर्ष (1983) के दौरान देश में डाक तार विभाग ने स्वयं अथवा एफ० आई० सी० आई० आदि जैसी प्रमुख, स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से अनेक सम्मेलनों का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन सम्मेलनों में की गई सिफारिशों अथवा मंजूर किए गए संकल्पों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन सम्मेलनों के परिणामों को ध्यान में रखा है और प्रमुख सिफारिशों पर जल्दी से जल्दी विचार किया जाएगा ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल** : (क) जी हां।

(ख) मूलरूप से विकास के लिए संरचना के रूप में संचार को महत्व देने तथा पूंजी निवेश, संगठन एवं प्राधिकरण में पर्याप्त प्राथमिकता देने की आवश्यकता परबल दिया गया।

(ग) दिसम्बर, 1983 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के निष्कर्षों को आवश्यक विचार करने के लिए नोट कर लिया गया है।

**कुछ कोयला खुदान विकास परियोजनाओं में प्रदूषण रोकने के लिए किए गए उपाय**

149 . **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कोयला खदान विकास परियोजनाओं में प्रदूषण रोकने के लिए उपाय किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कोयला खदान विकास परियोजनाओं के नाम क्या हैं जहां पर प्रदूषण रोकने के ऐसे उपाय किए गए हैं ; और

(ग) कोयला खदान विकास परियोजनाओं में प्रदूषण रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग के राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में विद्युतीकरण के लाभ**

1496. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा चलाये गए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम संबंधी अध्ययन से पता चला है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या बहुल गांवों को बिजली उपलब्ध कराने और पिछड़े वर्गों को इस उद्देश्य से कि उन्हें बिजली के लाभ प्राप्त हों, अधिक प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों की ओर से अधिक प्रयास किए जाने चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में राज्य द्वारा गांवों की विद्युतीकरण में धीमी प्रगति के बारे में क्या मुख्य बातें बताई गई हैं ;

(ग) किन-किन राज्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया है ;

(घ) जिन राज्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) उक्त योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए उन्हें दिये गये निदेश का ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में गांवों के धीमी गति से विद्युतीकरण के मुख्य कारण

हैं :—संगठनात्मक कमी, दूर दराज के क्षेत्रों में और विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों के दुर्गम क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों वाले राज्यों में कार्य करने के लिए अनुभवी और योग्य इंजीनियरों का उपलब्ध न होना, बोर्डों तथा राज्यों की अन्य विकासात्मक एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी विद्युत सप्लाई की कमी, सामग्री की अधिक लागत आदि।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-82) में अखिल भारत आधार पर एक लाख गांवों का विद्युतीकरण तथा 25 लाख सिंचाई पम्प सेटों/ट्यूब्वैलों के उर्जन किए जाने की परिकल्पना की गई है। योजना के पहले 4 वर्षों (1980-81 1981-82 1982-83 1983-84) के दौरान 82209 गांवों को विद्युयीकरण किया गया तथा 31-12-1983 तक 11.72 लाख सिंचाई पम्प सेटों/ट्यूब्वैलों का उर्जन किया गया। वर्ष 1980-84 की अवधि के दौरान निर्धारित राज्यवार लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धियां दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

गांवों के विद्युतीकरण में अब तक की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए छठी योजना के अखिल भारत लक्ष्य प्राप्त किए जाने की आशा है। तथापि पम्प सेटों को उर्जित करने के संबंध में समग्र प्रगति लक्ष्य के अनुसार नहीं हो पाई है। असम, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर मेघालय, नागालैंड, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल राज्यों में समग्र प्रगति संतोषजनक नहीं रही है।

(घ) और (ङ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य की गति में बढ़ोतरी करने के लिए राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में प्रगति की बढोतरी करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें ये शामिल है।

(1) निर्माणधीन स्कीमों के कार्यान्वियन की मानीटरिंग करने के लिए राज्यों में परियोजना कार्यालयों की स्थापना करना।

(2) परियोजना कार्यालयों की सहायता से और सुधारात्मक कदम उठा करके स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वियन पर कड़ी निगरानी रखने के लिए निगम कार्यालय में मानीटरिंग डिवीजन की स्थापना करना।

(3) कार्यान्वियन में तेजी लाने के लिए नया ऋण संवितरण नीति में संशोधन करना।

(4) प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कार्य का स्कीमवाद, वर्षवार विस्तृत कार्यक्रम बनाना तथा सभी निवेशों की निधियों सामग्रियों और संगठन को सुनिश्चित करना।

(5) गंगा घाटी में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए एक नये डिवीजन की स्थापना करना।

(6) कमजोर वर्गों का विकास करने तथा 20 सूत्री कार्यक्रम का आवधिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए एक डिवीजन की स्थापना करना शामिल है।

**विवरण**

छठी योजना के प्रथम चार वर्षों अर्थात् 1980-84 के दौरान गांवों के विद्युतीकरण तथा पम्पसेटों/ट्यूब्वैलों के उर्जन के संबंध में (1-4-80 से 31-12-1983 तक) निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्ति के दिखाने वाला विवरण।

| क्र० सं० | राज्य का नाम | 1980-84 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण में हुई प्रगति | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ग्राम विद्युतीकरण | | उर्जित सिंचाई पम्पसेट/ट्यूब्वैल | |
| | | लक्ष्य | 1-4-80 से 31-12-83 तक प्राप्ति | लक्ष्य | 1-4-80 से 31-12-83 तक प्राप्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1· | आंध्र प्रदेश | 6,450 | 4,527 | 2·05,000 | 1,58231 |
| 2· | असम | 6,712 | 3,611 (ख) | 5,155 | 514 (ख) |
| 3· | बिहार | 13,550 | 10,348 | 1,4,230 | 32,563 |
| 4· | गुजरात | .5,0/5 | 3,535 | 92,350 | 65,742 |
| 5· | हरियाणा | (*) | (*) | 77,000 | 54,272 |
| 6· | हिमाचल प्रदेश | 3,630 | 4,521 | 1,031 | 569 |
| 7· | जम्मू व कश्मीर | 1,885 | 872 | 300 | 248 |
| 8· | केरल | (*) | (*) | 39,900 | 36,544 |
| 9. | कर्नाटक | 4,520 | 4,456 (ख) | 77,040 | 85,918 |
| 10· | मध्य प्रदेश | 13,388 | 12,959 | 1,63,270 | 1,31,177 |
| 11· | महाराष्ट्र | 7,43,10 | 5,663 | 2,00,800 | 2,30,122 |
| 12· | मणिपुर | 305 | 194 | 160 | 16 |
| 13· | मेघालय | 750 | 453 (ख) | 367 | 6 (ख) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | नागालैंड | 177 | 224 | 7 | |
| 15. | उड़ीसा | 5,610 | 4,491 | 33,040 | 01,307 |
| 16. | पंजाब | (*) | (*) | 1,03,400 | 87,747 |
| 17. | राजस्थान | 5,996 | 4,043 | 96,775 | 67,020 |
| 18. | सिक्किम | 88 | 80 (ख) | — | — |
| 19. | तमिलनाडु | 124 | 101 | 1,58,000 | 07,984 |
| 20. | त्रिपुरा | 1,110 | 793 (क) | 890 | 634 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 16,43 | 15,732 | 1,99,010 | 1,10,362 |
| 22, | पश्चिम बंगाल | 7,060 | 5,052 | 26,590 | 4,615 |
| | जोड़ (राज्य) | 99,296 | 81,636 | 16,23,285 | 11,66,272 |
| | जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र) | 750 | 553 | 3,034 | 4,229 |
| | जोड़ (अखिल भारत) | 1,00,046 | 84,209 | 16,20,319 | 11,71,501 |

(क) प्रगति 1-4-1980 से 1-12-1983 तक

(ख) प्रगति 1-4-1980 से 30-11-1983 तक

**रुग्ण बिजली संयंत्रों के नवीकरण के लिए मांगी गई धनराशि**

1497. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रुग्ण बिजली संयंत्रों को पुन: चलाने और उनके आधुनिकीकरण संबंधी अपने कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने योजना आयोग को बिजली क्षेत्र के वित्त-पोषण के लिए "नाबार्ड" की तरह का एक अलग संस्थान बनाने का सुझाव दिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि बिजली क्षेत्र को विश्व बैंक की सहायता प्रस्तावित संस्थान के माध्यम से दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने देश में रुग्ण बिजली संयंत्रों की सहायता करने के लिए क्या अन्य सुझाव दिए हैं; और

(ङ) सरकार उनके सुझावों से कहां तक सहमत हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 500 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने विद्युत परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के लिए एक नियम का गठन करने की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव तथा क्या विश्व बैंक की सहायता प्रस्तावित संस्थान के जरिए पहुंचाई (चैनेलाइज) जा सकता है ? इसकी जांच की जा रही है।

(घ) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण कई उपाय कर रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं। (1) संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को तैयार करने और हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों और विद्युत केन्द्रों की सहायता करना : (2) यूनिटों की बन्दी की अवधियों को कम करने के लिए निवारक अनुरक्षण प्रोद्योगिकियों को अपनाना : (3) स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से हिस्से पुर्जों की व्यवस्था करना : (4) कोयले की अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा की व्यवस्था करना। (5) चालू की गई नई स्कीमों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए तथा विद्युत केन्द्रो में प्रचालन प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए कृतिक बलों/भ्रमणशील दलों की स्थापना करना : (6) जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है विदेशी परामर्शदाताओं की सेवाओं की व्यवस्था करना : (7) विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों और प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ; तथा (8) उपलब्ध ताप विद्युत क्षमता का बेहतर समुपयोजन करने के लिए प्रोत्साहन देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

(ङ) ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए एक केन्द्रीय स्कीम तथा विद्युत परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के लिए एक संस्थान स्थापित करने से संबंधित मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

**कृषि, डेरी फार्मों और पशु पालन में कार्यरत श्रमिकों को मंजूरी के भुगतान के लिए समान कानून-बनाना**

1498. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कृषि, डेरी फार्मों और पशुपालन में खेतिहर श्रमिकों को दी जराही मंजूरी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उन्हें संगठित करने के लिए कोई संघ नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में समान कानून बना कर श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का विचार है ?

**श्रम और पुनार्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) कृषि में नियोजन के अन्तर्गत, जैसा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की अनूसूची के भाग-II में परिभाषित है, अन्य बातों के साथ-साथ दुग्ध उद्योग, पशुपालन आदि में नियोजन सम्मिलित हैं। हालांकि कई राज्यों ने कृषि में सभी नियोजनों और संक्रियों के लिए मजदूरी की समान दरें निर्धारित की हैं, कुछ राज्यों ने दुग्ध उद्योग के लिए मजदूरी की अलग दरें निर्धारित की हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यों ने दुग्ध उद्योग या पशुपालन के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की है। एक विवरण संलग्न है जिसमें कृषि में मजदूरी की न्यूनतम दरें दी गई हैं। दूसरे विवरण (II) में दुग्ध उद्योग के लिए अलग से निर्धारित मजदूरी दरें दिखाई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अधिक प्रभावी प्रवर्तन करके श्रमिकों को शिक्षित करके और उनके संगठन को बढ़ावा देकर के ऐसे श्रमिकों के हितों की रक्षा करना सरकार का प्रयास रहा है।

विवरण-1

| राज्य का नाम | लागू होने की तारीख | मजदूरी दरें | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| केन्द्रीय सरकार | 19-10-1983 | 7·50 रु० से 11·25 रु० क्षेत्रों के अनुसार | |
| आन्ध्र प्रदेश | 7·9·1983 | 7·00 रु० से 18·00 रु० प्रतिदिन क्षेत्रों और कार्य के स्वरूप के अनुसार । | |
| असम | 28·12·1981 | 8·00 रु० से 9·00 रु प्रतिदिन बिना भोजन के या 7·00 रु प्रतिदिन एक समय के भोजन के साथ व्यवसाय के अनुसार । | |
| बिहार | 12·4·1982 | 5 किलोग्राम धान या उसी मूल्य का कोई अन्य अनाज, इसके अतिरिक्त एक समय का नाश्ता या 8·50 रु० नकद । | |
| गुजरात | 2·10·1982 | 9·00 रु० प्रतिदिन या 3·200/-रु० प्रति वर्ष । | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| हरियाणा | 1·5·1982 | 14·00 रु० प्रतिदिन या 10·00 रु. प्रतिदिन भोजनके साथ। | 1.7·83 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने के कारण इन दरों में 92 पैसे प्रतिदिन की और वृद्धि की गई है। |
| हिमाचल प्रदेश | 1·4·1982 | 8·25 रु० प्रतिदन। | दिसम्बर, 1982 से मजदूरी दरों में क्षेत्रों के अनुसार 12/1-2 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है |
| जम्मू व काश्मीर | — | अभी तक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की गई है। | कृषि श्रमिकों के बारे में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक सर्वेंत्रण किया है। |
| कर्नाटक | 20·10·1975 | 3·25 रु० से 5·60 रु० प्रतिदिन, कार्य की श्रेणी तथा भूमि के प्रकार के | 1·3.82 से इन दरों में 5·00 से 7.50 रु० प्रतिदिन तक और संशोधन किया गया था। यह |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | अनुसार। | सूचित किया गया है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कृषि श्रमिकों के लिए 1982 में निर्धारित मजदूरी दरों से संशोधन करने वाली अधिसूचना 15.32 रु० प्रतिदिन बिना भोजन के है। |
| राजस्थान | 1.4.1982 | 8.05 रु० से 9.00 प्रतिदिन, क्षेत्रों के अनुसार। | |
| सिक्किम | — | राज्य में अभी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू नहीं किया गया है। | |
| तमिलनाडु | 5.4.1983 | बुवाई, पौधों को उखाड़ने, पौधों को पुनः लगाने या निराई करने में लगे कर्मचारियों के लिए 8.00 रु० प्रतिदिन और अन्य संक्रियाओं के लिए 10.00 रु० से 11.00 रु० तक प्रतिदिन। | केवल उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां के लिए मजदूरी दरें तमिनाडु कृषि श्रमिक उचित मजदूरी अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत निर्धारित की गई है। |
| त्रिपुरा | 1.8.1982 | 6.00 रु० प्रतिदिन। | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 13·7·1983 | 8·00 से 9.50 रु० प्रतिदिन, क्षेत्रों के अनुसार। | |
| पश्चिमी बंगाल | 13·8·1982 | (वयस्क) 10·15 रु० प्रतिदिन।<br>(बालक) 7·29 रु० प्रतिदिन। | 14·11·1982 से परिवर्ती मंहगाई भत्ते में संशोधन करने के कारण प्रत्येक वयस्क श्रमिक को प्रतिदिन 12.01 रु० और प्रत्येक बालक को प्रतिदिन 8·71 रु० मिलेंगे। |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 14-7-1982 | 8·00 रु० प्रतिदिन। | और संशोधन करने के लिए ०·2·84 को प्रस्ताव अधिसूचित किए गए हैं। को रद्द कर दिया है। |
| केरल | 1·8·1980 | 7·45 रु० प्रतिदिन आसान काम के लिए<br>9·20 रु० प्रतिदिन कठिन काम के लिए। | न्यूनतम मजदूरी दरों में और आगे संशोधन करने के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए 30-10 1981 को एक समिति गठित की गई थी। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | 1·1·1982 | 7·00 रु० प्रतिदिन + विशेष भत्ता जो छमाही संकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है। | विशेष भत्ते की दर औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4:7 (1960 = 100) में प्रत्येक प्वाइन्ट की वृद्धि के लिए प्रति-माह प्रति प्वाइन्ट 45 पैसे है। |
| महाराष्ट्र | 1·2·1983 | 5·00 रु० से 10·00 रु० प्रतिदिन, क्षेत्रों के अनुसार। | |
| मणिपुर | 1·3·1983 | 13·00 से रु० 10·50 रु० प्रतिदिन, क्षेत्रों के अनुसार। | |
| मेघालय | 1·11·1983 | 11·00 रु० प्रतिदिन। | |
| नागालैंड | 1·2·1984 | 10·00 रु० प्रतिदिन। | |
| उड़ीसा | 25·12·1982 | 5·00 रु० प्रतिदिन। | |
| पंजाब | 1·1·1982 | 11·00 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ या 14·00 रु० प्रतिदिन बिना भोजन के। | 1·7·1983 से ये दरें 12·32 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ या |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| अरुणाचल प्रदेश | 1·6·1981 | 9·00 रु० से 10·00 रु० प्रतिदिन । | ये दरें शासकीय आदेशों के अधीन निर्धाति की गई हैं । इनमें 1·1·84 से और संशोधन किया गया हैं मगर दरें अभी ज्ञात नहीं हैं । |
| चंडीगढ़ | 12·4.1982 | 14·00 रु० प्रतिदिन या 11·00 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ । | |
| दादर और नागर हवेली | अगस्त, 1983 | 9·00 रु० प्रतिदिन ।। | मजदूरी की न्यूनतम दरें उपभोक्त मूल्य सुचकांक से सम्बद्ध हैं । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (पंजाब श्रृंखला) में कमी या बढोत्तरी के लिए निष्प्रभावन की दर 4 पैसे प्रति प्वाइन्ट है । |
| दिल्ली प्रशासन | 1·3·1982 | 11·60 रु० प्रतिदिन । | और संशोधन करने के लिए 2·12·1983 को प्रस्ताव अधिसूचित किए गए । |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| गोवा, दमन और दीव। | 2·10·1983 | 6·75 रु० प्रतिदिन। | |
| मिजोरम | | कोई संगठित कृषि श्रमिक नहीं है। विद्यमान दर 10·00 रु० प्रतिदिन या इसके आसपास हैं। | |
| पांडिचेरी | | | |
| (1) माही क्षेत्र | 23-8-1983 | 7·45 रु० से 9·20 रु० प्रतिदिन कार्य के स्वरूप के अनुसार। | |
| (2) यनम क्षेत्र | अप्रैल, 1983 | (क) फसल काटने के अलावा कृषि संक्रियाओं के सभी प्रकार के लिए :— **वयस्क** 10·00 रु० प्रतिदिन | **अवयस्क** 6·30 रु० प्रतिदिन |
| | | (ख) फसल काटने के लिए :— 9 किलोग्राम धान | 4/1-2 किलोग्रास धान |
| (3) पांडिचेरी | 28·11·1983 | **वयस्क** 7·00 रु० प्रतिदिन　**आवश्यक** 4·20 रु० प्रतिदिन या | |
| (4) कराईल अगस्त, | 1982 | 7 लीटर धान + 2·80 रु० प्रतिदिन या 9·00 रु० प्रतिदिन। | |
| लक्षदीप | | संघ शासित क्षेत्र में कोई कृषि श्रमिक नहीं है। | |

## विवरण II

**लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1498 तारीख 6-3-1984 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण, जिसमें डेरी उद्योग के लिए राज्यों/प्रशासनों द्वारा अलग से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरें दर्शाई गई है।**

| राज्य/प्रशासन का नाम | तारीख, जिस से लागू है | मजदूरी की दरें प्रतिदिन | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| असम | 28-12-81 | 8·00 रु० या 7·00 रु० और एक समय का खाना। | — |
| तमिल नाडु | 5-4-83 | 10·00 रु० | — |
| गोवा, दमन और दीव | 2-10-83 | 6·00 रु० | — |
| पांडिचेरी (पांडिचेरी क्षेत्र) | 28-11-83 | प्रौढ़-7·00 रु० अवयस्क—4·20 रु० | |

### 1983-84 के दौरान विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

1499. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983-84 के लिए विद्युत उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त अवधि में विद्युत उत्पादन के लिए राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ग) अब तक इन लक्ष्यों की कितनी प्राप्ति हुई है ; और

(घ) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) जी हां। 1983-84 के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 144325 मिलियन यूनिट नियत किया गया है।

(ख) 1983-84 के लिए विद्युत उत्पादन के लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है;

(ग) विद्युत उत्पादन के कार्यक्रम तथा अप्रैल 1983 से जनवरी 1984 के दौरान वास्तविक उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(घ) विद्युत उत्पादन के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू करना।

(2) संयंत्र नवीकरण संबंधी कार्यक्रमों को तैयार करने तथा आरम्भ करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को सहायता दी जा रही है।

(3) ताप विद्युत यूनिटों से अधिकतम विद्युत उत्पादन करने के लिए कोयले की अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा की व्यवस्था की जा रही है।

(4) आयतित और स्वदेशी यूनिटों के लिए अतिरिक्त पुर्जों तथा अन्य सामग्री की सप्लाई की व्यवस्था की गई है।

(5) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के भ्रमणशील दल और कृतिक बल नई चालू की गई यूनिटों के शीघ्र स्थिरीकरण करने तथा प्रचालनात्मक मामलों के बारे में तकनीकी सलाह देने के लिए विभिन्न विद्यूत केन्द्रों का दौरा करते हैं।

(6) ताप विद्यूत यूनिटों के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए एक प्रोस प्रोत्साहन स्कीम लागू की गई है।

**विवरण I**

**1983-84 के लिए विद्युत उत्पादन का राज्यवार लक्ष्य**

(सभी आंकड़े मि० यू० में हैं)

| राज्य/प्रणाली | जल विद्युत | तप विद्युत | न्युक्लीय वि० | जोड़ |
|---|---|---|---|---|
| 1. भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड | 10550 | — | — | 10550 |
| 2. दिल्ली | — | 4950 | — | 4950 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. जम्मू व कश्मीर | 842 | 10 | — | 852 |
| 4. हिमाचल प्रदेश | 1520 | — | — | 1520 |
| 5. हरियाणा | — | 1450 | — | 1450 |
| 6. राजस्थान | 515 | 375 | 1580 | 2470 |
| 7. पंजाब | 865 | 1950 | — | 2815 |
| 8. उत्तर प्रदेश | 3967 | 12265 | — | 16232 |
| 9. गुजरात | 500 | 12050 | — | 12550 |
| 10. मध्य प्रदेश | 420 | 9200 | — | 9620 |
| 11. महाराष्ट्र | 5000 | 17800 | 1920 | 24720 |
| 12. आन्ध्र प्रदेश | 5322 | 6075 | — | 11397 |
| 13. कर्नाटक | 7675 | — | — | 7675 |
| 14. केरल | 5000 | — | — | 5000 |
| 15. तमिलनाडु | 3877 | 7825 | — | 11702 |
| 16. बिहार | 147 | 2700 | — | 2847 |
| 17. उड़ीसा | 1991 | 1175 | — | 3166 |
| 18. पश्चिम बंगाल | 47 | 6525 | — | 6572 |
| 19. दामोदर घाटी निगम | 146 | 6450 | — | 6596 |
| 20. सिक्किम | 16 | — | — | 16 |
| 21. असम | — | 1025 | — | 1025 |
| 22. मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड | 600 | — | — | 600 |

**विवरण II**

**राज्य/प्रणालीवार तथा श्रेणीवार प्रतिष्ठापित क्षमता, सकल ऊर्जा उत्पादन और उत्पादन लक्ष्य का ब्योरा**

अवधि : 1983-84 (अप्रैल-जनवरी)

| क्रम सं० | राज्य/प्रणाली | श्रेणी | क्षमता (मे० वा०) (31-1-84 की स्थिति के अनुसार) | उत्पादन का लक्ष्य (मि० यूनिट | ऊर्जा उत्पादन (मि० यूनिट) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | भाखड़ा ब्यास | | | | |
| | प्रबन्ध ब्यास | जल विद्युत | 2555 | 9094 | 9775 |
| 2. | दिल्ली | ताप विद्युत | 1030·5 | 410/ | 3512 |
| 4. | जम्मू और कश्मीर | ताप विद्युत | 22·5 | 10 | 2 |
| | | जल विद्युत | 174 | 752 | 783 |
| | | जोड़ : | 196·5 | 762 | 785 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | जल विद्युत | 300 | 1297 | 1297 |
| 5. | हरियाणा | ताप विद्युत | 415 | 1176 | 855 |
| 6. | राजस्थान | ताप विद्युत | 220·0 | 271 | 464 |
| | | न्यूक्लीय | 440 | 1220 | 986 |
| | | जल विद्युत | 271 | 431 | 504 |
| | | जोड़ : | 931 | 1922 | 1957 |
| 7. | पंजाब | ताप विद्युत | 440 | 1673 | 1799 |
| | | जल विद्युत | 220 | 768 | 799 |
| | | जोड़ : | 640 | 2471 | 2598 |
| 8. | उत्तर प्रदेश | ताप विद्युत | 3280 | 9983 | 8814 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | जल विद्युत | 1242.4 | 3366 | 3373 |
| | जोड़ : | 4522.4 | 13352 | 12187 |
| 9. गुजरात | ताप विद्युत | 2243 | 9879 | 8927 |
| | जल विद्युत | 300 | 385 | 846 |
| | जोड़ : | 2543 | 10264 | 9763 |
| 10. मध्य प्रदेश | ताप विद्युत | 2402.5 | 7281 | 7790 |
| | जल विद्युत | 112.0 | 322 | 197 |
| | जोड़ : | 2517.5 | 7603 | 7987 |
| 11. महाराष्ट्र | ताप विद्युत | 4283 | 14633 | 12929 |
| | न्यूक्लीय | 420 | 1620 | 1661 |
| | जल विद्युत | 1303.5 | 4220 | 5094 |
| | जोड़ : | 6006.5 | 20473 | 19684 |
| 12. आन्ध्र प्रदेस | ताप विद्युत | 1425.5 | 4951 | 4716 |
| | जल विद्युत | 1641.7 | 4678 | 4678 |
| | जोड़ : | 3067.2 | 9604 | 9394 |
| 13. कर्नाटक | जल विद्युत | 1847.2 | 6544 | 6554 |
| 14. केरल | जल विद्युत | 1011.5 | 4111 | 2941 |
| 15. तमिलनाडु | ताप विद्युत | 1750.0 | 6318 | 6486 |
| | न्यूक्लीय | 235.0 | — | 257 |
| | जल विद्युत | 1369.0 | 3345 | 2389 |
| | जोड़ : | 3354.0 | 9663 | 9142 |
| 16. बिहार | ताप विद्युत | 875.0 | 2200 | 1834 |
| | जल विद्युत | 150.0 | 130 | 160 |
| | जोड़ : | 1025.0 | 2330 | 1994 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. उड़ीसा | ताप विद्युत | 470·0 | 951 | 973 |
| | जल विद्युत | 6:0·0 | 1586 | 1906 |
| | जोड़ : | 1100·0 | 2547 | 2882 |
| 18. पश्चिम बंगाल | ताप विद्युत | 1926·0 | 5334 | 5155 |
| | जल विद्युत | 41 | 39 | 98 |
| | जोड़ : | 1967·0 | 5373 | 5223 |
| 19. दा. घा. निगम | ताप विद्युत | 1445·0 | 5337 | 4910 |
| | जल विद्युत | 104 | 136 | 203 |
| | जोड़ : | 1549·0 | 5473 | 5113 |
| 20. सिक्किम | जल विद्युत | 12 | 14 | 19 |
| 21. असम | ताप विद्युत | 327·5 | 857 | 797 |
| 22. मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड | जल विद्युत | 245·2 | 515 | 453 |

**निगमित क्षेत्र में नामनिर्देशित निदेशकों को अधिक शक्तियां**

1500. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री निगमित क्षेत्रों में नामनिर्देशित निदेशकों की अधिक शक्तियों के बारे में 20 दिसम्बर 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 392 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित दमन और कुप्रबन्ध संबंधी मामलों का ब्यौरा क्या है और उनमें क्या निवारण कार्यवाही की गई है ;

(ख) कम्पनियों के अधिकारियों और निदेशकों द्वारा उनके साधनों अथवा उसकी निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू किए गए कम्पनी अधिनियम में अन्तर्निहित उपायों का ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं ;

(ग) क्या उन्हे इस बात की जानकारी है कि लेखा परीक्षा जिनकी नियुक्ति कम्पनियों के निदेशकों के हाल में होनी हैं कम्पनियों के लेखे में ऐसे अपव्यय को उजागर करने में असमर्थ हैं ; और

(घ) कम्पनी प्रबंधकों द्वारा विभिन्न मदों पर ऐसे अनियंत्रित व्यय को रोकने के लिए सरकार का क्या प्रभावी उपाय करने का विचार है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** (क) निम्नलिखित मामले हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार/कम्पनी विधि बोर्ड ने दमन और/या कुप्रबन्ध के कारण, कम्पनी, अधिनियम, 1956 की धारा 48 के अन्तर्गत सरकारी निदेशकों को नियुक्त किया है :—

1. मैसर्स दिल्ली एण्ड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट क्रिकेट एसोसिएशन लिमिटेड

2. मैसर्स डब्ल्यु एच० ब्रेडी एण्डं कम्पनी लिमिटेड

3. मैसर्स अर्बन इम्प्रूवमैंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

4. मैसर्स श्री चांगदेव शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड

5. मैसर्स नकेम प्लास्टिक लिमिटेड(कम्पनी विधि बोर्ड का आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया)

6. मैसर्स नेशनल पेन्टर प्राइवेट लिमिटेड (कम्पनी विधि बोर्ड का आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया) ।

7. मैसर्स बिलासपुर स्पीनिंग मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड कम्पनी विधि बोर्ड का आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालम द्वारा रोक दिया गया) ।

(ख) अधिनियम में महत्वपूर्ण अन्तर्निहित उपाय शास प्राप्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखाओं की लेखा/परीक्षा और शेयरधारियों को उनकी रिपोर्ट है। कम्पनियां कहां तक इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का प्रश्न अत्याधिक अस्पष्ट हैं तथा उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

(ग) तथा (घ) लेखा परीक्षकों, जो इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया के अनुशासक सीमा क्षेत्र के अधीन हैं, से यह आशा भी जाती है कि वे कम्पनियों के लेखा पर किसी भी प्रकार के अपव्यय और यदि उनकी दृष्टि में कोई अनियमितताएं आएं तो उनको प्रकट करें जिससे उन पर कम्पनी अधिनितम 1956 के सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

## उत्तर प्रदेश में निजी/सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

1501. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में निजी तथा सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत कुछ उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने के बारे में हाल ही में एक निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी क्षमता क्या है और इनके कब तक प्रारम्भ किये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या मथुरा शोधन शाला से गैस की तात्कालिक उपलब्धता तथा अन्य स्थानों को ले जाने पर होने वाले यातायात व्यय में बचत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले मथुरा में गैस पर आधारित एक उर्वरक इकाई को स्थापित करने की मितव्ययता तथा वांछनीयता पर किसी स्तर पर विचार किया है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे)** : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

| संयंत्रों की संख्या | स्थान | क्षेत्र | क्षमता | चालू करने की अनुमानित तारीख |
|---|---|---|---|---|
| चार | बदायूँ जिला<br>बरेली जिला<br>शाहजहांपुर जिला<br>सुलतानपुर जिला | निजी<br>सरकारी<br>निजी<br>राज्य द्वारा सहायता प्राप्त क्षेत्र | प्रत्येक संयंत्र में प्रतिदिन 1350 टन अमोनिया | संयंत्रों के 1987 और 1989 के बीच चालू होने की संभावना है । |

(ग) और (घ) जी नहीं । यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त चार संयंत्र पश्चिमी तट से उपलब्ध गैस का कच्चे माल के रूप में उपयोग करेंगे ।

## दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के लिए एक पूर्णकालिक महाप्रबन्धक की नियुक्ति

1502. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान "डेसू" में कितने समय से एक पूर्णकालिक महाप्रबन्धक की नियुक्ति नहीं की गई है ;

(ख) एक पूर्णकालिक महाप्रबन्धक की नियुक्ति न करने में सरकार को क्या कठिनाईयां है और ऐसा न किये जाने से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की स्थिति असन्तोषजनक है तथा उसकी वित्तीय स्थिति अव्यवस्थित है; और

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कार्य स्थिति को सुधारने के लिए एक पूर्ण-कालिक महाप्रबन्धक को नियुक्त करने के लिए क्या प्रस्ताव है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) से (ग) महा प्रबन्धक डेसू का पद 6-6-1980 को रिक्त हुआ था और उस समय से आयुक्त, दिल्ली नगर निगम डेसू के महा प्रबन्धक की ड्यूटी भी निष्पादित कर रहे हैं। इस पद के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

## नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि का अंश जमा न कराये जाने की स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का भुगतान किए जाने के उपाय

1503. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में भविष्य निधि का अंश जमा न कराये जाने की स्थिति में कर्मचारियों को भविष्य निधि की राशि का भुगतान करने के संबंध में क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ख) ये उपाय किस तारीख से लागू होंगे ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण, निधि छोड़कर जाने वाले सदस्यों के बारे में उनके नियोजकों की ओर बकाया राशि के होते हुए भी, दावों का निम्नलिखित सीमा तक निपटारा कर रहे हैं :—

(1) कर्मचारियों के अंशदानों के हिस्से की पूरी राशि, जो वास्तव में श्रमिकों की मजदूरी से वसूल तो की गई है,लेकिन जमा नहीं कराई गई, सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की विशेष आरक्षित निधि से, नियोजक से वसूली न होने पर उस समय दी जाती है, जब अन्तिम अदायगी देय हो जाती है।

(2) जिस सीमा तक नियोजक के हिस्से का अंशदान प्राप्त होता है, उस सीमा तक सदस्य को भुगतान कर दिया जाता और बाकी का भुगतान शेष राशि के वसूल हो जाने पर किया जाता है।

**मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक**

1504. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रमुख नगरों में जनवरी, 1981 से जनवरी, 1984 तक (आधार वर्ष 1960 = 100) के मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ब्यौरा क्या है ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री विरेन्द्र पाटिल) :** (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक 8 प्रमुख नगरों में मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ब्यौरे दर्शाए गए हैं। जनवरी, 1984 के लिए आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

**प्रमुख नगरों में जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1983 (आधार वर्ष 1960 = 100)**
**तक मासिक उपयोगिता मूल्य सूचकांक**

| वर्ष | मास | अहमदाबाद | बंगलौर | बम्बई | कलकत्ता | दिल्ली | हैदराबाद | कानपुर | मद्रास |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1980 | जनवरी | 358 | 391 | 376 | 357 | 396 | 380 | 366 | 362 |
| | फरवरी | 357 | 386 | 373 | 348 | 393 | 375 | 368 | 362 |
| | मार्च | 359 | 398 | 375 | 356 | 398 | 375 | 370 | 363 |
| | अप्रैल | 360 | 397 | 381 | 362 | 401 | 375 | 374 | 361 |
| | मई | 365 | 401 | 385 | 371 | 407 | 3[illegible]4 | 381 | 367 |
| | जून | 366 | 407 | 389 | 375 | 412 | 389 | 381 | 361 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | जुलाई | 371 | 417 | 399 | 381 | 423 | 401 | 389 | 383 |
| | अगस्त | 372 | 421 | 396 | 387 | 428 | 428 | 399 | 384 |
| | सितम्बर | 374 | 430 | 391 | 396 | 430 | 403 | 407 | 381 |
| | अक्तूबर | 379 | 439 | 400 | 393 | 438 | 409 | 405 | 388 |
| | नवम्बर | 381 | 453 | 402 | 397 | 446 | 417 | 402 | 398 |
| | दिसम्बर | 377 | 449 | 408 | 379 | 430 | 414 | 405 | 405 |
| 1981 | जनवरी | 385 | 457 | 409 | 379 | 434 | 424 | 405 | 403 |
| | फरवरी | 389 | 468 | 420 | 384 | 434 | 428 | 404 | 403 |
| | मार्च | 393 | 469 | 423 | 385 | 438 | 433 | 405 | 410 |
| | अप्रैल | 406 | 472 | 435 | 397 | 448 | 438 | 412 | 412 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मई | 418 | 483 | 442 | 399 | 453 | 446 | 420 | 420 |
| | जून | 427 | 485 | 450 | 406 | 461 | 453 | 429 | 428 |
| | जुलाई | 438 | 490 | 459 | 408 | 476 | 465 | 443 | 452 |
| | अगस्त | 441 | 505 | 462 | 412 | 480 | 465 | 446 | 457 |
| | सितम्बर | 444 | 508 | 458 | 423 | 480 | 473 | 442 | 455 |
| | अक्तूबर | 446 | 518 | 466 | 421 | 481 | 479 | 454 | 454 |
| | नवम्बर | 447 | 523 | 470 | 426 | 480 | 480 | 449 | 463 |
| | दिसम्बर | 443 | 523 | 469 | 429 | 474 | 476 | 440 | 461 |
| 1982 | जनवरी | 460 | 524 | 468 | 419 | 476 | 468 | 441 | 454 |
| | फरवरी | 465 | 520 | 469 | 413 | 474 | 470 | 442 | 453 |
| | मार्च | 459 | 516 | 468 | 416 | 484 | 462 | 446 | 448 |
| | अप्रैल | 461 | 514 | 473 | 422 | 493 | 465 | 446 | 457 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मई | 466 | 517 | 479 | 430 | 495 | 470 | 446 | 444 |
| | जून | 472 | 520 | 488 | 437 | 500 | 476 | 456 | 452 |
| | जुलाई | 479 | 528 | 496 | 439 | 506 | 491 | 470 | 464 |
| | अगस्त | 494 | 530 | 506 | 450 | 521 | 495 | 490 | 467 |
| | सितम्बर | 491 | 535 | 498 | 444 | 513 | 497 | 483 | 469 |
| | अक्तूबर | 491 | 538 | 501 | 449 | 513 | 503 | 483 | 477 |
| | नवम्बर | 494 | 540 | 510 | 470 | 510 | 496 | 487 | 485 |
| | दिसम्बर | 502 | 549 | 518 | 466 | 509 | 493 | 480 | 489 |
| 1983 | जनवरी | 496 | 548 | 519 | 452 | 511 | 492 | 476 | 489 |
| | फरवरी | 499 | 549 | 519 | 451 | 511 | 494 | 479 | 509 |
| | मार्च | 499 | 550 | 518 | 457 | 519 | 495 | 482 | 506 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अप्रैल | 505 | 561 | 532 | 473 | 527 | 498 | 497 | 510 |
| | मई | 525 | 578 | 547 | 482 | 533 | 527 | 495 | 525 |
| | जून | 535 | 591 | 559 | 489 | 536 | 539 | 517 | 550 |
| | जुलाई | 541 | 589 | 566 | 501 | 543 | 544 | 522 | 561 |
| | अगस्त | 546 | 598 | 564 | 513 | 549 | 545 | 527 | 562 |
| | सितम्बर | 550 | 599 | 566 | 516 | 557 | 551 | 534 | 557 |
| | अक्तूबर | 555 | 601 | 566 | 526 | 565 | 551 | 548 | 549 |
| | नवम्बर | 556 | 615 | 566 | 532 | 563 | 564 | 547 | 559 |
| | दिसम्बर | 557 | 625 | 569 | 525 | 561 | 558 | 536 | 362 |

**संस्कृत में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र/पत्रिकाएं**

1505. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संस्कृत में प्रकाशित हो रहे दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम क्या हैं और उनके प्रकाशन की अवधि क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : संस्कृत की पत्रिकाओं तथा नियतकालिक पत्रों के आवधिकतावार नाम विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

**31-12-1983 के दिन की स्थिति के अनुसार संस्कृत में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं/नियतकालिक पत्रों के नाम**

**दैनिक**

1. दिग वार्ता, इटावा (उत्तर प्रदेश)
2. सुधारना, मैसूर (कर्नाटक)

**साप्ताहिक**

3. गाण्डीवमु, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
4. परयालोचनम, इटावा (उत्तर प्रदेश)
5. संस्कृत भवितव्यमु, नागपुर (महाराष्ट्र)
6. युग गति, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

**पाक्षिक**

7. संस्कृत साकेत, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)

**मासिक**

8. भारती, जयपुर (राजस्थान)
9. पैसम स्फीतम, बम्बई (महाराष्ट्र)
10. दिव्य ज्योति, शिमला (हिमाचल प्रदेश)
11. गीरवना सुधा, बम्बई (महाराष्ट्र)
12. परिजातम, कानपुर (उत्तर प्रदेश)

13. प्रणव परिजात, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

14. संस्कृत साहित्य, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

15. संस्कृत मंजुषा, दिल्ली

16. सर्वगंधी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

17. श्री पंडित, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

18. सुप्रभातम, जम्मू (जम्मू व काश्मीर)

19. सर्वोदय, बाराणसी (उत्तर प्रदेश)

**त्रैमासिक**

20. अजासरा, लखनख (उत्तर प्रदेश)

21. दिगदर्शिनी, पुरी (उड़ीसा)

22. गुंजाराव, अहमदनगर (महाराष्ट्र)

23. सगारिका, इन्दौर (मध्य प्रदेश)

24. सम्बित, बम्बई (महाराष्ट्र)

25. संस्कृत सम्मेलन, पटना (बिहार)

26. संस्कृत रत्नाकर, दिल्ली

27. सरस्वती सुषमा, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

**अर्ध वार्षिक**

28. संस्कृत प्रतिभा, मद्रास (तमिलनाडु)

29. वंग विबुधा वाणी, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

**वार्षिक**

30. राष्ट्रीय पंचांग, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)

**मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड के 'इमेरिटस चेयरमैन'**

1506. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको मालूम है कि बहुत को सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों ने किसी समय

के अपने कार्यकार चेयरमैन को लाभ पहुंचाने के लिए 'ईमेरिटस चेयरमैन. पदनाम का आविष्कार किया है तथा वेतन को छोड़कर उन्हें शेयर होल्डरों के खर्चे पर वे सभी सुविधायें और अन्य लाभ दिये हैं, जो उन्हें पूर्णकालिक रोजगार के दौरान मिलते थे अर्थात ड्राइवर सहित कार, व्यक्तिगत कर्मचारी, सुसज्जित निवास, मनोरंजन क्लबों की सदस्यता सुरक्षा गार्ड नौकरों का दल तथा विलासितापूर्ण जीवन की अन्य सुविधाएं ;

(ख) यदि हां, तो इन सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों के द्वारा कम्पनी अधिनियम के मौजूदा उपबन्धों का इस प्रकार का खुला उल्लंघन किया जाना रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) आई० टी० सी० लिमिटेड कलकत्ता के वर्तमान 'इमेरिटस चेयरमैन' को जिनका कार्यालय इस समय मौर्य होटल नई दिल्ली है, दी गई विभन्न सुविधाओं तथा परिलिब्धियों पर कितना धन खर्च किया जाता है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) से (ग) 31-3-73 को समाप्त वर्ष के लिए, कम्पनी के प्रकाशित तुलन-पत्र के आसार श्री जे० आर० डी० टाटा को मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड में "इमेरिटस चेयरमैन" का पदनाम दिया गया है। इसी प्रकार से मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड में, श्री ए० एन० हक्सर को 30-6-1983 को समाप्त कम्पनी के तुलन-पत्र के अनुसार "इमेरिटस चेयरमैन" पदनाम दिया गया है।

उनके द्वारा ली जा रही सुविधाओं और परिलब्धियों की सूचना को इसका परीक्षण करने के लिए एकत्र किया जायेगा कि क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों का इसमें कोई उल्लंघन हुआ है।

**बाटा इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन को दी गई सुविधाएं और अन्य लाभ**

1507. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाटा इंडिया लिमिटेड कलकत्ता के गैर-कार्यकारी चेयरमैन को ड्राइवर सहित कार, वैयक्तिक कर्मचारियों, नई दिल्ली में, कार्यालय के रख रखाव, क्लबो की सदस्यता, मनोरंजन के रूप में और अन्य विभिन्न मदों के अन्तर्गत दो गई विभन्न सुविधाओं और अन्य लाभों का मूल्य कितना है ;

(ख) उनका कार्यायल कितना है और उन्हें चेयरमैन के रूप में किस तरह नियुक्त किया गया ; और

(ग) क्या ऐसी नियुक्ति के लिए कम्पनी निधि बोर्ड की स्वीकृति लेना आवश्यक है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार बाटा इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन श्री एम० एम० सब्बरवाल को मोटर ड्राइवर सहित कार, वैयक्तिक स्टाफ नयी दिल्ली में कार्यालय रखने, क्लब की सदस्यता, मनोरंजन आदि जैसे लाभों तथा परिलब्धियों सहित कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। तथापि, उनको कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क दिया जाता है।

(ख) बाटा इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने श्री एम० एम० सब्बरवाल को 24-4-1981 को निदेशक मंडल के चेयरमेन के रूप में नियुक्त किया था। चेयरमैन के रूप में उनका को निश्चित कार्यकाल नहीं है और अपने क्रम के अनुसार उनको सेवनिवृत्त होना है।

(ग) नहीं, श्रीमान जी ।

**कर्मचारी भविष्य निधि योजना के कार्यकरण की पुनरीक्षा**

1508. **श्री मन मोहद टुडु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना के कार्यकरण की कोई पुनरीक्षा की है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसी पुनरीक्षा किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव के कब कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के कार्यकरण की 1980-81 में श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पुनरीक्षा की गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**भारत भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1983-84 के दौरान कोयला स्रोतों की खोज**

1509. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 198 -84 में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा व्यापक सर्वेक्षण किया गया था और देश में कोयले के भण्डार का पता लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर कोयले के भण्डारों का पता लगाया गया है ;

(ग) ऐसे नए कोयला क्षेत्रों की संख्या कितनी है जिन्हें वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य कोयला क्षेत्र पाया गया है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जिन क्षेत्रों में नए कोयला भंडारों का पता लगाया है, वे हैं—दीवानगंज हरिसिंघ एरिया (जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल) जगलडागा और राजबास सेक्टर (औरंगा कोलफील्ड, बिहार) कौशल सेक्टर (तालचेर कोलफील्ड, उड़ीसा), बहाराबंद-जलसार सेक्टर (सोहागपुर कोलफील्ड मध्य प्रदेश), नोरगा और तारा सेक्टर (हसदेव-अरंड कोलफील्ड, मध्य प्रदेश), पाली सेक्टर (कोरबा कोलफील्ड, मध्य प्रदेश) और कुरमुकेल-अमगवि सेक्टर(मांड-रायगढ़ कोलफील्ड, मध्य प्रदेश)।

(ग) और (घ) विभिन्न कोयला पट्टियों के विस्तृत संसाधन निर्धारण तथा संसाधनों की आर्थिक क्षमता का अध्ययन किया जा रहा है।

**खानों में सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए मार्ग निदेश**

1510. **कुमार पुष्पा देवी सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश की विभिन्न खानों को सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए मार्ग निदेश भेजे हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ खानें पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं अपना रही है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में भी कुछ खानें मजदूरों की सुरक्षा की हेतु सुरक्षा उपयों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है ; और

(घ) यदि हां, यो इस प्रकार की खानों के स्वामियों के बिरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री [वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) प्रबन्धकों कोखान अधिनियम, 1952 और उनके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों का पालन करना पड़ता है। इसके अतिवित, खान सुरक्षा महानिदेशक खान प्रबंधकों को सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए परिपत्रों के रूप में समय-समय पर मार्ग—निर्देश जारी करते हैं।

(ख) से (घ) खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा खानों का समय-

समय पर निरीक्षण किया जाता है। इसके फलस्वरूप, खान प्रबंधको को जिनमें मध्य प्रदेश की खानों के प्रबन्धक शामिल हैं। निर्देश दिए जाते हैं कि वे निरीक्षण के दौरान पाए गए दोषों को निर्दिष्ट समय के अन्दर दूर करें। गम्भीर उल्लंघनों के मामले में, खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 के अधीन नोटिस और निषेधाज्ञा जारी किए जाते हैं। जहां आवश्यक होता है, न्यायालय में मामले चलाए जाते हैं।

**डाकघर अधीक्षक, बदायूं के विरुद्ध शिकायत**

1511. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघर, अधीक्षक, बदायूं के विरूद्ध भ्रष्टाचार की कितनी रिकायतें लम्बित हैं तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाई की जा रही है ;

(ख) कितने आरोप सही पाये गये तथा तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विभागीय कर्मचारियों तथा जनता द्वारा इस सम्बन्ध में पृथक रूप से कितनी शिकायतें की गई ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन गाडगिल)** : (क) विभिन्न संसद सदस्यों से पांच शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनकी जांच की गई है।

(ख) कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

(ग) ऐसा पता चला है कि तीन शिकायतें विभागीय कर्मचारियों द्वारा गुमनाम/नकली नामों से भेजी गई और दो शिकायतें एक ही व्यक्ति से प्राप्त हुई हैं।

**प्रेस सूचना कार्यालय द्वारा गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के दौरान प्रकाशित "मीडिया फसीलिटीज" नामक पुस्तिका**

1512. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रेस सूचना कार्यालय ने गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए "मीडिया फेसीलिटीज" नाम से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी ;

(ख) क्या पुस्तिका के पृष्ठ 21 पर क्रमांक संख्या 36 पर अंग्रेजी को भारत राजभाषा के रूप में दिखाया गया है ;

(ग) क्या यह राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के०एल० भगत)** : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) "मीडिया फैसीटी" नामक पुस्तिका का परिशिष्ट 6 मुख्यतया भाग लेने वाले देशों द्वारा सम्मेलन की कार्रवाई के लिए चुनी गई भाषाओं को बताने के लिए था। निर्गुट सम्मेलन के सचिवालय द्वारा चुनी गई चार भाषाओं में से, भारत ने वक्त सम्मेलन के सीमित प्रयोजन के लिए अंग्रेजी के लिए विकल्प दिया था। अतः इसको राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**राजस्थान में तेल तथा गैस के लिए खोज नया छिद्रण**

1513. **श्री राम कुमार मीणा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थस्थान राज्य के क्षेत्रों में तेल तथा गैस के लिए खोज तथा छिद्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है ;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां पर तेल तथा गैस के मिलने की संभावना है ; और

(ग) खोज पर कितनी धनराशि व्यय की गई।

**ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गर्गी शंकर मिश्र)** : (क) और (ख) जी नहीं।

(ख) इस समय उन स्थानों के नाम बताना सम्भव नहीं है जहां तेल तथा गैस मिलने की आशा हैं।

(ग) 31 मार्च, 1983 तक 26,42 करोड़ रुपये (मूल्यह्रास को शामिल करके) खर्च किये जा चुके हैं। 1983-84 के दौरान 4.2 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।

**आसवन-शलाओं (डिस्टिलरी) का ब्यौरा तथा अल्कोहल का उत्पादन**

1514. **श्री जी० भूपति** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में कुल कितनी आसवन-शालाएं हैं तथा विभिन्न राज्यों का पृथक-पृथक

ब्यौरा क्या है और उनमें दिसम्बर, 1983 तक समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान अल्कोहल का कितना उत्पादन हुआ है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ)** : उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में 151 आसवनियां हैं। उनके राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

पिछले तीन अल्कोहल वर्षों (दिसम्बर-नवम्बर) 1980-81 से 1982-83 के दौरान अल्कोहल का उत्पादन निम्न प्रकार रहा।—

(मात्रा लाख लिटरों में)

| | | |
|---|---|---|
| 1980-81 | — | 4308 |
| 1981-82 | — | 5154 |
| 1982-83 | — | 5355 |

**विवरण**

| राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र | आसवनियों की संख्या |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 15 |
| 2. असम | 1 |
| 3. बिहार | 10 |
| 4. गुजरात | 7 |
| 5. गोवा, दमन और दीव | 8 |
| 6. हरियाणा | 2 |
| 7. हिमाचल प्रदेश | 1 |
| 8. केरल | 4 |
| 9. कर्नाटक | 15 |
| 10. महाराष्ट्र | 25 |
| 11. नागालैण्ड | 1 |
| 12. उड़ीसा | 5 |
| 13. पंजाब | 4 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 14. पांडिचेरी | 1 |
| 15. राजस्थान | 4 |
| 16. तमिलनाडु | 8 |
| 17. उत्तर प्रदेश | 26 |
| 18. पश्चिम बंगाल | 5 |
| 19. मध्य प्रदेश | 9 |
| | 151 |

**सिरकिला इलैक्ट्रिक कोआपरेटिव सप्लाई सोसायटी**

1515. **श्री जी० भूपति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में सिरकिला इलैक्ट्रिक को आपरेटिव सप्लाई सोसायटी की गत तीन वर्षों में मार्च/जून, 1983 के अंत तक की प्राप्ति और कार्य निष्पादन की स्थिति क्या रही है ; और

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और केन्द्रीय सरकार ने उक्त सोसायटी को अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है तथा सोसायटी द्वारा इस सहायता को वापस अदायेगी की क्या स्थिति है ; और

(ग) क्या उधार लिए गए धन के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए सोसायटी के क्रियाक्लापों की कोई जांच की गई हैं, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) मार्च, 1983 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान सोसायटी ने निम्न वोल्टता लाइनों का 410 किलोमीटर का जाल बिछाया, 2874 कृषि पम्प सेट अर्जित किए, 308 औद्योगिक कनेक्शन तथा 9188 घरेलू और वाणिल्यिक सेवाएं तथा 32 सड़क रोशनी कनेक्शन स्वीकृत किए। वर्षवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। अप्रैल, 1983 से जून, 1983 के दौरान 41 किलोमीटर उच्च वोल्टता तथा निम्न वोल्टता लाइनें बिछायीं, 2?8 कृषि पम्प सेट ऊर्जित किए तथा 21 निम्न वोल्टता उद्योग और 460 घरेलू तथा वाणिज्यिक सेवाएं स्वीकृत कीं।

(ख) मार्च, 1983 तक ग्राम विद्युतीकरण निगम ने सोसाइटी को 425.73 लाख रु० स्वीकृत और विमोचित किए (इनमें एक लाख रु० निर्माण पूर्व ऋण के रूप में शामिल हैं) सोसाइटी द्वारा 31-3-1983 तक 73.06 लाख रु० की ऋण की किस्तों का वापस भुगतान किया गया तथा 11.37 लाख रु० की ऋण किस्तों को 1983-84 के दौरान 27-2-1984

तक भुगतान किया गया। सोसाइटी अभी तक ऋण की किश्तों का भुगतान नियमित रूप से कर रही है। इसके अतिरिक्त निगम ने 35 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया है और सोसाइटी की शेयर पूंजी में अंशदान करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को दे दिया है। इस ऋण में से 27-2-84 तक राज्य सरकार ने ग्राम विद्युतीकरण को 4 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। इसके अतिरिक्त सोसाइटी की शेयर पूंजी में अंशदान करने के लिए अगस्त, 1983 में ग्राम विद्युतीकरण निगम ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को 28·41 लाख रुपए स्वीकृत और विमोचित किए हैं। ग्राम विद्युतीकरण के लिए केन्द्र सरकार की नितियां ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए राज्यों, ग्राम विद्युत सहकारिताओं आदि को दी जाती हैं।

(ग) ऊर्जा मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण निगम को ऋण तथा ब्याज की किस्तों का समय पर भुगतान करने के संबंध में संतोषजनक प्रगति को ध्यान में रखते हुए इस सोसाइटी के कार्यकरण के संबंध में अभी तक कोई जांच नहीं की गई है।

**विवरण**

**1980-81 से 1982-83 तक सिरसिला कोआपरेटिव इलैक्ट्रिक सप्लाई सोसायटी की उपलब्धियां**

| क्रम सं० | | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 3 वर्ष की कुल उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | गांव (संख्या) | सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। | | | |
| 2. | 11 के० वी० लाइनें (किलो मीटर) | 23 | 38 | 19 | 80 |
| 3. | निम्न वोल्टता लाइनें (किलो मीटर | 117 | 127 | 86 | 330 |
| | कुल लाइन किलो मीटर | 140 | 165 | 105 | 410 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **4. ट्रांसफार्मर** | | | | |
| के० वी० ए० | | | | |
| क्षमता | 1522 | 2292 | 1353 | 5167 |
| **5. सेवाएं** | | | | |
| (क) कृषि | 1118 | 1021 | 735 | 2874 |
| (ख) औद्योगिक | | | | |
| (2) | 112 | 107 | 89 | 308 |
| (ग) घरेलू | | | | |
| वाणिज्यिक | 1646 | 2488 | 5054 | 9188 |
| (घ) सड़क | | | | |
| रोशनी | 9 | 13 | 10 | 32 |
| जोड़ (5) | 2885 | 3629 | 5888 | 12402 |

**हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को नहाने का साबुन आदि के उत्पादन के लिए लाइसेंस**

1516. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **विधि न्याय और कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर ने नहाने के साबुन, सिंथेटिक डिटरजेंट, ग्लिसरीन आदि बनाने के लिए उत्तर काशी (उत्तर प्रदेश) में एक नया उपक्रम लगाने हेतु एक प्रस्ताव एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति के लिए सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर को लाइसेंस देने के विरुद्ध छोटे/मझोले साबुन निर्माताओं से कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) हां, श्रीमान् जी ।

(ग) एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिए जाते समय आपत्तियों पर विधिवत ध्यान दिया जाएगा ।

**देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या**

1517. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :**

**श्री हरिकेश बहादुर :**

**डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितने बेरोजगार व्यक्ति पढ़े लिखे और प्रशिक्षित हैं ; और

(ख) उनमें से कितने बेरोजगार व्यक्ति पढ़े लिखे और प्रशिक्षित है ; और

(ग) बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल** : (क) और (ख) 31-12-1983 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों (यह आवश्यक नहीं कि उनमें से सभी बेरोजगार हों) संबंधी उपलब्ध सूचना नीचे दी गई हैं :—

| विवरण | चालू रजिस्टार पर संख्या (लाखों में) |
|---|---|
| 1. सभी प्रकार के नौकरी चाहने वाले | 219·53 |
| 2. रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्ति (मैट्रिक और इससे ऊपर) | 108·63 (अ) |
| 3. भूतपूर्व आई० टी० आई० प्रशिक्षणार्थी | 4·43* |
| 4. शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत प्रशिक्षित शिक्षु | 0·55* |

अ = अनन्तिम

* = 31-12-1982 की स्थिति के अनुसार।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण देश में बेरोजगार में उत्तरोत्तर कमी लाना है। छठी योजना में अपनाई गई रोजगार स्ट्रैटिजी और नीतियों तथा कार्यक्रमों का उद्देश्य इसी प्रयोजन को पूरा करना है। विभिन्न सैक्टर संबंधी विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त कई विशेष रोजगार उन्मुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसके अल;वा, सामाजिक फारिस्ट्री, चेरी विकास, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत कार्यक्रमों से भी पर्याप्त रोजगार उत्पन्न होगा।

हाल ही में सरकार ने दो गई रोजगार-उन्मुख योजनाएं शुरू की हैं, अर्थात् ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए योजना।

**फिल्मों में नग्नता पर अंकुश**

1518. **श्री जगपाल सिंह कश्यप :**

**श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान फिल्मों में बढ़ती हुई नग्नता की ओर दिलाया गया है जैसा कि दिनांक 5 फरवरी, 1984 के "पंजाब केसरी" में फिल्मों में बढ़ती हुई नग्नता" शीर्षक के अंतर्गत इस संबंध में उदाहरण देकर उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नग्नता को रोकने के लिए इस बारे में सेंसर बोर्ड का कोई निर्देश दिए गए है ;

(ग) क्या यह सच है कि सेंसर बोर्ड ने अभी फिल्मों के प्रति कड़ा रुख नहीं अपनाया है। जिसके फलस्वरूप नग्नता बढ़ रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (घ) सरकार ने समाचार को देखा है। भारत में लोक प्रदर्शन के लिए अभिप्रेत सभी फिल्मों की जांच केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और तदन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करेगा कि अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता द्वारा मानवीय संवेदशील क्षुब्ध न की जाए। बोर्ड अपनी जांच तथा पुनरीक्षण समितियों के माध्यम से फिल्मों की जांच करते समय मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखता है और फिल्मों में से ऐसे अंश निकाल देता है जिनसे मार्गदर्शी सिद्धान्तो का उल्लंघन होता है।
होता है।

बोर्ड को इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि फिल्म को उसके समग्र प्रभाव के दृष्टि से उसके पूर्ण रूप में निर्णीत किया जाए। अवयस्कों के समक्ष प्रदर्शित किए जाने के लिए उपयुक्त न पाए जाने वाली फिल्मों को "ए०" प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। बोर्ड के विचार में जिन फिल्मों में कुछ ऐसी सामग्री होती है, जिसको 12 वर्ष की उम्र के बच्चों के अभिभावक उनके द्वारा देखा जाना पसन्द न करें, उनको चेतावनी के साथ "यू० ए० " प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

जिन फिल्मों को बिल्कुल आपत्तिजनक समझा जाता है उनको प्रमाण पत्र प्रदान करने से मना कर दिया जाता है। जिन भारतीय फीचर फिल्मों को 1976 में "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे उनमें से 7 प्रतिशत भारतीय फीचर फिल्मों की तुलना में 1983 में 30 प्रतिशत भारतीय फीचर फिल्मों को "ए" प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थें। इसके अलावा, 1983 के दौरान प्रमाणपत्र देने से पहले भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार की फिल्मों में से 11.325.41 मीटर लम्बाई के अंश काटे गए।

इस प्रकार यह देखा जा सकेगा कि जब फिल्में अवस्कों के समक्ष-प्रदर्शित किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती तो उनमें से आपत्तिजनक सामग्री काटने या उनको "ए" प्रमाण पत्र प्रदान करने या जब फिल्मों में छ ऐसी सामग्री होती है, जिसको 12 वर्ष की उम्र के बच्चों के अभिभावक उनके द्वारा देखा जाना पसन्द न करे, तो उनको "यू० ए०" प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए बोर्ड काफी सतर्क रहा है। तथापि, बोर्ड द्वारा उचित पाबंदियों के सीमित दायरे के अन्दर किए गए प्रयासों के बावजूद यह देखा गया है कि प्रदर्शन व्यापार में सेंसरशिप उल्लंघन होते है।

मुख्य उल्लंघन यह है कि फिल्मों को हमेशा उसी रूप में दिखाया जाता है जिस रूप में उन्हें बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत किया जाता है। तथापि, चलचित्र अधिनियम, 1952 के दांडिक उपबन्धों को प्रवृत्त करने की जिम्मेदारी राज्यों सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की है। राज्यों सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से समय-समय पर यह अनुरोध किया गया है कि वे सांवेधिक उपबन्धों को कढ़ाई से लागू करें।

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने 24-9-83 को राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को एक पत्र लिखा था जिसमें उनसे कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संयुक्त उपाय करने के लिए कहा गया है।

### फुटबाल टूर्नामेंट का दूरदर्शन पर प्रसारण

1519. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन, कलकत्ता में हुए जवाहर लाल नेहरू गोल्ड कप टूर्नामेंट में खेले गए सभी मेचों को अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के माध्यम से दूरदर्शन में सीधे प्रसारण नहीं कर सका ;

(ख) दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय फुटबाल टूर्नामेंट के प्रसारण ने किए जाने के क्या कारण हैं जबकि 5 दिवसीय क्रिकेट टैस्ट मेचों, एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय टैस्ट की श्रृंखला आदि में प्रसारण किया था ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली दूरदर्शन के इस प्रकार के व्यवहार से देश में करोड़ों फुटबाल प्रेमियों की भावनाओं आकांक्षाओं को धक्का लगता है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) दिल्ली दूरदर्शन ने जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप टूर्नामेंट के सभी महत्वपूर्ण मैचों को कलकत्ता से सीधे टेलीकास्ट किया था । इसके अलावा, टूर्नामेंट में खेले गए सभी मैचों के महत्वपूर्ण अंशों को भी प्रतिदिन राष्ट्रीय संजाल पर रात 10.00 बजे टेलीकास्ट किया गया था ।

(ख) दूरदर्शन विभिन्न कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने की आवश्यकताओं के अनुरूप फुटबाल मैचों सहित खेल घटनाओं का पर्याप्त कवरेज उपलब्ध कर रहा है । छात्रों के लिए शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम टेलीकास्ट करने की आवश्यकताओं को भी समुचित महत्व दिया जाना था ।

(ग) देश के फुटबाल प्रेमियों की भावनाओं/आकांक्षाओं को ठेस पहुंचाने का दूरदर्शन का कभी भी इरादा नहीं है ।

## पार्थासारथी समिति द्वारा प्रसारण माध्यमों की समाचार नीति के बारे में की गई सिफारिशें

1520. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रसार माध्यमों की समाचार नीति के बारे में पार्थासारथी समिति के विचारों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या ? है

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : पार्थासारथी समिति द्वारा अनुशासित और सरकार द्वारा स्वीकृत आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए समाचार नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों को 13-7-83 के अतारांकित प्रश्न संख्या 726 के भाग (ख) के उत्तर में लोक सभा की मेज पर रख दिया गया था ।

## देश में जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० की सुविधा

1521. **श्री के० सी० कोसलराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जहां पर ऐस० टी० डी० सुविधा शुरू कर दी गई है ;

(ख) सभी जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० की सुविधा कब यक उपलब्ध हो जाने की संभावना है; और

(ग) क्या देश में संसदीय क्षेत्रों के मुख्यालयों में एत० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ;

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० ए० गाडगिल)** : (क) देश में एस० टी० डी० सुविधा वाले जिला मुख्यालयों की सूची विवरण में दी गई है।

(ख) सभी जिला मुख्यालयों में एस० टी० सी सुविधा प्रदान करने की योजना को मौजूदा तथा परवर्ती योजनाओं में उत्तरोत्तर कार्यान्वित किया जा रहा है।

**विवरण**

**देश में एस० टी० डी० सुविधा वाले जिला मुख्यालयों की सूची**

**आन्ध्र प्रदेश :**

1. एदिलाबाद
2. अनंतपुर
3. चित्तूर
4. कुड्हप्पा
5. गुण्टुर
6. ककिनाडा
7. खम्माम
8. मछलीपटनम
9. गलगोंडा
10. नेल्लोर
11. अंगोल
12. सिकन्दराबाद
13. श्री काकूलम
14. विसाखापटनम
15. विजयनगरम
16. संगरेली
17. वारंगल
18. मेहबूव
19. हैदराबाद (रंगारेड्डी)

**असम गुवाहटी**

**बिहार**

1. अररा
2. छपरा
3. दरमंगा
4. धनबाद
5. कटिहार
6. मुजफ्फरपुर
7. मोतीहारी
8. पटना
9. रांची
10. समस्तीपुर
11. सासाराम

## गुजरात

1. अहमदाबाद
2. बड़ौदा
3. गांधीनगर
4. जामनगर
5. मेहसाना
6. राजकोट
7. सूरत
8. बुलसर
9. भावनगर

## हरियाणा

1. अम्बाला
2. भिवानी
3. फरीदाबाद
4. गुड़गांव
5. हिसार
6. करनाल
7. रोहतक
8. सोनीपत
9. सिरसा

## हिमाचल प्रदेश

1. मण्डी
2. शिमला

## जम्मू व कश्मीर

1. अनन्तनाग
2. बाराभूला
3. जम्मू
4. श्रीनगर

## कर्नाटक

1. बैंगलूर
2. बेलगांव
3. बेल्लारी
4. हबली
5. हस्सन
6. करबाड़
7. मंगलौर
8. मरकरा
9. मैसूर
10. शिमोंगा
11. टुमकुर
12. चित्रदुर्ग

## केरल

1. अलेपी
2. कन्नानौर
3. एर्नाकुलम
4. कालपेटा

5. कोट्टायम
6. लोजीकोड
7. मालापुरम
8. पालघाट
9. कीलोन
10. त्रिपुर
11. त्रिवेन्द्रम

मध्य-प्रदेश

1. भोपाल
2. बिलासपुर
3. देवास
4 ग्वालियर
5. इंदौर
6. जबलपुर
7. खण्डवा
8. रायपुर
9. सिहोर
10. उज्जैन
11. सागर

महाराष्ट्र

1. अमरावती
2. औरंगाबाद
3. अहमदाबाद
4. बम्बई
5. जलगांव
6. कोल्हापुर
7. नागपुर
8. नासिक
9. पुणे
10. सांगली
11. सतारा
12. यवतमाल
13. वर्धा
14. शोलापुर
15 अकोला
16. थाणे (बम्बई मुख्यालय)

मेघालय

1. शिलांग

नागालैंड

1. कोहिमा

उड़ीसा

1. कटक

**पंजाब**

1. अमृतसर
2. भटिण्डा
3. फिरोजपुर
4. होशियारपुर
5. जालंधर
6. कपूरथला
7. लुधियाना
8. पटियाला

**राजस्थान**

1. अलवर
2. अजमेर
3. भरतपुर
4. घरेलसूर
5. जयपुर
6. जोधपुर
7. कोटा
8. उदयपुर

**सिक्किम**

1. गांतोक

**तमिलनाडु**

1. चिंगलपेट
2. कोयम्बटूर
3. धर्मपुरी
4. इरोद
5. मद्रास
6. मदुरे
7. नागरकोइल
8. उलक मण्ड
9. पुडकोट्टई
10. त्रिची
11. सलेम
12. त्रिनुवेल्ली
13. मदुरै (रामनाथपुरम)
14. वेल्लोर

**उत्तर प्रदेश**

1. आगरा
2. अलीगढ़
3. इलाहाबाद
4. बरेली
5. बुलन्दशहर
6. देहरादून
7. फैजाबाद
8. गाजियाबाद

| | |
|---|---|
| 9. गोरखपुर | 10. कानपुर (शहरी) |
| 11. लखनऊ | 12. मेरठ |
| 13. मिर्जापुर | 14. मुरादाबाद |
| 15. मुजफ्फरनगर | 16. पीलीभीत |
| 17. रायबरेली | 18. रामपुर |
| 19. सहारनपुर | 20. शाहजहांपुर |
| 21. सीतापुर | 22. उन्नाव |
| 23. वाराणसी | 24. कानपुर (ग्रामीण) |

**पश्चिमी बंगाल**

| | |
|---|---|
| 1. वर्दवान | 2. कलकत्ता |
| 3. मालदा | 4. कूच बिहार |
| 5. दार्जिलिंग | 6. कृष्ण नगर |
| 7. अलीपुर (24 परगना) | 8. हावड़ा |

**संघ शासित प्रदेश**

| | |
|---|---|
| 1. चण्डीगढ़ | 2. दिल्ली |
| 3. गोवा | 4. मिजोरम |
| 5. पांडिचेरी | |

**उर्दू और कश्मीरी में संविधान का अनुवाद**

1522. **श्री अब्दुल रशीद काबुली :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संविधान का उर्दू और कश्मीरी में अद्यतन अनुवाद उपलब्ध है ;

(ख) संविधान के उर्दू और कश्मीरी अनुवाद के पिछले संस्करण कब प्रकाशित किए गए थे ;

(ग) क्या संविधान में किए गए संशोधनों और संसद द्वारा पारित नई विधियों का इन दोनों भाषाओं में तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में, जनता को उपलब्ध कराने के लिए साथ-साथ अनुवाद किया जाता ; और

(घ) संविधान के उर्दू और कश्मीरी पा० तैयार करने में कितना समय लगा और उन लेखकों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने यह कार्य किया है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) 1 जुलाई, 1982 तक यथा संशोधित भारतीय संविधान का उर्दू में अनुवाद 14 जनवरी, 1983 को विमोचित किया गया था और वह उपलब्ध है। संविधान का कश्मीरी भाषा में कोई अद्यतन अनुवाद उपलब्ध नहीं है।

(ख) संविधान का 14 जनवरी, 1983 को विमोचित उर्दू अनुवाद विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खण्ड द्वारा प्रकाशित संविधान के उर्दू अनुवाद का पहला संस्करण है। राजभाषा खण्ड अभी तक संविधान के कश्मीरी पाठ का पहला संस्करण प्रकाशित नहीं हो पाया है।

(ग) संविधान के संशोधनों और संसद पारित नई विधियों के प्रश्न में निर्दिष्ट उर्दू कश्मीरी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में साथ-साथ अनुवाद की ऐसी व्यवस्था नहीं है।

(घ) संविधान का उर्दू अनुवाद, जो 14 जनवरी, 1983 को विमोचित किया गया था, विभाग में ही तैयार किया गया था। इस पाठ का इसके पूर्व का प्रारुप भूतपूर्व राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था। विभाग के राजभाषा खण्ड ने, जिसका उक्त आयोग को समाप्त कर दिए जाने के पश्चात 1976 में गठन किया गया था, उस प्रारूप की संवीक्षा करके उसका पुनरीक्षण किया था। इस कार्य को अन्य कर्तव्यों का पालन करने के साथ-साथ दिया गया था, अतः यह बताना संभव नहीं है कि अनुवाद तैयार करने में सही-सही कितना समय लगा था या कितना व्यय हुआ था।

**कमजोर और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाना**
**तथा उसके लिए राज्यों को दी गई धन राशि**

1523. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्री महोदय ने शिलांग में 27 अक्तूबर, 1983 को यह कहा था कि सभी वर्गों, विशेषकर कमज्ोर और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं; और यदि हां, तो इस बारे में किए प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गरीबों को सहायता देने के लिए पिछले दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य को अलग-अलग कितनी धनराशि दी है और/अथवा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लोगों को न्याय दिलाने पर कितनी धनराशि खर्च की गई और यह धनराशि किस प्रकार खर्च की गई है; और

(ग) क्या जो राशि सरकार ने बजट में इसके लिए रखी है, वह पर्याप्त है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) जी हां। किए गए प्रयत्नों के ब्योरे की जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

(ग) जी हां।

**राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय को सीधी टेलीफोन सेवा के द्वारा से जोड़ना**

1524. **श्री मूल चन्द डागा :**
**श्री चतुर्भुज** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों को अभी तक सीधी टेलीफोन सेवा के द्वारा राज्य की राजधानी, जयपुर के साथ नहीं जोड़ा गया है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों को सीधी टेलीफोन सेवा द्वारा जयपुर से जोड़ने सम्बन्धी कोई योजना और कार्यक्रम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

**संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) :** (क) जी हां।

(ख) राजस्थान के 27 जिला मुख्यालयों में से निम्नलिखित जिला मुख्यालय राज्य की राजधानी जयपुर से जोड़ दिए गए हैं।

(1) अजमेर
(2) अलवर
(3) भरतपुर
(4) कोटा
(5) उदयपुर
(6) जयपुर

(ग) जी हां।

(घ) जहां तक शेष 21 जिला मुख्यालयों का सम्बन्ध है, इन्हें भी एस० टी० डी०

द्वारा राज्य की राजधानी जयपुर से जोड़ने की योजना बनाई गई है । किसी भी स्थान पर एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है :

(1) जहां आवश्यक हो, उपयुक्त किस्म के स्वचल एक्सचेंज की स्थापना;

(2) जहां आवश्यक हो, विश्वसनीय संचारण माध्यम प्रदान करना ;

(3) नए स्वचल ट्रंक एक्सचेंजों की स्थापना व मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार ; और

(4) स्थानीय एक्सचेंजों में संयोजन उपस्कर की स्थापना ।

इस कार्यक्रम को उत्तरोत्तर कार्यान्वित किया जा रहा ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**क्षमता बढ़ने की उदार नीति के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में तत्समय उपबन्धों की व्यवस्था करना**

1525. **श्री के० राम मूर्ति :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग नीति को उदार बनाने के साथ-साथ एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में तत्सम उपबन्ध न किए जाने तथा कम्पनी कार्य विभाग को इस बारे में कड़ा रवैया रहने के क्या कारण हैं; जिसके परिणाम स्वरूप, औद्योगक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत 1982 में घोषित क्षमता बढ़ाने की उदार नीति का कोई लाभ अभी प्राप्त नहीं हुआ है; और

(ख) कितने बड़े उद्योगों ने इस उदार योजना के अधीन अपनी क्षमता को 110 प्रतिशत तक बढ़ा लिया है;

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) :** (क) यह सत्य नहीं है कि तत्सम उपबन्ध उच्च क्षमता के पुन:पृष्ठांकन के लिए 21-4-1982 को उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित योजना के सम्बन्ध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में या उसके अन्तर्गत उपबन्ध नहीं किये गये/बनाये गये । ना ही यह सत्य है कि उक्त योजना से कम्पनी कार्य विभाग के कठोर रवैया के कारण कोई लाभ हो सका। सत्य स्थिति इस प्रकार की एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार नियम, 1970 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके अन्तर्गत उपरोक्त योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्रों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र समझा गया था इसलिए सम्बधित पार्टियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अलग से आवेदन

प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था। इससे आगे अधिनियम की धारा 21(4) उस समय विद्यमान में अपने प्रस्तावों के सम्बन्ध में, सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा से कतिपय शर्तों के अन्तर्गत गैर-प्रमुखता प्राप्त उपक्रमों को मुक्ति की व्यवस्था थी। सत्य है कि 21-4-1982 को प्रकाशित योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत बहुसंख्य प्रस्तावों को मुक्ति का लाभ दिया गया था। इससे आगे, उक्त योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों के 93 % से अधिक को, जो कम्पनी कार्य विभाग में प्राप्त किये गये थे, उनका पहले ही निपटान कर दिया गया है।

(ख) उच्चतर क्षमता की पुनःपृष्ठांकन को 110 % या अधिक को 15 मामलों में स्वीकृत कर दिया गया था।

**उर्वरकों की आवश्यकता**

1526. **श्री छांगुर राम** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में उर्वरक का कितनी मात्रा में उत्पादन हो रहा है,—

(ख) देश में उर्वरकों की वर्तमान आवश्यकता कितनी है और केवल उत्तर प्रदेश की आवश्यकता कितनी है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश को अपनी आवश्यकता के अनुरूप उर्वरकों की प्राप्ति होती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में पांच वर्ष पश्चात उर्वरकों की कितनी आवश्यकता का अनुमान है और इसकी पूर्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे)** : (क) अनुमान है कि वर्ष 1983-84 के दौरान 35 लाख टन नाइट्रोजन तथा 18.4 टन पी2 ओ5 उर्वरकों का उत्पादन होगा।

(ख) 1983-84 के दौरान उर्वरकों की कुल आवश्यकता (उपभोक्ता लक्ष्य) 48 लाख टन नाइट्रोजन, 16 लाख टन पी2 ओ5 तथा 8 लाख टन के2 ओ है। इसमें उत्तर प्रदेश की 12.40 लाख टन नाइट्रोजन, 3.17 लाख पी2 ओ5 और 1.31 लाख टन के2 ओ की आवश्यकता भी शामिल है।

(ग) उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में उर्वरकों की आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखी जाती है और जहां कहीं आवश्यकता पड़ी है अतिरिक्त आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए विशेष पुनरीक्षा भी की गई है। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा पाएं।

(घ) उर्वरकों की आवश्यकताओं के हर वर्ष ब्यौरे तैयार किए जाते हैं जिसमें विभिन्न

प्रकार की फसलों की किस्मों की खेती के लिए क्षेत्र, डाली जाने वाली उर्वरक मात्रा आदि को ध्यान में रखा जाता है। अब से पांच वर्ष बाद उर्वरकों की आवश्यकताओं की ठीक-ठीक मात्रा बताना कठिन है।

सरकार ने देश में पर्याप्त अतिरिक्त उर्वरक क्षमता के सृजन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ किया है। इसके बावजूद भी उर्वरकों की भविष्य की आवश्यकताएं स्वदेशी उत्पादन से जितनी कम पड़ जाएगी, उस कमी को आयातों द्वारा पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी।

**केन्द्रीय टेलीग्राफ कार्यालय: दिल्ली में मध्यकालिक टेलीग्राफिस्ट**

1527. **श्री दौलत राम सारण** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय टेलीग्राफ कार्यालय दिल्ली में मध्यकालिक महिला टेलीग्राफिस्टों सहित बहुत से व्यक्तियों को स्थायी रूप से खपाने से मना किया जा रहा है जबकि वास्तविकता यह है कि दो वर्षों की नैतिक सेवा करने के बाद उन्होंने नौ महीने का प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जबकि इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो भी 1983 में बड़ी संख्या में व्यक्तियों को सीधे भर्ती कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनको स्थायी न किए जाने के क्या कारण है और उनके भविष्य के बारे में लगातार अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी०एन० गाडगिल)** : (क) जी हां। कुछ अल्पकालिक टेलीग्राफिस्टों को, जिन्होंने 9 महीने का निर्धारित प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, अभी नियमित रूप से खपाया जाना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) डाक तार बोर्ड 'द्वारा' "एक समयबद्ध पदोन्नति योजना" शुरू करने का नीति निर्णयलिए जाने और इस योजना के शुरू होने के परिणाम स्वरूप प्रचालन संवर्गों में 5 प्रतिशत पद कम हो गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित प्रशिक्षण पूरा कर लिया है उन्हें बाहरी कोर्ट में भविष्य में होने वाले रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा, वे उस समय तक नियमानुसार "आरक्षित प्रशिक्षित पूल" के उम्मीदवार के बतौर कार्य करेंगे।

**दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के 1 और 2 श्रेणी के अधिकारियों के बिजली बिल**

1528. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के 1और2 श्रेणी के प्रत्येक अधिकारी का घरेलू और पावर बिजली बिल कितना आता है और गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा वर्ष-वार कितने यूनिट बिजली खपत हुई हैं ;

(ख) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई हैं कि "डेसू" के अधिकारी अपने लिए बनाए गए बिल की तुलना में बहुत अधिक बिजली की खपत करते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने और तत्सम्बन्धी तथ्यों का पता लगाकर उसकी रिपोर्ट सरकार को देने के लिए संसद सदस्यों और महानगर परिषद के सदस्यों की एक जांच समिति नियुक्त करने का है ; और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) कई महीने तक प्रयास करने और शक्ति लगाने के बाद भी पिछले तीन वर्ष की अवधि का डेसू में कार्य कर रहे लगभग 28,000 कर्मचारियों के सम्बन्ध में बिजली की खपत और इसके प्रभारों आदि दिखाने वाले अपेक्षित आंकड़े संकलित करना व्यवहार्य नहीं है। बिस्तृत आंकड़ों के संकलित करने में लगने वाला श्रम और राशि प्राप्त होने वाले सम्भावित परिणामों के अनुरूप होने की आशा नहीं है।

(ख) डेसू के अनुसार उनका सतर्कता विभाग उन अधिकारियों के मामलों की जांच कर रहा है, जिनके बिजली की खपत के बिल असाधारण रूप से कम प्रतीत होते हैं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों में बिजली के लाभ**

1529. **श्री राम विलास पासवान :**
**श्री जयपाल सिंह कश्यप :**
**श्री सतीश अग्रवाल :**
**श्री रशीद मसूद** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा हाल दी में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों में इन वर्गों के लोगों को बिजली के लाभ नहीं पहुच पाये ;

(ख) क्या अध्ययन से यह भी पता चला है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रोत्साहन भी नहीं दिए गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा किए गए अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि उन गांवों में जहां अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है बिजली की व्यवस्था करने तथा कमजोर वर्गों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों को अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि बिजली के लाभ उनको प्राप्त हो सकें ।

(ग) आदिवासी और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने की आवश्यकता पर भारत सरकार ने अनेक बार जोर दिया है । संशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों का विकास करने के कार्यक्रमों में तेजी लाना शामिल है । इसके अनुसरण में, इन क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने के लिए और हरिजन बस्तियों के लिए बिजली का यथा संभव तेजी से विस्तार करने के लिए भी विशेष कदम उठाए गए हैं ऊर्जा मंत्रालय/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सभी राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों को यह सलाह भी दी है कि नए क्षेत्रों के लिए विद्युतीकरण स्कीमें तैयार करते समय हरिजन बस्तियों विद्युतीकरण निगम ने आरम्भाकल से ही कमजोर वर्गों तथा पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है ।

आदिवासी क्षेत्रों की ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमें, तदनुसार ऋण की एस० यू० तथा आर० एम० एन० यू० श्रेणियों के अन्तर्गत रियायती शर्तों पर ऋण सहायता के लिए पात्र हैं। हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की विशेष स्कीमों के अन्तर्गत एच० बी० श्रेणी के अधीन बित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाती है । आदिवासी क्षेत्रों और हरिजन बस्तियों की ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ऋण सहायता की शर्तें अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक अनुमूल है । मुख्य गांवों में सड़क रोशनी के लिए जब कभी व्यवथा की जाती है, जब ग्राम विद्युतीकरण निगम वित्तीय सहायता स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में साथ की हरिजन वस्तियों को शामिल करना राज्य बिजली बोर्डों का दायित्व है । निगम द्वारा सभी राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी गई है निगम द्वारा वित्त-पोषित की जाने वाली विद्युतीकरण स्कीमों के समस्त क्षेत्र में, अनुसूचित जाती और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के ट्यूबवेल और लघु उद्योगों की बिजली देने लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए । पहले से ही विद्युतीकृत गांवों के साथ लगी हरिजन बस्तियों विद्युतीकरण करने के लिए निगम विशेष ऋण की व्यवस्था कर रहा है ।

### निर्वाचनों में वायुवान के उपयोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

1530. **श्री राम विलास पासवान :**

**श्री सतीश अग्रवाल :**

**श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग का विचार निर्वाचनों के दौरान सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों द्वारा वायुयान के उपयोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धांत नियम अधिकथित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे वायुयान पर होने वाले व्यय को राजकोष से वहन करके लिए निर्वाचन विधि में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि तारीख 3-12-83 को हुई बैठक में, राजनैतिक दलों ने निर्वाचनों के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा सरकारी वायुयान का उपयोग किए जाने के बारे में कुछ सुझाव दिए थे और आयोग अपनी सिफारिशें तय करने के लिए राज्य सरकारों से ब्यौरे इकट्ठे कर रहा है।

(ग) जी नहीं ।

## निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा

1531. **श्री रामविलास पासवान**

**श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा और विधान सभाओं के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा बढाने के लिए निर्वाचन नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है ?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) निर्वाचन आयाग से इस बारे में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । और आयोग ने ये प्रस्ताव, जो निर्वाचन व्यय की सीमा बढ़ाने के लिए हैं, 3 दिसम्बर, 1983 को आयोग द्वारा आयोजित बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों में परामर्श करनेके पश्चात् और कीमतों के स्तर में सामान्य वृद्धि तथा अन्य सभी बातों को, जिनके अन्तर्गत निर्वाचकों की संख्या में वृद्धि भी है, ध्यान में रखते हुए किए हैं ।

(ग) सरकार इन प्रस्तावों की समीक्षा कर रही हैं और जैसे ही कोई अन्तिम विनिश्चय होगा, नियमों में, आवश्यकतानुसार, समुचित संशोधन किए जाएंगे ।

**ग्वालियर के कलाकारों द्वारा ग्वालियर आकाशवाणी से दिया गया रेडियो कार्यक्रम**

1532. **श्री एन० के० शेजवलर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्वालियर के आकाशवाणी केन्द्र से पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्वालियर के कितने कलाकारों को रेडियो कार्यक्रम देने का मौका दिया गया और उपर्युक्त अवधि के दौरान, ग्वालियर केन्द्र से विभिन्न लोगों की वार्ता प्रसारित करने के कितने मौके दिए गए, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** आकाशवाणी, ग्वालियर प्रतिदिन लगभग 10 घंटे के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है। इन कार्यक्रमों में संगीत कार्यक्रम तथा स्थानीय रूप से तैयार किए गए/आयोजित भाषित शब्द कार्यक्रम शामिल होते हैं। बड़ी संख्या में आर्टिस्टों, जिनके पास अपेक्षित ग्रेडिंग होती है, और वार्ताकारों, जिनको सम्बन्धित विषय में अपेक्षित विशेषज्ञता और ज्ञान होता है, को इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए केन्द्र द्वारा आमंत्रित किया जाता है। आमतौर पर आकाशवाणी का प्रत्येक केन्द्र अपने संबंधित सेवा-क्षेत्र की इस प्रकार की प्रतिभाओं को लेने के लिए पूरा प्रयास करता है। किन्तु यह बताना कठिन होगा कि उनमें से कितने ग्वालियर के थे। इसके अलावा, उन आर्टिस्टों और वार्ताकारों, जिन्होंने इस प्रकार के दैनिक कार्यक्रमों में भाग लिया था, के बारे में लगभग 1100 दिन की अवधि की सूचना के लिए बहुत बड़ी संख्या में कार्यक्रम शीटों को देखना पड़ेगा और संकलन करने के इस कार्य में बहुत ज्यादा समय लगेगा। प्राप्त परिणाम, अन्तर्निहित प्रयास के अनुरूप होने की संभावना नहीं है।

**मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज में मशीनें बदलना**

1533. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में मांडेर (जिला ग्वालियर) और गोहाड़ (जिला भिंड), मुरेना (जिला मुरेना) के टेलीफोन एक्सचेंजों में किस प्रकार की मशीनें लगाई गई हैं ;

(ख) उक्त प्रत्येक मशीन किस वर्ष निर्मित की गई थी तथा गत एक वर्ष के दौरान यह मशीनें कितनी बार खराब हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार इन एक्सचेंजों में नई मशीनें लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) :** (क) मध्य प्रदेश में भंडेर गोहाड़ और मुरेना के टेलीफोन एक्सचेंजों में क्रमश: एम० ए० एक्स-III (स्ट्रोजर), सेंट्रल बैटरी नॉन-मल्टीपल और एम० ए० एक्स (स्ट्रोजर) किस्म की मशीनें प्रदान की गई हैं।

(ख) भंडेर, गोहाड़ और मुरेना में इनका निर्माण (संस्थापन) वर्ष क्रमश: 1965-66 1965 और 1972 है। इनमें से कोई भी एक्सचेंज पिछले एक वर्ष के दौरान खराब नहीं हुआ।

(ग) और (घ) जी नहीं। इनमें से किसी भी एक्सचेंज ने अपनी अवधि पूरी नहीं की है। तथापि, 1984 के दौरान भंडेर एक्सचेंज के विस्तार की योजना है और इसके 25 लाइनों के वर्तमान उपस्कर को :0 याइनों के एम० ए० एक्स-III उपस्कर में बदलने का प्रस्ताव है।

**शत्रुता पूर्ण प्रचार के लिए प्रचार के उपयोग पर रोक लगाने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों के सूचना मंत्रियों का संकल्प**

**1534. श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जकार्ता में इस वर्ष जनवरी में हुए गुट-निरपेक्ष देशों के सूचना और प्रसारण मंत्रियों के सम्मेलन में सदस्य देशों से यह आह्वान किया गया कि वे विकसित देशों द्वारा गुट-निरपेक्ष आंदोलन के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण प्रचार करने के लिए अपने (सदस्य देशों के) माध्यमों का उपयोग किए जाने को प्रभावपूर्ण ढंग से रोके ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि भारत ने इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए अपनी माध्यम सुविधाओं का उपयोग किए जाने के लिए कभी भी अनुमति नहीं दी है।

**विश्व के श्रमिकों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन की रिपोर्ट और आर्थिक दृष्टि से सक्रिय प्रवासियों की संख्या**

**1536. श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में श्रमिकों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, विश्व में आर्थिक दृष्टि से सक्रिय प्रवासियों तथा उनके आश्रितों की संख्या 4 करोड़ तक पहुंच गई है।

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में आर्थिक दृष्टि से सक्रिय प्रवासियों और उनके आश्रितों की कुल संख्या कितनी है और संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और पाकिस्तान के तत्संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) उन प्रवासियों में से कितने गैर कानूनी हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व श्रम रिपोर्ट के अनुसार, अपनी नागरिकता वाले देश से बाहर रहने वाले सक्रिय व्यक्तियों की कुल न्यूनतम अनुमानित संख्या 197 से 217 लाख तक है, जिससे उनके साथ रहने वाले आश्रितों की उतनी ही संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत "इन माइग्रेशन" देश नहीं है, अर्थात् इस देश में बाहर के देशों के लोग उत्प्रवासित नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## फोटो पारेषण सेवा का विस्तार

1536. **श्री माधव राम सिन्धिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली, बम्बई और जयपुर के बीच शुरू की गई फोटो पारेषण सेवा का, नौ और शहरों में विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त सेवा का विस्तार करने के लिए उन शहरों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी हां।

(ख) अन्य नौ शहरों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. अहमदाबाद
2. बेंगलूर
3. हैदराबाद
4. जालंधर
5. लखनऊ
6. पणजी
7. पटना
8. पुणे
9. त्रिवेण्द्रम

(ग) सभी राज्यों की राजधानियों एवं व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और मीडिया के अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रों पर फोटो संचारण सुविधाओं का विस्तार किया जाना है। उपर्युक्त 12 स्थानों का चयन इसी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया गया है।

**बम्बई हाई के अशोधित तेल को शोधित और पुनर्संसाधित करने के लिये सुविधाएं**

1537. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई से निकलने वाले तेल को देश के भीतर ही शोधित और पुनर्संसाधित करने की पर्याप्त सुविधाएं सुलभ करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे उठाने का विचार है ताकि उक्त अशोधित तेल के निर्यात से ऊंचा जा सके तथा तेल, अन्य पेट्रोलियम उत्पादों और उप-उत्पादों का आयात कम से कम हो ; और

(ख) बम्बई हाई से मिलने वाले अशोधित तेल के शोधन, संसाधन और पुनर्संसाधन के लिए अन्य समुद्री क्षेत्रों मे किस प्रकार की और कितनी सुविधाएं की जरूरत है और बक्त तट दूर क्षेत्रों में कितना अशोधित तेल मिलने की आशा है।

**ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क) मौजूदा संयंत्रों में बम्बई हाई कच्चे तेल के परिशोधन को अधिकतम करने के अलावा, बम्बई हाई के कच्च तेल को साफ करने के लिये, विस्तार द्वारा क्षमताओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नये तेल शोधक कारखानों में बम्बई हाई कच्चे तेल का संसाधन करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था रखे जाने की भी योजना है।

(ख) बम्बई हाई के तथा अन्य कच्चे तेल को को संसाधित करने की सुविधाओं का स्वरूप तथा मात्रा निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है :

(I) देश के लिये आवश्यक उत्पादों को उत्पन्न करने की कच्चे तेल की क्षमता ; तथा

(II) लो-सल्फर हैवी स्टाक (एल० एस० एच० एस०) को हल्के उत्पादों में परिवर्तित करने के लिये गौण संसाधन सुविधाएं।

**उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना**

1538. **श्री के० ए० राजन** :
**श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
**श्री श्री के० लकप्पा** :
**श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने भारी संख्या में बढ़ते जा रहे बकाया मामलों को देखते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 75 रिक्त पदों को भरने में हो रहे अत्यधिक विलंब पर चिन्ता व्यक्त की है ; और

(ख) इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) जब उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई 1982 की रिट याचिका सं० 6861, जिसमें भारत संघ की उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विद्यमान रिक्त पदों को भरने का आदेश/निदेश दिए जाने की मांग की गई थी, उच्चतम न्यायालय के समक्ष 6-2-84 को सुनवाई के लिए आई तो न्यायालय नेमहा-न्यायवादी से अनुरोध किया कि वे सरकार की रिक्त पदों को भरे जाने की अति- आवश्यकता की बात समझाएं।

(ख) उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सरकार सांविधानिक प्राधिकारियों से विचार-विमर्श करके, उन पर विचार कर रही है। अन्य मामलों में, राज्यों को प्रस्ताव भेजने के लिए बार-बार स्मरण कराया जा रहा है।

**डाक और तार विभाग के अन्तर्गत डाक अनुसंधान केन्द्र**

1539. **श्री सुधीर गिरि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग अपने 'डाक अनुसंधान केन्द्र' नामक स्कंध के माध्यम से डाक को सेंसर करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त केन्द्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर डाक और तार विभाग का नियंत्रण है ; और

(ग) क्या उस पर आने वाली लागत डाक और तार विभाग द्वारा वहन की जाती है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने देश के कुछ स्थानों पर डाक अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की है। ये केन्द्र, जो केन्द्र सरकार के प्रशिक्षित कार्मिकों के नियंत्रणाधीन हैं, विदेश डाक पर निश्चित रूप से निगरानी रखते हैं ताकि डाक एवं अन्य अनियमितताओं/उल्लंघनों का पता लगाया जा सके। डाक-तार विभाग द्वारा आंशिक रूप में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

**जबरी छुट्टी और छंटनी के बारे में नया विधान**

1540. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

**श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार जबरी छुट्टी और छंटनी के विषय पर नया विधान बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधान का ब्यौरा क्या है तथा यह विधान कब लाया जाएगा ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा यथा संशोधित कामबन्दी से संबंधित मुख्य अधिनियम का धारा 25-ण में उपबन्धों की तरह, जबरी छुट्टी और छंटनी से संबंधित औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा क्रमश: 25ड और 25ढ़ में संशोधन करने के लिए विधान लाने का प्रस्ताव है। यह आशा है कि इस प्रयोजनार्थ विधयक को संसद के वर्तमान सत्र में पेश किया जाएगा।

**हल्दिया पेट्रो-केमिकल्स काम्पलेक्स के लिए पुनरीक्षित योजना**

1541. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल सरकार ने हल्दिया पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स के लिए एक संशोधित योजना स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संशोधित परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ; इसकी रोजगार क्षमता और उत्पादन क्षमता क्या होगी, तथा कच्चे माल के स्रोतों और शेयर धारिता का प्रस्तावित ढांचा क्या होगा ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार को उक्त परियोजन को स्वीकृति देने तथा सातवीं योजना में इसके लिए धनराशि नियत करने में कितना रुपया लगेगा।

**ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क) जी हां।

(ख) प्रायोजना की की अनुमानित लागत 684.90 करोड़ रुपये के बीच है। मुख्य कच्ची सामग्री नेफ्था है जो शोधक कारखानों से उपलब्ध है : प्रत्यक्ष जनशक्ति आवश्यकता 2400 से 2600 तक बतायी गयी है। शेयर धारित का प्रस्तावित प्रतिमान निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ग) सम्भाव्यता रिपोर्ट की जा रही है। सातवीं योजना में इस प्रायोजना के लिये धन की व्यवस्था के बारे में बताना इस समय सम्भव नहीं है।

**सातवीं योजना के दौरान ऊर्जा विकास**

1542· **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सातवी योजना के दौरान ऊर्जा विकास की क्या संभावनाए है ;

(ख) क्या सातवी योजना में सौर ऊर्जा जैसे स्रोतों का पूरा दोहन होगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) सातवीं योजना के दौरान ऊर्जा के विकास की संभाव्यताओं और योजनाओं की योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत पैट्रोलियम कोयला और गैर-परम्परागत ऊर्जा साधनों पर कार्यकारी दल द्वारा ब्यौरों की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के दौरान सरकार का सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय साधनों के और अधिक विकास और उपयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। योजना आयोग द्वारा गठित कार्यकारी दल द्वारा इस संबंध में ब्यौरों की जांच की जा रही है।

**कोएल कारो परियोजना**

1543· **श्री रामावतार शास्त्री :**

**श्री के० ए० राय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जनवरी, 1984 के "जनशक्ति के नगर संस्करण में "कोएल कारो परियोजना सरकारी अक्षमता का शिकार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या "नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन" ने इस परियोजना को छोड़ देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुमति मांगी थी ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) यदि इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं मांगी गयी थी तो उपरोक्त परियोजना

की कार्यान्विति में विलम्ब होने के क्या कराण हैं और सरकार का विचार इसे कब तक पूरा करने का है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने कोइल कारो परियोजना को छोड़ देने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति के लिए अनुरोध नहीं किया है। परियोजना कार्मिकों को परियोजना स्थल तक पहुंचने देने में स्थानीय व्यक्तियों के विरोध के कारण परियोजनाओं की संरचनाओं का कार्य धीमा रहा है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को परियोजना कार्यों के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद परियोजना 8 वर्ष में पूरी किए जाने का कार्यक्रम है ।

**राजभाषा अधिनियम, 11963 की धारा 3 (3) की क्रियान्विति**

1544. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में उल्लिखित 14 नुक्तों की देश के क, ख और ग तीनों श्रेणियों के राज्यों के लिए द्विभाषी रूप में क्रियान्वित करने का व्यवधान है ;

(ख) यदि हां, तो क, ख और ग राज्यों में स्थित उनके मंत्रालय, विभागों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में धारा (3) की क्रियन्विति के प्रतिशतता का क्षेत्रवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) तीनों श्रेणियों के राज्यों में उक्त सभी चौदह मदों सम्बन्धी कार्य को शत-प्रतिशत द्विभाषी करने में क्या कठिनाई है ; और

(घ) सरकार ने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कौन सी कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

**ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख), (ग) और (घ) राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) में दिए गए अधिकांश कागजात ऊर्जा मंत्रालय में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाते हैं। लेकिन ऐसे कागजात के जारी होने का राज्य-वार और कार्यालय-वार रिकार्ड रखने की कोई व्यवस्था नहीं है और इसीलिए इस प्रकार के आंकडे नहीं रखे जाते। उपर्युक्त धारा 3 (3) के प्रावधानों का पालन करने और गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इस संबंध में हुई प्रगति की समय-समय पर जांच की जाती है ।

**गुजरात राज्य को तेल और गैस की रायल्टी बढ़ाने का अनुरोध**

1545. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य को इस समय किस दर पर तेल और गैस की रायल्टी का भुगतान किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य केन्द्रीय सरकार से तेल और गैस की रायल्टी की दरों में वृद्धि करने का अनुरोध कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो कब से तथा रायल्टी बढ़ाने संबंधी उनकी मांग का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

**ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) :** (क), (ख) और (ग) कच्चे तेल पर अदा की जाने वाली रायल्टी की वर्तमान दर 61/-रुपये प्रति मी० टन है। यह दर 1-4-1981 से लागू हुई थी। इसके बाद गुजरात सरकार ने, समय समय पर, रायल्टी की दर में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। उनकी मांग का आशय यह है कि रायल्टी को समान स्तर के कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के 20% की दर पर निर्धारित किया जाए। चूंकि पिछले संशोधन के बाद से कच्चे तेल के मूल्यों में काफी वृद्धि हो चुकी है, रायल्टी को भी उसके अनुसार बढ़ाया जाना चाहिये।

(घ) मौजूदा तेल क्षेत्र (विनियमन 1948 के अधीन, रायल्टी में 4 वर्षों की अवधि से जो 31-3-85 को समाप्त हो जायेगी, कम अवधि में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस अधिनियम में संशोधके करने के लिए एक विधेयक लोक सभा द्वारा पास कर दिया गया है और इस पर राज्य सभा द्वारा वर्तमान सत्र में विचार किये जासे की सम्भावना है। ऐसे संशोधन के बाद रायल्टी की दर में 1-4-1984 से संशोधन करना सम्भव हो जायेगा।

**देश में टेलीफोन लाइनें**

1546. **श्री अमर सिंह राठवा :**

**श्री मोहन लाल पटेल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) देश में वर्तमान टेलीफोन लाइनों की संख्या कितनी है ;

(ख) देश में टेलीफोन लाइनों की कुल आवश्यकता कितनी है ;

(ग) टेलीफोन उपकरण और टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण करने वाले कारखानों की संख्या कितनी है और वे कहां पर स्थित हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(घ) देश में टेलीफोन लाइनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) :** (क) 1-1-84 को देश में कार्य कर रही टेलीफोन लाइनों की मौजूदा संख्या 25.38 लाख है।

(ख) देश में कुल 35 लाख लाइनों की तुरन्त आवश्यकता है।

(ग) देश में दो स्विचर फैक्टरियां हैं जिनकी उत्पादन क्षमता इस प्रकार है : बेंगलूर-1.5 लाख स्ट्रोजर नौर 0.6 लाख क्रासबार लाइनें रायबरेली —1.0 लाख स्ट्रोजर लाइनें, ;

(घ) देश में निम्नलिखित अतिरिक्त फैक्टरियां स्थापित करके स्विचन उपस्करों के उत्पादन में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है :

रायबरेली (उ०प्र०) क्रासबार उपस्कर (भारतीय डिजाइन) की 2 लाख लाइनें प्रतिवर्ष ।

मनकापुर (उ० प्र०) ई-10 बी अंकीय इलैक्ट्रानिक उपस्कर (फ्रांसीसी डिजाइन कीं 5 लाख लाइनें प्रतिवर्ष ।

बेंगलूर के निकट ई-10 बी अंकीय इलैक्ट्रानिक उपस्कर (फ्रांसीसी डिजाइन) की 5 लाख लाननें प्रतिवर्ष ।

## क्योंझर गढ़ में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना

1547. **श्री हरिहर सोरन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षी योजना के दौरान आकाशाणी केन्द्रों की स्थापना करने के लिये उड़ीसा में किन-किन शहरों का चयन किया गया था ;

(ख) क्या उड़ीसा के क्योंझर गढ़ का भी आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने हेतु चयन किया गया था ;

(ग) यदि हां तो क्योंझर गढ़ में और इस प्रयोजन के लिये चयन किये गये

अन्य शहरों में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने में विलंब के क्या कारण हैं ; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन के लिये उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ख)** उड़ीसा में क्योंझर गढ़ में। किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, स्टूडियो, संग्रहण केन्द्र सुविधाओं और स्टाक क्वार्टरों से स्थानीय रेडियो स्टेशन की स्थापना छठी योजना की स्वीकृत स्कीम है। उक्त योजना में उड़ीसा में किसी और स्थान पर तया रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। क्योंझर गढ़ में स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने के बारे में प्रगति संतोषजनक है और इसे गहन रूप से मानिटर भी किया जा रहा है और जहां जरूरी होता है शोधक उपाय किए जाते हैं ।

### लाजपत नगर, कानपुर में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

1548. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 19 जनवरी, 1984 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित इस आशय का यह समाचार सही है कि फ्रांस की सहायता से लाजपत नगर, कानपुर में एक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो यह टेलीफोन एक्सचेंज कब तक स्थापित हो जाएगा तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क)** जी हां। डाक तार इंजीनियरों द्वारा फ्रांसिसी विशेषज्ञों की सहायता से इस एक्सचेंज की स्थापना की जा रही है ।

(ख) 19,000 लाइन के इस इलेट्रानिक एक्सचेंज के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की संभावना है। यह माल रोड, कानपुर में 5000 लाइन के उस उपस्कर के स्थान पर संस्थापित किया जाएगा, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है।

### कच्चे तेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तेल शोधन क्षमता का उपयोग किया जाना

1549. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :**

**श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विस्तृत और गहन गवेषणओं के बावजूद कच्चे तेल की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं ; और

(ख) वर्ष 1984 के दौरान देश में विद्यमान संयंत्रों को तेल शोधन क्षमता का सीमा तक उपयोग किए जाने की आशा है।

**ऊर्जा मंत्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग देश में कच्चे तेल की आवश्यकता को काफी अधिक प्रतिशतता को पूरा करने के लिये सुसज्जित है।

(ख) वर्ष 1984 के दौरान देश की तेल शोधन क्षमता का लगभग 94 प्रतिशत उपयोग किये जाने की आशा है।

**भारतीय उर्वरक निगम की गोरखपुर यूनिट में यूनिट की कमी**

1550. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय उर्वरक निगम की गोरखपुर यूनिट के साइनों में यूरिया की भारत मात्रा में किसी कमी की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे** : (क) और (ख) भारतीय उर्वरक निगम ने हाल ही में गोरखपुर एकक के सिलों में यूरिया की कमी की सूचना दी है। उत्पादन के 1.5% की अनुमेय रख-रखाव हानि को ध्यान में रखने के पश्चात वर्ष 1982-83 के दौरान 5503 टन और 1 अप्रैल 1983 से 12 सितम्बर तक की अवधि के दौरान 2826.46 टन यूरिया की कुल कमी थी। उक्त कमियां एफ० सी० आई० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में गोरखपुर एकक के सिलों में यूरिया के स्टाक में कमी के लिए निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया :—

(1) नैपथा, अमोनियां को मापने और यूरिया के उत्पादन की घोषणा करने की गलत पद्धति ;

(2) उत्पादन की अधिक रिपोर्ट देना, और

(3) सिलों में यूरिया के स्टाक का गलत सत्यापन।

समिति महसूस करती है कि मिलों से चोरी होने अथवा प्रेषण में भ्रष्टाचार की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। समिति ने आगे कहा है कि उक्त हानि के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है बल्कि गोरखपुर का समग्र प्रबन्ध जिम्मेवार है। समिति ने सिफारिश की है कि प्रबन्ध की समिति की सिफारिशों का सख्ती से पालन करने और स्टाक के सत्यापन के सत्यापन के लिए निगम द्वारा निर्धारित की गई पद्धति का अनुसरण करने की चेतावनी देने के पश्चात ही बट्टे खाते की मंजूरी दी जाए।

**उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मंजूरी का नियमित समायोजन**

1551. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ मंजूरी का नियमित समायोजन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रस्ताव का क्या ब्यौरा क्या है ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) और (ख) 1981 में हुए श्रम मन्त्री सम्मेलन ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ न्यूनतम मजदूरी को जोड़ने के लिए प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए ताकि उनमें बिना देरी के समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा सके। इस सिफारिश को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया है। इस सिफारिश के अनुरक्षण में कुछ राज्यों ने न्यूनतम मजदूरी के भाग के रूप में परिवर्ती मंहगाई भत्ता पहले ही प्रारम्भ कर दिया है।

**तमिलनाडु द्वारा प्रस्तुत की गई विद्युत परियोजनाएं**

1552. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार द्वारा तापीय और पन बिजली की कितनी परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं और उनमें से कितनी से कितनी परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार से अभी अनुमति प्राप्त नहीं हुई; और

(ख) केन्द्र द्वारा कितनी तापीय और पन बिजली परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है और उनमें से कितनी परियोजनाओं का राज्यस्तर पर अभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) :** (क) 37.64 करोड़ रु० के

लागत के एन्नौर ताप विद्युत केन्द्र के नवीकरण की स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी गई है। तमिलनाडु से प्राप्त अन्य स्कीमें संलग्न विवरण में दी गई हैं। इन कुछ स्कीमों में अन्तर्राज्यीय पहलू हैं।

(ख) इस समय ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

**विवरण**

**लोक सभा में 6-3-84 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1552 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।**

| क्र० सं० | परियोजना का नाम | प्रस्तावित प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०) |
|---|---|---|
| | ताप विद्युत | |
| 1. | तुतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र विस्तार चरण-3 | 2x210 |
| 2. | उत्तरी मद्रास ताप विद्युत केन्द्र | 5x210 |
| 3. | नेवेली तीसरा ताप विद्युत केन्द्र लिग्नाईट पर आधारित | 5x210 |
| | जल विद्युत | |
| 1. | पांडियार पुन्नापुझा | 2x50 |
| 2. | चोलातीपुझा | 1x60 |
| 3। | शंमुखडी | 1x30 |
| 4. | अपर अमरावती | 1x30 |
| 5. | चिनार चित्तूर व्यपवर्तन स्कीम | — |
| 6. | प्यार का अल्टीमेट स्टेज | 2x50 |
| 7. | सिरुवाणी लघु जल विद्युत | 1x3 |
| 8. | नेल्लीथोराई | 1x50 |

**पश्चिम बंगाल में सिनेमा कर्मचारियों को भविष्य निधि का विवरण दिया जाना**

1553. **श्री नारायण चौबे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और मिदनापुर

के सिनेमा कर्मचारियों को गत आठ वर्ष या उससे अधिक समय से भविष्य निधि कार्यालय से अपनी भविष्य निधि का विवरण नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं? और

(ग) सिनेमा कर्मचारियों को प्रति वर्ष विवरण प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) भविष्य निधि प्राधिकारणों के अनुसार मिदनापुर में आठ सिनेमा घरों, जिनमें खड़गपुर में स्थित तीन सिनेमाघर भी शामिल हैं, के बारे में लेखों के वार्षिक विवरण जारी करने की स्थिति नीचे दी गई है :—

| क्र० | सिनेमा घरों की संख्या | वर्ष जिसके लिए लेखे लंबित पड़े हैं |
|---|---|---|
| 1. | एक | व्याप्ति की तारीख से |
| 2. | एक | 1974-75 और उससे आगे |
| 3. | पांच | 1976-77 और उससे आगे |
| 4. | एक | 1979-80 और उससे आगे |

(ख) और (ग) एक सिनेमा घर के बारे में लेखा विवरण, नियोजक द्वारा अनुपालनों न करने के कारण, जारी नहीं किया जा सका। इस सिनेमा के बारे में अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है। अन्य मामलों में, देरी का कारण या तो नियोजक द्वारा निर्धारित रिपोर्टों/विवरणियों का न भेजा जाना है या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्य का लंबित पड़े रहना है। कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण अपने निरीक्षकों के माध्यम से अपेक्षित विवरणियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। इस क्षेत्र में लंबित पड़े लेखों का निपटारा करने के लिए कार्यालय के कर्मचारी मार्च, 1983 से समयोपरि काम भी कर रहे हैं।

## ड्रग्स तथा फार्मास्युटिकल उद्योग द्वारा छटी योजना में प्राप्त किए गए लक्ष्य

1554. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रग्स तथा फार्मास्युटिकल उद्योग द्वारा छठी योजना में निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित अवधि में प्राप्त करने की संभावना है ;

(ख) क्या योजना में निर्धारित समय के अनुसार इस उद्योग में अब तक पूंजी निवेष किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो छटी योजना के प्रारम्भ से अब तक क्या सफलताए प्राप्त की गई हैं ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे)** : (क) से (ग) छटी योजना अवधि में विभिन्न प्रपुंज औषधों की मांगों का अनुमान अनुमानित वृद्धि दरों पर लगाया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक उपयोग को ध्यान में रखते हुए इनमें से कुछ अनुमान अधिक पाए गए जबकि कुछ अन्य कम पाए गए। अधिक वास्तविक मांग लक्ष्य को तैयार करने के लिए एक पुनरीक्षण किया गया है। वार्षिक योजना उत्पादन लक्ष्य तथा देश में छठी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में प्रपुंज औषधों के उत्पादन निम्न प्रकार हैं :—

| वर्ष | प्रपुंज औषध वार्षिक योजना लक्ष्य | वास्तविक उत्पादन | फार्मूलेशन वार्षिक योजना लक्ष्य | वास्तविक उत्पादन |
|---|---|---|---|---|
| | (करोड़ों में) | | (रु० करोड़ों में) | |
| 1980-81 | 270 | 240 | 1350 | 1200 |
| 1981-82 | 280 | 289 | 1350 | 1430 |
| 1982-83 | 325 | 325 | 1425 | 1545 |

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 325 करोड़ रुपए के निवेश किए जाने की आशा थी। इसमें 160 करोड़ रुपए का निवेश सरकारी क्षेत्र के औषध एककों में होने का अनुमान था। सरकारी क्षेत्र के औषध एककों में छठी योजना के पहले 3 वर्षों के दौरान कुल निवेश 58.97 करोड़ रुपये है। औषध उद्योग के अन्य क्षेत्रों में भी निवेश किया गया। ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

**दवाईयों का आयात**

1555. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवाईयों का आयात इसके लिए निर्धारित सीमा के भीतर ही किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे)** : (क) और (ख) औषधों के आयात के लिए सरकार ने मूल अथवा मात्रा के रूप में कोई सीमा निर्धारित की है। तथापि, कुछ औषधों का आयात सीमित मात्रा में करने की अनुमति दी जाती है और कुछ औषधों पर आयात के लिए

प्रतिबन्ध है। आयातों की अनुमति मांग और स्वदेशी उत्पादन के बीच अन्तर, फार्मूलेशनों की निर्यात आवश्यकता, नई औषधों की शुरूआत आदि जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दी जाती है।

**सरकारी उपक्रमों में औषध उत्पादन लक्ष्य की समीक्षा**

1556. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन सभी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें इन उपक्रमों के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों की समीक्षा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो औषध उत्पादन लक्ष्यों के बारे में उक्त बैठक में क्या परिणाम निकलें ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे)** : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के औषध उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों से कहा गया है कि वे अपने एककों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए शीघ्र उपाय करें।

**राजधानी में और अन्य स्थानों पर डाक अनुसंधान केन्द्र**

1557. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र राजधानी और राज्यों में अनेक स्थानों पर डाक अनुसंधान केन्द्र चला रहा है;

(ख) क्या अनुसंधान केन्द्रों में पत्रों को गैर-कानूनी रूप से सेंसर किये जाने का समाचार है; और

(ग) विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए इस आरोप पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) से (ग) विदेश डाक परनिश्चित रूप से निगरानी रखने के लिए केन्द्र सरकार ने दिल्ली तथा देश के कुछ अन्त स्थानों पर डाक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए हैं ताकि डाक एवं अन्य अनियमिततायों/उल्लंघनों का पता लगाया जा सके।

## प्रेस परिषद् के सुझाव

1558. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**

**श्री भीमसिंह :**

**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद् ने हाल ही में सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो उन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) भारतीय प्रेस परिषद् विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर सुझाव देती रही है किन्तु परिषद् द्वारा हाल के महीनों में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया गया था।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

## दिल्ली की मतदाता सूचियों में विदेशियों के नाम शामिल करना

1556. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**

**श्री भीम सिंह :**

**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में भी मतदाता सूचियों में विदेशियों के नाम बड़ी संख्या में शामिल किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई तथा प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग ने रिपोर्ट दी है कि उसे इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी आयोग मुख्य निर्वाचन आफिसर, दिल्ली से स्थिति का पता लगा रहा है। आयोग से कोई अन्य जानकारी प्राप्त होने पर वह यथासंभव शीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**निजी कम्पनियों के काम करने वाले सेवा निवृत्त अधिकारी**

1560. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री निजी कम्पनियों के काम करने वाले सेवा निवृत्त अधिकारी के बारे में 10 मई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 11005 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बीच एक संसद सदस्य की ओर से उनके मंत्रालय में एक समय के सहायक/अन्य कर्मचारियों के बारे मे, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के बाद कुछ निजी कम्पनियों में, जिनके मामलों को सेवा काल के दौरान वे देख रहे थे, नौकरी कर ली थी, एक पत्र मिला था ;

(ख) क्या ये कर्मचारी अपने भूतपूर्व सहयोगियों जो उनकी कम्पनियों के मामलों को देख रहे हैं पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं ;

(ग) क्या उन्होंने महत्वपूर्ण अनुभागों और पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को बारी-बारी से बदले जाने सम्बन्धी प्रधान मंत्री के आदेशों के अनुसार अपने मंत्रालय में कृत्रिम रेशा उद्योग से सम्बद्ध अनुभाग अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जो अपने सेवा निवृत्त कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ करते हैं बारी-बारी से बदलने हेतु कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क) संसद सदस्य द्वारा माननीय अध्यक्ष को लिखे गए 10-1-1984 के पत्र की, जिसका सम्बन्ध अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोलियम विभाग के एक भूतपूर्व सहायक से है, एक प्रति प्राप्त हुई थी।

(ख) से (घ) जहां तक सम्भव है उपयुक्त समय के बाद तबादले किए जाते हैं। अधिकारियों अथवा कर्मचारियों पर कोई बाहरी प्रभाव डाले जाने अथवा सांठ-गांठ करने का जैसाकि भाग (ख) और (ग) में उलेख किया गया है, कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

**तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हैलीकाप्टरों की खरीद**

1561. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने कुछ हैलीकाप्टर खरीदने का विचार किया है और उसके ब्रिटिश सरकार से ऋण का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन हैलीकाप्टरों को खरीदने का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है ;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कितने हैलीकाप्टर खरीदने का विचार है ;

(घ) इन हैलीकाप्टरों की क्या लागत है तथा ब्रिटिश सरकार कितना ऋण देने के लिए राजी हो गई है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) :** (क) से (ङ.) अपतटीय कार्य-संचालनों के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के 21 हैलीकाप्टर प्राप्त किए जा रहे हैं। कई बोलियां (बिड्स) जिनमें एक बोली (बिड) एक ब्रिटिश कम्पनी की है, प्राप्त हुई है जिनका इस समय मूल्यांकन किया जा रहा है। इस कारण, इस समय लागत इत्यादि के ब्यौरे देना सम्भव नहीं है। यह संकेत मिले हैं कि ब्रिटिश कम्पनी के प्रस्ताव के समर्थन में ब्रिटिश सहायता भी उपलब्ध हो सकती है।

### घरेलू गैस सप्लाई पद्धति

1562. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू गैस सप्लाई पद्धति में सुधार की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो गैस सप्लाई की खराब स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने विचार है ; और

(ग) घरेलू गैस सप्लाई की स्थिति में समग्र सुधार के लिए और क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

**ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) आने वाले वर्षों के दौरान एल० पी० जी० की बढ़ी हुई उपलब्धता का प्रयोग करने के लिए, तेल उद्योग की प्रति वर्ष 16 लाख नए उपभोक्ता दर्ज करने की योजना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 14 नये बॉटलिंग संयंत्र स्थापित किए हैं तथा मौजूदा 20 संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में उपकरण प्राप्त करने के लिए तथा पर्याप्त संख्या में डीलर बनाए जाने के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। परिवहन सुविधाओं सहित अन्य आधार-भूत (इन्फ्रास्ट्रकचरल) सुविधाओं में भी वृद्धि की जा रही है।

### राष्ट्रीय पन बिजली निगम द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब

1563. **श्रीमती प्रमिला दंडवते :**

**प्रो० अजित कुमार मेहता :**

**श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पन-बिजली निगम द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पूरा होने में सामान्यतः निर्धारित समय की तुलना में अधिक समय लगता है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस बिलम्ब के कारण, जिसके परिणामस्वरूप बिजली उत्पादन में हानि हुई है, निगम को होने वाली हानि अनुमानतः कितनी है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा प्रारम्भकाल से कियान्वयन के लिए हाथ में ली गई परियोजनाओं में से एक परियोजना, नामशः नेपाल में देवीघाट जल विद्युत परियोजना कार्यक्रम से बहुत पहले चालू की गई है और फिलहाल किसी अन्य परियोजना में विलम्ब होने की सम्भावना नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**भविष्य निधि कर्मचारियों के अखिल भारतीय संघों को मान्यता**

1564. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि कर्मचारियों के किसी अखिल भारतीय संघ को हाल ही में मान्यता दी गई है और यदि हां, तो किस आधार पर यह मान्यता दी गई है ;

(ख) क्या इस आरोप का कोई आधार है कि सभी राज्यों में सत्यापन का कार्य पूरा नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्षेत्रीय आधार पर संघों की सम्बद्ध सदस्यता का ब्यौरा क्या है ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में काम कर रही यूनियनों की सदस्य संख्या के सत्यापन के आधार पर अखिल भारतीय ई० पी० एफ० स्टाफ फैडरेशन नई दिल्ली, को जो बहुमत सदस्यता वाली यूनियन के रूप में प्रकट हुई, मान्यता प्रदान की गई है । यह सत्यापन आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया गया था । महाराष्ट्र और बिहार में, जिनमें क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय स्तर पर एक ही यूनियन काम कर रही हैं, सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि उन में मान्यता का दावा करने वाली प्रतिद्वन्दी यूनियनें, नहीं हैं । असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में सत्यापन सम्भव नहीं हुआ, क्योंकि सम्बन्धित यूनियनों ने रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किए । दिल्ली के मामले में जहां सत्यापन कार्य चल रहा है, अखिल भारतीय ई० पी० एफ० स्टाफ फैडरेशन (नई दिल्ली जिसे अब मान्यता दी जा चुकी है, द्वारा प्राप्त कुल बहुमत में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा ।

**वाम आर्गेनिक केमिकल्स लि० और हिन्दुस्तान वायर्स लि०**

1565. **श्री भीखा भाई :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वही व्यक्ति आर्गेनिक कैमिकल्स लि० के निदेशक मण्डल में हैं जो कि हिन्दुस्तान वायर्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल में है; और

(ख) क्या यह सच है कि यह कम्पनियां एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आती है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) :** (क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) मैसर्स वाम आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और मैसर्स हिन्दुस्तान वायर्स लिमिटेड को प्रथम दृश्या, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 20 के उपबन्धों को प्रभावित किये जाने पर विचार किया गया था और इसलिए उनको एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत अपने उपक्रमों के पंजीकरण दिया गया था। दोनों ही कम्पनियों ने विभाग के निष्कर्षों का प्रतिरोध किया है और अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं, जिसका विभाग में परीक्षण किया जा रहा है।

**सहायक श्रम आयुक्तों के कार्यालय में समझौता वार्ताओं में विलम्ब**

1566. **श्री भीखा भाई :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायक श्रम आयुक्तों के कार्यालय में हजारों मामले विचाराधीन पड़े हैं और समझौता वार्ताएं महीनों तक चलती हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे मामले शीघ्र निपटाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) 1983 में राज्य-वार, कितने मामलों का कोर्ट निर्णय न होने की रिपोर्ट मिली और मंत्रालय द्वारा उनके संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) और (ख) संगत सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (5) के अधीन 1324 सुलह विफलता रिपोर्टों के बारे में पहले ही कार्यवाही की गई है। 662 रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है।

**विवरण**

**वर्ष 1983 के दौरान संघ राज्य क्षेत्रों/राज्यों से प्राप्त सुलह विफलता रिपोर्टों की संख्या दर्शाने वाला विवरण**

| क्रमांक | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | प्राप्त सुलह विफलता रिपोर्टों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 157 |
| 2. | असम | 002 |
| 3. | बिहार | 475 |
| 4. | चण्डीगढ़ | 016 |
| 5. | दिल्ली | 05 |
| 6. | गुजरात | 114 |
| 7. | गोवा | 013 |
| 8. | हरियाणा | 013 |
| 9. | जम्मू कश्मीर | 016 |
| 10. | कर्नाटक | 072 |
| 11. | केरल | 026 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 231 |
| 13. | महाराष्ट्र | 149 |
| 14. | उड़ीसा | 031 |
| 15. | पंजाब | 0 3 |
| 16. | राजस्थान | 198 |
| 17. | तमिलनाडु | 077 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 076 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 152 |
| | कुल | 1986 |

**श्रमिकों के बारे में प्रबन्धकों के साथ बातचीत करने वाले एजेंट**

1567. **श्री अजीत बाग :**

**श्री बालानन्दन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एसोसिएशन आफ इण्डिया इन्जीनियर्स इन्डस्ट्री द्वारा मजदूरों के बारे में बातचीत करने वाले एजेन्टों का पता लगाने के बारे में सरकार के दोहरे मानदण्डों के संबंध में की गई आलोचना की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका आधार क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क) जी. हां ।

(ख) श्री नवल एच० टाटा ने एसोसिएशन आफ इंडस्ट्री की गोष्ठि में अपने भाषण में बताया कि बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम के अधीन जहां इन्टक बहुमत युनियन होने का दावा करता है, वहां सरकार की नीति किसी अल्पमत यूनियन की उपस्थिति को सहन नहीं करेगी, जबकि बैंकिंग उद्योग में इन्टक के मामले में, यह सुझाव दिया गया था कि अल्पमत होने पर भी इसे प्रतिनिधित्व से अलग नहीं किया जाना चाहिए ।

संघों को मान्यता देने के लिए कोई सांविधिक उपबन्ध नहीं है तथा मान्यता प्रबन्धतंत्र द्वारा दी जाती है । सनत मेहता समिति ने श्रमिक संघों की सदस्यता के सत्यापन तथा सौदाकारी एजेन्ट के प्रमाणीकरण के बारे में कुछ सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

**देश में ईंटों के भट्टों की संख्या तथा उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या**

1568. **श्री अजित बाग :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार ईंटों के भट्टों की संख्या तथा उनमें कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) वे श्रमिक किस रूप में अर्थात, स्थायी, अस्थायी, सामयिक अथवा अनुबंध कार्य कर रहें हैं ;

(ग) क्या अन्य औद्योगिक श्रमिकों की भाँति उनको भी लाभ दिए जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) भट्टों की कुल संख्या और ईंट भट्टा उद्योग में नियोजित श्रमिकों की संख्या के बारे में यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना विवरण 1 में दी गई है, जिसमें भट्टों की संख्या तथा ईंट भट्टा उद्योग में नियोजित श्रमिकों की संख्या दर्शाई गई है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों कारखाना अधिनियम के अधीन पंजीकृत ईंट भट्टों के संबंध में कारखाना सलाह सेवा श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय द्वारा भेजी गई सूचना विवरण-2 में दी गई है।

(ख) यह एक मौसमी उद्योग है, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया आमतौर पर वर्षा ऋतु के बाद प्रारम्भ होती है और यह आमतौर पर मई के अन्त तक जारी रहती है। ईंट भट्टों के मालिक श्रमिकों के साथ ठेका या करार करके अपने एजेन्ट के माध्यम से श्रमिकों की भर्ती करते हैं, जब रोजगार के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं।

(ग) कारखाना होने के नाते, कारखाना अधिनियम तथा अन्य केन्द्रीय श्रम कानून अर्थात अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मकार अधिनियम, 1923, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 आदि के अधीन दिए गए लाभ/संरक्षण ईंट-भट्टा उद्योग के श्रमिकों को उपलब्ध हैं।

(घ) यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय स्तर पर एक त्रिपक्षिय समिति गठित की जाए, ताकि यदि आवश्यक समझा जाए तो उद्योग के कार्यकरण के विशेष लक्षणों पर विचार करते हुए ईंट भट्टा उद्योग के लिए अलग से स्वतः पूर्ण विधान पर विचार किया जा सके और उसे बनाया जा सके और उन विशेष योजनाओं, जिन्हें उद्योग में श्रमिकों के लिए तैयार किया जा सकता है, की संभावना का पता लगाया जा सके।

**विवरण-I**

| क्रमांक | राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | ईट भट्टों की संख्या | नियोजित श्रमिकों संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | दिल्ली प्रशासन | 300 | 25000-30000 |
| 2. | मेघालय | — | — |
| 3. | पंजाब | 2000 | 1,00,000 (लगभग) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | गुजरात | 299 | 16,241 (लगभग) |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 6000 | 3,00,000 (लगभग) |
| 6. | अरुणाचल प्रदेश | शून्य | शून्य |
| 7. | मध्य प्रदेश | छोटे यूनिट | सूचना एकत्र की जा रही है। |
| 8 | गोवा, दमन और दीव | 12 | 176 |
| 9. | दादर और नगर हवेली | बहुत छोटे यूनिट | — |
| 10. | पश्चिम बंगाल | 3000 | 2833 |
| 11. | आन्ध्र प्रदेश | छोटे यूनिट | 1,000 (लगभग) |
| 12. | महाराष्ट्र | सूचना एकत्र की जा रही हैं। | |
| 13. | चण्डीगढ़ प्रशासन | 29 | 2470 |
| 14. | उड़ीसा | 80 (37 पंजीकृत) | 5500 |
| 15. | पांडिचेरी | 100 | 10 श्रमिकों से कम श्रमिक बिजली से कार्य कर रहे हैं और 20 श्रमिकों से कम श्रमिक बिना बिजली के कार्य कर रहे हैं। |

**विवरण - II**

| क्रमांक | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | ईंट भट्टों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अण्डमान और निकोबार | कोई नहीं |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | कोई नहीं परन्तु 8 टाइल्स कारखाने पंजीकृत हैं। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | आसाम | 145 |
| 4. | बिहार | 915 |
| 5. | चण्डीगढ़ | 25 |
| 6. | दिल्ली | 163 |
| 7. | दादर और नगर हवेली | कोई नहीं |
| 8. | गुजरात | 369 |
| 9. | गोवा, दमन और दीव | 2 |
| 10. | हरियाणा | 818 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | पंजीकृत नहीं |
| 12. | जम्मू और कश्मीर | धारा 85 के अधीन आते हैं । |
| 13. | कर्नाटक | 100 |
| 14. | केरल | 71 |
| 15. | मध्य प्रदेश | सूचना उपलब्ध नही है । |
| 16. | महाराष्ट्र | 108 |
| 17. | मनीपुर | 71 |
| 18. | मिजोरम | उपलब्ध नहीं |
| 19. | मेघालय | कोई ईंट भट्टा नहीं |
| 20. | नागालैंड | उपलब्ध नहीं |
| 21. | उड़ीसा | 30 |
| 22. | पाँडिचेरी | 100 |
| 23. | पंजाब | 1765 |
| 24. | राजस्थान | 83 |
| 25. | सिक्किम | उपलब्ध नहीं |
| 26. | तमिलनाडु | 63 |
| 27. | त्रिपुरा | 102 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 28. | उत्तर प्रदेश | 1500 |
| 29. | पश्चिम बंगाल | 228 |
| 30. | अरुणाचल प्रदेश | उपलब्ध नहीं |
| 31. | लक्ष द्वीप | कोई ईंट भट्टा नहीं |

**देश में कारखानों के बंद होने से प्रभावित मजदूरों की संख्या**

1569. **श्री अजित बाग** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज तक कितने कारखाने बन्द पड़े हैं और इससे कुल कितने कर्मचारी प्रभावित हुए ;

(ख) बन्द कारखानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और वे किन-किन तारीखों से बन्द पड़े हैं और इससे प्रभावित कर्मचारियों की यूनिट-वार/राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(ग) उपर्युक्त कारखाने बंद हो जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए बन्द कारखानों को अपने हाथ में लेकर अथवा उनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1983 के दौरान काम-बन्दियों और उनसे प्रभावित श्रमिकों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। काम-बन्दियों के यूनिट-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(ग) काम-बन्दियां वित्तीय कठिनाइयां, कच्चे माल और बिजली की कमी, मांग की कमी ! कु-प्रबन्ध और औद्योगिक विवादों जैसे विभिन्न कारणों से हुई हैं।

(घ) औद्योगिक रुग्णता के बारे में सरकार की नीति में ऐसे उपक्रमों को, जो रुग्ण हो गए हैं, पुनः चलाने के लिए उपचारी कार्यवाही पर जोर दिया गया है। इस नीति के अन्तर्गत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से यह आशा की जाती है कि वे प्रत्येक मामले में किए गए निदानकारी अध्ययनों के आधार पर उपयुक्त सुधारक कार्यवाही करें। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार की गई पुनर्वास योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार आवश्यक सहायता भी प्रदान करती है। जहां कहीं यह पाया जाता है कि किसी यूनिट को पुनः चालू नहीं किया जा सकता, तो सरकार इस बात पर विचार करती है कि क्या यूनिटों का राष्ट्रीयकरण कर दिया

जाना चाहिए या कोई अन्य विकल्प अपनाने में हल निकल सकता है। इनमें श्रमिक सहभागिता का विकल्प भी शामिल है। राष्ट्रीयकरण के बारे में केवल तभी विचार किया जा सकता है यदि यूनिट को युक्तिसंगत समय में सक्षम बनाया जा सकता हो और यदि ऐसा करना सार्वजनिक हित में हो।

**विवरण**

**वर्ष 1983 (अ) के दौरान कामबन्दियों और उनसे प्रभावित श्रमिकों की संख्या दर्शाने वाला विवरण**

| राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों का नाम | काम-बन्दियों की संख्या | प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. आंध्र प्रदेश | 2 | 6,123 |
| 2. असम | 1 | 7 |
| 3. बिहार | 5 | 5,930 |
| 4. गुजरात | 36 | 10,656 |
| 5. हरियाणा | 7 | 216 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 1 | 320 |
| 7. जम्मू और कश्मीर | ... | ... |
| 8. कर्नाटक | — | — |
| 9. केरल | 3 | 176 |
| 10. मध्य प्रदेश | 4 | 4,189 |
| 11. महाराष्ट्र | 35 | 718 |
| 12. मणिपुर | ... | ... |
| 13. मेघालय | ... | ... |
| 14. नागालैण्ड | — | ... |
| 15. उड़ीसा | 6 | 3,495 (अ) |
| 16. पंजाब | 17 | 410 |
| 17. राजस्थान | 6 | 1,656 |
| 18. सिक्किम | ... | ... |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 19. तमिलनाडु | 12 | 514 |
| 20. त्रिपुरा | ... | ... |
| 21. उत्तर प्रदेश | ... | 4,207 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 45 | 3,451 |
| 23. अण्डमान और निकोबार | — | — |
| 24. अरुणाचल प्रदेश | ... | ... |
| 25. चण्डीगढ़ | 3 | 123 |
| 26. दादर और नागर हवेली | ... | ... |
| 27. दिल्ली | 8 | 526 |
| 28. गोआ, दमण और दीव, | 1 | 105 |
| 29. लक्षद्वीप | — | — |
| 30. मिजोरम | ... | ... |
| 31. पांडिचेरी | — | — |
| योग : | 192 | 42,822 |

(—) = शून्य
(...) = उपलब्ध नहीं है।
(अ) = अनंतिम

**कोयले के मूल्य**

1570. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

**श्री सूरजभान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 और जनवरी, 1980 में कोयले के मूल्य क्या थे और गत चार वर्षों में उनमें प्रत्येक बार कितनी वृद्धि हुई और कब हुई है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और चालू वर्ष में कितना कोयला उत्पादित हुआ और उक्त अवधि में कोल इण्डिया लिमिटेड को कितनी लाभ/हानि हुई है ; और

(ग) सरकारी/वित्तीय संस्थानों ने सरकारी क्षेत्र की कोयले की खानों/कोल इण्डिया लिमिटेड में कुल कितनी पूंजी लगाई है और इससे गत तीन वर्षों में कितनी आय हुई है ?

**ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) मार्च, 1977 में कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित कोयले की औसत खान-मुहाना कीमत रु० 64.92 प्रति टन थी और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले के संबंध में यह रु० 67.65 प्रति टन थी । तब से कोयले की कीमतें चार बार संशोधित की गई हैं । प्रत्येक संशोधन की तारीख और औसत खान मुहाना कीमत निम्नलिखित है :—

| संशोधन की तारीख | को० ई० लि० और सि० को० कं० लि० द्वारा उत्पादित कोयले की प्रति टन औसत खान मुहाना कीमत | |
|---|---|---|
| | को० ई० लि० | सि० कं० लि० |
| 17-7-1979 | रु० 101.10 | रु० 99.92 |
| 14.2-1981 | रु० 128.02 | रु० 136.85 |
| 27-5-1982 | रु० 145.90 | रु० 154.75 |
| 8-1-1984 | रु० 183.00 | रु० 192.00 |

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में को० ई० लि० द्वारा उत्पदित कोयला और अर्जित लाभ/हानि निम्नलिखित हैं :—

(रु० करोड़ में)

| | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983.84 (प्रत्याशित) |
|---|---|---|---|---|
| को० इ० लि० द्वारा उत्पादित कोयला (मि० टन) | 100.83 | 109.61 | 114.06 | 123.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| अर्जित लाभ/हुई (—) | 33. 4 | (+) 34·20 | (+) 37·45* | सभी खाते तैयार नहीं हुए। |

*कोयला कीमत विनियमन खाता को/रि अंशदान का समायोजन छोड़कर।

को० ई० लि० और उसकी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार 31-3-1983 को इक्विटी पूंजी और बकाया दीर्घकालीन ऋणों के रूप में कोल इंडिया लि० में सरकार का निवेश रुपए 32·54·88 करोड़ था।

**देश में बीड़ी और सिगार मजदूरों की संख्या**

1571. **श्री अजय विश्वास :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (राज्य-वार) कुल कितने बीड़ी और सिगार मजदूर हैं ;

(ख) उनमें से कितने मजदूर बीड़ी तथा सिगार मजदूर (रोजगार की शर्तें) अधिनियम 1966 के अन्तर्गत आते हैं ;

(ग) बीडी मजदूरों के लिए कल्याण संबंधी सभी उपायों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को और देर किए बिना शीघ्र कार्यान्वित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) तथा (ख) बीड़ी मजदूरों का राज्य वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 में दी गई बीड़ी श्रमिकों की परिभाषा के अनुसार, इस विवरण में निर्दिष्ट सभी श्रमिक इस अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। सिगार मजदूरों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) बीड़ी मजदूरों को कल्याण सुविधायें देने के लिए चिकित्सीय देख-रेख, आवास तथा शिक्षा से संबंधित योजनाओं को बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। बीड़ी श्रमिकों को दी जा रही कल्याण सुविधाओं के ब्यौरे बताने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

**विवरण**

देश में बीड़ी मजदूरों की कुल संख्या तथा उनमें से बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत आने वाले मजदूरों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण।

संख्या लाखों में

| क्रमांक | राज्य का नाम | घरखाता श्रमिकों सहित बीड़ी श्रमिकों की कुल संख्या। |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2.50 |
| 2. | बिहार | 3.50 |
| 3. | गुजरात | 0.22 |
| 4. | केरल | 1.50 |
| 5. | कर्नाटक | 3.00 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 5.00 |
| 7. | महाराष्ट्र | 2.50 |
| 8. | राजस्थान | 0.35 |
| 9. | उड़ीसा | 1.60 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | 4.60 |
| 11. | तमिलनाडु | 2.00 |
| 12. | पश्चिम बंगाल | 4.50 |
| | कुल योग = | 31.17 |

**उद्योगों में काम करने वाली महिलाएं**

1572. **श्री अजय विश्वास** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1975 में 1983 तक विभिन्न उद्योगों (उद्योग-वार) में कुल कितनी महिलाएं काम कर रहीं थी ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उद्योगपतियों के असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के कारण विभिन्न उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं में धीरे-धीरे कमी रही है ;

(ग) क्या सरकार का विचार काम करने वाली महिलाओं को ऐसी छंटनी से बचाने हेतु कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री विरेन्द्र पाटिल)** : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1975 से 1981 की अवधि के दौरान, रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अधीन एकत्र की गई सूचना के अनुसार बाजार सूचना कार्यक्रम के अधीन एकत्र की गई सूचना के अनुसार, चुने हुए उद्योगों में महिलाओं के रोजगार से संबंधित सूचना दर्शाई गई है। वर्ष 1982-83 के लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) श्रम विभाग में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार महिला श्रमिकों के रोजगार में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ती। स्थिति की समयन्समय पर पुनरीक्षा करने के लिए सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अधीन एक सलाहकार समिति गठित की है।

**विवरण**

**उद्योगों में महिलाओं का नियोजन**

( हजारों में )

| उद्योग | | नियोजन | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कोड | संक्षिप्त विवरण | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |
| प्रभाग 0 और 1 | प्राइमरी सैक्टर | | | | | | | |
| प्रभाग | 0- कृषि, आखेट, वन उद्योग, एवं मछली पकड़ना | 405·8 | 449·5 | 483·8 | 438·2 | 581·6 | 460·7 | 455·9 |
| | 1. खनन और उत्खनन | 82·5 | 89·8 | 92·4 | 91·7 | 86·1 | 86·4 | 87·3 |
| | 2. और 3. विनिर्माण | 453·3 | 514·4 | 525·9 | 572·4 | 572·3 | 563.3 | 594·9 |
| | 4. बिजली, गैस और जल | 10·5 | 10·5 | 11·2 | 12·0 | 13·4 | 16·1 | 17·2 |
| | 5. निर्माण | 66·6 | 59·6 | 57·6 | 58·5 | 59.0 | 63·6 | 59·3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6. थोक और परचून व्यापार तथा जल पान गृह और होटल | | 19·1 | 15·1 | 16·9 | 18·1 | 20.7 | 19·9 | 20·6 |
| | 7. परिवहन, संचयन एवं संचार | | 52·3 | 56·7 | 60·1 | 63·9 | 67 6 | 75·7 | 81.5 |
| | 8. वित्त प्रबन्ध, बीमा, स्थावर सम्पदा आदि | | 43·5 | 41·9 | 47·6 | 53·7 | 66·0 | 72·0 | 79·7 |
| | 9. सामुदायिक सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं | | 1097·7 | 1159·8 | 1198·5 | 1250·8 | 1294·2 | 1344·1 | 1396·5 |

**खाना बनाने की गैस के कनेक्शन**

1573· **श्री अजय विश्वास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाना बनाने की गैस के (राज्यवार) कुल कितने कनेक्शन हैं ; और

(ख) क्या और अधिक लोगों को खाना बनाने की गैस के कनेक्शन देने की कोई योजना सरकार के पास है ?

**ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क) 30 सितम्बर, 1983 तक देश में लगभग 59·67 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं । राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

**विवरण**

**देश में 30 सितम्बर, 1983 तक जारी किए गए कनेक्शनों का राज्य-वार ब्यौरा**

| राज्य | | कनेक्शनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1· आन्ध्र प्रदेश | — | 4,64,133 |
| 2· असम | — | 50,390 |
| 3· बिहार | — | 1,63,648 |
| 4· गुजरात | — | 5,72,126 |
| 5· हरियाणा | — | 1,19,992 |
| 6· हिमाचल प्रदेस | — | 20,206 |
| 7· जम्मू और काश्मीर | — | 33,302 |
| 8· कर्नाटक | — | 3,41,006 |
| 9· केरल | — | 1,19,403 |
| 10· मध्य प्रदेश | — | 3,09,607 |
| 11· महाराष्ट्र | — | 14,37,628 |
| 12· मणिपुर | — | 3,655 |
| 13, मेघालय | — | 5,426 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 14. नागालैण्ड | — | 4,468 |
| 15. उड़ीसा | — | 67,363 |
| 16. पंजाब | — | 1,75,832 |
| 1.. राजस्थान | — | 1,75,669 |
| 18. सिक्किम | — | 2,332 |
| 19. त्रिपुरा | — | 2,927 |
| 20. तमिलनाडु | — | 4,81,504 |
| 21. उत्तर प्रदेश | — | 5,78,349 |
| 22. पश्चिम बंगाल | — | 2,59,301 |
| **संघ शासित प्रदेश** | | |
| 1. अण्डमान और निकोबार द्वीप | — | — |
| 2. अरूणाचल प्रदेश | — | 593 |
| 3. चण्डीगढ़ | — | 47,183 |
| 4. दादरा और नगर हवेली | — | 1,360 |
| 5. दिल्ली | — | 5,25,337 |
| 6. गोआ, दमन और दीव | — | 34,350 |
| 7. लक्ष्य द्वीप | — | — |
| 8. मिजोरम | — | 2,066 |
| 9. पांडिचेरी | — | 12,094 |
| | योग : | 59,67,184 |

**रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर किए गए कुशल अकुशल, अर्धकुशल और शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति**

1574. **श्री अजय विश्वास** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान और जनवरी 1984 तक रोजगार कार्यालयों में

(राज्य-वार) कुल कितने कुशल, अकुशल, अर्ध-कुशल और शिक्षित लोगों ने अपने नाम रजिस्टर करवाये;

(ख) उपरोक्त अवधि में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला; और

(ग) ग्रामीण बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार की विशेष योजनाएं क्या-क्या हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) देश में रोजगार कार्यालयों द्वारा 1982 और 1983 के दौरान क्रमश: 4.73 तथा 4.85 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में बेरोजगारी में उत्तरोत्तर कमी लाना है। छठी योजना में अपनाई गई रोजगार स्ट्रेटिज तथा नीतियों और कार्यक्रमों का उद्देश्य इसी प्रयोजन को पूरा करना है। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रोजगार-उन्मुख कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शामिल हैं जिसमें स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने सम्बन्धी योजना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक फारिस्ट्री, डेरी विकास, न्यूनतम आवश्यकता सम्बन्धी कार्यक्रम आदि से भी इस क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार उत्पन्न होगा। ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के सरकार के प्रयासों में नया ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है।

**विवरण**

**रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या**

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | निम्नलिखित के अन्त में चालू रजिस्टर पर संख्या (लाखों में) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1982 | | | 1983 (अ) |
| | रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्ति (मैट्रिक और इससे ऊपर) | कुशल तथा अर्ध कुशल व्यक्ति | अकुशल व्यक्ति | रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्ति (मैट्रिक और इससे ऊपर) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **राज्य** | | | | |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 8.07 | 0.68 | 7.76 | 9.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2· असम | 1·67 | 0.09 | 0·77 | 2·04 |
| 3· बिहार | 12·18 | 22 6 | 645 | 13·45 |
| 4· गुजरात | 3·27 | 0·14 | 1·02 | 3·41 |
| 5· हरियाणा | 2·12 | 0·15 | 2·13 | 2·15 |
| 6. हिमाचल प्रदेश | 0·99 | 0·12 | 0·52 | 1·12 |
| 7· जम्मू व काश्मीर | 0·25 | 0.03 | 0·34 | 0·26 |
| 8· कर्नाटक | 3·85 | 0·12 | 1·34 | 4·24 |
| 9· केरल | 9·82 | 0·84 | 2·61 | 10·90 |
| 10· मध्य प्रदेश | 4·38 | 0·26 | 4·26 | 5·39 |
| 11· महाराष्ट्र | 7·46 | 0·45 | 4·9[illegible] | 8·43 |
| 12· मणिपुर | 0·74 | 0·06 | 0·07 | 0·80 |
| 13· मेघालय | 0·04 | †† | 0·04 | 0·04 |
| 14· नागालैण्ड | 0·01 | †† | 0·06 | 0·01 |
| 15· उड़ीसा | 1·97 | 0·32 | 1·07 | 2·39 |
| 16· पंजाब | 2·63 | 0·19 | 1·19 | 2·82 |
| 17· राजस्थान | 1·99 | 0·08 | 1·39 | 2·45 |
| 18· सिक्किम* | | | | |
| 19· तमिलनाडु | 7·16 | 0·64 | 2·23 | 6·92 |
| 20· त्रिपुरा | 0·38 | 0·02 | 0·07 | 0·39 |
| 21· उत्तर प्रदेश | 9·42 | 0·91 | 5·03 | 11·17 |
| 22. पश्चिम बंगाल | 15·78 | 0·91 | 10·88 | 17·14 |

* इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

**संघ शासित क्षेत्र**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. अण्डमान व निकोबार द्वीव समूह | 0·03 | 0·01 | 0·05 | 0·03 |
| 2· अरुणाचल प्रदेश† | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. चण्डीचढ़ | 0.41 | 0.05 | 0.29 | 0.41 |
| 4. दादर व नागर हवेली ** | | | | |
| 5. दिल्ली | 2.56 | 0.11 | 0.37 | 3.02 |
| 6. गोवा | 0.18 | 0.02 | 0.05 | 0.18 |
| 7. लक्षद्वीप | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 8. मिजोरम | 0.03 | †† | 0.10 | 0.05 |
| 9. पाण्डिचेरी | 0.30 | 0.01 | 0.15 | 0.30 |
| अखिल भारत योग : | 97.69 | 8.51 | 55.88 | 108.63 |

टिप्पणी :—1. † कोई पूर्ण रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है। कुछ रोजगार सैल कार्य कर रहे हैं, जिनके बारे में आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

2. ** इस संघ शासित क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है परन्तु आंकडे अभी प्राप्त होने हैं।

3. †† संख्या एक हजार से कम है।

4. अ—अनन्तिम

5. पूर्णांकों के कारण जोड़ मेल नहीं भी खा सकते।

6. यह आवश्यक नहीं कि रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले सभी व्यक्ति बेरोजगार हों।

7. 31-12-1983 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल कर्मकारों सम्बन्धी आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

**दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आकलन**

1575. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन पर प्रदर्शित राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कोई आकलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय प्रसारण में प्रदर्शित कार्यक्रमों के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) राष्ट्रीय प्रसारणों के बहुक्षेत्रीय दर्शकों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल भगत) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दर्शकों की संख्या राष्ट्रीय कार्यक्रम का स्वागत करती है । तथापि, सामान्यतया उनकी इच्छा अधिक क्षेत्रीय कार्यक्रमों के लिए होती है ।

(घ) दूरदर्शन द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए जाते हैं । सभी दूरदर्शन केन्द्र कार्यक्रम नियमित आधार पर प्रस्तुत करते हैं ।

**पार्थसारथी समिति**

1576. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्थसारथी समिति ने सरकार पर मार्गनिर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

**हजारीबाग, बिहार में तिलैया/डेम (झुरमी तिलैया) में दूरदर्शन केन्द्र**

1577. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग और गिरिडीह औद्योगिक क्षेत्र तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की

लाखों जनता को टेलीविजन सुविधा का लाभ पहुंचाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त "झुमरी तिलैया" नगर के तिलैया डैम में एक दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या तिलैया पहाड़ी पर दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करके लोगों को लाभान्वित किया जाएगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, नहीं।

(ख) बिहार में उच्च शक्ति वाले दो ट्रांसमीटर और अल्प शक्ति वाले आठ ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर, हजारी बाग और गिरडीह सहित राज्य के सभी 31 जिलों में पूर्ण रूप या आशिक रूप से दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जाने उम्मीद है। राज्य की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या को छठी योजना के अन्त तक दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जाएगा।

**गिरिडीह में उर्वरक कारखाना लगाना**

**1578. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरिडीह में बनियाडीह कोयला क्षेत्र में खनिजों पर आधारित एक उर्वरक कारखाना लगाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए वहां एक उर्वरक कारखाना शीघ्र लगाया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे)** : (क) जी, नहीं।

(ख) छटी योजना उर्वरक कार्यक्रमों में इस बात पर जोर दिया गया है कि नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना मुख्य रूप से पश्चिमी तट से उपलब्ध गैस के आधार पर की जाए। उर्वरक संयंत्रों के स्थानों का निर्णय करते समय सरकार इनफ्रास्ट्रक्चर और फीडस्टाक की उपलब्धता, मांग पद्धति, उर्वरकों की परिवहन लागत और अन्य तकनीकी आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए गिरदीह में उर्वरक संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**दूरसंचार सेवा में विकास**

**1579. श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दूरसंचार सेवा के विकास में आने वाली मुख्य बाधाओं में कम पूंजी जो केवल आन्तरिक रूप से प्राप्त अर्थात् ग्राहकों से एकत्र किए गए प्रचालन मूल्य से बचे अतिरिक्त धन से होना है, का लगाया जाना एक कारण है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दूरसंचार सेवाओं के त्वरित विकास के लिए सरकार का विचार बाहर से उपयुक्त धनराशि प्राप्त करने के उपाय के रूप में, पर्याप्त वित्तीय आवंटन सहित दूरसंचार संबंधी मूलभूत कार्यों को पंचवर्षीय योजनाओं के महत्वपूर्ण क्षेत्र में शामिल करने का है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) :** (क) दूर-संचार योजना व्यय को पूरा करने के लिए विभाग के आंतरिक स्रोतों के अतिरिक्त आमतौर पर बजट सहायता की व्यवस्था की जाती है।

(ख) जी नहीं।

**बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी और मंहगाई भत्ता**

15 0. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई वर्ष पहले विभिन्न राज्यों ने बीड़ी श्रमिकों की न्यूनतम मंजूरी मंहगाई भत्ता निर्धारित किया था और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य ने कितनी-कितनी न्यूनतम मजूरी मंहगाई भत्ता निर्धारित किया था और किस वर्ष में किया था ;

(ख) क्या यह सच है विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूरी और मंहगाई भत्ते की दरें समान नहीं है और यदि हां, तो अखिल भारतीय स्तर पर न्यूनतम मजूरी और मंहगाई भत्ते की समान दरें निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या मूल्यों में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए बीड़ी श्रमिकों की मजूरी और भत्तों की नई दरें शीघ्र निर्धारित करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) :** (क), (ख) और (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन राज्य सरकारें बीड़ी उद्योग के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और उनमें संशोधन करने के लिए सम्बन्धित प्राधिकरण हैं। चौदह राज्यों ने इस उद्योग में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। एक विवरण संलग्न है 1000 बीड़ी लपेटने के लिए मजदूरी की दरें, मंहगाई भत्ता आदि तथा इन दरों के लागू होने की तारीख

दर्शाई गई है। बीड़ी उत्पादन करने वाले मुख्य राज्यों के श्रम मंत्रियों की सितम्बर, 1981 में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बीड़ी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सात और आठ रुपये के बीच में निर्धारित की जानी चाहिए। उनमें से अधिकांश राज्यों ने इस सिफारिश को लागू कर दिया है। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि जीवन निर्वाह खर्च में लगातार वृद्धि को देखते हुए, सभी राज्य सरकारों को न्यूनतम मजदूरी के पृथक अवयव के रूप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध महंगाई भत्ता लागू करना चाहिए और जो राज्य महंगाई भत्ते का फार्मूला लागू करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, उन्हें न्यूनतम मजदूरी में एक वर्ष के बाद संशोधन करना चाहिए। इस सिफारिश को सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के ध्यान में लाया गया है।

**विवरण**

| क्र० सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1000 बीड़ियों को लपेटने के लिए मजदूरी की दरें | संशोधन करने की तारीख | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 7.05 से 7.70 रू० तक (बीड़ियों के आकार और किस्म तथा क्षेत्रों के अनुसार) | 1-8-1982 | |
| 2. | असम | 5.00 रु० | 1-8-1977 | न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव अधिसूचित कर दिए गए हैं। |
| 3. | बिहार | 8.00 रु० | 24-9-1981 | |
| 4. | गुजरात | 7.20 से 7.45 रु० तक, | 15-7-1981 | इसके अतिरिक्त जीवन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | बीड़ियों की किस्म और क्षेत्रों के अनुसार | | निर्वाह लागत सूचकांक पर आधारित विशेष भत्ते की अदायगी का प्रावधान है । जीवन निर्वाह लागत सूचकांक 361 के बाद प्रत्येक पांच प्वाइन्टों की वृद्धि के लिए या इस उद्योग में कर्मचारियों को लागू होने वाले 361 सूचकांक से अधिक किसी भी सूचकांक के लिए मूल मजदूरी दर के अतिरिक्त देय विशेष भत्ता प्रतिदिन 0·15 रु० या प्रतिमाह 3·90 रु० होगा । जीवन निर्वाह लागत सूचकांक में प्रत्येक पांच प्वाइटों की |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | कमी के लिए, जो 361 से कम न हों, विशेष भत्ता 0.15 रु० प्रतिदिन या 3.90 रु० प्रतिमाह की दर से कम कर दिया जाएगा । |
| 5. | कर्नाटक | 7.40 रुपये | 1-1-82 | |
| 6. | केरल | 9.15 रु० + उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1950 से ऊपर प्रत्येक प्वांइट के लिए 3 पैसे की दर से महंगाई भत्ता | 20-10-80 | न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करने के लिए 16-5-1981 को एक समिति गठित की गई है । |
| 7. | मध्य प्रदेश | 7.40 रुपये | 1-1-82 | 42.00 रु० प्रति सप्ताह की दर से गारन्टी शुदा न्यूनतम मजदूरी । |
| 8. | महाराष्ट्र | 7.50 रु० से 10.00 रु० तक क्षेत्रों के अनुसार | 15-1-82 | कुछ शर्तों के अध्यधीन 4.75 रुपये प्रतिदिन की |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | गारन्टी शुदा न्यूनतम मजदूरी। |
| | महाराष्ट्र (जारी) | | | न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने के 5-9-83 को और प्रस्ताव अधिसूचित किए गए हैं। |
| 9. | उड़ीसा | 7.45 रु० | 31-3-1682 | |
| 10. | राजस्थान | 7.10 रु० (सादा बीड़ी)<br>8.75 रु० (विशेष बीड़ी) | 1-4-1982 | मजदूरी की न्यूनतम दरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध करने का प्रश्न विचाराधीन है। |
| 11. | तमिलनाडु | 7.20 रु० (जदी बीड़ी)<br>7.00 रु० (सादा बीड़ी) | 12-3-1982 | इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता, जो मद्रास शहर के लिए वर्ष 1981 के |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध हैं, मद्रास शहर के लिए वर्ष 1981 के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचांकक के ऊपर प्रत्येक 5 प्वांइटों की और वृद्धि के लिए, महंगाई भत्ते के रूप में 2 पैसे की बढ़ोतरी की अदायगी की जाएगी, (मजदूरी में और संशोधन करने के लिए प्रस्ताव 15-6-1983 को अधिसूचित किए गए हैं)। |
| 12. | त्रिपुरा | 6.35 रु० | 18-5-1982 | |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 7.50 रु० | 1-4-1982 | कुछ शर्तों के अध्यधीन 42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | रु० प्रति सप्ताह की गारन्टी शुदा न्यूनतम मजदूरी । |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 13.35 रु० से 16.74 रु० तक | 3-7-1982 | |

## मल्टी विटामिनों की कमी

1581. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अलाभकारी मूल्य निश्चित करने के परिणामस्वरूप बाजार में मल्टी विटामिन उत्पादों की कोई कमी हुई है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे)** : पुनः निर्मित अनुसूची-V बहु-विटामिन फार्मूलेशनों के लिए सरकार द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अधीन निर्धारित किए गए मूल्य उचित और तर्कसंगत हैं। उचित और तर्कसंगत मूल्य निर्धारण के कारण बहु-विटामिन फार्मूलेशनों की कमी की कोई सूचना नहीं है।

## कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित मामले और न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना

1582. **श्री ए० के० राय : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित मामले और न्यायाधीशों के रिक्त स्थान भरने के बारे में । मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न सं० 1532 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित एक लाख से भी अधिक मामलों को, जिनकी सं० जून, 1982 को 93,537 थी, निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ;

(ख) उक्त न्यायालय में 31 अक्तूबर, 1983 को लंबित मामलों की संख्या कितनी थी और वहां न्यायाधीशों के कितने स्थान अभी भी रिक्त हैं ; और

(ग) सेवा से हटाए गए श्रमिकों के ऐसे परिवारों को राहत के लिए क्या कार्रवाई की गई है उनकी रिट याचिकाओं के निपटान में बहुत विलंब होने के कारण कष्ट पा रहे हैं।

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (क) और (ख) कलकत्ता उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 30-9-1983 को लंबित मुख्य मामलों की संख्या 1,10,201 है। 1-3-84 को न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या 5 है। सरकार बकाया मामलों की समस्या पर निरन्तर ध्यान दे रही है। साधारणतया उच्च न्यायालयों में, जिनमें कलकत्ता उच्च न्यायालय भी है, लंबित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) यह उल्लेखनीय है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित मामलों में राहत देने के लिए सरकार को कोई कार्रवाई नहीं करनी होती है, किन्तु न्यायालय द्वारा किसी विशिष्ट मामले में ऐसी राहत का आदेश दिए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

## विवरण

### उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने क लिए समय-समय पर उठाए गए कदम ।

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100क) ।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अधिनियमित की गई और 1978 और 1980 में उसका संशोधन किया गया ।

(3) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 से बढ़ाकर फरवरी, 1984 में 421 कर दी गई है ।

(4) उपर्युक्त के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं ;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना ;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना ;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना ।

(5) सरकार ने उन राज्यों के जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लंबित हैं, मुख्य मंत्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को भी यह लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 224-क के अधीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार किया जाए ।

(6) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10 वें विधि आयोग) की नियुक्ति भी की है । विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित हैं :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चत न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए। मामलों के शीघ्र और कम खर्चे पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने खर्चों में कमी करने लिए ;

(ii) तकनी की बारीकियों और विलंबकारी युक्तियों को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे ; और

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए ;

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केंद्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अपवलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

(7) विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है इसलिए वे सिफारिशें, संघ सरकार के विचारों सहित, उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(8) सरकार ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय उसुझाने के लिए : मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अप्ररूपिक समिति गठित की है।

## मजदूर यूनियनों की सदस्यता हेतु नया फार्मूला

1583. श्री ए० के० राय : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका दिनांक 30 जनवरी, 1984 के "दी स्टेट समेन" में "ट्रेड यूनियन्स डिमांड न्यू मैम्बरशिप फार्मूला शीर्षक" से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) जी, हां ।

(ख) 30 जनवारी, 1984 को, मुख्य श्रमागुक्त (केन्द्रीय) ने उन केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया जिन्होंने सत्यापन में भाग लिया था । उनको उपलब्ध कराए गए अनंतिम सत्यापित आंकड़ों के बारे में उनकी आपत्तियों को सुना गया था । अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी संबंधि संगठनों को एक और अवसर दिया जाएगा, ताकि वे अपने मतभेदों को दूर कर सकें । सरकार को एटक और सीटू के प्रतिनिधियों, जिन्होंने सत्यापन का बहिष्कार किया था, के साथ इस प्रकार की वार्ताएं करने में कभी कोई आपत्ति नहीं है ।

**सिंदरी एकक का पुनरुद्धार**

1584· **श्री ए० के० राय** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के सिन्दरी एकक का अधिग्रहण और पुनरुद्धार का कार्य, विदेशों से विशेषज्ञों के विलम्ब से आने के कारण रोक दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इसके लिए देशी विशेषज्ञ उपलध थे ; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भर रहने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे)** : (क) और (ख) यह समझा जाता है कि माननीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक के कोक-ओवन प्लांट का नवीकरण कार्य रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स की सप्लाई प्राप्त होने में विलम्ब के कारण बन्द किया गया था न कि विदेशी विशेषज्ञों के देर से आने के कारण ।

(ग) और (घ) कोक-ओवन्स के निर्माण के लिए स्वदेशी विशेषज्ञता उपलब्ध हैं, किन्तु चूंकि सिन्दरी के कोक-औवन मैसर्स कार्ल स्टिल वेस्ट जर्मनी डिजाइन के हैं इसलिए डिजाईरों के एक इंजीनियर की विशेष सेवाओं की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोक ओवन्स का पुनः निर्माण डिजाइन आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और वह अन्य विद्यमान सुविधाओं से पूर्ण रूप से मेल खा सके।

**राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण की लम्बित योजनाएं**

1585. **श्री चतुर्भुज** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 फरवरी, 1984 तक केन्द्र में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास राजस्थान की, जिला-वार कितनी योजनायें मंजूरी के लिए लम्बित हैं ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) 1 फरवरी, 1984 की स्थिति के अनुसार राजस्थान की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें, जो ग्राम विद्युतीकरण निगम के अनुमोदन के लिए लम्बित पड़ी हैं, उनकी जिलेवार संख्या निम्नानुसार है :—

| | |
|---|---|
| उदयपुर | 9 |
| चित्तौड़गढ़ | 5 |
| जयपुर | 4 |
| भीलवाड़ा | 3 |
| कोटा | 3 |
| चुरु | 2 |
| झालवाड़ | 2 |
| श्री गंगानगर | 2 |
| बूंदी | 1 |
| अजमेर | 1 |
| जोधपुर | 1 |
| सवाई माधोपुर | 3 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| अलवर | 1 |
| बाड़मेर | 1 |
| जोड़ : | 38 |

अनुमोदन के लिए लम्बित पड़ी 38 स्कीमों में से 32 स्कीमें अनुमोदित की जा चुकी हैं। शेष 6 स्कीमें जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) उपर्युक्त 38 स्कीमों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

**1-2-1984 की स्थिति के अनुसार अनुमोदन के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम के पास लम्बित राजस्थान की सामान्य तथा आर० एम० एन० पी० ग्राम विद्युतकरण की स्कीमों का ब्योरा दिखाने वाला विवरण**

| क्र० सं० | विद्युत केन्द्र का नाम | जिले का नाम | श्रेणी ऋण राशि | शामिल नए गांव | पम्प सेट | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | भीम | उदयपुर | ओ. बी. 30.776 | 28 | 30 | अब मंजूर कर दी गई है। |
| 2. | आगेन | वही | ओ. बी. 30.988 | 47 | 105 | वही |
| 3. | बड़गांव | वही | ओ. बी. 28.482 | 32 | 150 | वही |
| 4. | मावली | वही | ओ. बी. 63.579 | 71 | 230 | वही |
| 5. | केलवाड़ा | वही | एस. यू. 55.560 | 93 | 59 | वही |
| 6. | गोदजूग्दाकोतरा | वही | आर. एम. एन. पी. 7.387 | 7 | 19 | वही |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | झदोल | वही | वही 55·418 | 56 | 150 | वही |
| 8, | खेलवाड़ा | वही | वही 79·354 | 100 | 302 | वही |
| 9. | कोटरा | वही | वही 14·804 | 25 | 27 | वही |
| 10. | चित्तोड़गढ़ | चित्तोड़गढ़ | ओ. बी. 66·447 | 95 | 300 | वही |
| 11. | केप्सस | वही | वही 22·869 | 33 | 100 | वही |
| 12. | भासमी | वही | वही 72·050 | 106 | 400 | वही |
| 13. | बरियासदरी | वही | वही 77·557 | 101 | 400 | वही |
| 14. | भनसुरगढ़ | वही | एस. यू. 24·163 | 23 | 70 | वही |
| 15. | लालसोट | जयपुर | ओ. बी. 72·812 | 85 | 360 | वही |
| 16. | दयोसा | वही | वही 68·288 | 87 | 350 | वही |
| 17. | चक्सू | वही | वही 55·724 | 64 | 280 | वही |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | जयपुर के छः उप प्रभार | वही | एच, बी. 2·374 | 15 | एच. बी. एस. | वही |
| 19. | जहाजपुर | भीलवाड़ा | ओ. बी. 22·417 | 33 | 90 | मंजूर की जा रही है । |
| 20. | असिन्द | भीलवाड़ा | ओ. बी. 50·334 | 58 | 140 | अब मंजूर कर दी गई है । |
| 21. | शाहपुर | वही | वही 22·779 | 28 | 75 | वही |
| 22. | कोटा डिविजन | कोटा | एच. बी. 3·278 | 26 | — एस. बी. एस. | वही |
| 23. | छच्छात | वही | आर. एम. एन. पी. 36·537 | 32 | 159 | राज्य बिजली |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | बोर्ड के पास संशोधन के लिए लम्बित |
| 24. | छिपाहेरड | वही | वही 57·139 | 62 | 180 | वही |
| 25. | रत्तनगढ़ | चूरू | वही 51·425 | 45 | — | मंजूरी के लिए कार्यवाई की जा रही है। |
| 29. | डुगंर गढ़ | वही | वही 60·979 | 44 | — | अब मंजूर कर दी गई है। |
| 27. | डुग | झालवाड | ओ. बी. 72·076 | 71 | 320 | वही |
| 28. | बेकासमी | वही | वही 36·516 | 56 | 200 | वही |
| 29. | पदमपुर | श्री गंगानगर | आर. एम. एन. पी. 15·258 | 22 | — | वही |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | रार्यासिह नगर | वही | वही 67·523 | 89 | — | वही |
| 30. | बुन्दी एस/डी | बुन्दी | एच. बी. 1·219 | 9 एच. बी. एस | — | वही |
| 32. | जवेजा | अजमेर | ओ. बी. 46·616 | 69 | 204 | वही |
| 33. | ओसिन | जोधपुर | एस. यू. 82.859 | 37 | — | वही |
| 34. | सपुत्रा | एस. माधोपुर | आर. एस. एन. पी. 65·611 | 51 | 300 | वही |
| 35. | कोटाकासिम | अलवर | ओ. बी. 25·409 | 22 | 150 | रा. बि. बो. के पास संशोधन के लिए लम्बित |
| 36. | सेहो | बाड़मेर | आर. एम. एन. पी. 99·068 | 19 | — | मूल्यांकन किया जा रहा है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | महुआ | सवाई माधोपुर | ओ. सी. 95.194 | 107 | 780 | अब मंजूर कई दी गई है। |
| 38.* | लोडा | भीम सवाई माधोपुर | ओ. सी. 96..00 | 83 | 720 | वही |

*— क्रम सं० 36 और 37 की स्कीमें ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारिताओं के अधीन हैं ।

**इटली की फर्म "फेसे स्टैंडर्ड" के सहयोग से टेलीफोन उपस्करों का उत्पादन**

1586. **श्री चतुर्भुज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा इटली की फर्म फेसे (एफ० ए० सी० इ०) स्टैंडर्डस के सहयोग से देश में "फेसे" डिजायन के टेलीफोन उपस्करों का उत्पादन करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त टेलीफोन उपस्करों का उत्पादन किन-किन स्थानों पर शुरू किया जायेगा और उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी तथा उत्पादन कब तक शुरू हो जायेगा और इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) और (ख) सरकार ने, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के प्रत्येक बंगलौर और नैनी एककों में विदेशी सहयोग से प्रतिवर्ष 5 लाख टेलीफोन उपकरण और इसके 7.5 लाख महत्वपूर्ण घटक बनाने के लिए 18.33 करोड़ रुपए के पूँजीगत निवेश की मंजूरी दी है। करार लागू होने की तारीख से 12 महीने बाद उत्पादन शुरू होगा। उत्पादन की निर्धारित क्षमता इस परियोजना के पांचवें वर्ष में प्राप्त की जाएगी।

**अल्पसंख्यक संघ का प्रतिनिधित्व**

1587. **श्री नीरेन घोष** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी प्रतिष्ठान बहुसंख्यक संघ के अस्तित्व में होते हुए भी उसी प्रतिष्ठान में अल्पसंख्यक संघ का प्रतिनिधित्व स्वीकार करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके ब्यौरे-वार कारण क्या हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) अनुशासन संहिता में, जिसे नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों ने स्वैच्छिक रूप से अपनाया है तथा जिसमें यूनियनों को मान्यता देने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है, बहुसंख्यक यूनियन के साथ अल्पसंख्यक यूनियन के प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**पश्चिम बंगाल के चांदीपुर और चैतन्यपुर में टेलीफोन एक्सचेंज**

1588. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले की तामकुलडिवीजन के अन्तर्गत चांदीपुर (थाना नन्दीग्राम) और चैतन्यपुर (पाना सुतहता) में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) इन स्थानों पर नए टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा सूची में पर्याप्त मांग रजिस्टर नहीं की गई है जिससे कि भुगतान वाले कनैक्शनों के साथ नए टेलीफोन एक्सचेंज के संस्थापन का औचित्य बन सके जैसा कि उदारीकृत नीति के अन्तर्गत आवश्यक है ।

**छठी योजना के दौरान अशोधित तेल का उत्पादन**

1589. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान अशोधित तेल के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य क्या है ;

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान अब तक आयल इण्डिया लिमिटेड और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कुल कितने अशोधित तेल का उत्पादन किया गया है ;

(ग) क्या कुछ नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है, जहां पर पैट्रोल की खोज का कार्य आरम्भ किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं और इन क्षेत्रों में तेल का उत्पादन किस वर्ष तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) छठी योजना लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क) और (ख) छठी योजना (1980-81 से 1984-85) के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 93.4 मि० मी० टन है। योजना अवधि के दौरान जनवरी, 1984 तक आयल इंडिया लिमिटेड तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का कुल उत्पादन 69.23 मि० मी० टन रहा।

(ग) और (घ) जी हां। निम्नलिखित क्षेत्रों में खोज कार्य प्रगति पर है :—

| तटीय क्षेत्र | अपतटीय क्षेत्र |
|---|---|
| गुजरात | पूर्वी समुद्र तट |
| असम | पश्चिमी समुद्र तट |
| त्रिपुरा | महानदी बेसिन से दूर |
| आन्ध्र प्रदेश | उड़ीसा समुद्र तट पर |
| पश्चिमी बंगाल | बंगाल की खाड़ी |
| राजस्थान | उत्तर पूर्व समुद्र तट |
| उड़ीसा | महानदी बेसिन |

इन क्षेत्रों से उत्पादन कब शुरू होगा इसके समय के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

(ङ) छठी योजना के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए उपायों में वर्क-ओवर रिगों की व्यधन कुशलता में वृद्धि करके बेकार कूपों की मरम्मत, अधिक विकास कूओं का व्यधन, उपकरणों का आधुनिकीकरण तथा तेल प्राप्ति की उच्च तकनीकों का प्रयोग शामिल है।

**उर्वरक उद्योग का विस्तार**

1590. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान देश में उर्वरक उद्योग में सरकार ने कुल कितना पूंजी निवेश किया है ;

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान अब तक उर्वरकों का कितना उत्पादन हुआ है ;

(ग) क्या छठी योजना की शेष अवधि के दौरान उर्वरक उद्योग में कोई नया पूंजी निवेश करने का सरकार का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो कितने मौजूदा एककों का विस्तार किया जाएगा और नए एकक स्थापित करने के लिए किन क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ङ) कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का क्या ब्यौरा है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे)** : (क) छटी योजना के पहले चार वर्ष (1980-81 से 1983-84 के दौरान, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र के उर्वरक कार्यक्रमों के लिए कुल योजना व्यय लगभग 1517 करोड रुपये था।

(ख) वर्ष-वार उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :—

उत्पादन लाख टनों में

| | नाइट्रोजन | पी2 ओ5 |
|---|---|---|
| 1980-81 | 21·64 | 8·41 |
| 1981-82 | 31·44 | 9·49 |
| 1982-83 | 34.24 | 980 |
| 1983-84 | 35·00 | 10·40 |

(ग) 1984-85 के दौरान, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र के उर्वरक कार्यक्रम पर परिव्यय का अनुमान लगभग 850 करोड रुपये है।

(घ) और (ड) ऊपर भाग (ग) के उत्तर में दर्शाये गए परिव्यय में उडीसा में पारादीप तथा मध्य प्रदेश में गुना के नए क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों के लिए प्रावधान शामिल है : क्रमिक ढंग से पांच और नए उर्वरक संयंत्रों का कार्य आरम्भ किया जाएगा। वे बरेली, उत्तर प्रदेश (सहकारी क्षेत्र में) रास्थान में सवाई माधोपुर उत्तर प्रदेश में बदायूं और शाहजहांपुर (निजी क्षेत्र) तथा सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश (राज्य सहायता प्राप्त क्षेत्र) में स्थापित किए जाएंगे।

**1983-84 के दौरान बिजली क्षेत्र का राज्यवार कार्य निष्पादन**

1591. **श्रीमती जयंती पटनायक** :

**श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1983-84 के दौरान बिजली क्षेत्र में राज्यवार और संघ शासी क्षेत्रवार कार्य निष्पादन रिपोर्ट की पुनरीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघशासी क्षेत्रवार क्या ब्यौरा है ;

(ग) 1984-85 में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचारहै ; और

(घ) उसके लिए तैयार किए कार्य-क्रम का ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1983 से जनवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विद्युत उत्पादन कार्यक्रम तथा वास्तविक विद्युत उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

वर्ष 1983-84 के दौरान 4157 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन ,क्षमता चालू करने की योजना बनाई गई थी, जिसकी तुलना में फरवरी, 1984 तक 3503 मेगावाट चालू । रोल की जा चुकी है।

(ग) से (घ) वर्ष 1984-85 के लिए लगभग 156000 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रस्ताव है। 1984-85 में लगभग 3120 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू करने का भी प्रस्ताव है।

विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) मौजूदा ताप विद्युत यूनिटों की क्षमता समुपयोजना में सुधार करना ;

(2) नई चालू की गई यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए कृतिक बलों के दोरों की व्यवस्था करना,

(3) प्रचालन तकनीकों के संबंध में विद्युत केन्द्र प्राधिकारियों को परामर्श देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों की व्यवस्था करना;

(4) कोयले को अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा की व्यवस्था करना ;

(5) 1984-85 के दौरान चालू किए जाने वाली परियोजनाओं की गहन मनीटरिंग करना ;

(6) भेल, आई० एल० के० और और अन्य सप्लाई कर्ताओं मे हिस्से पूर्जों और अन्य सामग्री की व्यवस्था करना ।

**विवरण-1**

**प्रतिष्ठापित क्षमता, सकल ऊर्जा उत्पादन तथा उत्पादन लक्ष्य का राज्य/प्रणाली/संघ राज्य क्षेत्रबार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा**

अवधि : 1983-84 (अप्रैल—जनवरी)

| क्रम सं० | राज्य/प्रणाली | श्रेणी | क्षमता (मे० वा०) (31-1-84 की स्थिति के अनुसार) | उत्पादन का लक्ष्य (मि० यूनिट) | ऊर्जा उत्पादन (मि० यूनिट) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड | जल विद्युत | 2535 | 9094 | 9775 |
| 2. | दिल्ली | तापविद्युत | 1030.5 | 4107 | 3512 |
| 3. | जम्मू और कश्मीर | तापविद्युत | 22.5 | 10 | 2 |
| | | जलविद्युत | 174 | 752 | 783 |
| | | जोड़ : | 196.5 | 762 | 785 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | जल विद्युत | 300 | 1297 | 1297 |
| 5. | हरियाणा | तापविद्युत | 415 | 1176 | 855 |
| 6. | राजस्थान | तापविद्युत | 220.0 | 271 | 464 |
| | | न्यूक्लीय | 440 | 1220 | 989 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | जलविद्युत | 271 | 431 | 504 |
| | जोड़ : | 931 | 1922 | 1957 |
| 7. पंजाब | तापविद्युत | 440 | 1673 | 1799 |
| | जलविद्युत | 200 | 798 | 799 |
| | जोड़ : | 640 | 2471 | 2598 |
| उत्तर प्रदेश | तापविद्युत | 3280 | 9983 | 8814 |
| | जलविद्युत | 1242·4 | 3369 | 3373 |
| | जोड़ : | 4522·4 | 13352 | 12187 |
| 9. गुजरात | तापविद्युत | 2243 | 9870 | 8927 |
| | जलविद्युत | 300 | 385 | 846 |
| | जोड़ : | 2543 | 10264 | 9773 |
| 10. मध्य प्रदेश | तापविद्युत | 2402·5 | 7281 | 7790 |
| | जलविद्युत, | 115·0 | 322 | 197 |
| | जोड़ : | 2517·5 | 7603 | 7987 |
| 11. महाराष्ट्र | तापविद्युत | 4283 | 14633 | 12929 |
| | न्यूक्लीय | 420 | 1620 | 1661 |
| | जलविद्युत | 1303·5 | 4220 | 5094 |
| | जोड़ : | 6006·5 | 20473 | 19684 |
| 12. आंध्र प्रदेश | तापविद्युत | 1425·5 | 4951 | 4716 |
| | जलविद्युत | 1641·7 | 4653 | 4678 |
| | जोड़ | 3067·2 | 96·04 | 9394 |
| 13. कर्नाटक | जलविद्युत | 1847.2 | 6545 | 6564 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14. केरल | जलविद्युत | 1011.5 | 4111 | 2941 |
| 15. तमिलनाडु | तापविद्युत | 1750.0 | 6318 | 6486 |
| | न्यूक्लीय | 235.0 | — | 257 |
| | जलविद्युत | 1369.0 | 3345 | 2389 |
| | जोड़ | 3354.0 | 9663 | 9132 |
| 16. बिहार | तापविद्युत | 875.0 | 2200 | 1834 |
| | जलविद्युत | 150.0 | 130 | 160 |
| | जोड़ | 1025.0 | 2330 | 1994 |
| 17. उड़ीसा | तापविद्युत | 470.0 | 951 | 973 |
| | जलविद्युत | 630.0 | 1586 | 1909 |
| | जोड़ | 1100.0 | 2537 | 2882 |
| 18. पश्चिम बंगाल | तापविद्युत | 1926.0 | 5334 | 5125 |
| | जलविद्युत | 41 | 39 | 98 |
| | जोड़ | 1967.0 | 5373 | 5223 |
| 19. दा० घा० निगम | तापविद्युत | 1445.0 | 5337 | 4910 |
| | जलविद्युत | 104 | 136 | 203 |
| | जोड़ | 1549.0 | 5473 | 5113 |
| 20. सिक्किम | जलविद्युत | 22.0 | 14 | 19 |
| 21. असम | तापविद्युत | 327.5 | 857 | 797 |
| 22. मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड | जलविद्युत | 245.2 | 515 | 453 |

9 संघ राज्यों क्षेत्रों में से, चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी विद्युत का अपना उत्पादन नहीं करते और विद्युत सप्लाई के लिए पड़ोसी राज्यों

पर निर्भर हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा लक्षद्वीप अपने यूनिटों से विद्युत उत्पादन करते हैं जो अधिकांशतः डीजल उत्पादन सेटों पर आधारित हैं। इन संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठापित क्षमता अपेक्षाकृत कम हैं और इन यूनिटों से उत्पादन विद्युत क्षमता इन संघ राज्य क्षेत्रों की सीमित आवश्यकताओं के लिए की जाती है। दिल्ली की उत्पादन क्षमता काफी है और इसकी क्षमता तथा उत्पादन संबंधी कार्य-निष्पादन विवरण में दिया गया है।

**त्रिवेन्द्रम में दूरदर्शन केन्द्र का निर्माण**

1592. **श्री पी० के० कोडियन : सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम में दूरदर्शन केन्द्र के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक इस पर कितनी धनशाशि खर्च हो चुकी है ; और

(ग) इसका निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के लिए भवन का निर्माण कार्य उच्च अवस्था में है तथा वह पूरा होने वाला है। 126 मीटर ऊंचे आर० सी० सी० टावर का निर्माण कार्य चल रहा है। 10 किलोवाट वाला ट्रांसमीटर प्राप्त हो गया है तथा उसे लगा दिया गया है। रंगीन स्टूडियो उपकरणों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं।

(ख) दिसम्बर, 1983 तक 310.79 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

(ग) आर० सी० सी० टावर का निर्माण होने तक अंतरिम ढांचे को शीघ्र ही चालू किया जा रहा है। ट्रांसमीटर के 10 किलोवाट की पूरी शक्ति पर 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की आशा है। स्टूडियो केन्द्र के 1985-86 के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

**पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों के प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का भुगतान न किया जाना**

1593. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि पश्चिम बंगाल की बन्द पटसन मिलों के प्रबंधक उन बन्द यूनिटों के कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि की जमा राशि से वंचित कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस तरह कितने कर्मचारियों को उनकी राशि से वंचित किया जा रहा है ;

(ग) क्या उन प्रबन्धकों के विरुद्ध भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण आवश्यक मुकदमा चलाया गया है ;

(घ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 (5) के अन्तर्गत न्यास निधियों को न्यासधारियों से लेकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा रखा जाने वाले कर्मचारियों के खाने में अन्तरित किये जाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (क) (ख) और (ग) के उत्तर नाकारात्मक है ; तो उनके क्या कारण हैं ?

**श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार लगभग 13,200 भविष्य निधि अंशदाताओं वाली 4 बन्द पड़ी मिलों (दो छूट-प्राप्त और दो छूट-न-प्राप्त) की ओर भविष्य निधि की देय राशियां बकाया हैं। दोषी मिलों का ब्यौरा, देय राशि और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही संबंधी विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) मैसर्स नार्थ बुक जूट मिल्स लिमिटेड और मैसर्स श्री गोरीशंकर जूट मिल्स लिमिटेड को दी गई छूट अभी रद्द नहीं की गई है और इस लिए इस अवस्था पर धारा 17 (5) के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

विवरण

| क्र० सं० प्रतिष्ठान का नाम | चूक की राशि (रु० लाखों में) | की गई कार्यवाही | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1. मैसर्स नार्थ बुक जूट मिल्स लिमिटेड (छूट-प्राप्त) | 115·02 | 3/76-7/78 और 11/78 की अवधियों के संबंध में चूक के कारण कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14 (2) के अधी अभियोजन मामला चलाया गया है। | कम्पनी ने कार्यवाही रोकने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय से रोधनादेश प्राप्त किया था जिसे हाल ही में रद्द कर दिया है। एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। |
| 2. मैसर्स श्री गोरी शंकर जूट मिल्स लिमिटेड छूट प्राप्त) | 72·00 | 7/81-10/81 तक की अवधियों के सम्बन्ध में चूक के लिए धारा 14 (2) के अधीन और 7/81- | कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कम्पनी ने "खिविल प्राप्त कर लिया है"। रोधनादेश अभी लागू है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | | 9/81 तक की अवधि के संबंध में चूक के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406/406 के अधीन अभियोजना मामले दायर किए गए हैं। | |
| 3. मैसर्स नसकरपारा जूट मिल्स कम्पनी लिमिटेड (छूट न प्राप्त) | 36·25 | 5/76-12/76,2/77-9/7 और 10/79-3/81 तक की अवधियों के संबंध में धारा-14 (2) के अधीन अभियोजना दायर किए गए है। 10/80-3/81 की अवधि के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन मामले दायर किए गए हैं। | यह कम्पनी परिसमपन की व्यवस्था में हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार मिल के प्रतिभूत लेनदारी की 1-9-1983 को एक बैठक हुई थी। उक्त बैठक में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के प्रतिनिधि ने धारा 11 के अधीन अन्य कर्जों के मुकाबले भविष्य निधि को दें राशियों की अग्रता के आधार पर अदायगी करने के बारे में जोर दिया। उक्त बैठक का निर्णय अभी प्राप्त होना हैं। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. मैसर्स प्रमचन्द्र जुट मिल्स (छुट न प्राप्त) | 47·27 | 2/74-2/77 तक की अवधि के के संबंध में अधिनियम की धारा 14 (2क) के अधीन अभियोजन दायर किए गए हैं । 1/73-3/76 और 5/76-8/76 की अवधियों के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन अभियोजन दायर किए गए हैं । | यह कम्पनी 13-8-1979 से परिसमापन की अवस्था में है । सरकारी परिसमापत ने भविष्य निधि के संबंध में दावे प्रस्तुत करने के लिए अभी नहीं कहा हैं । |

## शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हेतु जिलों का चयन

1594. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सहायता से शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हेतु किन्हीं जिलों का चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में इस काम के लिए चयन किये गये जिलों के नाम क्या हैं, और क्या चयन किये गये जिलों के लिए बनायी गई योजना के अनुसार 1982-83 तक विद्युतीकरण का शत-प्रतिशत काम पूरा हो पाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या जिलों के किसी भाग को धन की कमी के आधार पर शत-प्रतिशत विद्युतिकरण में शामिल नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार उन जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आंशिक रूप से शामिल किया गया और जिन भागों को छोड़ दिला गया उनका क्या होगा ;

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, ग्राम विद्युतिकरण निगम की वित्तीय सहायता से रा० बि० बोर्डों द्वारा देश में निम्नलिखित 14 जिले शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए चुने गए थे। विद्युतीकरण का प्राप्त स्तर प्रत्येक जिले के सामने दिया गया है :—

| राज्य | जिले का नाम | विद्युतीकरण का स्तर |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | 1. नान्देड | 100 % |
| | 2. चन्द्रपुर | 48 % |
| हिमाचल प्रदेश | 1. कांगड़ा | |
| | (एक) कांगड़ा तहसील | 99.5 % |
| | (दो) पालमपुर तहसील | 87.9 % |
| | (तीन) नूरपुर तहसील | 94.2 % |
| मध्य प्रदेश | 1. छिन्दवाड़ा | 95 % |
| पश्चिम बंगाल | 1. माल्डा | 80 % |
| | 2. नादिया | 96 % |

(ग) और (घ) ग्राम विद्युतिकरण निगम ने रा० वि० बोर्डों द्वारा पहले चुने गए जिलों के शत-प्रतिशत विद्युती करण के लिए निधियों की कमी के बारे में किसी राज्य को सूचित नहीं किया है। तथापि, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मामले में राज्य बिजली बोर्ड ने पहले चरण में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए चार तहसीलों में से केवल तीन तहसीलें नामशः कांगड़ा, नूरपुर, पालमपुर का कार्य हाथ में लिया है। देहरा तहसील को पहले चरण में हाथ में नहीं लिया गया, तथापि ग्राम विद्युतीकरण निगम ने देहरा तहसील में पर्याप्त संख्या में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं ताकि बोर्ड इस तहसील में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण को सुनिश्चित कर सके।

**इनसेट-बी की सहायता से दूरसंचार सुविधाओं का विकास**

1595. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूर संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए "इन्सेट-बी" का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय तक उपग्रह की सहायता से किन-किन क्षेत्रों में ये सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं अथवा उनका विस्तार किया जा रहा है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ अतिरिक्त क्षेत्रों को ये सुविधाएं प्रदान करना

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर उपग्रह भू-केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं :

बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, शिलांग, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, एर्नाकुलम, हैदराबाद जयपुर, जलंधर, लखलऊ, पटना, त्रिपुरा में अगरतला, मिजोरम में ऐजल, गुजरात में भुज, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार पोर्ट बलेयर, सिक्किम में गांतोक, मणिपुर में इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश में इटानगर, लक्षद्वीप में मिनिकाय, नागालैंड में कोहिमा, लद्दाख में लेह, गोवा में पणजी, राजस्थान में जोधपुर और जम्मू व कश्मीर में श्रीनगर।

(ग) जी हां।

(घ) निम्नलिखित स्थानों पर अतिरिक्त भू-केन्द्र स्थापिक करने का प्रस्ताव है :

जम्मू और कश्मीर में डोडा, राजोरी, पुंछ, कारगिल, मध्य प्रदेश में बस्तर, हिमाचल प्रदेश में केलोग और काल्पा, अरुणाचल प्रदेश में जीरो, अनिनी, दापोरीजो और सेप्पा, राजस्थान में जैसलमेर, उत्तर प्रदेश में श्रीनगर, गढ़वाल व उत्तरकाशी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कैम्पबेल बे, डिगलोपुर और मायाबुंदर।

**"गांधी" फिल्म से हुई आय**

1596. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "गांधी" फिल्म से अब तक कुल कितनी आय प्राप्त हुई है ; और

(ख) इसके लिए दिए गए वित्तीय ऋण के अपने अंश के रूप में सरकार को अब तक कितनी धनराशि वापस मिली है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को फिल्म "गांधी" के प्रदर्शन से अपने हिस्से के रूप में 5.96 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

(ख) निगम को दिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में सरकार को 9.80 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं।

**मौजूदा औषध क्षमताओं का नियमित किया जाना**

1597. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल ड्रग्स एण्ड फर्मास्युटिकल्स डेवलपमेंट कौंसिल द्वारा गठित एक कार्य दल ने औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पर कोई ध्यान दिए बिना सभी मौजूदा औषध क्षमताओं को नियमित करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (वसन्त साठे)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद् जो इस समय औषध नीति की पुनरीक्षा कर रही है, द्वारा अपने कार्यकारी दलों की रिपोर्ट पर विचार किए जाने और अपनी सिफारिशों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है। सरकार एन० डी० डी० सी० की सिफारिशें प्राप्त होने और उन पर विचार करने के पश्चात ही औषध नीति में आवश्यक परिवर्तनों, यदि कोई हो, की घोषणा करना चाहती है।

**20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सरकार की उपलब्धियों संबंधी अभियान**

1598. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यन बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्यवन में सरकार की उपलब्धियों और लोगों का ध्यान दिलाने के लिए विदेशी प्रचार विशेषज्ञों की सहायता से पूरे देश में एक अभियान आरम्भ करने में सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, इस मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एकक, जिनमें, अन्यों के साथ-साथ, आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म प्रभाग, पत्र सूचना कार्यालय गीत और नाटक प्रभाव, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और प्रकाशन विभाग शामिल हैं, उपर्युक्त कार्यक्रम फार्मेटों के माध्यम से 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत किए जा रहे कार्य के बारे में सूचना का प्रसार करते है। उदाहरण के तौर पर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालयों ने कार्यक्रम के विभिन्न सूत्रों पर अंग्रेजी, हिन्दी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनेक पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन वार्ताओं, भेंटवार्ताओं, नाटकों, रूपकों, इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संगत सूचना का प्रसार करते हैं, फिल्म प्रभाग ने अपनी डाकुमेंट्रियों और न्यूजरीलों के माध्यम से सतत् प्रचार और संचार समर्थन उपलब्ध किया है, गीत और नाटक प्रभाग ने विभिन्न संगत विषयों पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं तथा क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अन्तर व्यक्तिगत संचार के माध्यम से ग्रामीण जनता तक विकास का संदेश पहुंचाते हैं।

**पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नये डाकघरों, उप-डाकघरों का खोला जाना**

1599. **श्री मती गीता मुखर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 1983 तक की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के पंसकुरा, दसपुर, देवरा, सालंगम, पिंगला और केशपुर थाना क्षेत्रों में क्रमशः कितने-कितने नए डाकघर या उप-डाकघर खोले गए हैं; और

(ख) वर्ष 1979 से 1983 तक की अवधि के दौरान उपरोक्त थाना क्षेत्रों की जनता की ओर से नए डाकघर अथवा उप-डाकघर खोलने के कितने आवेदन प्राप्त हुए थे ?

**संचार राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जानकारी नीचे दी गई है :—

| थानों के नाम | 1979-80 *उ.डा. | 1979-80 *अति. शा.डा. | 1980-81 उ.डा. | 1980-81 अति. शा.डा. | 1981-82 उ.डा. | 1981-82 अति. शा.डा. | 1982-83 उ.डा. | 1982-83 अति. शा.डा. | 1983-84 उ.डा. | 1983-84 अति. शा.डा. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पंसकुरा | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — |
| दसपुर | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| देबरा | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| सबांग | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 (स्वीकृत डाकघर खोले जा रहे हैं) |
| पिंगला | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — |
| केशपुर | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 (स्वीकृत डाकघर खोले जा रहे हैं) |

* उ.डा. = उप-डाकघर

अति. शा. डा. = अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर

(ख) जानकारी नीचे दी गई है।

| थाने का नाम | प्राप्त याचिकाओं की संख्या | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 |
| पंसकुरा | 2 | 6 | 3 | 6 | — |
| दसतुर | 1 | 1 | 3 | 4 | — |
| देबरा | — | 4 | 5 | 2 | — |
| सबांग | — | 1 | — | 2 | 1 |
| पिंगला | — | 3 | — | 2 | — |
| केशपुर | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |

## उच्चतम न्यायालय के निर्णय और श्रम न्यायाधिकरणों के पंचाटों के परिणाम स्वरुप हिन्दुस्तान लीवर के कर्मचारियों को दय भुगतान

1600. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के तुलन पत्रों में उसकी विद्यमान स्थिति नहीं दर्शाई गई ;

(ख) क्या 5 जनवरी, 1984 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय के अनुसार कम्पनी को कई करड़ रुपये अपने कर्मचारियों को देने होंगे;

(ग) क्या कम्पनी द्वारा अनेक राज्यों में अनधिकृत समझौतों के सहारे लागू की गई मंहगाई भत्ते पर रोक को श्रम न्यायाधिकरणों द्वारा विधि विरुद्ध ठहराये जाने के परिणाम-स्वरूप इस कम्पनी के कर्मचारियों को कई करोड़ रुपये दिए जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या आकस्मिक देयता के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा किये गये प्रावधान सम्भावित आवश्यकताओं से कम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो शेयर होल्डरों के हित में स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल)** : (अ) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की 31 दिसम्बर, 1982 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सांविधिक लेखा परीक्षक की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार उस तारीख तक कम्पनी के तुलन-पत्र से उसकी कार्यव्यवस्था की सही और स्पष्ट स्थिति सामने आई।

(ख) तथा (ग) कम्पनी कार्य विभाग जो उच्चतम न्यायालय या श्रम न्यायाधिकरणों के समक्ष पार्टी नहीं है और अनुवर्ती वर्ष के तुलन-पत्र के अभाव में, कम्पनी को अपने कर्मचारियों को किसी प्रकार की देयता के विषय में जानकारी नहीं है।

(घ) तथा (ङ) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उपलब्ध नहीं होते।

## कर्नाटक में बिजली की मांग और पूर्ति

1601. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी वाले कर्नाटक की सहायता करने में आन्ध्र प्रदेश की अनिच्छा से दक्षिण पूर्व मानसून के प्रारम्भ में कर्नाटक राज्य में बिजली की स्थिति क्षीण बनी रही ;

(ख) क्या यह सच है कि इस राज्य ने मांग और पूर्ति में भारी अन्तर को ध्यान में रखते हुए केन्द्र से राज्य की सहायता की करने का अनुरोध किया है ;

(ग) आन्ध्र प्रदेश द्वारा बिजली की सप्लाई करने से इन्कार के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) क्या अन्य पड़ौसी राज्यों ने भी बिजली सप्लाई के लिए इस राज्य की सहायता नहीं की है ;

(ङ) यदि हां, तो बिजली की कमी पर काबू पाने में राज्य की सहायता करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) कर्नाटक में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए राज्त को महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश से प्रर्याप्त सहायता दी जा रही है, विद्युत का अन्तरण करने के लिए जब उनकी प्रणाली की परिस्थितियां अनुमति देती है। जुलाई 1983 से फरवरी 1984 तक आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा कर्नाटक को उपलब्ध करायी गई है। महीनेवार सहायता विवरण में दी गई है। तथापि जनवरी में आन्ध्र प्रदेश में ही विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण आन्ध्र प्रदेश से कर्नाटक को सहायता में कमी करनी पड़ी थी। जब आन्ध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर/श्री शैलम में जल विद्युत उत्पादन में सुधार होता है तब कर्नाटक की सहायता में वृद्धि कर दी जाती है। महाराष्ट्र कर्नाटक को यथा सम्भव सहायता कर रहा है। 1984 में मानसून शुरू होने से कर्नाटक में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार होने की सम्भावना है।

**विवरण**

**आन्ध्र प्रदेश और महारष्ट्र राज्य बिजली बोर्डों से कर्नाटक को सहायता**

| महीना | आन्ध्र प्रदेश से | महाराष्ट्र से |
|---|---|---|
| | (आंकड़े मिलियन यूनिट में) | |
| जुलाई 1983 | 4·82 | 15·94 |
| अगस्त 1984 | 24·16 | 2·97 |
| सितम्बर 1984 | 35·31 | 33·44 |
| अक्तूबर 1984 | 46·88 | 53·79 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| नवम्बर 1983 | 47.36 | 49.68 |
| दिसम्बर 1983 | 23.96 | 42.95 |
| जनवरी 1984 | 3.34 | 41.96 |
| फरवरी 1984 (15 तक) | 2.25 | 15.30 |

**ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए बिजली के कनेक्शन में उपभोक्ताओं को हो रही कठिनाइयां**

1602. **श्री बी० बी० देशाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन लोगों कोग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं उन्हें व्यवधान, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, मरम्मत की सुविधाओं के न होने और कनेक्शन उपलब्ध करने में विलम्ब जैसी प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने एक सर्वेक्षण कराया था जिसमें यह कहा गया है कि गरीबी की सीमा से नीचे के लोगों विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति को कुछ राज्य सरकारों द्वारा उनके मामले में श्रमिक सक्षमता के लिए मानदण्ड कम किए जाने के बावजूद इन योजनाओं से कोई लाभ नहीं हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो योजना आयोग की रिपोर्ट में अन्य किन बातों का पता चला है ;

(घ) क्या योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि इन लोगों को और अधिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए जिससे वे लोग विद्युतीकरण का लाभ उठा सकें ;

(ङ.) क्या सरकार ने सुझावों को स्वीकार कर लिया है ; और

(च) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक छठे गांव में विद्युत की सप्लाई में प्रतिदिन लगभग दो बार व्यवधान होने की रिपोर्ट थी : लम्बी और वोझिल प्रक्रिया के कारण उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के कनेक्शन प्राप्त करने में भी विलम्ब हुआ

था। जहां तक मरम्मत की सुविधाओं का सम्बन्ध है अध्ययन दल की रिपोर्ट से पता चलता है कि अनेक गांवों के लिए गांवों से आम तौर पर केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर मरम्मत की सुविधाएं उपलब्ध की थीं। अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि जिन गांवों में अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का बाहुल्य है उन गांवों को बिजली देने के लिए तथा कमजोर वर्गों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें बिजली के लाभ मिल जाएं। योजना आयोग के अध्ययन से पता चले अन्य विशिष्ट मुद्दे ये हैं...(1) लम्बी तथा बोझिल प्रक्रिया जिससे उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन लेने में विलम्ब होता है ; (2) अनेक राज्यों में बिल वसूल करने वाले केन्द्र सर्वेक्षण किए गए गांवों से 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर थे ; (3) विद्युतीकरण के बाद पम्प सेटों की संख्या, सिंचित क्षेत्र, अधिक पैदावार देने वाली किस्मों के सुधरे हुए बीजों के अपनाने, केमिकल फर्टिलाइजरों आदि के व्यापक उपयोग में बढ़ोतरी हुई है ; (4) औद्योगिक यूनिटें, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं, अधिकांश कृषि पर आधारित हैं ; (5) महिलाओं के थटिया कर्मों को कम करने के अतिरिक्त ग्राम विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप पढ़ने की आदतों, मनोरंजनों, खेलों और हाबी में वृद्धि हुई है ; (6) सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं के कारण फसलों को स्वरूप अधिक आमदनी वाली फसलों में परिवर्तित हो गया है ; (7) बिजली के उपयोग को न अपनाने के लिए "लाभ प्राप्त न करने वालों की" मुख्य कठिनाई वित्त की कमी हैं।

(ङ) और (च) योजना की रिपोर्ट में प्रकाशि समस्याओं से ऊर्जा मंत्रालय अवगत है और कार्यवाही की जा रही है।

**दवाओं के केवल प्रजाति-नामों का प्रयोग करने का अंतिम निर्णय और दवाओं के लिए ब्रांड नामों का प्रयोग जारी रखने को रोकने के उपाय**

1603. **श्री के० प्रधानी :**

**श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दवाओं के लिए ब्रांड नामों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बराबर मांग किए जाने के बावजूद उनका प्रयोग जारी रहने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को अधिकांशत इस प्रत्येक दवा को वह खरीदता है अत्यधिक मूल्य देना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार ने दवाओं के केवल प्रजाति नाम प्रयोग किए जानें सम्बन्धी हाथी समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय ले लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे लागू करने और दवा कम्पनियों के चिकित्सों व्यवसाय को ब्रांड नाम वाली महंगी दवाइयां लिखने के लिए प्रलोभन देने की चल रही प्रवृति और उपभोक्ताओं के प्रजनता समुचित लाभ उठाए जाने को रोकने के लिए कौन सा तंत्र बनाया गया है ?

**रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे)** : (क) से (ग) हाथी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने मार्च, 1978 में निम्नलिखित पांच औषधों पर आधारित एकक घाटक फार्मूलेशनों पर ब्रांड नाम समाप्त करने का निर्घात लिया ।

1. अनलजिन
2. एसप्रिन
3. क्लोरोफीनजिस
4. फोरस सल्फेट
5. पिपराजाइन और इसके लवण जैसे एडीपेट साइट्रेट और फास्फेट

इसके अतिरिक्त एकल घाटक खुराकों निर्मित की जाने वाली नई औषधों पर ब्रांड नामों का प्रयोग भी समाप्त कर दिया गया। उक्त आशय के निर्णय दिनांक 16 मार्च, 1979 को रजिस्टार आफ ट्रेड मार्क्स को सूचित कर दिए गए थे. उक्त निर्णय निर्यात किए जाने वाले फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में लागू नहीं होते थे। कुछ निर्माता ने सरकार के निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी और उक्त न्यायालय ने 13 अगस्त, 1982 को दिए गए अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की कि किसी एकल क्रियाशील घटक वाले औषधों को केवल सामान नामों से वेचे जाने के लिए निर्धारित करना गैर कानूनी और संधिधान का उल्लंघन होगा। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है (स्पेशल लीध पैटीशन जो स्वीकार कर ली गई है । तथापि सर्वोच्च न्यायालय को अभी अन्तिम निर्णय देना है। औषधों के मूल्यों पर औषध) मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन कानूनी नियंत्रण रखा जाता है और फार्मूलेशन की बिक्री चाहे ब्रांड नाम से की जाये अथवा सामान्यता से उसका मूल्य समान रूप से निकाला जाता है तथापि, मूल्य में अन्तर सरकार द्वारा लिए जा रहे उत्पाद शुल्क के कारण होता है । इसलिए मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में निर्माता राज कोष को भुगतान किए जाने वाले उत्पाद शुल्क को छोडकर ब्रांड उत्पादों के लिए अधिक मूल्य वसूल नहीं कर सकते ।

**विज्ञान में अश्लीलता**

1604. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 फरवरी, 1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली में

"वौमन डिक्राई ब्लेटन्ड सेक्सिज्म इन मीडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) विज्ञापनों में अश्लीलता को रोकने के लिए उनका क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) :** (क) जी, हां ।

(ख) अकाशवाणी और दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन क्रमशः वाणिज्यक प्रसारण संहिता द्वारा विनियमित होते हैं । सभी विज्ञापन प्रतियों की सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल की जाती है और जहां भी आवश्यक होता है स्वीकार करने के लिए पार्टियों को उपयुक्त परिवर्तन सुझाए जाते हैं ।

गैर सरकारी विज्ञापनदाताओं द्वारा समाचारपत्रों को रिलीज किए जाने वाले विज्ञापनों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है । सरकार यह महसूस करती है कि इस सम्बन्ध में विज्ञापन समुदाय द्वारा स्वः विनिमयन, अधिक सामाजिक जागरुकता और और व्यावसायिक स्तरों और आचारों का अनुपालन, मुद्रण माध्यमों में इस प्रकार की प्रवृत्तियों से निपटने के लिए अधिक प्रभावी होगा ।

**गुजरात में नए डाकघरों की स्थापना**

1605. **श्री जीतूभाई गामित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए डाकघर खोलने और अधिक तार सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है ?

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में, जहां समाज के कमजोर वर्ग के लोग रहते है, इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिड) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

## गुजरात सरकार द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर 20 प्रतिशत उपकर लगाने का निर्णय

1606. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और केसिंग हैड कंडेनसर पर 20 प्रतिशत तक उपकर लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क) और (ख) गुजरात, ग्रामीण विकास उपकर अधिनियम, 1984 में, 4-2-1984 से लागू हुआ है, राज्य में सभी निर्दिष्ट भूमियों पर वार्षिक मूल्य के 10 प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जैसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय, एक कर लगाने और संग्रह करने की व्यवस्था है, जिसे ग्रामीण विकास उपकर कहा जाएगा। इससे गुजरात राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की लागत की व्यवस्था की जाएगी।

ग्रामीण विकास उपकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाएगा जिनके पास ऐसी निर्दिष्ट भूमि है, जहां खनिज तेलों की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए खुदाई की जानी है अथवा खनिज तेलों को निकाला जाना है।

## नजीमाबाद रेडियो स्टेशन से कुमाऊंनी और गढ़वाली क्षेत्रीय भाषाओं के लिए आबंटित समय

1607. **श्री हरीश रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नजीवाबाद (उत्तर प्रदेश) रेडियो स्टेशन पर एक सप्ताह में कुल प्रसारण समय में से कुमाऊंनी और गढ़वाली क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों को कितना-कितना समय दिया जाता है ; और

(ख) इन दोनों क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण के लिए लगभग समान अवसर और समय प्रदान करने हेतु उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) आकाशवाणी नजीबाबाद गढ़वाली और कुमाऊंनी बोलियों में प्रतिदिन 65 मिनट की औसत अवधि के कार्यक्रम प्रसारित करता है।

(ख) दोनों बोलियों अर्थात कुमाऊंनी और गढ़वाली के कलाकारों और वार्ताकारों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।

**पिथौरागढ़ में हैड पौस्ट आफिस के भवन का विस्तार**

1608· **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश के पिथोरागढ़ नामक शहर के हैड पोस्ट आफिस में कार्यालय के कार्य के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है तथा डाक के थैले बाहर खुले में पड़े रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यालय के स्थान की कमी को शीघ्र दूर करने के लिए भवन विस्तार की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान का चयन कर लिए गया है और विस्तार योज्ना कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है।

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) पिथौरागढ़ के प्रधान डाकघर को इमारत में जगह की कम है । किन्तु डाकघर में डाक-थैलों को सुरक्षित रूप से रखा जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) इसके लिए स्थान उपलब्ध है। कार्य को 1984-85 में करने के प्रयास किए जा रहें हैं।

**पंडित जवाहर लाल नेहरू और डा० अम्बेडकर पर फिल्म**

1609· **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चैकोस्लोवाकिया तथा स्विटजरलैंड के सहयोग से पंडित जवाहर लाल नेहरू पर कोई फिल्म बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार इन दोनों देशों द्वारा पृथक रूप से कितनी धन राशि का निवेश किया गया ; और

(ग) क्या सरकार का डा० अम्बेडकर बिधि मंत्री तथा निर्धन और अनुसूचित जातियों के नेता पर भी कोई फिल्म बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग के राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) जी, हां। तथा, फिल्म पंडित नेहरू पर नहीं है बल्कि उसमें उनके दर्शन के कुछ पहलुओं के प्रभाव का उल्लेख है।

(ख) होने वाले व्यय की राशि इस प्रकार हैं :—

भारत......7·00 लाख रुपये

चेकोस्लोवाकिया 4,500,000 क्राउन

स्वीट्जरलैंड......70,000 एस० एफ०

भारत, स्वीट्जरलैंड और चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यय की प्रतिशता क्रमशः 15·/·, 15·/·, 70·/· आती है।

(ग) फिल्म प्रभाग ने डा० अम्बेडकर पर एक फिल्म बनाई थी जिसे 16-10-81 को रिलीज किया गया था। फिल्म प्रभाग का निकट भविष्य में डा० अम्बेडकर पर एक रंगीन डाकुमेंट्री फिल्म बनाने का प्रस्ताव है। दूरदर्शन का इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**बम्बई हाई में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बनाये जा रहे प्लेटफार्म**

1610. **श्री राजनथ सोनकर शास्त्री** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई हाई में कितने प्लेटफार्म बना रहा है ;

(ख) इन प्लेटफार्मो कितने प्लेटफार्म पूरे तौर पर स्वदेशी तकनीक से बनाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ही प्लेटफार्म निर्माण के तकनीक का विकास करने का है ?

**ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र)** : (क) 1983-84 के दौरान बम्बई अपतटीय प्रायोजना में 9 प्लेटफार्म स्थापित किए जा रहे हैं।

(ख) 9 प्लेटफार्मो में से 8 प्लेटफार्म मजगांव डाक लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं।

(ग) जी हां।

**डाक तथा तारों के वितरण में विलम्ब**

1611. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक तथा तारों के वितरण में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) ग्रामीण वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

**संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) ग्रामीणइ लाकों में ध तारों डाक के वितरण में कोई असाधारण विलम्ब नहीं होता कभी-कभी तार लाइनों में खराबी आने, डाक लाने-लेजाने वाली रेलगाड़ियों वाली। बसों। हवाई सेवाओं के समय में गड़बड़ी और प्राकृतिक कारणों जैसे फारी वर्षा, तूफान आदि के कारण विलम्ब होता जाता है।

(ख) ग्रामीण वितरण प्रणाली को कारगर बनाने के लिए निम्नलिति कदम उठाए गए हैं :—

(1) डाक और वितरण व्यवस्था को नियमित रूप से मानीटर किया जाता है व उसकी पुनरीक्षा की जाती है और जब आवश्यकता होती है, तो उसमें संशोधन किया जाता है। बार-बार की संचालन प्रक्रिया से बचने के लिए सीधे डाक थैले शुरू किए गए हैं।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में जहां औचित्य पाया गया है वहां वितरण कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है।

(3) पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच की जाती है तथा जांच पत्रों व परीक्षण कार्डों के जरिए डाक-प्रेषण को मानीटर किया जाता है।

(4) जहां संभव है फुट 'लाइयकों' का यंत्रीकरण किया गया है।

(5) जहां औचित्य पाया गया है नए शाखाडाकघर खोले गए हैं।

(6) तार-वितरण में तेजी लाने के लिए तारघरों के कार्यक्षेत्र की पुनरीक्षा की तथा उसका पुनर्निधारण किया गया है।

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गए हैं और जहां सम्भव होता है इनका तारों के संचारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

**मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थपना**

1612. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को स्थापित किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो चल रही परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं, वे किन-किन स्थानों पर चल रही हैं इनका कितना कार्य पूरा हो चुका है और किस समय तक उनको पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले गैस पर आधारित लिए उर्वरक की संयंत्रों की संख्या कितनी है उनका स्वामित्व, स्थान, क्षमता तथा वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है,

(घ) वर्ष 1984-85 तथा छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान मात्रा-भार उर्वरकों का उत्पादन क्या है; और

(ङ) इन गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के लिए कितनी गैस की आवश्यकता है तथा उसमें से कितनी मात्रा बाम्बे हाई परियोजना से सप्लाई की जाएगी ?

**रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे)** : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र में मध्यप्रदेश के गुना जिले में विजयपुर में गैस पर आधारित एक उर्वरक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है कार्यान्वयन अभिकरण नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड होगा। इसकी क्षमता 726000 मी० टन प्रति वर्ष यूरिया तथा 4455000 मी० टन प्रति वर्ष अमोनिया होगी। अनुमान है कि कुल पूंजी निवेश 5871.1 करोड़ रुपये होगी जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश 285.1 करोड़ रुपए होगा। ऋण-साम्य का अनुपात 1:1 होगा। परियोजना की "जीरो" तिथि 1-4-1984 निर्धारित की गई हैं और संयंत्र के अक्तूबर, 1983 में वाणिज्यिक उत्पादन के लिए चालू किए जाने की संभावना है।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष मात्रा-वार उर्वरकों का उत्पादन नीचे दिया गया है।

(000 मी० टन)

| वर्ष | नाइट्रोजन | फास्टेट्स |
|---|---|---|
| 1980-81 | 2164 | 841 |
| 1981-82 | 3144 | 949 |
| 1982-83 | 3424 | 980 |
| 1983-84 | 3500 (अनुमानित) | 1040 (अनुमानित |
| 1984-85 | 3800 (अनुमानित) | 1100 (अनुमानित |

(ङ) मध्य प्रदेश परियोजना के लिए अपेक्षित गैस की कुल मात्रा 650 मिलियन एन० एम० 3 प्रति वर्ष तक होगी और आशा है कि यह पूर्णतः बम्बई हाई प्रोजेक्टा से उपलब्ध होगी।

**आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना**

1613. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984 और 1985 के दौरान आंध्र प्रदेश में और आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना करने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कहां-कहां से कौन से स्थान चुने गए हैं ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितना धन रखा गया है ;

(घ) उक्त कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ;

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में 56.0 लाख रुपयों की अनुमानित लागत से 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर से युक्त स्थानीय रेडियो स्टेषन स्थापित करना छठी योजना की एक अनुमोदित स्कीम पहले ही है । इस रेडियो स्टेशन के मार्च, 1985 तक चालू हो जाने की उम्मीद है ।

**कलपक्कम परमाणु बिजली घर से आंध्र प्रदेश को बिजली का अवंटन**

1614. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपक्कम परमाणु बिजली घर से आंध्र प्रदेश राज्य को बिजली के आवंटन का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है ;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ग) उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिए जाने की संभावना है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश ने कलपक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र से विद्युत के हिस्से का आबंटन करने के लिए अनुरोध किया है। परमाणु विद्युत केन्द्र से विद्युत का आबंटन करने में पोषण मापन तथा सप्लाई की गई विद्युत के बिल बनाने, टैरिफ तथा बकाया राशि की वसूली करने से सम्बन्धित कुछ तकनीकी पहलू शामिल हैं। के० वि० प्रा० को इन समस्याओं की जांच करने के लिए कहा गया है ।

**स्टाफ आर्टिस्टों सम्बन्धी संवर्ग समीक्षा समिति की सिफारिशें**

1615. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्टों की मांगों का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई संवर्ग समीक्षा समिति की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) सभी सिफारिशों पर कब तक विचार किए जाने और उन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : (क) से (ग) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों सम्बन्धी संवर्ग पुनरीक्षण समिति द्वारा की गई 55 सिफारिशों में से सरकार ने अब तक 24 को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकार किया है। शेष 31 सिफारिशों, यथा वेतनमानों में संशोधन, उच्चतर ग्रेडों में पदों का सृजन आदि जिनमें वित्तीय पहलू अन्तर्निहित हैं, को वित्त मन्त्रालय, आदि जैसे, सम्बन्धित मन्त्रालयों संगठनों की सहमति आवश्यक थी। मामले को उनके साथ उठाया गया। वित्त मन्त्रालय ने परामर्श दिया था कि चतुर्थ वेतन आयोग की स्थापना हो जाने पर, वेतनमानों में संशोधन, पदों का दर्जा बढ़ाने आदि से सम्बन्धित इस प्रकार की सभी सिफारिशों, जिनमें वित्तीय पहलू अन्तर्निहित हैं, पर अलग-अलग विचार नहीं किया जा सकता। तथापि, दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए कोई संवर्ग पुनरीक्षण समिति नहीं थी।

### डाक जीवन बीमा के विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव

1616. **श्री चित्त बसु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक जीवन बीमा के कारोबार को बढ़ाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विस्तार के रास्ते में क्या बाधायें हैं ; और

(ग) इन बाधाओं को दूर करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी हां।

(ख) किसी भी प्रकार की बाधायें नहीं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### माउंट आबू पन-बिजली परियोजना

1617. **श्री बिरदाराम फुलवारिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माउन्ट आबू पन-बिजली परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) और (ख) अक्तूबर, 1979 में प्राप्त माउन्ट आबू जल-विद्युत परियोजना की परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण व केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई थी और परियोजना प्राधिकारियों को मार्च, 1981 में टिप्पणियां भेजी गई थी। परियोजना प्राधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थीं। तथापि, सितम्बर, 1983 में प्राप्त माउन्ट आबू परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट में, उन्हें पहले की रिपोर्ट में बताई गई टिप्पणियों को ध्यान में नहीं रखा गया है। तदनुसार परियोजना प्राधिकारियों द्वारा मार्च, 1981 में उन्हें पहले ही भेजी गई टिप्पणियों के आधार पर परियोजना रिपोर्ट को अशोधित करने का सितम्बर 1983 में पुनः अनुरोध किया गया था। अशोधित रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है। इस परियाजना की संशोधित रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता आदि सिद्ध हो जाने के पश्चात क्रियान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।

**गुजरात के बड़ौदा जिले डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोलना**

1618. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकघरों और टेलीफोन एक्सचेंजों से उन पर किए गए व्यय के केवल 25 प्रतिशत की आय की आशा होने पर भी पूरे देश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में हकदारों और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के लिए मानदण्डों को शिथिल कर दिया गया है ;

(ख) उपयुक्त (क) भाग को देखते हुए, क्या गुजरात में ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात में ऐसे क्षेत्रों में और विशेषकर बड़ौदा जिले के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में कितने डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोले जायेंगे ?

**संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1984-85 में गुजरात के पिछड़े/आदिवासी क्षेत्रों में 30 डाकघर और 43 टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

गुजरात डाक/दूरसंचार सर्किल द्वारा बड़ोदरा जिले में खोले जाने वाले डाकघरों/टेली-

फोन एक्सचेंजों की संख्या अभी निश्चित की जानी है। इस सम्बन्ध में सर्किल द्वारा जैसे ही जिला-वार लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे, तो सम्बन्धित जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**राज सहायता प्राप्त दरों पर अखबारी कागज की पूर्ति**

1619. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार-पत्र महा-संघ (आल इण्डिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर फेडरेशन) में उनको एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि उसके सदस्यों को राजसहायता प्राप्त दरों पर अखबारी कागज की पूर्ति की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : (क) वित्त मन्त्री को सम्बोधित दिनांक 7 फरवरी, 1984 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ख) अपनी मांगों में, आल इण्डिया स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्ज फैडरेशन ने, सरकार से अन्य बातों के साथ-साथ, 'लघु और मझौले समाचार-पत्रों को राजसहायित दरों पर अखबारी कागज की सप्लाई करने पर विचार करने का अनुरोध किया है।'

इस समय राजसहायित दरों पर अखबारी कागज की सप्लाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है तथापि, लघु और मझोले समाचार-पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई के लिए निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं :—

1. भूतकाल की भांति, 1983-84 की अखबारी कागज आबंटन नीति में उन समाचार पत्रों, जो शीट फैड मशीनों पर छपते हैं, के लिए शीटों में अखबारी कागज की सप्लाई की व्यवस्था है। यदि शीटें उपलब्ध न हों तो रीलों को शीटों में बदलने के लिए उन्हें उनकी हकदारी का पांच प्रतिशत अतिरिक्त दिया जाता है। ये लाभ अधिकतर छोटे समाचार-पत्रों को मिलते हैं।

2. उन समाचास-पत्रों, जिनकी हकदारी 300 टन से कम है, को उनकी पसन्दों के अनुसार हाई-सी बिक्री आधार पर बफर स्टाफ से और स्वदेशी मिलों से अखबारी कागज लेने की अनुमति दी जाती है। इस लाभ को प्राप्त करने वाले अधिकतर लघु और, मझौले समाचार-पत्र हैं।

3. उन समाचार-पत्रों, जिनकी हकदारी 50 टन तक ही है, के लिए प्राधिकरण की वैद्य अवधि अन्यों मामले में तीन महीने की तुलना में 6 महीने है। इस रियायत से अधिकांश लघु समाचार-पत्र अखबारी कागज का अपना कोटा सुविधाजनक चरण-बद्ध तरीके से छोटी-छोटी किस्तों में ले सकते हैं।

4. 2000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले लघु समाचार-पत्रों को अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन करते समय चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र देना अपेक्षित नहीं है।

5. अखबारी कागज की हकदारी का निर्धारण करते समय प्रत्येक पत्र को निःशुल्क वितरण के लिए या अबिक्रीत स्टाक के लिए प्रतियों की कतिपय प्रतिशतता की अनुमति दी जाती है। यह रियायत लघु समाचार-पत्रों के मामले में अधिक है जैसाकि नीचे दिया गया है :—

| प्रति अक प्रसार संख्या | प्रतिशतता जिसकी निःशुल्क वितरण के लिए अनुमति दी गई है। |
|---|---|
| 1. 5000 प्रतियों तक | 10-20 % |
| 2. 5001 से 10,000 प्रतियों तक | 10-15 % |
| 3. 10,000 प्रतियों से अधिक | 5-10 % |

6. सरकार आयातित अखबारी कागज पर 825 रु० प्रति मीट्रिक टन की दर से सीमा शुल्क ले रही है। मझौले समाचार-पत्रों को इस शुल्क का केवल एक तिहाई अर्थात 275 रु० ही देना पड़ता है जबकि लघु समाचार-पत्रों के मामले में सीमा शुल्क मुआफ कर दिया गया है।

**प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों पर कोयले की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव**

1620. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कीमतों में हाल ही में की गई वृद्धि की सिफारिश औद्योगिक लागत मूल्य ब्यूरो ने की थी ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे सीमेंट और ऊर्जा जैसी प्रमुख उपभोक्ता उद्योगों पर उक्त वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ;

(ग) कोयले की बढ़ी हुई कीमतों से कुल कितनी अतिरिक्त आय होने का अनुमान है ; और

(घ) खान श्रमिकों की मजूरी में कुल कितनी अतिरिक्त वृद्धि की गई ?

**ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो की सिफारिशों पर और अन्य सभी संगत बातों —जैसे उत्पादन सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III का आर्थिक भार, मूल्य ह्रास और ब्याज में वृद्धि आदि को ध्यान में रखते हुए कोयले की कीमतों में 8-1-1984 से संशोधन किया गया है।

(ख) महत्वपूर्ण उपभोक्ता उद्योगों पर कोयले की कीमतों में संशोधन का अनुमानित आर्थिक भार निम्नलिखित है :—

| उद्योग | कुल लागत का प्रतिशत आर्थिक भार। |
|---|---|
| 1. रेलवे | 1·85 प्रतिशत |
| 2. इस्पात | 3·5 प्रतिशत |
| 3. सीमेंट | 4.39 प्रतिशत |
| 4. बिजली | 1·5 प्रतिशत से 1·7 प्रतिशत |

(ग) दिनांक 8-1-1984 से संधित कोयला कीमतों के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त बिक्री राजस्व वर्ष 1983-84 में रु० 127·54 करोड़ होने का अनुमान है।

(घ) कोल इंडिया लि० पर राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III का आर्थिक भार लगभग रु० 200 करोड़ प्रति वर्ष होने का अनुमान है।

---

**12.00**

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** (कलकत्ता दक्षिण) : फिल्मों में कांग्रेस चित्रण का प्रश्न उठाया गया था। जो कि अखवारों में आया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे लिखित में दीजिए।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : चुनावों के पहले भी वे चुनाव प्रसार के लिए दूरदर्शन का उपयोग कर रहे थे।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे लिखित में दे सकते हैं ताकि मैं इसका जवाब दिलवा सकता हूं ।

**श्री के० मायातेवर** (डिंडिगल) : हमारे देश के मन्दिरों की मूर्तियों को विदेशी बाजारों में बेचा जा रहा है । इस देश के पुरावशेषों को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप लिखित में दीजिए ।

**श्री के० मायातेवर** : असफल रहे हैं...

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपको कहा है, आप लिखित में मुझे दीजिए । कुछ भी कहने की अनुमति नहीं है ।

**(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय** : आपका यह तरीका सही नहीं है । आप इस तरह नहीं कर सकते हैं । इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती । क्या आप यह जानते हैं ।

**(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय** : इस पर दो बार चर्चा की जा चुकी है । कल भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था ।

**(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय** : यह राज्य का विषय है । आप इसे वहां क्या उठाते हैं ?

**(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन्हें इजाजत नहीं दी है । एक भी शब्द कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

**श्री नीरेन घोष** (दमदम) : बम्बई उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति देसाई...

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसका उल्लेख नहीं कर सकते । यह न्यायालय के विचाराधीन जब यह न्यायालय के विचाराधीन मामला है तो आप इसे संसद में नहीं उठा सकते । इसकी स्वीकृति नहीं है ।

**श्री नीरेन घोष** : यह गम्भीर मामला है ।

**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है, किन्तु यह न्यायालय के विचाराधीन है, अनुमति नहीं है ।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजपुर) : न्यायालय के विचाराधीन इस मामले में कोई पूर्वधारणा बनाए बगैर वह इसे पढ़ रहे हैं।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : आप बिरला मिल में हजारों कर्मचारी...

**अध्यक्ष महोदय** : आप लिखकर दीजिए।

**श्री बी० डी० सिंह** (फूलपुर) : मैंने आपको एडजेर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने एलाऊ नहीं किया।

**श्री बी० डी० सिंह** : मेरी बात सुन लीजिए।

यह मामूली बात नहीं है, देश में राजनीतिक हत्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं।...

**अध्यक्ष महोदय** : इसकी स्वीकृति नहीं है।

**(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं।

**(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी बात अगर आप सुन लें तो न आपको कष्ट होगा और न मुझे कष्ट होगा।

आप जो कुछ कहना चाहें, अगर रूल के अनुसार होगा तो एलान कर दूंगा, अगर स्टेट सब्जैक्ट यहां लाना चाहेंगे तो मैं इसे नहीं ले सकता हूं।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** (सैदपुर) : यस पोलिटीकल मर्डर है।

**अध्यक्ष महोदय** : हत्या, हत्या ही है यह अमूल्य जिन्दगी की क्षति है। यह राज्यसरकार की जिम्मेदारी है। यह बिधायकों का कार्य है कि इस जिम्मेदारी को सजझें। हम इसे यहां नहीं ले सकते।

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या त्रह मामला यहां नहीं हो सकता है ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप नहीं उठा सकते स्वीकृति नहीं है।

**(व्यवधान)***

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न राज्य विधान सभा में लिया जाना चाहिए। स्वीकृति नहीं है मैंने एक शब्द की भी इजाजत नहीं दी है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)*

**श्री राम विलास पासवान** (हाजीपुर) : मैंने आपसे मिलकर आग्रह किया था कि बिहार में किसानों को खाद और बिजली...

**अध्यक्ष महोदय** : यह मेरे विचाराधीन है।

**रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे)** : जहां तक खाद का सवाल है, मेरे मित्र मुझे इस बारे में मिलें, मैं आपको पूरी मदद करने को तैयार हूं।

**श्री रामविलास पासवान** : बिहार में यूरिया 200 रुपये किलो के भाव से बिक रहा है अगर आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की स्वीकृति दें तो सभी चीजों पर चर्चा की जा सकती है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कब कहा कि नहीं लूंगा। वह आपको बुला रहे हैं, आपको जाना चाहिए।

**श्री राम विलास पासवान** : हम उनके पास चले जायेंगे।

**श्री मनीराम बागड़ी** (हिसार) अध्यक्ष महोदय अगर कोई मेंबर कोई सीरियस बात उठाता है, तो उसके बारे में आपकी राय का देश के लोगों पर असर पड़ता है।

**अध्यक्ष महोदय** : हम इस पर डिसकशन करेंगे। मैं इसे ले रहा हूं।

**श्री मनीराम बागड़ी** : आपको इस बारे में और भी कहना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : जब मौका आएगा, तो कहेंगे।

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : महोदय, मैं इन्टरमीडीएट तथा डिग्री कालेजों के अध्यापकों की समस्या को सुलझाने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री के हस्तक्षेप की मांग करता हूं। वे दो महीनों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह तो आप स्टेट एसेम्बली में उठाइए। यहां से कोई मतलब नहीं है।

**श्री हरिकेश बहादुर** : कम से कम इन शैक्षिणक संस्थानों का तो राष्ट्रीकरण होना ही चाहिए।

(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : आपको इसमें क्या करना है ? यह मेरा कार्य है।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्य क्ष महोदय** : यह करना मेरा कार्य है।

(व्य वधान) **

**अध्यक्ष महोदय** : इजाजत नहीं है। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने किसी भी व्यक्ति को इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवस्धान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** (बम्बई उत्तर पूर्व) : श्रीमन्, निष्पक्षता होनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : निष्पक्षता की कोई बात नहीं है। जो कोई बात मेरे सामने आती है, तो मैं फैक्ट्स मंगाता हूं जब तक फैक्ट्स न आएं, तब तक मैं निर्णय कैसे कर सकता हूं ?

(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : आप फिर मेरी बात में बाधा डाल रहे हैं।

(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सोज, आप मुझे बाधा डाल रहे हैं। मैं किसी ऐसे स्थगन प्रस्ताव पर जिसकी मैंने अनुमति नहीं दी है उनपर की अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे सूचना इतनी करनी है और तथ्यों की जांच करनी है, सभा में कई एक बातें कही जाती हैं, लेकिन उनकी सम्यता को जाने बिना मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूं। मैंने तथ्यों के लिए पहले ही लिखा है ;

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप समझते क्यों नहीं है ? कुछ भी कार्यवाहीं वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैं फ़ैक्ट्स को कोरैबोरेट करवा चाहता हूं। मैंने फ़ैक्ट्स मंगवाए हैं।

(व्यवधान)

**संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : श्रीमन्, मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य की बातें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जा रही हैं। आपको ऐसा रहना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने पहले ही ऐसा कह दिया है। एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया है।

---

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री बूटा सिंह :** श्रीमन्, यह सभा की कार्यवाही का अंग नहीं बन सकती।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उन श्रीमन् को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

**(व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : वह सदस्य क्या कर रहे हैं ? श्री सोज, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैंने श्री राजेश पाइलट को बोलने की अनुमति दी है।

**श्री राजेश पाइलट** (भरतपुर) : श्रीमन्, मेरे दो प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दी है कि उत्तर भारत में शीत लहर चलने से काफी फसल को नुकसान पहुंचा है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह मेरे विचारधीन है। आप मुझ से मिल सकते हैं।

**श्री राजेश पाइलट** : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सभा में लड़ाई-झगड़े से दिन-प्रति-दिन सभा लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन होता जा रहा है। जो संसद सदस्य नियमों का पालन नहीं करते, वे दल में भी चुनावों में हेराफेरी करते हैं। इस मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** (बम्बई उत्तर पूर्व) : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अगर आप विधान सभा के बारे में किसी सदस्य के द्वारा लगाये गये आरोप की अनुमति देते हैं तो आपको उनके द्वारा सही गई बातों को भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किये जाने की अनुमति देनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : आरोप का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह समाचार पत्र की रिपोर्ट थी, जिसकी मुझे पुष्टि करवानी है।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : लेकिन उन्हें स्पष्टीकरण देने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : वह मुझे स्पष्टीकरण क्यों देंगे ? मैं इसे राज्य सरकार से प्राप्त करूंगा।

**श्री मनी राम बागड़ी** (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, दो बातें मैं आप से कहना चाहूंगा एक तो यह कि शीत लहर और ओले...

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे नोटिस दे दीजिए। उन्होंने कहा कि दिया है, आप भी दे दीजिए, आप का भी ले लूंगा।

**श्री मनीराम बागड़ी** : दूसरी बात-मुझे दिल्ली पुलिस यूनियन की तरफ से पत्र मिला है,

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है, उसके अन्दर शब्द ऐसे भी लिखे हैं जिसमें यह कहा है कि लोक सभा के अध्यक्ष ने तीन सिपाहियों को मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने लोक सभा को अपील भी की है कि सिपाही जैसे गरीब लोगों को मुअत्तल न करें...

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपने साथियों से बात कर लीजिएगा।

**श्री मनीराम बागड़ी** : देखिए, बीरियों व्यक्तियों के खिलाफ विशेषाधिकार आये।

...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : आप अपने साथियों से बात कर लीजिए। हाउस की हालत देखिए।

...व्यवधान...

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी पोजीशन यह है कि मेरी नोटिस में बात आई, मैंने अपने सेक्रेट्री जनरल और बाच एंड वार्ड आफिसर को कहा कि एन्क्वायरी करें। उन्होंने एन्क्वायरी की और जिसके तहत वह चीज होगी वही रेक्शन उनके खिलाफ ले सकता है। मेरा नाम कहीं गलत छप गया है। यह एक विभाग है, यह मेरे अधीन भी नहीं है, हमारे वाचएंड वार्ड के आफिसर नहीं थे और उनको मैं कर भी नहीं सकता। यह मेरा कार्य नहीं है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बसीरहार) : श्रीमन्, कुछ दिन पहले आपने हमें आश्वासन दिया था कि रेल मंत्री के कथित वक्तव्य के बारे में पुष्टि, सत्यता या मनाही आदि प्राप्त करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे पहले ही यह प्राप्त हो चुका है। मैं आपसे बात करूंगा।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह आपको प्राप्त हो गया है ?

**अध्यक्ष महोदय** : हां।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या आप सभा को सूचित करेंगे ?

**(व्यवधान)**

**श्री मनीराम बागड़ी** : आपने नहीं किया न ?

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : वह स्वीकर नहीं किया है, बात खत्म हो गई।

**श्री राम विलास पासवान** : आप क्यों नहीं कीजिएगा ? मेम्बर के ऊपर यदि कोई ज्यादती होगी तो कौन करेगा ? आप हमेशा कहते हैं कि मैंने नहीं किया...

**अध्यक्ष महोदय** : आप इतनी गरमी में बात करते हैं। मेरी बात सुनिए। हरएक बात

विधान और कानून के हिसाब से होती है। जब आप गरम हो जाते हैं तो उसमें सारी बात बिगड़ जाती है। गर्मी में सारी बात बिगड़ जाती है। हमने कुछ विधान और धाराएं बनाई हैं, उन्ही के अनुसार कार्यवाही होती है। मैं कहता हूं किसी आदमी को, अपने हिसाब से वह अपना कर रहा है।

**श्री राम विलास पासवान** : आपने मेजा सेक्रेट्री जनरल को सेक्रेट्री जनरल ने फाइंड आउट किया। उसमें चाहे एस० पी० की गलती हो चाहे सिपाही की गलती हो।

...(**व्यवधान**)...

**अध्यक्ष महोदय** : इसलिए कह रहा हूं न। और क्या कह रहा हूं ? यही कह रहा हूं।

---

**12.13**

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

### बोनस संदाय (संशोधन) नियम, 1983 और उत्प्रवास नियम, 1983

**श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बोनस संदाय (संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 21 जनवरी 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 251 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल० टी० 7796/84]

( ) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 44 के अन्तर्गत उत्प्रवास नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 30 दिसम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 941 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 7797/84]

### बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और उपरोक्त संस्थान के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखों को सभा पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

**रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 616क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 7798/84]

(2) बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं को लेखों-वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण की (हिन्दी तथा अंग्रेजी तथा संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 7799/84]

**अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार तथा सेवा-शर्तों का विनियमन,) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत अधिसूचना**

**श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री** ((श्री धर्मवीर) : मैं अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 53 (अ) तथा अंग्रेजी संस्करण जो 4 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 4 सितम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 514 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल० टी० 7800/84]

---

## राज्य सभा से संदेश

**महासचिव** : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने 3 मार्च, 1984 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 22 दिसम्बर, 1983 को पारित तेल क्षेत्र (विनियमन और

विकास) संशोधन विधेयक 1983 को निम्नलिखित संशोधनों सहित पास किया है।

**अधिनियमन सूत्र**

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, चौंतीस(अंग्रेजी संस्करण) के **स्थान पर** "पैंतीस" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

**खण्ड 1**

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 (अंग्रेजी संस्करण)" 1983 **के स्थान पर** 1984 **प्रतिस्थापित** किया जाए।

अत: राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में, मैं उपरोक्त विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटाता हूं कि लोक सभा की इन संशोधनों से सहमति की सूचना इस सभा को दी जाए।

(दो) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 3 मार्च, 1984 को अपनी बैठक में पारित लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण विधेयक, 1984 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

---

## तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास (संशोधन विधेयक)

**महासचिव** : श्रीमन्, मैं राज्य सभा द्वारा तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1984 को सभा-पटल पर रखता हूं।

---

## लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण विधेयक

### राज्य-सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये

### राज्य सभा द्वारा यथापारित

**महासचिव** : श्रीमन्, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण विधेयक, 1984, भा सभा-पटल पर रखता हूं

---

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1983-84

**रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी)** : श्रीमन्, मैं वर्ष 1983-84 के बजट

(रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

## अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1981-82

**रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी)** : श्रीमन्, मैं वर्ष 1981-82 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

---

## लोक लेखा समिति

### 178वां प्रतिवेदन

**श्री सुनील मैत्रा** (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : श्रीमन्, मैं प्रत्यक्षकर-अनुद्भूत इक्विटी शेयरों के गलत मूल्यांकन के सम्बन्ध में भारत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 1980-81 की रिपोर्ट संघ सरकार (सिविल), राजस्व, प्राप्तियां, भाग 2 के पैरा 4.35 (एक) के बारे में लोक लेखा समिति का 178 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

---

## लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

### 8वां प्रतिवेदन

**श्री जमीलुर्रहमान** (किशनगंज) : श्रीमन्, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 8 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री मनीराम बागड़ी** (हिसार) : पंजाब में यह राष्ट्रीय ध्वज लगा करके चलते हैं मिनिस्टर की तरह से, क्या यह भी ।

...(**व्यवधान**)...

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसको लिख कर दीजिए ।

...(**व्यवधान**) **...

**अध्यक्ष महोदय** : उनकी असेम्बली बैठी है, उनसे कहिए वहां उठाएं ।

...(**व्यवधान**) **...

**अध्यक्ष महोदय** : असेम्बली में उठाएं । मैं कानून तोड़ने वाला नहीं हूं ।

...(**व्यवधान**)**...

**अध्यक्ष महोदय** : अगर आप अपने मन में जो मर्जी हो, वह चलाना चाहें तो चलाइए, यह रहा हाउस ।

---

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

...(व्यवधान)...**

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने सारी बातें आप की देख लीं, अब और आप क्या चाहते हैं ?

...(व्यवधान)**...

**इस समय श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री और कुछ अन्य सदस्य सभा छोड़कर चले गये।**

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** (कलकत्ता दक्षिण) : श्री गनी खान चौधरी उपस्थित हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे लिखित में प्राप्त हो गया है...

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : श्री गनी खान चौधरी यहां बैठे हैं और वह कह सकते हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : विदेश मंत्री को कहीं जाना है, उनके कुछ काम हैं। उन्हें अन्य उपस्थित होना है...

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : उसके बाद, वह कह सकते हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे प्राप्त हो गया है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (नई दिल्ली) : उन्हें मना करने दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है।

(व्यवधान)

उन्होंने इसका खण्डन किया है।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : श्री गनी खान चौधरी को कहने दीजिए कि, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। आप उनसे पूछ कर एक मिनट में इसे सुलझा सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने नहीं कहा है। आप और ज्यादा क्या चाहते हैं ?

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : आप सिर्फ एक मिनट निकाल कर मंत्री से पूछें कि...

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे लिखित रूप से प्राप्त हो गया है ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप ।

**12.16**

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान और बंगला देश में सैनिक अड्डे स्थापित किए जाने के कथित प्रयास

**श्री जगपाल सिंह** : अध्यक्ष जी, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर विदेश मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान और बंगला देश में सैनिक अड्डे स्थापित किए जाने के कथित प्रयास और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया ।"

**विदेश मंत्री (पी० वी० नरसिंह राव)** : अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान और बंगला देश में अमरीकी सैनिक अड्डे और सुविधाएं स्थापित करने की सम्भावनाओं खबरें भारत सरकार ने देखी हैं ।

जैसा कि सदन को ज्ञात होगा, एक अमरीकी रिपोर्ट में इस आशय के संकेत थे कि पाकिस्तान सरकार ने यह वायदा किया हैं कि फारस की खाड़ी में कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में अमरीकी विमानों को पाकिस्तानी हवाई अड्डों का इस्तमाल करने देगा । बदले में पाकिस्तान को यह फायदा होगा कि अमरीकी संयुक्त आसूचना भागीदारी में पाकिस्तान को वर्तमान सुरक्षा सहायता कार्यक्रम का लाभ मिलता रहेगा और उसके सैनिक कार्मिकों को प्रशिक्षण भी मिलता रहेगा । जहां तक बंगला देश का सवाल है, कुछ खबरों से ऐसे संकेत मिले हैं कि अक्तूबर 1983 में बंगला देश के राष्ट्रपति की संयुक्त राष्ट्र की यात्रा के बाद संयुक्त राज्य अमरीका की ओर से चटगांव और सेंट मार्टिन द्वीप में नौसैनिक सुविधाएं हासिल करने की कोशिशें की गई थीं ।

लेकिन अमरीकी अधिकारियों ने भारत सरकार से यह कहा है कि अमरीका ने पाकिस्तान में कोई अड्डे या सुविधाएं नहीं मांगी हैं और बंगला देश में ये सुविधाएं हासिल करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है । बंगला देश की सरकार ने भी अपने राजनयिक प्रतिनिधियों के माध्यम से इन समाचारों का खण्डन किया है कि अमरीका और उनकी सरकार के बीच नौसैनिक सुविधाओं के बारे में समझौते की सम्भाना है ।

हमने इस मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ भी उठाया था; हाल में दोनों

देशों के विदेश सचिवों की अनौपचारिक बातचीत में भी पाकिस्तान की सरकार ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने अमरीका को कोई अड्डे दिए हैं।

भारत सरकार ने नई खंडनों पर गौर किया है और यह उम्मीद जाहिर करती है कि इन खबरों का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन चूंकि यह मामला भारत के लिए सर्वाधिक चिन्ता का विषय है इसलिए सरकार ऐसी घटनाओं पर सावधानी से निगाह रखेगी ही।

**श्री जगपाल सिंह** : अध्यक्ष जी, यह काल अटेंशन मैं समझता हूं पाकिस्तान और बंगला देश में जो हवाई बैस बनाए जा रहे हैं, वहीं तक सम्बन्धित नहीं है, बल्कि हमारे पूरे कांटिटेन्ट और पूरी दुनिया की सुरक्षा से यह सवाल जुड़ा हुआ है। विदेश मन्त्री जी ने बड़ी आसानी से यह जवाब दे दिया है लेकिन मैं समजता हूं विदेश मन्त्री जी खुद अपनी सरकार के एक दूसरी मंत्री द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। रक्षा मंत्रालय राज्य मंत्री श्री के० पी० सिंह देव ने 16 तारीख को कलकत्ते में, बंगला देश में जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में बयान दिया था जिसको कि मैं बाद मैं पढ़कर सुनाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संजीदा मटर पर भी यदि विदेश मंत्री जी इस प्रकार का जवाब दे देंगे तो उससे तो न केवल इस देश बल्कि इस कांटिनेन्ट की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी।

विदेश मंत्री जी ने जिस ढंग से जवाब दिया है उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अन्दर क्या हो रहा है उससे शायद वे परिचित नहीं हैं और अगर परिचित हैं तो फिर विदेश मन्त्री जी ने इरादतन इस हाउस को गुमराह करने की कोशिश की है। मैं विदेश मंत्री जी को वह बयान पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

> "विगत कुछ समय से समाचार पत्रों में पाकिस्तान द्वारा अमरीका को हथियारों के बदले में सैनिक अड्डे बनाने की खबरें लगातार अखबारों में छपी ही हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अमरीका ने पाकिस्तान में एक क्रूज मिसाइल स्थापित करने की योजना बनाई थी जिसका उद्देश्य प्रत्यक्षत: अफगानिस्तान के दक्षिण में संभावित सोवियत विस्तार के प्रभाव को रोकना है।"

**अध्यक्ष महोदय** : इसी बात का तो जवाब दिया उन्होंने।

**श्री जगपाल सिंह** : उसको पढ़ना जरूरी है इसलिए पढ़ रहा हूं।

> इसके साथ ही जनरल जिया उल हक ने वाशिंगटन में शासकों से अधिक सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ठोस अमरीकी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो पांच सौ एफ-16 विमानों की सप्लाई से भी नही हो सकती है।
>
> इस्लामाबाद में सामाजिक अध्ययन की पाकिस्तान संस्था के महानिदेशक ब्रिगेडियर नूर हुसैन ने स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने कहा

है कि पाकिस्तान को सबसे अच्छे और आधुनिक किस्म के अमरीकी हथियारों का प्रबन्ध करना चाहिए भले ही उसे अमरीका को सैनिक अड्डे बनाने की अनुमतति देनी पड़े ।

अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। बाकायदा पेपर्स में आ रहा है कि बंगला देश में क्या हो रहा है। अभी स्व० शेख मुजीबुर रहमान की बेटी ने भी वहां के जनरल इरशाद के खिलाफ बयान दिया है कि उनकी इजालत से चितगांव और एक दूसरे आयलैंड में बेस बना रहे हैं। जो हमारे देश के हित के विरुद्ध है।

मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि आपको इसका ज्ञान न हो। मैं यह जानना चाहूंगा कि उनको किसने यह कहा और किनेके पास यह रिपोर्ट आई है कि आप इस पर विश्वास कर बैठे हैं कि पाकिस्तान के साथ और बंगलादेश के साथ इस तरह के अड्डे बनाने का कोई इरादा नहीं है। आप उनके नाम मैंशन करिए ?

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि ग्वादरा के पास-मेहदी-ए-कोए पहाड़ी पर हवाई अड्डा बन रहा है या नहीं बन रहा है ? पाकिस्तान की मिलीटरी फोर्सेज के प्रोटैक्शन में कोई सिविलियन वहां नहीं जा सकता है, जहां पर कि पहाड़ी पर अड्डा वन रहा है। प्रैस के अन्दर रिपोर्ट आ चुकी है। अमरीकन्स का कहना है पाकिस्तान के अन्दर हवाई अड्डा बना रहे हैं, तो वह इसलिए कि पाकिस्तान सोफैस्टिकेटेड एल्ट्रावैपन्स चलाना नहीं जानता है, इसलिए हम वहां उनको सिखायेंगे। इस से और ज्यादा सीरियस मामला है कि अमरीका की कांग्रेस रैगन सरकार ने प्रपोजल भेजा है, एक विशेष कानून को अमेंड करने के लिए।

"अमरीकी हथियारों का पाकिस्तान द्वारा प्रभावशाली इस्तेमाल करने के लिये अमरीका एक छोटा किन्तु स्थायी सैनिक दल 'नियमित रूप में' पाकिस्तान में स्थापित करना चाहता है।"

"सामान्य रूप में यदि छः अथवा उससे कम अमरीकी सैन्य दल किसी देश में तैनात किये जाते हैं तो कांग्रेस को इसकी जानकारी सरकार के लिये अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि इनकी संख्या छः से अधिक है तो सरकार का इसके लिये कांग्रेस का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है । अतः रीगन प्रशासन ने कांग्रेस से मांग की है कि पाकिस्तान में सेना तैनात करने और इसके लिये विदेशी सहायता अधिनियम की धारा 515(1) में संशोधन किया जाये।"

मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि विशेषतया पाकिस्तान के अन्दर हवाई अड्डे बनाने के लिए अपने छः और छः से ज्यादा ट्रास को वहां ठहराने के लिए एप्रुवल भेजा है कि इस सैक्शन

515(1) को अमेंड करो । यह प्रस्ताव में आ गया है कि भारत को इसका ज्ञान है कि वह किस पर्पज के लिए किया जा रहा है । मैं नहीं जानता कि विदेश मंत्री इतनी आसानी से जवाब दे देंगे । मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क की एकता का सवाल है और सुरक्षा का सवाल है, पूरे कान्टीनेंट का सवाल है ।

बंगला देश, पाकिस्तान को तोड़ने का हमको क्या खामियाजा मिला है । बंगला देश को आजाद कराने में हजारों हमारे नौजवान मारे गये हैं । फिर भी हम उनके रिलेशन्स बनाकर नही रख पाए हैं, यह सबसे बड़ी विफलता है । पाकिस्तान में कूप पर कूप हो रहा है । बंगला देश को अपने साथ मिलाकर नहीं रख सकते हैं । पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान हमारे साथ जो कुछ कर रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है ।

अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि हम रूस की कोई आलोचना नहीं करना चाहते हैं, रूस हमारा दोस्त है । उनके साथ हमारे दोस्ती के सम्बन्ध और ज्यादा मजबूत होंगे । लेकिन पाकिस्तान को जो मिसाइल्ज और दूसरे हथियार दिये जा रहे हैं उनसे हमारे देश के ऊपर खतरा बढ़ रहा है । मैं आप से एक प्रार्थना करना चाहता हूं —अफगानिस्तान की समस्या को हल करने के लिये एक त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन रूस-पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच किया जाना चाहिये जिस से समस्या सुलझाई जा सके और रूसी सेनायें अफगानिस्तान से वापस जायें । जब तक ऐसा नहीं होगा हमारे देश पर खतरा बना रहेगा ।

एक तरफ डीगोगार्शिया में अमरीकन बेस है...

**अध्यक्ष** महोदय : डीगोगार्शिया इसमें कहां से आ गया ?

**श्री जगपाल सिंह** : इससे जुड़ा हुआ है । यहां हिन्दुस्तान की फारन-पालिसी का सवाल है जो पूर्णतया हो फेल चुकी है । दुनिया भर की ताकतें हिन्दुस्तान के सिर पर बैठी हुई हैं । श्री के० पी० सिंह देव ने कलकत्ता में कहा था —

> "श्री के० पी० सिंह देव केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने आज यहा कहा, "बंगला देश के प्रेसीडेंट का यह कथित प्रस्ताव की अमरीकी सातवें बेड़े को चिटगांव बन्दरगाह में सुविधायें प्रदान करने से हमारे इस शांति क्षेत्र में निश्चित रूप से ही खतरा बढ़ जाएगा ।"

इसके मायने हैं कि वह खुद इस बात को मान रहे हैं कि चटगांव और उसके पास कोई आइलेंड हैं जहां यू० एस० ए० ने अपना बेस बनाने के लिये कहा है । यह स्पष्ट रूप से हिन्दुस्तान और इस पीस-आफ-जोन के लिये खतरा है । जब कि विदेश मंत्री जी इस समय बिलकुल उलट बात कह रहे हैं, चूंकि अमरीका ने कह दिया है इसलिये कोई खतरा पाकिस्तान और बंगला देश से नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, आज इस मुल्क की विदेश नीति फेल चुकी है। चाइना, अमरीका दोनों बड़ी ताकतें हमारे सिर पर सवार हैं। रूस भी अफगानिस्तान के मामले को लेकर हमारे देश की सीमाओं पर आकर खड़ा है। वार्सा-पैक्ट, नाटो, कामन वेल्थ के जितने मुल्क हैं कोई हमारा दोस्त नहीं है।

अब मैं एक बात जानना चाहता हूं...

**अध्यक्ष महोदय** : अब बैठ जाइये।

**श्री जगपाल सिंह** : कराची के पास "गिवनी" बन्दरगाह के लिए पाकिस्तान और अमरीका का समझौता हो चुका है, जिसको बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये की प्रपोजल अमरीका ने दी है। इसी तरह से "महापर्वत माला" का हवाई अड्डा बनाने की स्वीकृति पाकिस्तान द्वारा दी जा चुकी है।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** (बम्बई उत्तर पूर्व) : उन्होंने मंत्री से ज्यादा जानकारी दे दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह एक मंत्री की तरह दिखाई देते हैं।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मेरा विश्वास है कि हम लग मेरे मंत्रालय की अनुदानो की मांगों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अत: मैं सभी सदस्यों से सविनय निवेदन करूंगा कि वे फिर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के विषय पर आ जायें क्योंकि ये सभी चर्चाएं हम लोग अनुदान की मांगों के समय पर कर सकते हैं।

वापस विषय पर आने पर, मेरा पहला वाक्य स्पष्ट है।

> "पाकिस्तान और बंगला देश में अमरीकी सैनिक अड्डे और सुविधाऐं स्थापित करने की संभानाओं की खबर भारत सरकार ने देखी है।

यह उन सभी रिपोर्टों से संबंधित है जो कि माननीय सदस्यों ने विस्तारपूर्वक पढ़कर सुनाई। मैं उन सभी रिपोर्टों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। किन्तु जब उन्होंने उन सभी रिपोर्टों को पढ़ने पर जोर दिया, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उन सभी विवरणों को पढ़ने के बाद ही यह वाक्य बनाया गया था।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : आप रिपोर्टों के बार में क्या समझते हैं ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : यह सभी मैंने आखिरी पैट में कहा है।

> "भारत सरकार ने रिपोर्टों के इन खण्डनों को नोट किया है।"

मैंने कहा है कि ये सभी संबंधित सरकारों द्वारा नकारी गयी हैं।

हमने इन खण्डनों को नोट किया है और यह उम्मीद जाहिर की है कि इन खबरों का कोई आधार नहीं होगा।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : (आजमगढ़) आप राजनयिक भाषा में बोल रहे हैं।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : इसके लिये सोच समझकर भाषा का इस्तेमाल करना है। मैं इसे राजनयिक अथवा अराजनयिक नहीं कहता।

**श्री जगपाल सिंह** : वास्तविकता क्या है ? हो गया नहीं होगा, यह कयास है, लेकिन रिएलिटी क्या है ? या तो आप इन्कार कीजिये या कहिए कि इस तरह की स्थिति है।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मेरे पास जो सूचना है वह आपके सामने रख रहा हूं। अखबारों में जो उसके बारे में आया, हमने पूछताछ की। हमसे कहा गया कि यह गलत है। मैं आपको यह रिपोर्ट कर रहा हूं।

**12.30**

**( उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए )**

**श्री जगपाल सिंह** : तो आप उनका विश्वास कर रहे हैं।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : यह विश्वास का सवाल नहीं है। विश्वास और अविश्वास एक रिस्पैक्टिव चीज होती है और यहां पर जितने सदस्य बैठे हुये हैं, जितने सदस्य विराजमान हैं, उनका हर एक का अपना विश्वास और अविश्वास हो सकता है। यह सवाल इसके संबंध नहीं हैं।

दूसरी बात है कि संयुक्त राज्य अमरीका के रक्षा विभाग द्वारा कांग्रेस से यह अनुरोध किए जाने का प्रश्न है कि उसे पाकिस्तान में 6 से अधिक सशस्त्र व्यक्ति तैनात करने की अनुमति दी जाए इस बारे में स्थिति यह है **टाइम्स आफ इण्डिया** में हाल ही में यह खबर थी कि संयुक्त राज्य अमरीका के प्रशासन ने पाकिस्तान में छः से अधिक सशस्त्र व्यक्ति तैनात करने की अनुमति मांगी है। समाचार पत्रों के अनुसार यह नवीन गतिविधि है और एक सैनिक अड्डे की स्थापना संबंधी रिपोर्टों से इसका संबंध है। यह सही नहीं है।

स्थिति इस प्रकार हैं कि जिस किसी भी देश को अमरीका द्वारा हथियार सप्लाई किए जाते हैं उन सभी देशों में वे एक प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करने हैं जो कि हथियारों की सप्लाई आदि की समस्याओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करता है और इस कार्यालय को सुरक्षा संगठन कहा जाता है। अमरीका ने जिन-जिन देशों को हथियार सप्लाई किए हैं उन सभी देशों में सुरक्षा सहायता कार्यालय स्थापित किये हैं। उन देशों के नाम हैं, पाकिस्तान, एल सेलवाडोर ज्वाटेमाला, होनड्रूस इत्यादि। आप इस व्यवस्था को जानते हैं। यह तथ्य है। किन्तु इस प्रकार के प्राधिकरण के लिए अनुरोध वास्तव में सबसे पहले 1983 में रक्षा विभाग ने सीनेट की विदेश संबंधी समिति के सामनें रखाया क्योंकि जब कभी भी 6 से अधिक सशस्त्र

व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो नियमानुसार कांग्रेस को निवेदन करना पड़ता है तथा कांग्रेश को ही इजाजत देनी होती है । यह अनुरोध किए जाने के संदर्भ में पृष्ठ-भूमि है । जोकि अड्डों से जुड़ी हुई थीं । यह संबंद्ध सही नहीं प्रतीत होते हैं । यह सुरक्षा सहायता संगठन के सम्बन्ध में है जो कि इन देशों को संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा हथियार सप्लाई किए जाने के फलस्वरूप है । स्थिति यह है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री नीलालोहितादसन नाडार ।

**श्री जगपाल सिंह** : मैंने एक सवाल और उठाया था लेकिन उसका जवाब नही आया मैंने वेश्चन किया है कि महेन्दी-ए-कौह पर जो अड्डे बनाने की बात है, बह बना है या नहीं बना है, इसके बारे में सरकार का क्या कहना है ।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : देखिये, कोई अड्डा बनने या न बनने से इस कालिंग एटेंशन का क्या संबंध हो सकता है । आपने वेस की बात पूछी, आपने फैसीलिटी की बात पूछी लेकिन आपने हवाई अड्डे की बात इस कालिंग स्टेशन में नहीं पूछी । हर एक मुल्क अपने इलाके में जितने चाहे हवाई अड्डे बना सकता है ।

**श्री जगपाल सिंह** : अमरीका को भी यह फैसीलिट है ?

**...व्यवधान**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री नीलालोहित दसन नाडार ।

**श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** (त्रिवेन्द्रम) : माननीय मंत्री जी का इस विषय में वक्तव्य सिर्फ दिखावा है । कितनी ही खबरें प्रकाशित हुई हैं । **(व्यवधान)** मंत्री जी के स्वयं के पास ब त सी अखबार की खबरें हो सकती हैं । मैं उन सभी खबरों को समय की कमी के कारण पढ़ना नहीं चाहूंगा ।

**... (व्यवधान)****

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अलावा जो कुछ भी कह रहे हैं वह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

**श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : अगर आप मन्त्रीजी का वक्तव्य ध्यानाकर्षण पढ़ें, शुरू से लेकर अन्त तक तो आप देख सकते हैं कि भारत सरकार अभी भी रिपोर्टों तथा आशाओं पर विश्वास रखती है । पिछले कई महीनों व वर्षों से संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान में अड्डे बनाये जाने के सम्बन्ध में खबरें थीं । हाल ही में हम संयुक्त राज्य अमरीका का बंगला देश में भी अड्डे बनाने के प्रस्ताव के बारे में समाचार मिल रहे हैं । मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से पूछता हूं कि क्या भारत सरकार के पास यह निर्धारित करने के लिए

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

विश्वसनीय सवाल है कि खबरों आशाओं पर भरोसा करने की बजाय स्वयं यह पता लगाए कि भारतीय उप-महाद्वीपों में क्या हो रहा है। यह खबर कि संयुक्त राज्य अमरीका का बंगलादेश में अड्डा बनाने का प्रस्ताव, वास्तव में चकित करने वाली बात है। जैसाकि हम सभी जानते हैं, बंगलादेश में चल रहे मुक्ति संघर्ष के दौरान, जो भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

किन्तु बंगला देश की मुक्ति के पश्चात, बंगलादेश में एक के बाद दूसरी सरकारों के शासनकाल में हमारे संबंध बंगलादेश के साथ क्यों खराब हो गए ? मैं आपके द्वारा मन्त्रीजी से यह जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार ने कभी अपने राजनयिक स्त्रोतों अथवा किसी और तरीकों से उन कारणों का पता लगाने की कोशिश की है कि बंगलादेश और हमारे संबंध क्यों बिगड़े हुए हैं। अथवा क्या कारण हैं कि बंगलादेश सरकार को भारत पर संदेह है ?

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, हमें पाकिस्तान से तीन बार लड़ाई करनी पड़ी क्योंकि पाकिस्तान ने तीन बार हम पर युद्ध की घोषणा की। पकिस्तान गुट-निरपेक्ष देश है। हम अपने आपको गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेता होने का दावा करते हैं और बिना हमारी जानकारी के, जबकि हम समाचारों तथा आशाओं पर विश्वास कर रहे हैं, पाकिस्तान साम्राज्यवादी ताकतों के नेता संयुक्त राज्य अमरीका को अपनी भूमि दे रहा है सैनिक अड्डे के लिए दे रहा है। इस बारे में भारत सरकार क्या करने जा रही है ?

ऐसी रिपोर्ट हैं कि इसी महीने में पाकिस्तान के साथ पुनःवार्ता जारी होने वाली है। मैं माननीय मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा क्या यह मामला सरकारी वार्ता के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।

संयुक्त राज्य अमरीका के सैनिक अड्डे न सिर्फ बंगलादेश व पाकिस्तान में ही हैं। भारत के चारों ओर—डिगो गारशिया, श्री लंका, पाकिस्तान, बंगला देश तथा दक्षिण एशिया के अन्य भागों में भी हम संयुक्त राज्य अमरीका के अड्डे देख सकते हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिक अड्डों से घिरे हुए हैं जिनका हमारे लिए एक भयंकर खतरा है।

मैं इस सदन का ध्यान इस बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। जब बंगलादेश मुक्ति संघर्ष के दौरान पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था तो संयुक्त राज्य अमरीका का सातवां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आया था। सोवियत यूनियन के साथ हमारी संधि भारत रूस संधि तथा सोवियत यूनियन का इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के कारण संयुक्त राज्य का बेड़ा हमारे जलमार्ग में नहीं आया।

अत: संयुक्त राज्य अमरीका के सैनिक अड्डे हमारे चारों तरफ देखते हुए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार सोवियत यूनियन के साथ संधि को और मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठायेगी। हम सभी यह जानते हैं कि सोवियत यूनियन के रक्षा मन्त्री भारत में

आए हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या हमारे मन्त्री जी सोवियत यूनियन के प्रतिनिधि से इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर वार्ता करते समय इस को भी गम्भीरतापूर्वक लेंगे।

विभिन्न स्थानों में साम्राज्यवादी शक्तियों को तैनात होने देना विश्वशांति—न केवल भारतीय महाद्वीप वरन् पूरे विश्व को चुनौती है और इसीलिए ऐसी चुनौती का सामना करने का एकमात्र रास्ता यही है कि सभी गुट-निरपेक्ष देशों को विश्व के समाजवादी गुटों के साथ मिल जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार, जो स्वयं गुट-निरपेक्ष आंदोलन का नेता होने का दावा करती है, इस बारे में कुछ पग उठाएगी।

**अध्यक्ष महोदय** : अब माननीय मन्त्री जी अपने विचार व्यक्त करेंगे।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : श्रीमन। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से मुझे अपनी सलाह देकर मुझे लाभान्वित किया।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** (बम्बई उत्तर पूर्व) : श्री उस्तिनोक की यात्रा के बारे में क्या है?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : यह एक द्विपक्षीय यात्रा है, एक सामान्य द्विपक्षीय घटना है: मेरे विचार से इस यात्रा को इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ जोड़ना उचित नहीं है। श्री, नाडार द्वारा उठाई गई पहली बात यह है—क्या यह मामला पाकिस्तान के साथ उठाया जाएगा। जब हमने इस मामले पर उनके साथ चर्चा की, थी याद होगा कि चर्चा के लिए हमारे पास ही दस्तावेज हैं—एक शांति और मित्रता की संधि का प्रारूप और दूसरा दस्तावेज है जो सामान्यता युद्ध न करने समझौते के नाम से जाना जाता है। अब, इन दोनों दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक किया गया विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि उन दोनों दस्तावेजों पर चर्चा की करते समय जिस मुद्दे को हल करना है, वह जो अड्डों इत्यादि से सम्बन्धित प्रश्न है। अत: विस्तार में जाए बिना, मैं केवल इतना निवेदन करता हूं कि उन मामलों पर निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रो० तिवारी।

**प्रो० के० के० तिवारी** (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को विश्व शांति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में और पूरे विश्व को परमाणु सर्वनाश के कगार पर ले जाने में साम्राज्यवादी शक्तियों की आक्रामक भूमिका के संदर्भ में लेता हूं।

इसीलिए, मैं इसे केवल अमेरिका द्वारा हमारे पड़ौस में शांति स्थापना के प्रयास के रूप में नहीं लूंगा लतीनी अमेरिकी देशों में साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा आक्रमण किया गया और यूरोपीय देशों में 'पर्शिंग और क्रूस' प्रक्षेपास्त्रों की स्थापना की गई। मेरे विचार में, लेबनान

पर अमेरिका द्वारा किया गया पिछला आक्रमण तथा हारमज की खाड़ी पर आक्रमण का खतरा ऐसे मामले हैं जो इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने से सम्बद्ध हैं।

मुझे यह नहीं मालूम कि मन्त्री महोदय ने 'अग्रणी देश' अथवा सामरिक सहमति की धारणा, जिनका अमेरिकन प्रशासन ने बार-बार उल्लेख किया है, की ओर ध्यान दिया है अथवा नहीं।

फिर भी, श्री, रीगन के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाने के बाद **(व्यवधान)** उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान को सभी प्रकार के हथियार दिए गए। चूंकि उन्होंने, हमारी प्रधानमंत्री और सभा के अन्य सदस्यों ने इसको स्पष्ट किया है, मैं मामले के बिस्तार में जाना नहीं चाहता हूं।

इसीलिए, मैं केवल इस क्षेत्र में अमेरिका की अन्तर्ग्रस्तता और भारत के पड़ौसी देशों के साथ सुरक्षा सम्बधी गठबन्धन करने को प्रयासों की बात पर जोर देना चाहता हूं। उसका अभिप्राय बहुत स्पष्ट है। अमेरिका अपने तमाम विश्व के सामरिक हितों के लिए इस क्षेत्र का प्रयोग करना चाहता है। इसीलिए, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सामरिक सहमति की अवधारणा का विभाग किया गया है। और जब मैं सामरिक सहमति को बात करता हूं तो मैं सभा को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि यह सामरिक सहमति केवल दक्षिण एशिया और हमारी सुरक्षा से ही सम्बद्ध नहीं अपितु यह फारस की खाड़ी जो बहुत से पत्र भी सम्बद्ध हैं इसीलिए पाकिस्तान अमेरिकी साम्राज्यवाद के जाल नें फंस गया है और इन अड्डों और स्थापित किये जाने वाले अड्डों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय क्या इस बात से इंकार करेंगे कि सेना को पाकिस्तान में तीव्र फैलाव को प्रयास समूचे क्षेत्र को अपने अधिकार में रखने और खाड़ी क्षेत्र में तथाकथित अमरीकी हित साधन करने के लिए किए जा रहे हैं मानों खाड़ी देश अमरीकी साम्राज्यवाद भी निजी सम्पत्ति हों।

श्रीमन्, पाकिस्तान उप-महाद्वीप का एक भाग था किन्तु अमेरिका ने एक नयी धारणा बनायी है कि पाकिस्तान अब पश्चिम एशिया का भाग है क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, पश्चिम एशिया में उनके असुरिक्त हैं। किन्तु मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में किस सेना के तीव्र फैलाव की धारणा अफगानिस्तान में तथाकथित रूसी हस्तक्षेप से काफी पहले जानना चाहता हूं कि क्या वह सच नहीं है कि अमेरीकन सेंट्रल कमांड फोर्स—जिसका कार्य की हैं मैं मंत्री महोदय से यह भी क्षेत्र आजकल बढ़कर इस क्षेत्र के उन्तीस देशों तक हो गया है।

हिन्द महासागर का पूरा उत्तरी-पश्चिमी चतर्थांश—जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान इस क्षेत्र में अमेरीकी हित सुरक्षा का स्व-उद्घोषित शक्ति स्तम्भ है। गत वर्ष पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अमेरिका में कहा था कि पाकिस्तान फ़ारस की खाड़ी के पिछले

द्वार का पिछवाड़ा है और यदि पाकिस्तान ही सुरक्षित नहीं है, तो अमेरिका के लिए फारस की खाड़ी भी सुरक्षित नहीं रहेगी।

यह दृश्यलेख है और इसीलिए इस क्षेत्र में एक बाहरी, महाशक्ति घुस बैठकर पान-अमरीकीवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है तथा अत्यन्त आधुनिक हथियारों की अंधाधुंध सप्लाई के द्वारा इस क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करके सारे विश्व पर अपनी आधिपत्य और प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रही है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब इस क्षेत्र में इस प्रकार की बातें हो रही हैं तो यह देश कैसे असावधान बना रह सकता है या कैसे उस पर व्यापक प्रतिक्रिया नहीं होगी। मैं प्रश्न हूं कि माननीय मंत्री समय-समय पर और मैं यह भी कहूंगा। कि हम सौभाग्यशाली हैं जो इन जैसा विद्वान और समझदार मंत्री हमें मिला है जो प्रधान मंत्री की भांति आग्रह करते रहे हैं कि इस द्वितीय शीत युद्ध का सा वातावरण बना के इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति पैदा की जा रही है। द्वितीय शीत युद्ध अमेरीकी साम्राज्यवाद द्वारा हमारी दहलीज तक लाया जा चुका है और इसमें तेजी आ रही है।

इसीलिए हमारी व्यवस्था को, हमारी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है और हमें चारों ओर से तनावग्रस्त करने का प्रयास कर रही है।

अब, श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री और भारत सरकार का ध्यान इस दृश्यलेख में आणविक हथियारों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यहां तक कि अमेरीका के राज्य सचिव (सेक्रेटी आफ स्टेट) श्री शूल्ज चीन के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए बीजिंग गए कि उनको पाकिस्तान को आणविक जानकारी नहीं देनी चाहिए।

हाल ही में, डा० ए० क्यू० खान—जो पाकिस्तान की नाभिकीय नीति के निर्माता हैं और जिन्होंने यूरोप के कुछ देशों से बहुत से रहस्य चुराए थे—अभी हाल में एक वक्तव्य में घोषणा की कि हमने यूरेनियम को समृद्ध करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। उन्होंने कहा कि ऐसी क्षमता प्राप्त कर लेने वाले देशों में हमारा देश छठे स्थान पर है और यूरोप ने जिस क्षमता को पाने में 20 वर्ष लगाए हमने उसे केवल 7 वर्ष में ही विकसित कर लिया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के पास भी आणविक हथियार हैं। इस सम्बन्ध में एक समानान्तर उदाहरण है। हिरोशिमा पर फेंक गये बम का परीक्षण नहीं किया गया था। इसी प्रकार, इजराइल के मामले में, बताया जाता है कि उनके पास बहुत बड़ी आणविक आयुधशाला है यद्यपि उन्होंने अभी तक उसका कोई सैनिक परीक्षण नहीं किया है। अतः अमेरिका और पाकिस्तान के बीच भी ऐसा ही सहयोग है, इस क्षेत्र और इस सामरिक सहमति में पाकिस्तान को अग्रजी देश के रूप में उभारा जा रहा है अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति

अमेरिका गए हुए थे। वहां उन्होंने कहा कि चीन भी अब उस सामरिक सहमति आधुनिकीकरण के लिए का हिस्सा है और हथियार तथा सैनिक जानकारी चीन को दी जाएगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप यह सब बातें सामान्य चर्चा में कह सकते हैं।

**प्रो० के० के० तिवारी** : हमें इस बारे में लापरवाह नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण मामले हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वे बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं—चाहे वे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बद्ध हो या नहीं।

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : श्रीमन्, आप उनके विचार-प्रवाह में बाधा मत डालिए।

कृपया मेरी बात सुनिए।

**प्रो० के० के० तिवारी** : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान को कैसे हथियार दिये जो रहे हैं श्री रीगन की कृपा से पाकिस्तान की सेना में एक नया उत्साह प्रलक्षित हो रहा है। किन्तु यह पांचवे दशक से ही शुरू हो गया था। अत: अब भी वही दृश्य बना हुआ है। हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट देखी थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो देश अमेरिका के पक्षधर नहीं है उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से द्विपक्षीय सहायता का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

इस मामले में भारत की स्थिति बिल्कुल शून्य है। इसीलिए अमरीकी साम्राज्यबाद का आक्रमण क्यों बढ़ता जा रहा है बंगाल देश में सैनिक अड्डों के बारे में, हाल ही में मंत्री ने इसे स्वीकार किया है। मेरी धारणा यह है। मैं इस पर बाद में अपने विचार रखूंगा जरनल इरशाह ने परसों एक वक्तव्य दिया कि सोवियत संघ उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। यह इस बात को बड़ा महत्व दिया गया। जब वे अमेरीका में थे तो वहां उन्होंने उच्च स्तरीय वार्ता की थी और एक समझौता हुआ था जिसमें बंगलादेश सातवें बेड़े के विमानों के लिये पर गांव में आपालकाली में उतारने और पुनः ईंधन देने की सुविधाएं देगा या तथा अमेरिका के स्थायी अड्डों बनाने के लिए सेंट मार्टिन और एक अन्य द्वीप का अधिग्रहण किया जाएगा।

अत: ये बातें हो चुकी है। यदि आप मुझे अनुमति दें इस समाचार को प्रमाण सिद्ध करने के लिये में सम्बद्ध नाम भी बता सकता हूं मैं नाम पढ़कर पश्चिमी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना के कमाण्डर जरनल जेम्स ली ने 14 फरवरी को 5 दिन की बांग्लादेश की यात्रा की थी और उन्होंने वहाँ के अधिकारियों के साथ चर्चा की थी उसके बाद जनरल इरशाद अमरीका की यात्रा पर गये थे। और जरनल इरशाद की यात्रा के बाद वरिष्ठ एशिया प्रशांत कमांड के 3 वरिष्ठ अधिकारी जनवरी के प्रथम सप्ताह में बंगलादेश आए थे। इसके बाद ही,

इस पर सहमति हुई थी कि सेंट मार्टिन तथा समीप के अन्य द्वीप अमरीका को अड्डे स्थापित करने के लिए दे दिए जाए इस सम्बन्ध में यह स्थिति है ।

और बाद में श्रीलंका का उल्लेख भी किया सभी ओर से अमरीकी अड्डों से घेरा जा रहा है । यह सब अमरीकी हितों की सुरक्षा के नाम पर किया जा रहा है ।

अतएव जैसा कि प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्रीद्वारा यह कई अवसरों पर स्पष्ट किया जा चुका है, कि हमें वास्तविकल का सामना करना है और दुर्भाग्यवश अफगानिस्तान का मामला यहां उठाया गया है और मांग की गई है...

उपाध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, माननीय मंत्री आपसे पहले ही अपील कर चुके हैं कि इस मामले में आम चर्चा की बात न करें ।

**प्रो० के० के० तिवारी** : ठीक है, श्रीमन् । लेकिन मुझे समाचार-पत्र से एक लेख का उद्धरण देने की अनुमति दें जिसमें इलिनोइस विश्वविद्यालय के प्रो० स्टीफन कोहेन ने कुछ कहा है । इससे अमरीका की सामरिक तथा इस क्षेत्र को घेरने का उनका बोध स्पष्ट हो जाएगा जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, जिससे देश अस्थिरता में यहां उसे उद्धृत करना हू : —

> "उदाहरण के लिए इलिनोइस विश्वविद्यालय के प्रो० स्टीफन कोहेन कहते हैं कि पाकिस्तान उन राज्यों में से एक है जिनका अस्तित्व ही अनिश्चित है, जिनकी वैधता पर संदेह किया जाता है और जिसकी सुरक्षा के साधन अपर्याप्त हैं । तथापि, ये देश लुप्त नहीं होंगे और न ही उनकी उपेक्षा की जा सकती है । लाइवान, दक्षिणी कोरिया, इस पल तथा दक्षिणी अफ्रीका की तरह) पाकिस्तान के पास युद्ध क्षमता है, परमाणु शक्ति बनने की क्षमता है, विश्व के सामरिक संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता है (चाहे यह केवल विघटन से ही हो) और अन्त में वह ऐसी सामरिक भौगोलिक स्थिति में है कि फारस की खाड़ी के मुहाने पर विश्व के तीन विशालतम देशों से घिरा हुआ है...।"

आज स्थिति यह है । महोदय, इसलिए अमरीकी हमारे देश के इर्द-गिर्द अड्डे स्थापित करने में बहुत रुचि रखते हैं तथा पाकिस्तान को भारत के पूर्ण सामरिक घेराव का एक भाग बनाना चाहते हैं, भारत जो कि शांति-प्रिय देश है, जो कि गरीब देशों में निर्गुट तथा शांति स्थापना के कार्य में अग्रणी रहा है । हिन्द महासागर तथा दियागो गार्शिया द्वीप-समूह में अमरीका के अड्डों के बारे में हम सभी जानते हैं ।

इस क्षेत्र में अमरीका के 21 अड्डे हैं। और इस सम्बन्ध में काफी चर्चा होती रहती है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका प्रशासन द्वारा हिन्द महासागर खाड़ी फारस, दक्षिण एशिया क्षेत्र तथा भारतीय उप-महाद्वीप के बारे में तैयार की गई अवधारणाओं युद्धकारी तथा अकामक इरादों सहित स्थापित होने की अनुमति दी जाएगी और इस प्रकार हमारे देश की स्थिरता को जोखिम में डाला जाएगा ? क्या माननीय मंत्री इसे स्पष्ट करेंगे तथा यह बताएंगे कि इस खतरे का जो कि हमारे देश की सुरक्षा के सन्निकट है, वे कैसे सामना करेंगे ?

**(श्री पी० वी० नरसिंह राव)** : महोदय माननीय सदस्य ने बहुत से मुद्दे उठाए हैं, और वह जानते हैं और सदन भी इससे अवगत है कि पिछले चार वर्षों के दौरान हमने अनेक अवसरों पर इन्हीं मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की हैं, चाहे यह सामरिक आम राय का प्रश्न हो या सेना का बढ़ता हुआ फैलाव या तथा-कथित अग्रणी देशों आदि का सिद्धान्त हो तथा सरकार के विचार अनेक अवसरों पर बहुत स्पष्टता तथा जब भी आवश्यकता पड़ी, मेरे द्वारा सदन में तथा अन्यत्र व्यक्त किए जा चुके हैं। इसलिए, मुझे उन सभी मुद्दों पर बोलने की आवश्यकता नहीं है।

मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं, जैसाकि मैंने अपने बयान के अन्तिम वाक्य में दिया है, चूंकि यह मामला भारत के लिए अत्यन्त चिंता का विषय है, सरकार ऐसी घटनाओं पर निरंतर चौकसी की नजर रखेगी और मैं सदन में कह ही चुका हूं जब भी देश की सुरक्षा को कोई खतरा होगा तो सरकार खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगी। रक्षा मंत्री यह कह चुके हैं, मैं कह चुकी हूं और यहां तक कि प्रधान-मंत्री भी यह कह चुके हैं।

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री का प्रशंसक होने के बावजूद...

**अपाध्यक्ष महोदय** : यह पहली बार सुनने में आया है कि आप भी किसी के प्रशंसक हैं।

**श्री हरिकेश बहादुर** : मैं काफी लम्बे समय से उनका प्रशंसक हूं। और वे इस बात को जानते हैं।

तथापि, मैं महसूस करता हूं कि उन्होंने मामले को बड़े हलके-फुलके तौर पर लिया है। मैं बयान में से ही उद्धरण देना चाहूंगा। पैरा 3 में कहा गया है :

> "अमरीकी अधिकारियों ने भारत सरकार का बताया है कि अमरीका का पाकिस्तान में अड्डे या सुविधाएं स्थापित करने का कोई विचार नहीं है और उसकी बंगलादेश में सुविधाएं प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं है।"

यहां मैं माननीय मंत्री को तथा उनके माध्यम से भारत सरकार को यह याद दिलाना हूं कि 1954 में, जब अमरीका पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा था, तो उस समय यह मामला उठाया गया था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप उस वर्ष पैदा हुए थे ?

**श्री हरिकेश बहादुर** : मैंने इन सारी बातों के बारे में बाद में पढ़ा। उस समय यह मामला अमरीका सरकार के साथ उठाया गया था क्योंकि इस देश की जनता ने अनुभव किया था कि इन हथियारों का प्रयोग केवल भारत के विरुद्ध किया जाएगा, लेकिन अमरीका सरकार भारत को आश्वासन दिया कि जो हथियार पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, उनका प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं होगा, लेकिन, अन्ततः क्या हुआ यह सब जानते हैं। जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो वे सभी हथियार भारत के विरुद्ध प्रयोग किए गए। इसलिए, वे कह सकते हैं कि उनके अड्ड स्थापित करने की कोई योजना या इरादा नहीं है, लेकिन वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारा अनुभव बताता है कि अमरीका कहता कुछ है और करता कुछ है।

मैं अनुभव करता हूं कि अमरीका की हमारे प्रति अधिक सहानुभूति नहीं है, यद्यपि विश्व में हमारा सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, और उनका देश भी प्रजातंत्रीय है और उनकी हमारे प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन इन्हें सहानुभूति नहीं है। पाकिस्तान पहले ही अमरीका का शस्त्रागार बन चुका है वहां सर्वाधिक आधुनिक हथियार रखे गए हैं। इन हथियारों का प्रयोग अफगानिस्तान चीन या ईरान के विरुद्ध नहीं होगा, वास्तव में उनका प्रयोग किसी भी देश के विरूद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन, मुझे लगता है कि इनका प्रयोग भारत के विरुद्ध किया जाएगा। विशेषकर, अमरीका सदैव इसी प्रकार की युद्ध नीति की ताक में रहता है।

जैसा कि मेरे माननीय मित्रों ने कहा है कि पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, गार्शिया तथा हिन्द महासागर में अमरीका के कुछ इरादे हैं और वे नेपाल को भी उस देश का प्रयोग करने के लिए राजी कर रहे हैं, भविष्य में वे उनका उपयोग इस उद्देश्य के लिए अपने अड्डे के रूप में कर सकते हैं। अतएव, हमें बहुत सतर्क रहना होगा।

भारत सरकार को अपनी गुप्तचर एजेंसियों को सशक्त बनाना चाहिए ताकि उन्हें इस बारे में उपयुक्त जानकारी मिल सके कि भारत के इर्द-गिर्द पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। यह अनिवार्य हो गया है क्योंकि उनकी एजेंसियां बहुत शक्तिशाली हैं। डा० स्वामी मुस्करा रहे हैं।

...(**व्यवधान**)...

**डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : उनका तात्पर्य यह है कि हमें के० जी० बी० से प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि हमारी गुप्तचर व्यवस्था में सुधार हो सके।

**श्री हरिकेश बहादुर** : जैसा कि मैंने कहा है कि हमें अपनी गुप्तचर व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने का प्रयास करना चाहिए और यह जानने के लिए कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, उसे सुदृढ़ करना चाहिए । केवल तभी हम अपनी अखंडता को बनाये रख सकेंगे और अपने देश की रक्षा कर पाएँगे ।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मैंने माननीय सदस्य के अति बहुमूल्य सुझाव नोट कर लिए हैं, और अब की बार में डा० स्वामी की ओर नहीं देखूंगा ।

**श्री राजेश कुमार सिंह** (फीरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सही में यह एक चिन्ता का विषय है । माननीय मन्त्री जी ने भी अपने ऊपर में चिन्ता व्यक्त की है और निगरानी रखने की बात भी कही है ।

बड़ी खुशी की बात है लेकिन एक प्रश्न बार-बार पैदा हो जाता है कि क्या वजह है, हमारे पड़ौसी मुल्क जो हैं जहां कि यह डेवलपमेंट हो रहा है उनकी वजह क्या है ? किस कारण से यह सच हो रहा है और हमारी नीति क्या है ? उसका सम्बन्ध इनसे क्या है ? बहरहाल, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी यहां होते तो और अच्छा होता, हम यह पता लगा लेते कि उसके मुकाबिले में हमने क्या तैयारी की ? कहीं न कहीं हमारी विदेश नीति में कुछ खामी है । खामी नहीं होती तो यह बंगलादेश और पाकिस्तान से हमारा सम्बन्ध उतना मजबूत क्यों नहीं बन पाया ?

तिवारी जी अभी बता रहे थे अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति की बात । हो सकता है कि कुछ हो । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने नजदीक होते हुए भी जहां कि हमारी संस्कृति भी बहुत नजदीक है दोनों मुल्कों की, उसके बाद भी वहां के लोगों से भी हमारे संबंध नहीं बन पाए और सबसें बड़ा बुनियादी प्रश्न यह है कि जहां हम बिग पावर्स की बात करते हैं वहां भी हमारी निगाह साफ नहीं है उसमें । वह भी साफ होनी चाहिए । उससे ये डेवलपमेंट और हो रहे हैं ।

मैं इतना ही जानना चाहूंगा कि जो तैयारियां हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे लिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं ? आपका विभाग ऐसी स्थिति क्यों पैदा करने दे रहा है और उसके मुकाबिले में आपने अब तक क्या तैयारी की है ?

आप अपने रिलेशंस क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं ? उसकी वजह क्या है कि अच्छे ताल्लुकात नहीं बन पा रहे हैं ? यह बड़े पावर्स की मैन लैंड पर कोई झगड़ा नहीं है । झगड़ा हो रहा है हमारे यहां पर ।

इंडियन ओशन की स्थिति और ज्याग्राफिया वगैरह के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा । सदन हालात से अच्छी तरह से अवगत है । लेकिन एक प्रश्न जरूर है कि इस खामी

को दूर करने का यह सरकार क्या प्रयास कर रही है ? क्या सिर्फ बात करके आप संतुष्ट हो गए हैं कि ऐसा कोई डेवलपमेंट वहां नहीं हो रहा है ? या क्या आपका अपना कोई स्रोत है जिसके द्वारा आपको कोई जानकारी है ? अगर है तो वह क्या है ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : श्रीमन्, पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे जो संबंध पड़ोसी देशों के साथ हैं वह अच्छे हैं। कई ऐसे पाजिटिव पक्ष उनमें हैं जिन पर लोगों की नजर नहीं जाती है। लेकिन चार साल का इतिहास देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमने आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश की है, बाई-लेटरल ढंग से भी और सारे प्रान्त में जो सात देश हैं उन सबमें आपसी सहयोग बढ़ाने का कार्यक्रम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

आप अखबारों में पढ़ते ही होंगे कि आये दिन कोई न कोई इनकी बैठक होती है जिस में हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में हमको आपसी सहयोग को बढ़ाने का मौका मिलता हैं और उसके बारे में स्कीमें बनती हैं। साल का साल में आप देखेंगे कि कई एक क्षेत्र में इन सातों देशों के बीच में और भारत और एक-एक देश के बीच में सहयोग के क्षेत्र और बढ़ते जाएंगे और मजबूत होते जाएंगे।

प्रश्न इतना ही है कि जहां हम दोस्ती की बात करते हैं इन सहयोग के क्षेत्रों को बढ़ाने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहां हम यह भी देखते हैं कि इस प्रान्त में एक तनाव बढ़ता जा रहा है। इस तनाव के बढ़ने का एकमात्र कारण यह नजर आता है कि बाहर से जो हथियार यहां दिए जा रहे हैं, और यहां लिए जा रहे हैं उनके कारण यह तनाव बढ़ रहा है। बाहर से कोई हथियार आता है हथियार देने वाले की एक स्ट्रेटेजी होती है, उसका एक उद्देश्य होता है, उससे हम सहमत हों या न हों, वह अपने कारण से देता है। देने के कारण अलग होते हैं और लेने के इनके कारण अलग होते हैं।

नतीजा यह होता है कि यहां भाव बढ़ता है। चार साल से हम लगातार इस बात को कहते आए हैं कि इस तरह से तनाव बढ़ाने के लिए बाहर से हथियार आना ठीक नहीं है, अनुचित है।

लेकिन इसके बावजूद यह हो रहा है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें हमारी बात नहीं सुनी जा रही है जिसके कारण तनाव बढ़ता जा रहा है। बाकी कई और क्षेत्रों में हम आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं और आप यह कहें कि इसमें हमारी विदेश नीति की विफलता है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें विदेश नीति की विफलता का क्या सवाल है ?

यदि पाकिस्तान चाहे कि अमरीका से हथियार लेकर अम्बार लगाए तो उसमें हमारी विदेश नीति का क्या सम्बन्ध आता है ? हम तो बराबर उनसे कह रहे हैं, हमारी वार्ता बन्द नहीं हुई है, लगातार हम उनसे कह रहे हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी

वे इसको नहीं मानते हैं। वे समझते हैं उनको हथियार और बढ़ाने जाना चाहिए, साफिस्टिकेशन को भी बढ़ाते जाना चाहिए।

इसीलिए यह तनाव बढ़ रहा है और परेशानी बढ़ रही है। इसको जहां तक हो सके, हम घटाना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ इस सदन के माननीय सदस्यों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि हम अपनी सुरक्षा के मामले में सतर्क रहें हमें पूरी तरह से सतर्क रहना है। इन दोनों चीजों को दृष्टि में रखते हुए हमें अपनी पालिसी बनानी पड़ती है --यही मुझे कहना है।

---

**13.11**

## एक सदस्य द्वारा व्यैक्तिक स्पष्टीकरण

**अध्यक्ष महोदय** : अब, नियम 357 के अधीन व्यैक्तिक स्पष्टीकरण। श्री अटल बिहारी वाजपेयी।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 1 मार्च, 1984 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ था, उस पर हुई बहस में भाग लेते हुए ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री आरिफ मोहम्मद खां ने मेरे ऊपर यह व्यक्तिगत आक्षेप किया कि मैंने खान अब्दुल गफ्फार खां पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने पर एतराज किया और उसे पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां के भाषण का सम्बन्धित अंश इस प्रकार है :—

> "और आज आपके दिल में इतना प्यार समाया है कि आज अगर अब्दुल गफ्फार खां, जो हमारे भी स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी रहे हैं, उनके ऊपर किए गए अत्याचार के खिलाफ आपत्ति की जाती है तो उस पर भी आपको एतराज है उसको आप पाकिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप बता रहे हैं।"

(लोक सभा विवाद भाग—2, पृष्ट संख्या 2156)

मुझे खेद है कि श्री आरिफ मोहम्मद खां ने ईस तरह के आरोप लगाने से पहले तथ्यों की छानबीन करने का प्रयत्न नहीं किया। तथ्य यह है कि मैंने खान अब्दुल गफ्फार खां की नजरबन्दी, जेल में उनके साथ किए जा रहे व्यवहार तथा उनकी बीमारी की खबरों पर सार्वजनिक रूप से चिन्ता प्रकट की है और इस आशय के वक्तव्य भी दिए हैं।

खान अब्दुल गफ्फार खां भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं और उनके प्रति

सभी भारतीयों के हृदय में, फिर वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा से सम्बन्धित हों, असीम आदर की भावना विद्यमान है।

21 दिसम्बर, 1978 को विदेश मन्त्री के नाते, इसी सदन में खान अब्दुल गफ्फार खां के सम्बन्ध में मैंने कहा था :

> "बेलग्रेड में जब नान-एलायन्ड नेशन्ज का सम्मेलन हो रहा था और कुछ ही दिन पहले बादशाह खान काबुल पहुंचे थे—जलालबाद रहते थे—तो मैंने अफगानिस्तान के उपप्रधान मन्त्री और विदेश मन्त्री से कहा था कि भारत सरकार बादशाह खान की जांच-पड़ताल के लिए भारतीय डाक्टरों को भेजने के लिए तैयार है, और अगर बादशाह खान भारत में इलाज कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम पूरा प्रबन्ध करने को तैयार हैं, उनके लिए इलाज का प्रबन्ध करना हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है हमारा धर्म है। इस सम्बन्ध में किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए।"

दिनांक 25 अगस्त, 1983 को भारत सरकार की ओर से जब विदेश मन्त्री श्री नरसिंह राव ने लोक सभा में एक वक्तव्य द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खां के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य पर चिन्ता प्रकट की थी तो मैं सदन में मौजूद था और सारे सदन ने उस वक्तव्य के साथ अपनी सहमति प्रकट की थी।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे की समन्वय समिति ने, जिसकी अध्यक्षता चौ० चरण सिंह ने की थी और जिसमें मैं भी उपस्थित था, दिनांक 31 अगस्त, 1983 को आयोजित अपनी बैठक में अग्रणी नेता खान अब्दुल गफ्फार खां के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य और उन्हें मिलने वाली अपर्याप्त मेडिकल सहायता पर चिन्ता प्रकट की थी और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की थी।

यह आरोप लगाना कि मैं या मेरी पार्टी या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा खान अब्दुल गफ्फार खां के साथ पाकिस्तान में जो व्यवहार हो रहा है, उसके विरोध में आवाज उठाने को पाकिस्तान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप मानते हैं, नितान्त निराधार है।

मानवीय अधिकारों में हमारी पूरी निष्ठा है और हम विश्व के सभी भागों में, फिर वह पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान, उन अधिकारों के उल्लंघन किए जाने के खिलाफ हैं और उसके विरोध में आवाज उठाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।

---

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा 2 बजकर 15 मिनट म० प० के लिए स्थगित होती है।

13.15

**इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।**

**मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 18 मिनट पर पुनःसमवेत हुई**

14.18

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

---

## जीवन बीमा निगम विधेयक

### संयुक्त समिति के लिए निर्वाचन

**श्री मूलचन्द डागा** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा जीवन बीमा कारोबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से, भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिए और उक्त कारोबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिए अनेक निगमों की स्थापना के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्रीमती सुखवंश कौर के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, श्रीमती कैलाशपति को नियुक्त करती है।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा जीवन बीमा कारोबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से, भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिए और उक्त कारोबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिए अनेक निगमों की स्थापना के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति में श्रीमती सुखवंश कौर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, के स्थान पर श्रीमती कैलाशपति को नियुक्त करती है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

14.19 1/2

## कार्य मंत्रणा समिति

### 56वां प्रतिवेदन

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 5 मार्च, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 56वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 5 मार्च, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 56वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) दिल्ली में कुष्ठ रोग को रोकने के उपाय

**श्री चिन्तामणि जैना** (बालासोर) : दिल्ली में जहां कुष्ठ रोग के मामले पहले बहुत कम होते हैं, अब इस रोग से पीड़ित लोगों के बड़ी संख्या में राजधानी में आने से यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है।

इस प्रकोप से प्रभावित अन्य क्षेत्रों से दिल्ली आने वाले मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जिससे भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में यह बीमारी फैलने का भय बढ़ गया है। यदि कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों का शीघ्र पता लगाने, उनका उपचार करने और उनके पुनर्वास के लिए तुरन्त कदम उठाए गए तो संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की स्थिति बहुत चिन्ताजनक हो जाएगी। मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री से अनुरोध करता हूं वे कुष्ठ रोग के मरीजों को पता लगाने का प्रयास करें। ऐसे नए कुष्ठ रोग केन्द्र खोले जाने चाहिए, जहां उनका पर्याप्त उपचार किया जा सके। कुष्ठ रोग से पीड़ित भिखारियों को पकड़कर उन्हें कुष्ठ रोग केन्द्रों में भेजा जाना चाहिए।

मरीजों कुष्ठ रोगियों के इस भयानक रोगों के इलाज के बाद उनके शीघ्र पुनर्वास का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। अन्ततः इस रोग को पूर्णतः समाप्त करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को पूरी तरह तेजी से कार्यान्वित किया जाना चाहिए, तथा ऐसे रोगियों के यहां आने पर रोक लगाई जानी चाहिए।

### (दो) आलू उत्पादकों के लिए उचित न्यूनतम मूल्य

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुश) : इस साल की आलू की फसल बाजार में आनी शुरू हो गई है। यह समय किसानों द्वारा आलू बेचे जाने का है जबकि उपभोक्ताओं के लिए प्रति क्विंटल 100 रुपए अथवा प्रति किलो एक रुपए का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है और कई बार उससे भी अधिक मूल्य पर आलू खरीदना पड़ता है, किसानों को इसे बहुत कम मूल्य अर्थात 22 रुपए से 24 रुपए प्रति क्विंटल बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। दूर-दराज के

क्षेत्रों में इसका भाव और भी कम है। पश्चिम बंगाल के कतिपय क्षेत्रों में तो एक सप्ताह पूर्व आलू 15 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचा गया।

चूंकि इस वर्ष आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है, इसलिए किसानों पर कम मूल्य पर आलू बेचने के लिए दबाव डाले जाने की संभावना बहुत अधिक है और यह स्थिति कुछ समय तक बनी रह सकती है।

अत: कृषि मन्त्रालय को इस सम्बन्ध में कदम उठाने चाहिए तथा आलू-उत्पादन करने वाले सभी राज्यों की सरकारों के साथ यह मामला उठाना चाहिए ताकि वे कम मूल्यों पर अपनी आलू की फसल बेचने के लिए बाध्य किए जा रहे किसानों की रक्षा करने हेतु कार्यवाही कर सकें।

किसानों के लिए,आलू की बिक्री मूल्य 100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाना चाहिए तथा सरकारी एजेन्सियों को यह फसल खरीदने के लिए आगे आना चाहिए।

(तीन) **दिल्ली में चूहों के कारण उत्पन्न संकट**

**श्री कमल नाथ** (छिंदवाड़ा) : मैं आपका ध्यान राजधानी में चूहों की बढ़ती हुई संख्या से उत्पन्न गंभीर स्थिति की ओर दिलाता हूं। पिछले कुछ वर्षों में, यह व्याधि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के शहरी इलाकों से लगते ग्रामीण क्षेत्रों तथा अल्पविकसित क्षेत्रों में ही फैली हुई थी और अब यह नई कालोनियों, सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में फैल गई है।

यहां आप हर आकार के चूहे देख सकते हैं—नालियों में रहने वाले मोटे-मोटे चूहे, पतले, भूखे और लड़ाकू चूहों, रसोईघर में शोर मचाने वाले चूहे तथा गलियों में निर्भीक घूमने वाले चूहे। चूंकि ये अत्यधिक पेटू होते हैं, ये कई टन खाद्यान्नों के साथ-साथ कार्यालय की फाइलें और रिकार्ड भी खा जाते हैं, मैं गोदामों चोरी जाने वाले 6-7 प्रतिशत खाद्यान्न भंडार का जिक्र नहीं कर रहा हूं।

इस पर से तो एक दिन वह सरकार के सारे वर्गीकृत और अवर्गीकृत —रिकार्ड चटकर जायेंगे।

चूहों का सफाया करने के लिए बिल्लियों की फौज लगाना उपयुक्तर उपाय हो सकता है। लेकिन मैं यह देखकर हैरान हूं कि राजधानी की बिल्लियों में परभक्षी उत्साह की कमी है और वे चूहों के शिकार की अपेक्षा चोरी के दूध पर ही संतुष्टि कर लेती हैं। ऐसा लगता है लोगों को परेशान करने के लिए चूहों और बिल्लियों ने आपस में सिद्धान्तहीन समझौता कर लिया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही करें तथा उपयुक्त कदम उठाएं।

महोदय, मैं जो कुछ कहना चाहता उसमें से अधिकांश को कहने की अनुमति नहीं दी गई है इसमें परिवर्तन कर दिया गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** जिसकी स्वीकृति की गई है, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

### (चार) गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय विद्यालय की मांग

**श्री जैनुल बशर** (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ओपीयम एण्ड अलकालैण्ड वर्क्स, गाजीपुर उत्तर प्रदेश ने एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रतिष्ठान. केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरा करने को तैयार है।

गाजीपुर में अच्छी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं में केन्द्रीय पुलिस बालों तथा अन्य केन्द्र सरकार की सेवाओं में गाजीपुर जिले के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं। सशस्त्र सेनाओं और पुलिस बालों में काम करने वाले लोगों की तैनाती बहुदा ऐसे स्थानों पर होती है जहां अपना परिवार नहीं रख सकते। अधिकतर ऐसा भी होता है कि कभी वे परिवार रख पाते हैं और कभी अपने घरों को वापस भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पुत्रों-पुत्रियों की शिक्षा में बाधा पड़ती है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय विद्यालय खुल जाने से ऐसे सरकारी कर्मचारियों तथा स्थानीय सरकारी कर्मचारियों को बहुत सुविधा हो जाएगी।

शिक्षा मन्त्रालय से मेरा निवेदन है कि अगले सत्र से गाजीपुर में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की वह स्वीकृति प्रदान करे दे तथा इसकी पूरी व्यवस्था करे।

### (पांच) भारतीय रेलों में कार्मिक संघों का पुनर्गठन

**श्री ईरा अनबारासु** (चिंगलपट्टु) : रेलवे में दो महासंघ है अर्थात एक एन० एफ० आई० आर० जो 'इंटक' से सम्बद्ध है और ए० आई० आर० एफ० जिस पर समाजवादी दल का नियन्त्रण है। ये मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय रेल संघों के केवल यही महासंघ है।

क्षेत्रीय संघ मान्यता प्राप्त संघ हैं और इसके मान्यता प्राप्त होने से पदाधिकारियों का संघों पर नियन्त्रण बना हुआ है। वे सदस्यों की जाली सूची तैयार करते हैं तथा अपने पंजीकरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इसे समय-समय पर मजदूर संघ रजिस्ट्रार के पास भेज देते हैं। कुछ स्टेशन मास्टरों, इन्जन-चालकों आदि ने श्रेणी-वार संघ बना लिए हैं। इन गैर-मान्यता प्राप्त संघों की सदस्य संख्या मान्यता प्राप्त संघों की अपेक्षा अधिक है।

मान्यता प्राप्त महासंघों तथा संघों के ये नेता रेल कर्मचारियों का मत जाने बिना स्टाफ बैनिफिट फंड कमेटी से विभागीय और राष्ट्रपति परिषद स्तर पर अपने प्रतिनिधि मनोनीत करते हैं। क्षेत्रीय रेल प्रशासन इस पर कोई नियन्त्रण नहीं रख रहा अपितु वह मनोनीत

व्यक्तियों के प्रत्यय-पत्रों की कोई जांच किए बिना पदाधिकारियों की सूचियां स्वीकार कर लेता है। अतः भारतीय रेलवे में मजदूर संघों में सभी स्तरों पर चुनाव कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे निष्पक्ष चुनाव कराके संघों का पुनर्गठन करें इससे एक उद्योग में एक संघ बन जाएगा और चुनाव करवाने के लिए रेलवे मजदूर संघ के नेता, रेल अधिकारी, श्रम मंत्रालय के अधिकारी तथा रेल मन्त्रालय से सम्बद्ध सलाहकार समिति की एक निगरानी समिति की स्थापना की जाए।

### (छः) जौनपुर (उत्तर प्रदेश) का औद्योगीकरण

**डा० ए० यू० आजमी** (जौनपुर) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, इससे पहले दो दफा पार्लियामेंट में अपनी कान्सटीटुयैन्सी जौनपुर के पिछड़ेपन और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार से मतालबा कर चुका हूं कि एक बड़ी इंडस्ट्री जौनपुर में लगाई जाए और दूसरी बार पार्लियामेंट में मतालबा करने के बाद सन 1983 में यूनियन इंडस्ट्री मिनिस्टर ने अपने एक अखबारी बयान में कहा भी था कि जौनपुर के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक बड़ी इंडस्ट्री जौनपुर में लगाई जाएगी, जिससे मुझे और जौनपुर के तमाम लोगों को बड़ी मसरत हुई थी लेकिन 36 साल जिस तरह हमें सिर्फ वायदे ही वायदे मिलते रहे, यह ऐलान भी उन्हीं वायदों की फेहरिस्त में गुम हो गया।

जौनपुर में एक बड़ी इंडस्ट्री लगाने से जौनपुर का पिछड़ापन तो दूर होगा ही, साथ ही साथ बेरोजगारी की वजह से जो नौजवान तबका मुजरीमाना जिन्दगी गुजारने पर मजबूर होता है वह रोजगार मिल जाने की वजह से अच्छी जिन्दगी गुजारने का मौका पाएगा।

मैं आज फिर जौनपुर के लोगों की तरफ से जौनपुर के पिछड़ेपन और बेरोजगारी को दूर करने के लिए पुरजोर मुतालबा करता हूं कि जौनपुर में बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि जौनपुर का पिछड़ापन और बेरोजगारी दूर होने में मदद मिले और जौनपुर के लोगों को राहत मिले।

### (सात) मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में दूरदर्शन सुविधायें

**श्री बाबूराव परांजपे** (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, शहडोल जिला एक औद्योगिक प्रधान जिला है, जो मध्य प्रदेश के लगभग मध्य बिन्दु पर स्थित है। इस जिले में 20 कोयला खदानों का जाल बिछा है, जिससे 25 हजार टन कोयले का उत्पादन प्रतिदिन होता है, जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसके अतिरिक्त अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, पेपर मिल, सोडा फैक्ट्री, पाटरीज फैक्ट्री एवं बाक्साइड का विशाल भंडार है।

शिक्षा की दृष्टि से यह जिला अत्यन्त महत्वपूर्ण है जिसमें 7 महाविद्यालय आई० टी० आई० एवं माइनिंग पोलिटेक्निक महाविद्यालय हैं, जो कि मध्य प्रदेश में एकमात्र है।

रीवा संभाग का श्रम न्यायालय तथा सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय भी यहीं स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है तथा यह लोकसभा, आदवासियों के लिए सुरक्षित सीट है। बहुउद्देशीय-बाण सागर योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन बांध इस जिले का गौरव है, जिससे मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी।

बिरसिंहपुर पाली में निर्माणाधीन थर्मल पावर स्टेशन भी इसी जिले में स्थित है।

केन्द्रीय शासन ने 1984 तक भारत के 65 प्रतिशत क्षेत्र में टेलीविजन का लक्ष्य बनाया है, किन्तु शहडोल जिला इससे अछूता है, जबकि आसपास के सभी जिलों में यह सुविधा उपलब्ध होगी।

अत: भारत शासन से अनुरोध है कि आगामी विस्तार योजना में शहडोल जिले को सम्मिलित कर 15 अगस्त, 1984 से टेलीविजन का शुभारम्भ किया जाए।

### (आठ) लौह चूर्ण की खरीद के लिए इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा दामोदर सीमेंट कंपनी के साथ किए गए करार की समाप्ति

**श्री वासुदेव आचार्य** (बांकुरा) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा दामोदर सीमेंट कम्पनी के जो कि सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा पश्चिम बंगाल सरकार का संयुक्त उद्यम है, जिसके लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 17 करोड़ रुपए ऋण देने का वचन दिया है, एक दीर्घकालीन सप्लाई ठेके को एक पक्षीय रूप से समाप्त कर दिए जाने से उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। दिसम्बर, 1980 में पश्चिम बंगाल उद्योग विकास निगम और इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बीच बर्नपुर में वात्या भट्टी में उत्पादित पूरे लौह चूर्ण को सप्लाई करने का समझौता हुआ था।

इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने लौह चूर्ण संयंत्र लगाने और उसके संचालन के लिए पश्चिम बंगाल उद्योग विकास निगम को भूमि तथा परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करने का प्रस्ताव किया था इस ठेके को समाप्त करने से दामोदर सीमेंट कंपनी बन्द हो सकती है। जिसके परिणामस्वरूप सी० सी० आई० और पश्चिम बंगाल सरकार को पूंजी निवेश में काफी हानि उठानी पड़ेगी। कम्पनी पहले ही 2.5 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है तथा बर्नपुर में एक बड़ा लौह चूर्ण संयंत्र लगाने तथा पुरुलिया जिले जिले में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए मशीनरी और उपकरणों के आर्डर दे चुकी है। 6 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मामले की जांच करें।

### (नौ) वालोप अथवा डामोल (रत्नगिरी) में एक तापीय बिजली घर स्थापित करना

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** (रत्नगिरी) : महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में तापीय बिजली केन्द्र स्थापित करने का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तथा इसकी रिपोर्ट एक वर्ष पूर्व सरकार को

दे दी गई थी। बताया गया है कि दो चिपलन ताल्लुक के वालोप और डापोली ताल्लुक के डामोल इन दो गांवों का इस सम्बन्ध में विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। सरकार को दी गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में अभी तक आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आवश्यक कार्यवाही करें तथा वालोप या डामोल में से किसी स्थान पर विद्युत केन्द्र स्थापित करने का शीघ्र निर्णय ले तथा निर्माण कार्य आरंभ करें।

(दस) डाकघरों में कतिपय श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बेहतर करना

**श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर)** : माननीय उपाध्यक्ष जी, पोस्ट आफिस के ई० डी० और सी० पी० कर्मचारियों की समस्या अत्यन्त गम्भीर हो गयी है। ई० डी० कर्मचारी 5 घन्टे के स्थान पर आठ घंटे काम करके दो सौ रुपये से कम पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं और सी० पी० कर्मचारी अर्थात् चौकीदार 17 घंटे कार्य करके 250 रुपये से भी पारिश्रमिक प्रतिमाह प्राप्त करते हैं। सी० पी० कर्मचारियों को अवकाश भी नहीं दिया जाता तथा वे विभागीय परीक्षाओं में भी नहीं बैठने पाते। ई० डी० कर्मचारी 12-13 वर्षों तक काम करने के बाद भी नियमित नहीं किये जाते। अतः सरकार से मैं मांग करता हूं कि इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाए और उनकी सेवायें नियमित की जाएं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** ई० डी० कर्मचारी के रूप में 3 वर्ष तक कार्य करने के बाद कोई भी कर्मचारी श्रेणी 4 की परीक्षा में बैठ सकता है।

**श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर)** : लेकिन महोदय, उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्रेणी 4 के सभी पद ई०डी० कर्यचारियों के लिए आरक्षित हैं। मुझे इस बारे में कुछ जानकारी है।

**श्री हरिकेश बहादुर** : यहां तक वे लोग जो 12-13 वर्षों से लगातार काम करने आ रहे हैं.........

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें परीक्षा पास करनी पड़ती है।

**श्री हरिकेश बहादुर** लेकिन वे परीक्षा में नहीं बैठ सके।

**(व्यवधान)**

**14.36**

---

## रेल बजट 1984-85

### **सामान्य चर्चा**—जारी

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम 1984-85 रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा आरम्भ करते हैं। इसके लिए 1_ घंटे का समय दिया गया था और हम 3 घंटे 4 मिनट तक इस पर चर्चा कर

चुके हैं। अब शेष समय 6 घंटे 54 मिनट है। अब मैं श्री जे० एस० पाटिल को बुलाता हूं। उनके दल को 18 मिनट का समय दिया गया है और उनके दल के दूसरे सदस्य को भी इस बारे में बोलना है। यह आपकी जानकारी के लिए है।

अब श्री जे० एस० पाटिल बोल सकते हैं।

**श्री जगन्नाथ पाटिल (ठाणे) :** उपाध्यक्ष महोदय, कल से रेल बजट पर चर्चा हो रही है। मेरे इस ओर के साथियों ने खासकर मधु दण्डवते जी ने रेल मंत्रालय की कार्यक्षमता के बारे में बड़ी अच्छी तरह से बता दिया है।

मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यापारी हमेशा नुकसान से बचने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे रेलपति जी ने 70 करोड़ रु० का घाटा दिखाया है। रेलपति इसलिए कहा है कि सब लोगों की एक पत्नी होती है लेकिन रेल मंत्री महोदय वेस्टर्न रेलवे, सेंटर रेलवे, नार्दन रेलवे और ईस्टर्न रेलवे इन सब का कारोबार देखते हैं। इन्होंने 70 करोड़ रुपए के घाटे का आटा रेल के पहियों को देशभर में चलाकर दिखाया है, यह बड़ी चिंता बात है। आज रेलगाडियां जिस ढंग से चलती हैं उससे मुझे पुरानी फिल्म का एक गाना याद आता है "चलती का नाम गाडी" उसी खटारे की तरह रेलगाड़ियां आज देशभर में चल रही हैं।

रेल बजट प्रस्तुत करते चुनाव वर्ष को सामने रखकर 70 करोड़ का घाटा बताया गया है। लेकिन असलियत यह है कि जिस तरह से प्लेट फार्म टिकट एक रुपए का करके और राउण्ड अप करके किराए बढ़ाए गए हैं उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो रेल बजट में 170 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश की राजनीतिक राजधानी है लेकिन बम्बई पैसे की राजधानी है। अगर यह मैं कहूं तो गलत नहीं होगा।

**(व्यवधान)**

बम्बई में मध्य और पश्चिम रेलवे पर रोजाना हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग प्रवास करते हैं और उनकी ओर रेल मंत्रालय बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बम्बई में लोकल गाड़ियों में सुबह से शाम तक लाखों लोग प्रवास करते हैं। कोई गिरकर कोई कटकर मरता है, लेकिन रेल डिपार्टमेंट उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। सुबह जब कोई घर से काम पर निकलता है तो उसकी इस बात की चिंता रहती है कि वह शाम को ठीक तरह से वापिस लौटेगा भी या नहीं। इस चिंता में उसको काम करना है।

रेल मन्त्री जी 9 जून 1983 को बम्बई गए थे और वहां सबर्बन रेलवे एशोशिएशन के पदाधिकारियों से मिले थे और उनसे बात की थी। मंत्री जी ने कहा था कि मैं शीघ्र ही इन

कठिनाइयों को देखने के लिए आऊंगा लेकिन आज 9 महीने हो गए हैं लेकिन रेल मंत्री जी वहां देखने के लिए नहीं गए। लेकिन मुझे विश्वास है कि अब 9 महीने के बाद मंत्री महोदय जरूर जाएंगे। मध्य और पश्चिम रेलवे की जो रैक्स की कठिनाइयां हैं, वह दूर होनी चाहिए। वहां ज्यादा से ज्यादा रैक्स दिए जाने चाहिए। अखबारों में रोज देखने को मिलता है कि रेल दुर्घटनाए हो रही हैं।

इन खबरों को पढ़ने के बाद लोगों के दिलों में अविश्वास की भावना पैदा हो गई है। इस भावना को निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए। दुर्घटनाओं के बारे में आप स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री नहीं बन सकते, यह हम लोग जानते हैं। अगर किसी रेल प्रवासी ने रेल दुर्घटनाओं के बारे में मुकदमा दायर किया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके उच्च अधिकारियों को सुनहरी हथकड़ियां पहनकर जेल जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

लोक सभा की पेटीशन कमेटी ने बम्बई के प्रवासियों कठिनाईयों का अध्ययन करके कुछ सुझाव दिए हैं। लेकिन, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इससे इस सदन का भी अनादर हो रहा है। बम्बई की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान से रखकर वहां की सरकार ने नया बम्बई बनाने का काम शुरू किया है। उनको सुविधा देने के लिए मानखुर्द-बेलापुर रेल लाइन जिसका आपने उद्घाटन किया और कलवा बेलापुर उस एरिया में देने की कोशिश की जा रही है।

इस रेल मार्ग को पूरा करने के लिए जो धनराशि दी गई है, वह बिल्कुल मामूली है। मुझे ऐसा लगता है कि इन दो रेल मार्गों का निर्माण 25 साल तक भी इस धनराशि से पूरा नहीं होगा। इस प्रकार जो नए बम्बई को सुविधा देनी है, वह पूरी नहीं होगी। नए रेल मार्ग बनाते समय जिनकी जमीने, दुकानें या मकान लिए जा रहे हैं, नुकसान भरपाई देने उनका मामला हल नहीं होता। उनको दुबारा बसाया जाना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। आप जानते हैं कि पिछले साल मराठबाड़ा में मीटरगेज से ब्राडगेज रेल लाईन बनाने के लिए बड़े जोर-शोर ने मांग की गई। इसके लिए कुछ पूंजी की व्यवस्था भी रेलवे की ओर से की गई। लेकिन वह सारी पूंजी उसमें लगी ही नहीं। मनमाड से नांदेड और औरंगाबाद रेल मार्ग पर जो इस बजट में प्राविजन किया है वह भी बिल्कुल मामूली है। नान्दरे मांगली और मीरज रेल लाइन को पुनर्जीवित करने के लिए आपने बजट में एक हजार रुपए का प्रावधान किया है। वहां के लोगों की चेष्टा यह है कि इसको और बढ़ाया जाना चाहिए।

बम्बई से लेकर पूणे और नासिक तक जितनी भी रेल गाड़ियां हैं, वह बिजली से चलती हैं। लेकिन, करजत, खोपोली और दीवा पनवेल रेल मार्ग पर जो गाड़ियां हैं, वह डीजल से चलती हैं। इसलिए इस मार्ग पर भी विद्युतीकरण होना चाहिए। मन्त्री जी ने एक नए दीवा वती मार्ग का का निर्माण किया है। वह पैसेंजर गाड़ियों के लिए नहीं किया सिर्फ मालवाहक

गाड़ियों के लिए किया है। वहां की सिंगल लाईन्न को भी डबल किया जाना चाहिए। कल दंडवते जी ने कोकण रेल मार्ग का उल्लेख किया।

मैं जबसे स्कूल में था तबसे सुनता आ रहा रहा हूं। मैं बूढ़ा नहीं हुआ फिर भी मेरे बाल पक गए हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 20-25 साल तक यह काम पूरा नहीं होगा।

मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसके लिए जो आप पैसा दे रहे हैं उसके बदले दीवा से वनवेल तक जो रेलवे लाईन का काम हो गया है उसको रूह से का रत्नागिरि तक इस लाइन को ले जाने के लिए पूरी छानबीन करके कि कितना पैसा लगेगा और क्या इसकी कालावधि होगी यह अगर हमें पता चले तो अच्छा रहेगा। ऐसा होने से राज्य सरकार और सीकोण जैसी संस्थायें जो रत्नागिरि में कारखाने खोल रही हैं उनसे लोगों को सुविधा मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी।

बम्बई वालों के और रेल मंत्री जी कितना अन्याय कर रहे हैं यह बता कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। महानगर परिवहन योजना के अन्तर्गत आपने इस बजट में बम्बई के लिए सिर्फ डेढ़ करोड़ रु० रखा है, लेकिन उसके साथ-साथ कलकत्ता के लिए 85 करोड़ रु० की राशि रखी है। आप कलकत्ता को पैसा दें हमें कोई एतरात नहीं, लेकिन साथ-साथ बम्बई को भी सुविधा देनी चाहिए।

आपने एशियाड के समय 35 करोड़ रु० खर्च करके दिल्ली में रिंग रेलवे बनाई जिसमें अब एक आदमी भी नहीं चलता है। यह सारा पैसा बेकार चला गया। मेरी समझ में आप बम्बई का खून चूस कर उसे मारना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है।

आपकी और भी प्रौबलम हैं। जो घाटा आया है इसका कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ढूंढेगे तो पता चलेगा कि जो पार्सल हम भेजते हैं उसकी काफी चोरी होती है। वह चाहे सोना, सीमेंट, अनाज, कपड़ा, मशीनरी या पुर्जे हों, उन सब की चोरी होती है। अगर इसी को आप रोक लें तो 70 करोड़ का घाटा उसी से पूरा हो जाएगा। आप जिस ढंग से काम कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप सारी चोरियां रोक लेंगे और रेल को घाटे से बचाएंगे।

रेल में जो कर्मचारी भर्ती हैं, आप सेकेन्ड ग्रेड के अफसरों को देखें जिनके घर में नौकर होता है वह रेलवे के मस्टर रोल पर काम करने वाला होता है, लेकिन काम वह अधिकारियों के घर पर करता है। सेकेन्ड रेंक से लेकर बड़े अफसर तक सब के घरों में काम करने वाले कर्मचारी होते तो मस्टर रौल पर हैं रेलवे के, लेकिन काम घरों पर करते हैं। इसको रोक कर भी आप काफी बचत कर सकते हैं।

**श्री राम गोपाल रेड्डी** (निजामाबाद) : महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि मराठवाड़ा लाइन को मजबूत किया जाना चाहिए। अन्य बातों के संबंध में मैं सहमत नहीं हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री भुवनेश्वर भूयन।

सदस्य महोदय, सतारूढ़ दल के अध्यक्षपीठ की ओर से लगभग 50 सदस्यों की सूची प्राप्त हुई हैं। अत: मेरी आपसे अपील है कि यदि उन सभी सदस्यों, जिनका नाम सूची में है, के साथ न्याय करना है तो आपको अपनी बात संक्षेप में कहनी चाहिए और वह विषयानुकूल तथा आपके अपने ही निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में होनी चाहिए।

**श्री सतीश अग्रवाल** (जयपुर) : विपक्ष का क्या होगा ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक दल को कुछ समय दिया गया है। विपक्षी दल बहुत अनुशासनप्रिय है तथा वे समय के पाबन्द हैं।

**श्री सतीश अग्रवाल** : हमारी प्रशंसा करने का बहुत-बहुत धन्यवाद।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सत्तारूढ़ दल सहित प्रत्येक दल को 10 घंटे का समय दिया गया है। विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल अभी तक ज्यादा समय नहीं लेते। मैं चाहता हूं कि आप यह अनुशासन बनाए रखें।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (दुर्गापुर) : आपने विपक्ष की प्रशंसा की इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे बड़े विपक्षी दल का प्रतिनिधि हूं। मेरी बारी कब आयेगी ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपकी बारी आयेगी, यदि आई तो। आप कृपया इन्तजार कीजिए। श्री भुवनेश्वर भूयन।

**श्री भुवनेश्वर भूयन** (गोहाटी) : महोदय, मैं रेल मंत्री को रेलवे पर बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

आपकी अनुमति से, मैं इस संबंध में माननीय रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बोंगाई गांव से त्रिवेन्द्रम तक सर्वाधिक दूरी तक की गाड़ी चलाई है।

मैं रेल मन्त्री की इसके लिए भी प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने सदन में बहुत ही सीमित संसाधनों में युक्तियुक्त बजट पेश किया है।

योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय रेलवे के साथ न्याय नही कर पाये हैं। मुझे पता चला है कि रेलवे को अपनी वार्षिक योजना के लिए 2000 करोड़ रुपये से अधिक धन की आवश्यकता है जबकि आवंटन 1650 करोड़ रुपये का किया गया है। यह भारतीय रेलवे की

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्णतया अपर्याप्त है। योजना आवंटन में भारी कमी होने से रेलवे के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्यक्रमों जैसे विद्युतीकरण, पटरियों का बदलना, नयी लाइनें बिछाने, गेज बदलने, चल स्टाक आदि की खरीद पर बुरा प्रभाव पड़ा है। फलस्वरूप इनका रेलवे प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा इससे राष्ट्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने में रेलवे की क्षमता को नियन्त्रित करती है।

मुझे यह भी याद है कि इस सदन में पहले हुए सत्रों में यह कहा गया था कि रेल मन्त्री को योजना आयोग का भी सदस्य बनाया जाना चाहिए। आज तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे तथा रेल मन्त्री को योजना आयोग का भी सदस्य बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रभावी कदम उठाए।

पिछले वर्ष रेल मन्त्री ने सदन में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि रेल प्रणाली विनाश के कगार पर खड़ी है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप यह नहीं चाहते कि रेल मन्त्री को योजना मन्त्री बनाया जाये। आप चाहते हैं कि उन्हें योजना आयोग का सदस्य बनाया जाये।

**श्री भुवनेश्वर भूयन** : मैं चाहता हूं कि रेल मन्त्री योजना आयोग के सदस्यों में से एक हों। ऐसा लगता है कि इस संबंध में पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक भी कोई सुधार नहीं हुआ है। रेलवे प्रणाली अभी भी रुग्ण बनी रहेगी। उन्हें 18,000 किलोमीटर लम्बी पटरी को बदलना होगा, कई पुल दुबारा बनाने होंगे, 3,500 सवारी डिब्बों को बदलना होगा, आदि, आदि।

लेकिन रेलवे ने अपनी ओर से आश्चर्यजनक कार्य किया है।

रेलवे की ह्रास आरक्षित निधि में 850 करोड़ रुपये की राशि बनाए रखने के बाद भी, जैसा कि वर्तमान चालू वर्ष में भी है, वे निधि से व्यय पूरा करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि रेल अधिकारियों को इस निधि से केवल 810 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति दी गई है।

अत: इसका ऐसा परिणाम निकलने का कारण यह है कि रेलवे की ह्रास निधि को कुल योजना आवंटन का हिस्सा माना गया है। अत: मेरा सुझाव है कि रेलवे को ह्रास आरक्षित निधि से धन व्यय करने की पूरी आजादी होनी चाहिए और उस पर कुल योजना सीमाओं का लागू नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में था। वास्तव में, रेलवे को पैसा उपलब्ध कराया है तथा विभिन्न रेलवे राशियां योजना संस्थानों से

अलग रखी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, रेलवे को प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना जाना चाहिए।

आपकी अनुमति से मैं माननीय रेल मन्त्री का ध्यान कुछ तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूं और साथ ही मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वे इस संदर्भ में उपचारात्मक उपाय करें।

आप जानते हैं कि इस सदन में हमारे माननीय रेल मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि 31 मार्च को अथवा उससे पहले बड़ी लाइन गोहाटी तक बढ़ा दी जाएगी। मैंने वहाँ कार्य की प्रगती देखी है, लेकिन सचमुच मुझे आज भी संदेह है, कि वह कार्य पिछले दो अवसरों पर उनके द्वारा सदन में बताई गई तिथि तक पूरा हो जायेगा।

**14.56**

**( श्री आर॰ एस॰ स्पैरो पीठासीन हुए )**

दूसरे, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि गोहाटी रेलवे स्टेशन पर यात्री यातायात और पार्सल तथा माल यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है।

मैं नहीं जानता कि क्या यह सच है या लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि असम में बड़ी लाइन को निर्माण निधि में से 40 लाख रुपये दूसरे भागों खर्च के लिए दिए गए हैं। यदि यह सच है, तो मैं समझता हूं कि बड़ी लाइन को गोहाटी तक बढ़ाने में विलम्ब करने का यही दूसरा कारण है।

बड़ी लाइन के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान दूसरे तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समय बड़ी लाइन का निर्माण कार्य उसी नगर में हो रहा है —मैं नहीं जानता कि उसका कारण क्या है। इसे गोहाटी नगर के बाह्यांचल से आरम्भ किया जाना चाहिए। पैसे की कमी के कारण ऐसा किया जा रहा है या फिर किसी अन्य कारण से ? मुझे आशा है कि वाद-विवाद के समय अपने उत्तर में मन्त्री महोदय इसे स्पष्ट करेंगे।

मुझें पता चला है कि माले गांव में रेलवे अस्पताल में एक 'इन्टेसिव केयर यूनिट" स्थापित करने के लिए कुछ राशि मंजूर की गई थी लेकिन बाद में वह धन कहीं और खर्च कर कर दिया गया है अथवा राशि वापस ले ली गई है या रद्द कर दी गई है; ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण माले गांव के रेलवे अस्पताल में वह इन्टेसिव केयर यूनिट स्थापित नहीं की गई है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मामले की जांच करें तथा वहां यथाशीघ्र ऐसी एक यूनिट स्थापित करें, ताकि जो रेलवे कर्मचारी, हृदय रोग से पीड़ित हैं, उन्हें कलकत्ता के अस्पतालों में न भागना पड़े तथा माले गांव में ही उनका अच्छा इलाज हो सके।

अपने निर्वाचन क्षेत्र, गोहाटी, का दौरा करने पर मुझे कई नेताओं तथा आम जनता से भी यह पता चला है कि जब यात्री टिकट लेने अथवा किसी अन्य कार्य से गोहाटी रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में जाते हैं तो रेलवे कर्मचारी उन यात्रियों से बड़ा भद्दा व्यवहार करते है। मैं नहीं जानता कि वास्तव में मामला क्या है। मुझे आशा है कि रेल मन्त्री इस पर विचार करायेंगे, तथा इस मामले की जांच कराएंगे।

गोहाटी रेलवे स्टेशन पर खान-पान सेवायें जिनमें भोजन-कक्ष भी शामिल है, साफ सुथरी तथा तात्कालिक नहीं हैं : मैं रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं वह मामले जांच करे तथा व्यवस्था ठीक करने के लिए कदम उठाएं।

मुझे पता चला है कि 26 फरवरी 1984 की सुबह को परीक्षा आरम्भ होने के समय ही अचानक एन० एफ० रेलवे सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा मात्र नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगाकर स्थगित कर दी गई थी। इस तरह से परीक्षा को अचानक स्थगित करने से न केवल परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को अत्यधिक कठिनाई हुई है, अपितु अभिभावकों को भी असुविधा हुई है।

**15.00**

इस संदर्भ में, मैं आपका ध्यान एक अन्य तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं। क्या हमें बताएंगे कि 1982-83 और 1983-84 के दौरान रेल सेवा की विभिन्न श्रेणियों, जैसे सामान्य श्रेणी, भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, आदि के अन्तर्गत भर्ती किए गए उम्मीदवारों का विवरण क्या है ? तथा गोहाटी स्थित रेल सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने उम्मीदवार भर्ती किए गए हैं ? इस संदर्भ में रेल मन्त्री का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं—और मैं समझता हूं कि वह इसका स्पष्टीकरण देंगे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या गोहाटी के रेल सेवा आयोग के अध्यक्ष को कुछ माह पूर्व, केवल 5-6 माह पूर्व, भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण निलम्बित कर दिया गया है। यदि यह मामला था—मुझे समझ में नहीं आता कि बीच ऐसी क्या बात हो गई कि उस अधिकारी की सेवा, उसकी सेवा निवृत्ति की तिथि के बाद अन्य चार वर्षों के लिए क्यों बढ़ा दी गई है ? क्या मंत्री महोदय हमें यह बताने का कष्ट करेंगे कि किस सराहनीय सेवा के लिए उसकी नौकरी अगले चार वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है ?

**श्री के० मायातेवर** (डिन्डिगल) : यह बहुत गम्भीर मामला है।

**श्री भुवनेश्वर भूयन** : अपने दौरों के दौरान, इस पहलू तथा अन्य विभिन्न मामलों को ध्यान में रख कर, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते, मुझे गोहाटी के लोगों से पता चला है कि वह वास्तव में भर्ती के मामले में असम की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं।

अतः मैं माननीय रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें और जांच करके मामलों को ठीक-ठाक करें तथा विशेषकर नियुक्ति के मामलों

में तथा विशेषकर जनता के कमजोर वर्गों की नियुक्ति के मामले में असम की जनता के भय का निवारण करें।

मैं रेल मन्त्री का ध्यान पिछले रविवार को **स्टेट्समैन** में 'रेलवे आफिशियल आन वार पाथ' (रेल कर्मचारी संघर्ष के मार्ग पर) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस समाचार विशेष की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो विशेषकर इलाहाबाद में अध्यक्ष तथा एक अन्य संयुक्त निदेशक को निलम्बित किए जाने के सम्बन्ध में है। मुझे आशा है कि वह इस सम्बन्ध में सभी सम्बद्ध मामलों पर प्रकाश डालेंगे। मुझे मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से एक अनुरोध के सिवाए और कुछ नहीं कहना है। कृपया क्षेत्रों और इलाकों के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए तथा अर्थ-व्यवस्था, वाणिज्य तथा औद्योगीकरण के और विकास आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे के और आगे विकास की योजनाएं बनाएं। मुझे आशा है कि यदि यह दृष्टिकोण अपनाया जाए तो रेलवे में बहुत सी अच्छी चीजें हो सकती हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे रेल मन्त्री इन कार्यों को करने में सक्षम हैं।

इन शब्दों के साथ मैं रेल बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी)** : उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, लेकिन उन्होंने जो एक विशेष मुद्दा उठाया है उसके बारे में उत्तर दूंगा। यह बोंबाई-गांव-गोहाटी लाइन के बारे में है। यह लाइन निर्धारित अवधि में पूरी हो जाएगी और इसमें से कुछ धन-राशि के कहीं और लगाए जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

**श्री भुवनेश्वर भूयन** : धन्यवाद।

**श्री बालकृष्ण वासनिक** (बुलढाना) : मैं एक अच्छा बजट प्रस्तुत करने के लिए रेल मन्त्री को बधाई देता हूं। बजट बहुत संतुलित है और इसका सारे देश में स्वागत हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय रेल मन्त्री रेल मन्त्रालय के काम को बड़ी सक्षमता और योग्यता के साथ चला रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा मन्त्रालय है और इसमें लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं। जब इतने बड़े संस्थान को चलाना होता है तो बहुत से लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। मुझे विश्वास है कि जो योजना रेल मंत्री के पास है उसे कार्यान्वित करने के लिए उन्हें अपने प्रशासन से पर्याप्त सहयोग मिल रहा है।

दुर्भाग्यवश, कुछ समय पहले कुछ विचार चला था, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि रेल मन्त्री इसमें विजयी रहे हैं और प्रशासन ने राजनीतिज्ञ की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिज्ञ को बदनाम किया जाता है और यदि उसकी सर्वोच्चता को चुनौती दी जाती है तो उसके कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि हम सम्बन्धित मन्त्री से कार्यकुशलता की अपेक्षा करते हैं तो उसे सभी प्रकार का समर्थन दिया जाना चाहिए।

किसी न किसी चीज के लिए उसकी आलोचना करना, उसे अपेक्षित समर्थन न देना और इसके बाद उससे परिणामों की अपेक्षा करना दो विरोधी बातें हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि समूचा सदन रेल मन्त्री के साथ है। उनके दिमाग में बहुत सी बातें हैं। उन्होंने प्रशासन तथा उसकी दक्षता में एक बार एक सुधार करना आरम्भ कर दिया है। यह बजट इस बात का एक संकेत है। वे कई चीजों को सुधारना चाहते हैं।

महोदय, मैं समझता हूं कि रेल भाड़े तथा किराए में कुल वृद्धि लगभग 111.22 करोड़ रुपए है जो कि गत वर्ष की तुलना में कोई अधिक नहीं है। मुझे विश्वास है कि जो भी वृद्धि की जा रही है, उसे उचित कार्यों पर खर्च किया जाएगा। कुछ समय पूर्व एक अन्य प्रस्ताव पर श्री कमल नाथ जी कह रहे थे कि दिल्ली में चूहों की संख्या बढ़ गई है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय यह पता लगाएं कि कहीं उनके मन्त्रालय में चूहे तो नहीं हैं। यदि हैं, तो उन्हें भारत की जनता की खून-पसीने की कमाई, जो उनके कल्याण के लिए है, को चाट जाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जानते हैं कि बहुत से लोग मन्त्री महोदय के राजनीतिक भाषणों के बारे में प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं जिसमें उन्होंने कहा बताते हैं कि अमुक व्यक्ति या अमुक सरकार को बंगाल की खाड़ी में फैंक देना चाहिए, जिसका उन्होंने खण्डन किया है। लेकिन मैं कहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति उनके मन्त्रालय में भ्रष्ट तथा अक्षम है, चाहे वह कोई भी हो, तो मन्त्री महोदय उसे बंगाल की खाड़ी में फैंक सकते हैं और यह संसद उनका साथ देगी।

**रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे)** : लेकिन, तब बंगाल की खाड़ी का क्या होगा। बंगाल की खाड़ी को बचाओ।

**श्री बाल कृष्ण वासनिक** : महोदय, भारतीय रेलवे में तथा संसार भर में जहां भी रेलें हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं। हमारे महान नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार एक रेल दुर्घटना हो जाने पर त्याग-पत्र दे दिया था और इसलिए कुछ लोग वर्तमान रेल मन्त्री से भी अपेक्षा करते हैं कि वह त्याग-पत्र दे दें, क्योंकि कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं। मैं नहीं समझता कि यह अच्छा पूर्वदृष्टान्त होगा क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं दुर्घटना कर सकते हैं तथा मन्त्री को त्याग-पत्र देने के लिए विवश कर सकते हैं। इसलिए, यह एक अच्छा पूर्वदृष्टांत नहीं होगा।

महोदय, यह कहा गया है कि अधिकतर दुर्घटनाएं माननीय भूल के कारण होती हैं। यह मानवीय भूल क्या है ? यदि मानवीय भूल है तो क्या मन्त्री महोदम मुझे आश्वासन देंगे कि आगामी वर्षों में वे इस मानवीय भूल के कारणों का पता लगाएंगे और स्थिति में सुधार लाने का प्रयास करेंगे ? मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि चालकों के कार्य-घंटों में लगभग दो घंटों की कमी कर रहे हैं यह एक एक अच्छा कदम है। चालकों तथा गाड़ियों के चलाने से सम्बन्धित अन्य प्रभारी कर्मचारियों को अधिक नहीं थकाना चाहिए। लेकिन, उन्हें इस समस्या

की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि दुर्घटनाएं अधिक काम लेने के कारण ही नहीं बल्कि अधिक शराब पीने के कारण भी हो रही हैं। यह बुराई मालगाड़ियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यात्री तथा सुपर फास्ट गाड़ियों में भी व्याप्त है। कई बार हम देखते हैं कि गाड़ी चलाने वाले कर्मचारी पिए हुए होते हैं और इस कारण दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए, उन सभी बातों की जांच की जानी चाहिए जिनके परिणाम स्वरूप मानवीय भूल होती है और मन्त्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके जो भी कारण हों उन्हें दूर किया जाना जाए। इस प्रश्न का अध्ययन कई समितियां कर चुकी हैं और उन्होंने सिफारिशें दी है। मन्त्री महोदय को चाहिए कि वे उपयोगी सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करें।

मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्री के पास रेलवे प्रणाली को आधुनिक बनाने तथा उसका कम्पयुट्रीकरण करने की योजनाएं हैं। प्रो० दण्डवते, जो स्वयं रेल मन्त्री रह चुके हैं, ने रेल के इस आधुनिकीकरण तथा कम्पयुट्रीकरण का स्वागत किया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कम्पयुट्रीकरण के लिए कपयूटर स्वदेशी होने चाहिएं आयातित नहीं।

मुझे डर है कि यदि हम इस विचार का पालन करेंगे तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। हमें नवीनतम टेक्नोलोजी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। उस टेक्नोलोजी को प्राप्त करने के लिए यदि हमें आयात की जरूरत पड़े तो हमें अवश्य आयात करना चाहिए। इसलिए, यदि विचार पर रेल मन्त्री किसी स्रोत—मान लीजिए आई० बी० एम० या अन्य—से आयात करना चाहें तो उन्हें ऐसा अवश्य करना चाहिए और जहां तक सम्भव हो, अपनी रेल प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का प्रयास करना चाहिए।

अपने निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में एक बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। स्वतन्त्रता से पूर्व, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले खामगांव जालना रेल लाइन के बारे में एक प्रस्ताव था। इसका सर्वेक्षण ग्रेट इन्डियन पेनिनसुलर रेलवे ने किया था और कार्य आरम्भ हो गया था। इस कार्य के लिए मेरे निर्वाचन-क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य कहिए कि स्वतंत्रता मिली और रेलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वह समूची योजना ताक पर रख दी गई, यद्यपि सारा कार्य हो चुका था और कुछ भी शेष नहीं था। यदि माननीय मन्त्री मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में आएं तो मैं उन्हें वह स्थान दिखा सकता हूं। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र से कोई रेल मन्त्री नहीं हुआ है। श्री मधु दण्डवते रेल मन्त्री बने और वे कोंकण में रेल ले गए। कुछ लोग हमारे रेल मन्त्री को मालदा मन्त्री कहते हैं।

**श्री नारायण चौबे** (मिदना पुर) : क्या आप भी उन्हें यही कहते हैं ?

**श्री बालकृष्ण वासनिक** : मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मेरे निर्वाचन-क्षेत्र को अपना लें और इस खामगांव—जालना रेल लाइन की ओर ध्यान दें और इसे पूरा करें। मुझे आशा है कि यदि यह कर दिया जाए तो इससे हमें बहुत सहायता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

***श्री ईरा मोहन** (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, अपनी पार्टी द्रविड मुनेत्र कडगम की ओर से, मैं 1984-85 के रेल-बजट पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

यह शोर मचा हुआ है कि इस रेल बजट में माल-भाड़ा और यात्री-किराया नहीं बढ़ाया गया है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि इस बजट से आम आदमी बुरी तरह से प्रभावित होगा। यह इस बात से स्पष्ट है कि 1984-85 में 114·22 रुपये और पूर्वानुमानित अतिरिक्त राजस्व में से 104·22 करोड़ रुपये की राशि यात्रि-किरायों में वृद्धि करके एकत्र की जा रही है। इस बजट में 165 वस्तुओं की भाड़ा-दर घटायी गयी है। किन्तु इसके परिणाम स्वरूप इन वस्तुओं के मूल्य में गिरावट की अपेक्षा करना रेगिस्तान में खालिस्तान की कामना करने जैसा है। इस पृष्ठभूमि में, मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

प्लेटफार्म टिकट की दर बढ़ाकर 1 रुपया किए जाने का मैं विरोध करता हूं। मैं इस दलील को स्वीकार नहीं करता कि ऐसा प्लेटफार्म पर भीड़ कम करने के लिए किया गया है। इस लक्ष्य को तो अन्य उपायों से भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं मांग करता हूं कि प्लेटफार्म टिकट की दर को घटाकर उतना ही किया जाए जितना इस बजट से पहले थी।

मैं अब बढ़ती हुई रेल-दुर्घटनाओं का उल्लेख करूंगा।

1960-61 से 1982-83 तक 25,534 दुर्घटनाएं हुई। इस अवधि में प्रति वर्ष 1160 दुर्घटनाओं का औसत रहा। पिछले तीन वर्षों के दौरान 2940 दुघटनाओं में से 31 दुर्घटनाएं तोड़ फोड़ के कारण हुई थीं।

शेष दुर्घटनाएं पुरानी रेल-पटरियों, दोषपूर्ण रेल-डिब्बों तथा रे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई थीं। रेलवे बोर्ड ने यह स्वीकार किया है कि गत वर्षों के दौरान 38716 मशीनरी सम्बन्धी विफलताएं हुई थीं। 61385 किलो मीटर रेल-पटरी में से, 1800 किलो मीटर की रेल पटरी का तत्काल नवीकरण किए जाने की आवश्यता हैं। मैंने इन आंकड़ों का उल्लेख रेल-दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को कम करने के लिए उपयुक्त पग उठाने कि आवश्यकता पर बल देने के लिए किया है।

रेलवे के 3,211 रेल-फाटक हैं। जिनमें से 14680 रेल-फटकों पर चौकीदर हैं। शेष 22531 रेल-फाटकों में से 1600 रेल-फाटकों को दुर्घटना-प्रणत रेल-फाटक घोषित कर दिया गया है। रेल-फाटकों पर चौकीदार तैनात करने की वर्तमान गति से तो दुर्घटना-प्रणत रेल-फाटकों पर चौकिदार तैनात करने में चार वर्ष का समय और लग जाएगा और तब तक दुर्घटनाएं होती रहेंगी। मैं मांग करता हूं कि कम से कम उन 1600 दुर्घटना-प्रणत रेल-फाटकों

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पर चौकीदार लगाने के लिए शीघ्र पग उठाए जाने चाहिए। मैं मांग करता हूं कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेल-पटरी नवीकरण तथा दोष-पूर्ण रेल-डिब्बों को बदलने के लिए समुचित धनराशि आवंटित की जाए।

वर्ष प्रति वर्ष यात्री-किराए से होने वाली आय बढ़ती जा रही है। 1982-83 में यात्री-किराए से होने वाली आय 1161.65 करोड़ रु० थी, 1981-82 की आय से 173 करोड़ रु० अधिक थी। 96 % यात्री दूसरी श्रेणी के डिब्बों में सफर करते है। जबकि यात्री-किराए का राजस्व वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। यात्रियों के लिए सुख सुविधाएं उसी अनुपात में बढ़ाए जाने की व्यवस्था नहीं है। वास्तव में यह वर्ष प्रनि वर्ष घाती ही जा रही हैं। हमारे पास 7068 रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से 376 रेलवे स्टेशनों पर ही विश्रामालयों की सुविधा है। अधिकतर स्टेशनों पर पेय जल की कोई कमी नहीं है। मैं रेलवे की 1982-83 की वर्ष-पुस्तक के से उद्धरण दे रहा हूं। रेलवे के पास 3295 जल-शीतक हैं, जिनके बारे में मुझे पक्का विश्वास है कि वह बड़े जंक्शनों और स्टेशनों पर ही होंगे। अधिकतर स्टेशनों पर कोइ शौचालय नही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अधिकतर स्टेशनों पर प्रकाश-व्यवस्था भी नही होगी। मैं मांग करता हूं कि यात्रियों की सुख-सुविधाओं के लिए अधिक धन दिया जाना चाहिए, जो यात्री-किराए के राजस्व में होने वाली वृद्धि के ही अनुपात में हो।

रेल मन्त्री जी कहते हैं कि वे रेल-कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबन्ध हैं। 15.8 लाख रेल-कर्मचारी हैं, जिनमें से 2.1 लाख नैमित्तिक श्रमिक हैं। उनके लिए 106 अस्पताल और 595 स्वास्थ्य केन्द्र हैं। जो केवल महानगरीय और नगरीय क्षेत्रों में ही हैं। इसी प्रकार 5.87 रेलवे क्वाटर भी बड़े नगरों और कस्बों में हैं। अर्द्ध नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रेल-कर्मचारी विभिन्न प्रकार की कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मैं मांग करता हूं कि रेल मन्त्री को उनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सुलझाना चाहिए।

तमिलनाडु की जनता दशकों से यह स्वप्न देख रहा है कि तमिलनाडु में करूर-डिंडिगल के बीच बड़ी लाइन बिछाई जायेगी। गत तीन वर्षों के दौरान, 6 करोड़ रुपये की राशि उस परियोजना पर खर्च की गयी तथा इस बजट में उसके लिए 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उस परियोजना की मूल अनुमानित लागत 49 करोड़ रु० है। अब तीन वर्ष के बाद यह बढ़कर 69 करोड़ रु० हो गयी हैं। यदि इस सम्बन्ध में यही मंथर-गति रही तो लागत में तीव्रता वृद्धि होती रहेगी और 150 करोड़ रु० से भी अधिक पूंजी निवेदन हो सकता है। रेलवे इतनी धन राशि कहां से लायेगा ?

इस परियोजना के कार्यान्वयन में हो रहे असाधारण विलम्ब के कारण तमिलनाडु की जनता में उत्तेजना व्याप्त है। तमिलनाडु के लोग अब और अधिक समय तक ऐसा धोखा नहीं

सह सकते हैं। वह अपना रोष आने वाले चुनाव में दिखा देंगे। उसका निर्णय मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की उपेक्षा करने के कारण उनमें पैदा हुई हताशा को दर्शा देगा। इस परियोजना को पूरा करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है और राजनीतिक प्रयोजनों से इसमें विलम्ब किया जा रहा है। करूर-डिंडिगल रेल लाइन परियोजना का अर्थ है तमिलनाडु के लोगों की आर्थिक उन्नति और पर रेल मन्त्री ने अपर्याप्त ध्यान दिया है। मैं मांग करता हूं कि इस परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाए। इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं मैं मांग करता हूं कि कोयमवटूर और बंगलौर तथा कोयमबटूर और तिरुचिरापल्ली के मध्य और अधिक रेलगाड़ियां चलायी जानी चाहिए। इन भागों में यात्रियों की अत्यधिक भीड़ है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे सुझावों पर ध्यान दें और कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त पग उठायें।

**प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** (हमीरपुर) : सभापति महोदय, मैं रेल मन्त्री द्वारा 24 फरवरी को इस सभा में प्रस्तुत किए गए रेल-बजट का समर्थन करता हूं। यद्यपि उन्होंने संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है, फिर भी, बहुत सी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बजट में पर्याप्त धन नहीं रखा गया है। इसका कारण यह नहीं है कि मंत्री महोदय रेल क्षेत्र में विकास के लिए धन देने के लिए इच्छुक नहीं हैं वरन् इसलिए कि योजना आयोग ने उनको पर्याप्त धन आवंटित नही किया है।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्रमिक योजनाओं में रेलवे का हिस्सा दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही उत्तरोत्तर कम होता चला गया है। मैं इस बारे में आंकड़ों का उल्लेख करना चाहता हूं।

दूसरी योजना में, जो 1956 से 1961 तक थी। राष्ट्रीय योजना के परिव्यय का 22 प्रतिशत रेलवे के लिए था और कुल परिवहन परिव्यय का 74 प्रतिशत रेलवे के लिए था।

तीसरा पंच-वर्षीय योजना में रेलवे के लिए रष्ट्रीय योजना का प्रतिशत गिरकर 20 प्रतिशत हो गया था और परिवहन क्षेत्र में गिराकर 72 प्रतिशत हो गया था।

चौथी पंचवर्षीय योजना में यह प्रतिशत क्रमश: 8 और 46 हो गया था।

तत्पश्चात, पांचवी योजना में रेलवे के लिए राष्ट्रीय योजना परिव्यय का 5 प्रतिशत रखा गया था और कुल परिवहन परिव्यय का 40 प्रतिशत रखा गया था अगली योजना में, यह आंकड़े गिर कर क्रमश: 5 और 31·5 प्रतिशत हो गए।

इस प्रकार यह आंकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि रेलवे के प्रति योजना आयोग और वित्त मंत्रालय का कठोर रवैया रहा है और जब तक इस स्थिति को रोका नहीं जाता और सुधारा नहीं जाता तब तक देश की कठिनाईयों का सामना करता रहेगा।

योजना आयोग को यह समझना चाहिए कि जब तक पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक समूचे देश में रेलों का जाल नहीं बिछाया जाता तब तक इस देश के लिए विशेष कर सामारिक महत्व के क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र—यह नहीं सोचेंगे कि विकास का लाभ इन तक पहुंच रहा है।

जब छठी योजना आरम्भ हुई तो 29 परियोजनाएं निर्माणाधीन थी और उनके लिए 402 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी। रेलवे को कोई अधिक धन आवेटित नहीं किया गया था।

आपको इस स्थिति का पता इस बात से चल सकता है कि 1974 से 78 तक वर्तमान रेल-प्रणाली में केवल 459 कि०मी० की अतिरिक्त लाइनें बिछाई गयी थीं और 1978 से 1980 तक केवल 137 कि०मी० अतिरिक्त लाइनें बिछाई गयी थी। छठी योजना आरम्भ होने के समय रेलवे को 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी किन्तु उसे अधिक धन नहीं दिया गया था।

मैं रेल योजना की बात नहीं कर रहा हूं वरन् मैं एक क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अथार्त् नयी रेल लाइनों। इसके अतिरिक्त रेल पटरियों की चौड़ाई में भी परिवर्तन किया गया था। इसके लिए भी उन्हें धन की आवश्यकता थी। पुलों का भी निर्माण करना था।

छठी योजना आरम्भ होने के समय छह पुल निर्माणाधीन थे, जिनकी लागत 42 करोड़ थी। चार पुलों का निर्माणकार्य और शुरू किया गया था जिनकी लागत 12 करोड़ थी। किन्तु उन्हें अधिक धन नहीं दिया गया था इस समय यही निराशाजनक स्थिति है। इसके लिए तत्काल कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

इस संदर्भ में, मैंने माननीया प्रधान मंत्री जी को भी लिखा था कि रेलवे सहित परिवहन की मूल योजना और परिषहन के अन्य साधन तथा दूर संचार योजना के मूल क्षेत्र का हिस्सा बनाए जाने चाहिए तथा जब तक इसे स्वीकार नहीं किया जाता और जन तक 7वीं योजना के संसाधनों के आवंटन में रेलवे को उच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती तब तक स्थिति नहीं सुदरेगी। इसलिए सभा को इस मांग को समर्थन करना चाहिए कि रेलवे का कच्च प्राथमिकता की और रेलवे के पहले से अधिक महत्व दिया जाए।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि 7वी योजना में, रेलवे की उसी स्थिति को फिर से लौटाना चाहिए जो स्थिति दूसरी योजना में थी अर्थात् राष्ट्रीय योजना के परिव्यय का 22 प्रतिशत और परिवहन क्षेत्र के परिव्यय का 74 प्रतिशत रेलवे [को दिया जाना चाहिए। रेलवे को अब तक दी गई राशि में यह उच्चतम था। जब तक यह नहीं किया जाता है तब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं होने वाला है। और यह हम सबकी चिन्ता का कारण है।

मैं माननीया प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और आयोग तथा रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि रेलवे को वह फिर से प्राथमिकता फिर से दी जानी चाहिए और इसको उसी बिंदु से आरंभ

करना चाहिए जहां से स्थिति में गिरावट आनी शुरू होती है। रेलवे को यही प्रतिशत दिया जाना चाहिए। जो दूसरी योजना में दिया गया था।

मैं उन बहुत सी कठिनाइयों को भी जानता हूं। जो रेल मंत्रालय को काम करते समय आड़े आती है। इस समय, 46 नयी रेल-लाइन निर्माणाधीन है, जिनके लिए 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी राशि-1000 करोड़ रूपए भी धनराशि की आवश्कता है और 46 नयी रेल लाइनें बनायी जाती हैं और इसमें कुछ और भी भी बढ़ा दी गई हैं। अतः लगभग 50 नयी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 1000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जबकि छठीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में केवल 90 करोड़ रुपए ही आवंटित किए गए हैं। गत वर्ष तो 90 करोड़ रुपए भी आवंटित नहीं किए गए थे। गत वर्ष के बजट भाषण में, माननीय मंत्री ने कहा था कि वह रेल परियोजनाओं को इसमें शामिल न करने के लिए बाध्य थे और इसके लिए दुख भी था। अतः उस समय यह स्थिति थी और लगभग आज भी यही स्थिति है।

राष्ट्रीय एकता के लिए पूरे देश को रेल-लाइनों से जोड़ने और देश में रेल के विकास हेतु अधिक वित्त उपलब्ध किया जाना चाहिए क्योंकि रेलवे देश का महत्वपुर्ण सूत्र है जो देश के भिभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़कर सारे देश को जोड़ना है।

हिमाचल प्रदेश के बारे मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने उस रेल-लाइन के लिए 2 करोड़ रु० दिए हैं जिसकी आधार-शिला 1974 में तत्कालीन रेल-मंत्री श्री एल० एन० मिश्र द्वारा रखी गयी थी। किन्तु 2 करोड़ रु० इसके लिए पर्याप्त नही है क्योंकि राज्य सरकार का भूमि स्लीपर और कटाई-भराई के रूप में लागत में 25 प्रतिशत का हिस्सा है। मुख्य-मंत्री ने भी मुआवजा दिया है पहले 5 कि० मी० के लिए लगभग 25 लाख राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। हम चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजना समाप्त होने से पहले ही वह लाइन उन जिला मुख्यालय तक जानी चाहिए क्योंकि उनमें ही प्रधान मंत्री ने जब वह कांग्रेश की अध्यक्षता थी।

2 दिसम्बर 1979 को घोषणा की थी कि यदि पार्टी सत्ता में आ गई तो इस रेल-लाइन जिसकी अब तक उपेक्षा की जाती रही है को बना दिया जाएगा। इस लाइन के बन जाने से इस क्षेत्र के विकास का द्वार खुल जाएगा।

यह लाइन हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के निर्वाचन-क्षेत्र पंजाब के लिए भी उपयोगी होगी। यही वह बिन्दु है जहां से आप इस लाइन को हिमाचल प्रदेश में ले जा रहे हैं।

अतः होशियारपुर निर्वाचन क्षेत्र भी इस लाइन से लाभान्वित होगा। अन्य लोगों के साथ साथ रेल-मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करता रहा हूं कि होशियारपुर को अंभ से

जोड़ा जाना चाहिए ताकि जलन्धर अंभ लाइन का निर्माण हो और होशियार को उस रास्ते से भी जोड़ा जाए क्योंकि इससे न केवल पंजाब को वरन् हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर को भी लाभ होगा। रेल मंत्री महोदय ने इस बजट में इस लाइन को शामिल कर इस पर ध्यान दिया है और कहा हैं कि सुरक्षा के लिए भी यह एक वैकल्पिक लाइन होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतः यह लाइन मुकेरियां से जुड़ेगी।

जैसा कि आप जानते हैं बजट दस्तावेज में भी मुकेरियाँ-तलवाड़ा लाइन को हिमाचल प्रदेश में 3 कि० मी० पर एक स्टेशन संसारपुर तक बढ़ाने के लिए इसको संसद द्वारा स्वीकृति दे दी गयी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि इसे कार्य को स्वीकृति दी जा चुकी है और रेल लाइन वहां पर है अब इसकी अपग्रेडिंग की आवश्यकता है और यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर तत्काल किया जाना चाहिए। इससे वहां यातायात आरंभ हो जाएगा तथा इससे न केवल पंजाब को वरन् हिमाचल प्रदेश को भी लाभ होगा। लाइन के निर्माण कार्य की गति तीव्रता लाई जानी चाहिए ताकि उत्तरी पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ा जा सके तथा इससे चंडीगढ़ के लिए भी सबसे छोटा रास्ता सुलभ हो जाएगा।

एक और बात का उल्लेख किया गया है कि चंडीगढ़-मोरिन्डा के बीच छोटी लाइन का निर्माण किया जाए ताकि यह लाइन मुकेरियां-पठानकोट-अम्बाला-सहारनपुर और दिल्ली तक एक बिल्कुल नया मार्ग बन जाए। अतः यह एक नया एक स्वतंत्र मार्ग होगा। अतः जम्मू-जलंधर रेल लाइन को दोहरा करने के कार्य को प्राथमिकता देने की बजाय यदि इस समय आप एक नए मार्ग का निर्माण कार्य करें तो इससे न केवल आपके उद्देश्य की पूर्ति होगी वरन् इससे एक नए क्षेत्र में विकास की शुरूआत हो जाएगी। अतः यह एक बहुत अच्छा रेल मार्ग होगा और मैं इसे बनाए जाने का निवेदन करूंगा।

मुख्य मंत्री ने तंगल से बिलासपुर होते हुए रामपुर तक रेल-लाइन बिछाने के लिए राज्य सरकार की लागत पर सर्वेक्षण करवाने के लिए कहा है और इसके लिए तथा राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए 8 लाख रुपये दिए गए हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि संतलुज की उपरी धारा पर बहुत सी पन बिजली परियोजनानाएं बन रही हैं और आपको उन के लिए सामान को इधर से उधर से लाने ले जाने की आवश्यकता होगी और इसके लिए इस लाइन का निर्माण करना एक अच्छा पूंजी विवेश होगा।

इससे पहले, रोपड़ तक रेल-लाइन नहीं थी। किन्तु भाखड़ा—नंगल कांप्लैक्स बना तो रोपड़ से भाखड़ा और नंगल तक रेल-लाइन भी बिछाई गई थी अतः, उस हिस्से नंगल बांध से गांव तक को भी लिया जा सकता है। यह अब भी बेकार पड़ी हुई है। परियोजना के अधिकारियों द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है किन्तु आप इसें ऊपर तक ले जा सकते हैं और हिमाचल प्रदेश को भाखड़ा पर एक अतिरिक्त स्टेशन दे सकते हैं।

पौंरा जिले में राजबंस में एक सीमेंट फैक्टरी है और आरम्भिक सर्वेक्षण यह पता चल है कि वहां 8 प्रतिशत प्रति लाभ है, अर्थात जगाधरी से पौंरा तक रेल-लाइन के लिए यह एक अच्छा प्रति लाभ है। यदि आप इसे जोड़ते हैं और इस कार्य को वरीयता देते हैं तो उस उद्योग का विकास होगा। हरियाणा सरकार की इस मांग स्वीकार करके कि चंडीगढ़ को स्वीकार किया जाना चाहिए पर अधिक ध्यान देकर उसे एक स्वतंत्र लाइन द्वारा जगधरी से जोड़ा जाए क्योंकि अम्बाला एक भाड़- भाड़ वाला शहर बनता जा रहा है क्या आप वहां एक मंडल की स्थापना की स्वीकृति दे रहे हैं। जैसा कि आप चाहते हैं। उस प्रकार से गाड़ियों को तेजी से निकालना वहां संभव नहीं होगा क्योंकि वहां कार्य भार बढ़ता ही जा रहा है।

अत: चंडीगढ़ को आवश्यक महत्व देने के लिए एक उप मार्ग और मुख्य लाइन का निर्माण करना ही होगा। कालका पौंरा के बीच छोटे रास्ते (बड़ी लाइन) का निर्माण किया जाना चाहिए। पंजाब हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा की अब तक की सभी सरकारें चंडीगढ़ की बात करती रही हैं। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि चंड़ीगढ़ लेने के लिए तो सभी लोग लगातार शोर मचाते रहते हैं। किन्तु कोई भी चंडीगढ़ के आर्थिक विकास, जिसके कारण वह केन्द्रीय स्थल बनता है, की परवाह नहीं करता है।

चंडीगढ़ और जालंधर पंजाब के ऐसे दो महत्वपूर्ण स्थल हैं और संघ शासित चंडीगढ़ तो न केवल पंजाब को लाभ पहुंचता है वरन् हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों को भी लाभ पहुंचाता है। इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इसी प्रकार, आप नई और तेज रेलगाड़ियां शुरू करने में भी काफी उदार रहे हैं। किसी संपादकीय में यह विचार व्यक्त किया गया है कि अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में आपने अधिक नयी और तेज रेलगाड़ियां चलाई हैं। किन्तु मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि मैंने एक रेलगाड़ी—शिवालिक क्वीन—चलाने की मांग की थी।

हिमालय हमसे बहुत दूर है किन्तु शिवलिक समीप है। अत: हम 'शिवलिक क्वीन' चाहते हैं यद्यपि इस मांग को किए काफ़ी देर हो चुकी है फिर भी देर से ही सही, आप अब इस गाड़ी को अम्बाला से आरम्भ कर नंगल बांध तक ले जा सकते हैं जिससे यह 'शाने-पंजाब' गाड़ी से जोड़ी जा सके। और यह रेल गाडी अत्यधिक लोकप्रिय हो सके।

इस इस वर्ष के रेल बजट की एक विशेषतया यह है कि बढ़े हुए यात्री-किराए को युक्ति-संगत बनाकर और माल-यातायात, जो 114 करोड़ रुपए है, से आपने बहुत अधिक धन प्राप्त किया है। माल-भाड़े की दरों को बढ़ाकर ही आपने केवल 10 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। शेष धन आपने यात्री-किराए से प्राप्त किया है। यदि आप इससे यात्रियों की सुख-सुविधाओं में वृद्धि करने जा रहे हैं, तो मैं अन्यधिक प्रसन्न हूंगा।

कालका से बम्बई तक सीधा सवारी डिब्बा शुरू करने के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जनता के लिए यह बहुत उपयोगी रहा है किन्तु वहां के लोक कालका से मद्रास तक तक सीधा सवारी डिब्बा चलाए जाने की मांग करते हैं। इससे हिमाचल में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।

किन्तु हमारे क्षेत्र और संयोग से इस समय सभा के सभापति के क्षेत्र की अब भी अपेक्षा की जा रही है। हमारे क्षेत्र के साथ न्याय करने के लिए हिमाचल एक्सप्रेस में एक सवारी डिब्बा बम्बई से नंगल बांध तक जोड़ा जा सकता है।

**श्री राम प्यारे पनिका** (राबर्टगन्ज) : उन्हें अधिक समय दिया जाना चाहिए क्योंकि यह दो राज्यों के लिए बोल रहे हैं।

**श्री नारायण चन्द पराशर** : मैं दो नहीं, तीन राज्यों में बोल रहा हूं। मैं यह भी कहूंगा कि कुछ आधारभूत सुविधा भी दी जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, कीरतपुर, यह सेवों का लदान करने वाला स्टेशन है और यह हिमाचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किन्तु वहां पेयजल की भी सुविधा नहीं है। रेल अभिसमय समिति ने उस स्टेशन की यात्रा की थी, आपके मंडलीय रेल प्रबन्धक भी वहां गए थे।

गत माह उन्होंने इस स्टेशन की यात्रा की थी किन्तु वहां प्लेटफार्म पर पानी का कोई नल नहीं है। होशियारपुर, आनन्दपुर साहब और अन्य स्थानों—जहां रेलवे प्लेटफार्म तो है किन्तु उन पर पेयजल की तथा अन्य किसी प्रकार की सुविधा नहीं है—पर अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। और यहां तक कि पंजाब में जो वैसे भी आजकल बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, भी बहुत से स्टेशनों पर पेयजल की तथा अन्य किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है।

दूसरी ओर, कांगड़ा घाटी में आपने नूरपुर रोड और पठानकोट के बीच एक रेलगाड़ी शुरू की थी। किन्तु यह क्षेत्र बस सेवाओं से तो बहुत अच्छी तरह से जुड़ा है किन्तु यह क्षेत्र बस सेवाओं से तो बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है किन्तु नूरपुर रोड से ज्वालामुखी रोड तक कोई पक्की सड़क नहीं है। इस बात की जांच की जानी आवश्यक है।

मैं निवेदन करता हूं कि शप्ल सेवा आरम्भ की जानी चाहिए और उसे उस स्थल तक बढ़ाया जा सकता है।

इसी प्रकार, मैं आपके ध्यान में कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे लाना चाहता हूं। पंजाब में लगभग 4.5 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं। हिमाचल प्रदेश में एक लाख भूतपूर्व सैनिक है तथा जम्मू-कश्मीर में लगभग 50,000 भूतपूर्व सैनिक हैं। उन सभी को इस क्षेत्र में रेलगाड़ी की सेवाएं प्राप्त हैं किन्तु उनके लिए रेलगाड़ियों से आने-जाने के लिए जो कोटा सुलभ है वह

अपर्याप्त है। होशियारपुर के लिए आपको अतिरिक्त कोटा देना ही होगा। इसी प्रकार नंगल बांध के लिए भी आपको अतिरिक्त सवारी डिब्बे देने होंगे।

इसी प्रकार मैंने जालन्धर के लिए भी कहा है कि वहां से भी अधिक रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहिए। आखिर यह कोई अपराध तो नहीं है कि वह शहर राज्य की राजधानी नहीं है। जालन्धर एक केन्द्रीय स्थल है। समूचे उत्तरी-पश्चिमी अंचल के लिए यातायात केन्द्र है। रेलगाड़ियां जालन्धर से नकोदरा जालन्धर से पठानकोट, जालन्धर से होशियारपुर, जालन्धर से फीरोजपुर जाती है और वहां कुछ अन्य लाइनें भी हैं। किन्तु आप पायेंगे कि स्टेशन पर उपलब्ध सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं। वहां केवल दो विश्राम कक्ष हैं और आप पायेंगे कि वहां यात्रियों को अधिक सुविधायें दी जा सकती हैं।

यदि जालन्धर से नई दिल्ली तक एक तेज गाड़ी आरम्भ कर दी जाये तो इसके वहां से आने वाली अन्य गाड़ियों की भीड़ कम हो जाएगी और इससे देश के उस हिस्से में स्थिति सुगम हो जाएगी।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं मैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों द्वारा किये गये अच्छे काम की प्रशंसा करता हूं। मैं सोचता हूं कि आपके आदेश पर उनके द्वारा किये गये काम विशेषकर चेयरमैन और वित्तीय आयुक्त द्वारा किये गये काम के लिये प्रशंसा के दो शब्द अवश्य कहने चाहिए। बहुत कठिन समय में उन्होंने रेलवे की कार्यकुशलता को बढ़ाने का काम किया है।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि आपने गत वर्ष माल-यातायात का 450 मिलियन टन का लक्ष्य रखा। यह आपकी गलती नहीं थी। रेलवे तैयार था। वैगनें तैयार थीं। पटरी तैयार थीं। किन्तु यातायात नहीं आ रहा था। स्टील और सीमेंट के उत्पादन में कमी थी। इस वर्ष आपने 245 मिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्ष आपकी उपलब्धि 230 मिलियन टन थी। क्योंकि उद्योगों से वसूली है।

मैं महसूस करता हूं कि इस वर्ष यातायात की अच्छी सम्भावना है। मैं कहूंगा कि उन लोगों द्वारा किया गया कार्य उत्कृष्ट है।

क्योंकि बहुत-सी वैगनें बुरी स्थिति में हैं और पटरी अत्यधिक पुरानी है, अतः उनके सुधार के कार्य को तीव्र गति से किए जाने की आवश्यकता है। पिछले कुज वर्षों से चेयरमैन, वित्तीय आयुक्त और बोर्ड के अन्य सदस्य यह देखते रहे हैं कि राष्ट्र को अत्यधिक पुरानी पटरियों अथवा जर्जर वैगनों के कारण परेशानी न उठानी पड़े। मूल्यह्रास आरक्षित निधि के रूप में 850 करोड़ रु० दिए गए हैं, यद्यपि यह काफी बड़ी रकम है फिर भी इस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है कि हमारी वर्तमान पटरियों में कोई खराबी न हो सकें, । यह कार्य किया गया है और यह एक अच्छी बात है।

(प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (जारी) कतिपय रेल सेनाओं की आवृति बढ़ाने की आवश्यकता है कालका-चंडीगढ-हटिया त्रि-साप्ताहिक गाड़ी को रोज चलाना चाहिए। इसी तरह से, दूसरी गाड़ियां जो कि सप्ताह में दो अथवा तीन बार चलाई जाती हैं उनके बारे में बिचार करके उन्हें भी रोज चलाना चाहिए। अम्बाला-पानीपत रेलवे लाइन को दोहरा करने के काम में तेजी लाई जानी चाहिए।

उत्तर रेलवे अति विशाल रेलवे है। जम्मू और कश्मीर पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा राज्यों के लिए एक उत्तर-पश्चिम रेलवे नामक नया जोन बनाया जाना चाहिए, जिसका मुख्यालय जालंधर में होना चाहिए।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गन्टूर) पहले उस क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाने दीजिए।

**प्रो० नारायण चन्द पराशर** : वहां गड़बड़ी वाले जिले सिर्फ तीन हैं—अमृतसर, गुरूदासपुर, कपूरथला। मैं चंडीगढ से गाड़ी पकड़ने के लिए हर समाप्त के अन्त में रात 10 बजे आनन्दपुर साहब से गुजरता हूं रास्ते में कोई भी गड़बडी नहीं है। रामेड होशियारपुर, जालन्धर जिलों तथा पठानकोट एवं फगवाड़ी की तहसीलों में बिल्कुल भी अशांति नहीं है यह क्षेत्र बहुत ही शांतिपूर्ण है। श्री ज्ञानी जैल सिंह जी के पहले वाले निर्वाचन क्षेत्र तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आतंक का नामों निशान नहीं है। मैं माननीय रेल मंत्री जी का तथा अपने दल के उपनेता को इस क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित करता हूं।

अत: मैं गम्भीरतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि उत्तर पश्चिम भारत के लिए अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। इस क्षेत्र के लिए रेलवे त्रर्कशाप के रूप में एक बडी परियोजना स्वीकार करनी चाहिए ताकि वहां के लोग जीवीका कमा सके और बेरोजगारों की संख्या को न बढ़ाए। इस सम्बन्ध में अत्याधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है सामरिक नीति की आवश्यकता पंजाब की पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही लम्बी सीमा है तथा पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर तथा हरियाणा के हजारों जवान सेना में हैं तथा इन क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों की काफी अधिक प्रतिशतता है। वे हमें उस दृष्टि से देखते है। अत: अगर आप वहां कुछ भी करेंगे तो यह केवल आपके लिए ही नही अपितु राष्ट्र के लिए भी और साथ ही इससे सेना का मनोबल भी बढ़ेगा। रेलों को गतिशील बनाए रखने के आपके प्रयत्न की मैं सराहना करता हूं और मुझे विश्वास है कि रेलों की प्रगति हमारे देश के विकास और उन्नति के प्रतीक होगी और निसंदेह ही सातवीं योजना में रेलों के विकास के लिए अधिक राशि आवंटित की जाएगी।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री कारण प्रस्तुत बजट का मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री पाराशर जी ने रेलवे को एफीशियेंट बनाने के लिये जिन आवश्यकताओं का जिक किया है, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, मैं उनका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं।

राजस्थान रेल के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ है। हमारा यह दुर्भाग्य रहा है कि आज तक राजस्थान का कोई भी आदमी रेल मंत्री नहीं बना, इसी कारण वहां कोई डेंवलपमैंट इस मामले में नहीं हुआ। सब प्रान्तों के लोग रेल मंत्री बन गये, मगर राजस्थान का कोई नहीं बना।

हमारे श्री गनी खां चौधरी इन्साफ पसन्द हैं और पिछड़े हुए इलाकों को पहले लेना चाहते हैं, इसलिये उनसे निवेदन है कि हमारे पिछड़े हुए प्रान्त को आगे बढ़ाने के लिये कदम उठायें। सबसे पहला काम यह करना होगा कि राजस्थान को एक अलग जोन बना दिया जाये। रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्य भी अपनी पैरवी तो करते हैं, लेकिन राजस्थान के बारे में कुछ नहीं कहते। वैस्टर्न रेलवे का जोन है, नार्थन रेलवे का जोन है सब अपनी तरक्की करते हैं, लेकिन राजस्थान की तरक्की कोई जोन नहीं करता, इसलिये यहां का अलग जोन होना नितान्त आवश्यक है।

मैंने पहले भी मंत्री महोदय से निवेदन किया था। यहां रेलवे कन्वैंशन कमेटी अगर रिकमैंड करेगी तो ये विचार करेंगे। यहां रेलवे कन्वैंशन कमेटी के मेम्बर भी विराजमान हैं और मंत्री महोदय भी मौजूद हैं, उनसे प्रार्थना है कि यह सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, रेलवे को बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है, रेलवे का डैवलपमैंट यहां होना बहुत जरूरी है।

पहले रेलवे में इतनी पंक्चुएलिटी थी कि अगर रिस को अपनी घड़ी का टाइम ठीक करना हो तो रेल की पहुंच से घड़ी ठीक किया करते थे। लोगों को इतना विश्वास था कि जहां से रेल निकल गई, वह इलाका पर सर-सब्ज हो गया, वहां इंडस्ट्री कायम हो गई, इस लिये रेल का होना नितान्त आवश्यक है। इसलिये रेल मंत्री हमारे इस पिछड़े हुए इलाके को रेल के जरिये ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की तरफ ध्यान दें।

हमारी तरफ आपने मेहरबानी करके सर्वे मंजूर किये और तीनों का सर्वे करा दिया। कोटा से देवगढ़ की लाइन का जो सर्वे आपने कराया है, जैसे श्रीवास्नीक कह रहे थे कि उनके यहां मिट्टी भी डल गई, सब कुछ हो गया लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसी तरह संवत् 1996, शायद 1940 के पहले जब अकाल पड़ा था उस वक्त कोटा से देवगढ़ लाइन का काम हुआ था लेकिन इंडीपैंडेंस के बाद वह ठप्प पड़ गया, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। अब आपने बी० जी० लाइन का सर्वे कराया है, वहां कोई बी० जी० लाइन नहीं है।

उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर डिस्ट्रिक्ट्स में और उसके पड़ोस-पड़ोस में भी कोई बी० जी० लाइन नहीं है। बी० जी० लाइन के बिना किसी क्षेत्र का डेवेलपमेंट ठीक तरह से नहीं हो सकता। प्लानिंग मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, वह भी मेहरबानी कर के इस लाइन को स्वीकृत कर दें। इस लाइन के बनने से उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक आदि पिछड़े हुए क्षेत्रों को आर्थिक रूप से तरक्की करने के साधन उपलब्ध हो सकते हैं और भी दो सर्वे कराए गए हैं, लेकिन पहली प्रायर्टी इस बी० जी० लाइन को दी जानी चाहिए।

मैं अपने क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि राजस्थान के लिए एक कोच फैक्टरी की मांग करना चाहता हूं। हमारे यहां अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर में वर्कशाप हैं। वहां पर प्रिंसली स्टेट्स के टाइम से कोचिज, वैगन्ज और इंजिन्ज की रिपेयर्ज का काम होता आया है। इसलिए कोच फैक्टरी भी वहीं स्थापित होनी चाहिए, जहां इनफा-स्ट्रक्चर है। अजमेर, कोटो, जोधपुर जयपुर या राजस्थान के किसी भी उपयुक्त स्थान पर यह फैक्टरी स्थापित की जाए, ताकि उस सारे क्षेत्र का विकास तेज गति से हो सके।

कल प्रो दंडवते ने कहा कि स्टीम इंजिनों पर बहुत खर्चा होता है। अजमेर वर्कशाप के एक इंजीनियर ने एक्सपेरिमैंट किया है कि लगभग बीस हजार रुपया खर्च कर के स्टीम इंजिन को क्रूड आयल-बेस्ड बनाया जा सकता है। इससे रेलवे का खर्च कम होगा और इंजिनों की उम्र भी बढ़ जाएगी रेलवे विभाग को मालूम है कि वह कौन सा इंजीनियर है। उससे जानकारी प्राप्त कर के स्कीम इंजिनों को क्रूड-आयल-बेस्ड बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

राजस्थान में ट्रैक और कोच बहुत पुराने हैं। कोच इतने खराब हैं कि फस्टक्लास की सीट भी बैठने लायक नहीं होती। ऐसे कोचिज को रिपेयर करने के लिए या नये कोचिज लगाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिन ट्रैक्ट्स पर बहुत एक्सिडेंट और डीरेलमेंट होते हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए और ज्यादा फंड्ज ऐवेलेबल किए जाने चाहिए।

मैंने गुलाबपुर स्टेशन के बारे में मंत्री महोदय को बार-बार लिखा है और उन्होंने कहा है कि उसको फुल- फ्लेज्ड स्टेशन बनाना मुमकिन नहीं है। वह एक इंडस्ट्रियल टाउन बनता जा रहा है। वहां पर जिंक स्मेल्टर स्थापति होने वाला है, जिससे फ्रेट और पैसेंजर्स का ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाएगा।

यह सही है कि अभी तक वह काम नहीं चला है। लेकिन वहां पर तीन टेक्स्टाइल फैक्टरियां लग चुकी हैं। जब वहां पर जिंक स्मल्टर स्थापित हो जाएगा, और माइनिंग वर्क होगा, तो जिंक और फिनिश्ड गुड्ज वगैरह की शक्ल में बहुत लोड उठेगा। बगैर जानकारी प्राप्त किए यह लिख देना उचित नहीं है कि गुलाबपुर को पूरा स्टेशन नहीं बनाया जा सकता। रेलवे बोर्ड की यह हालत है कि उसने हां करना तो सीखा ही नहीं है, वह हमेशा न करने के लिए ही तैयार रहता है।

इनकी इस मनोवृद्धि को बदलिए। इसके सम्बन्ध में जानकारी कीजिए कि कौन सी चीज संभव है और कौन से तरीके से बन सकती है। जो चीज बन सकती है उसको बनाना चाहिए। यह गुलाबपुरा स्टेशन भविष्य में बहुत इम्पार्टेंट बनने वाला है, इसको अभी से फुलफ्लेज्ड आप बना देंगे तो मेरी और मेरे क्षेत्र की मांग पूरी हो जायगी और लोगों को इससे काफी सुविधा हो जायगी। इसलिए इसकी दोबारा जांच कराइए और इस काम को

कीजिए। रेलवे बोर्ड की तो हर चीज को ना करने की आदत पड़ गई। आप अपने तौर पर इसकी जांच कराइए और इसे फुल फ्लेज्ड स्टेशन बनाइए।

भीलवाड़ा स्टेशन बहुत बड़े शहर का स्टेशन है। करीब डेढ़ लाख की आबादी वहां हैं और वह बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। कई टेक्सटाइल मिल्स वहां हैं और माइका की इंडस्ट्री वहाँ पर है और भी कई इंडस्ट्रीज हैं। वहां के स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए मैं बराबर कहता आ रहा हूं। थोड़ा बहुत तो काम आप ने कराया है। ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ। थोड़ा बहुत आपने कराया है। लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं कराया है।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उसको माडर्नाइज करके, अच्छे स्टेशंस पर जितनी फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती हैं वह फैसिलिटीज वहां अवेलेबल कराइए।

17 अप और 72 डाउन की टाईमिंग ठीक नहीं है। इसको टू अप और 3 डाउन से मिलना चाहिए ताकि आने जाने वाले पैसेंजर्स को वह सारा कनेक्शन मिल जायं। इसकी व्यवस्था भी आप कराइए।

एक मीनाक्षी के बारे में मैं वर्षो से कह रहा हूं कि मीनाक्षी डेली चलनी चाहिए। अजमेर रतलाम लाइन पर कोई गाड़ी नहीं है। यह मीनाक्षी अगर हो जायगी तो बहुत बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा। इसमें फर्स्ट क्लास और पैन्ट्री कार नहीं है, इन दोनों चीजों की भी व्यवस्था करा दीजिए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी।

कंसेशंस जो आप फ्रेट के सम्बन्ध में दिए हैं मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं। आपने बहुत ऐप्रिशिएबल काम किया है।

मगर एक छोटा सा काम कर के आप ने आम जनता पर भार बढ़ा दिया है। आप ने प्लेटफार्म टिकट का पचास पैसे के बजाय 1 रुपया कर दिया। मैं समझता हूं कि पचास पैसे से आपको ज्यादा आमदनी थी। अब एक रुपये का प्लैटफार्म टिकट कोई लेगा नहीं। बिना प्लेटफार्म टिकट के लोग घुस जाएंगे। आमदनी भी आपकी मारी जायगी और रेलवे का नुकसान भी होगा। इसलिए उसको पचास पैसे ही रखिए।

सेकेंड क्लास मेल एक्सप्रेस पर 2 रुपया सरचार्ज जो आप ने बढ़ाया है उसे भी वापस ले लें। दूसरे क्लास पर जो आपने बढ़ाया उसकी बात मैं नहीं करता लेकिन सेकेंड क्लास पर जो बढ़ाया है उसे वापस ले लें ताकि आम जनता को महसूस नहीं हो कि रेल मंत्री ने गरीब जनता पर हाथ डाला है जो बड़े बड़े लोग हैं उन पर हाथ डालिए, उनसे ज्यादा लीजिए उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन गरीब लोगों पर जो वजन पड़ा है उसको कम कर दीजिए।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : महोदय, वास्तव में रेल महाभारत बहुत विशाल है। और मुझे दिया गया समय बहुत ही कम है अतः मैं कम से कम शब्दों में केवल महत्वपूर्ण मुद्दों को ही उजागर करूंगा।

मैं रेल मन्त्री जी को कुछ नये प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्यों को करने एवं पहले ही किए गये कुछ कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए अपना भाषण शुरू करता हूं। उनमें से कुछ कार्य है: कलकत्ता सरकुलर रेलवे, ताल्लुक डीगा लिंक, हावड़ा, दानजूर तथा दुर्ग नागपुर बिलासपुर कटनी, करनी बीना, खड़गपुर मिदनापुर का विद्युतीकरण तथा बोन्गाईगांव त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस, पुरूलिया के लिए न्यू एक्सप्रेस, इन्दौर न्यू देहली एक्सप्रेस आदि गाड़ियों का चलाने या जाना। हाल ही में कुछ लोगों ने कहा था कि कि यह मन्त्री सिर्फ बंगाल तथा विशेषतौर पर मालदा के ही मन्त्री हैं। किन्तु यह सब कार्य जो उन्होंने किए हैं उनसे यह तर्क सही साबित नहीं होता है। यह सिर्फ दुर्भावपूर्ण प्रचार है किन्तु महोदय मैं अपना धन्यवाद देने की बात यहीं समाप्त करता हूं।

वर्तमान बजट गहरे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट से ग्रस्त पूंजीवादी सरकार का रूढ़िबद्ध चुनावी बजट है। इसमें अस्थिरता और चरमराहट है किन्तु यह दिशा देने और आर्थिक प्रगति में सर्वथा असफल रही है किन्तु यह संकट वर्तमान व्यवस्था से पैदा हुआ है। इसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं है।

**16.00**

पिछले वर्ष यह प्रस्ताव किया गया था कि हम 241 मिलियन टन माल उठायेंगे, किन्तु हमने सिर्फ 230 मिलियन टन ही उठाया। भाड़े की आमदनी 5,171.50 करोड़ रुपए होने की आशा थी। वास्तव में हमें 5,024 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। भाड़े की आमदनी में 114.19 करोड़ रुपये की गिरावट हुई ; यात्री आमदनी में 38.45 करोड़ रुपये की गिरावट थी। इस वर्ष अनुमानित आय 5,342.78 करोड़ रुपये थी तथा अनुमानित संचालन खर्च 5,037 करोड़ रुपये थे। हम इस संकट से गुजर रहे हैं तथा किन्तु ऐसा मंदी विश्व व्यापी मंदी के कारण हुआ हैं। जापान कम लोह अयस्क लेता है, हमने कम स्टील का उत्पादन किया कम उर्वरक का उत्पादन किया रेलवे कम माल उठाता है। यह व्यापक (सार्वजनिक) संकट का निराशाजनक चित्र हैं। वित्त मंत्री जी सांत्वना के दो शब्द कह सकते हैं, इस समय वर्षा के देवता इन्द्र भी उनके सहायक हो सकते हैं, इस कृपालु वर्ष में वह कुछ सुधार की आशा रखते हैं किन्तु महोदय मैं निवेदन करता हूं कि सब कुछ अनिश्चित हैं। वास्तव में यह सम्पूर्ण व्यवस्था का ही संकट है और इसके लिए हमें जरूर कोई हल ढूंढ निकालना चाहिए।

आम बातों पर आने से पहले मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि हम लम्बे समय से भाड़े के समानीकरण की मांग कर रहे हैं वास्तव में हमें बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में अधिक भाड़ा देना होता है जबकि हमारा कोयला, स्टील तथा अन्य पद्धार्थ देश के सभी भागों

में समान दरों पर जाते हैं। इस दफा उन्होंने तैयार कपड़े पर भाड़े की दर को घटा दिया है। बंगाल कपड़ा मिलों को फिर से संकट से गुजरना पड़ेगा। बंगाल में तैयार कपड़ा सस्ती दरों पर आयेगा जबकि हमें सूत ऊंची दरों पर खरदीना होगा। मुझे आशा है कि वह और ध्यान देंगे।

महोदय, जिस संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं आप उसको गम्भीरता को देखिये। छठी योजना के प्रारम्भ में 13,048 किलोमीटर रेल पटरी का नवीकरण किया जाना था। इस योजना के दौरान 15,000 किलोमीटर पटरी और इस में जुड़ गयीं और इसके नवींकरण की आवश्यकता है। हम सिर्फ 9,000 किलोमीटर लाइन का ही नवींकरण कर सकते हैं। छठी पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ में हम 13,048 किलोमीटर पटरियों का नवीकरण करना था तथा छठी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक यह लम्बाई बढ़कर 19,0०0 किलोमीटर हो जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में संकट की स्थिति बनी हुई है।

इसी तरह महोदय, डिब्बों के बारे में, पी० ओ० एच० की वार्षिक क्षमता 25,800 हैं किन्तु वास्तविक वार्षिक आवश्यकता 30,400 है अतः पांच वर्षो में खराब डिब्बों की संख्या 23,400 बनती है। इसी प्रकार, पांच वर्षों में खराब वेगनों की संख्या 43,200 बनती है। अतः इस सम्बन्ध में यह वास्तविक स्थिति है जिसमें हम रह रहे हैं। रेल मन्त्री ने स्वयं भी दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए पृष्ठ संख्या 28 पर कहा है।

"साधनों के अभाव के कारण सुरक्षा उपायों के लिए व्यवस्था नहीं जुटाई जा सकती है।"

**16.04**

**(डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुई)**

वास्तव में उनके पास धन का अभाव है, किन्तु मैं पूरे सदन का आपके द्वारा यह सोचने की प्रार्थना करता हूं कि जब रेलवे के लिए धन की अल्पता है, क्या एशियाड तथा राष्ट्र मण्डल सम्मेलन में फिजूलखर्ची के लिए धन का अभाव नहीं था। राष्ट्रमण्डल के मंत्रियों के लिए गोवा सैरगाह के लिए पैसों का अभाव नहीं था। महोदय, मेरे विचार से राष्ट्रमण्डल मन्त्रियों के लिए गोधा सैरगाह के लिए धन देने की तुलना में रेलवे को धन देना अधिक महत्वपूर्ण होगा।

सभी दुर्घटनाओं के लिए, आपके पास हमेशा एक ही जवाब होता है मनुष्य की गलती और यह मनुष्य है कौन ? क्या यह आपकी नीति नहीं है ? आपकी पटरियां दोषपूर्ण हैं। आपके डिब्बे तथा वेगन दोषपूर्ण हैं।

**श्री राम प्यारे पनिका** : ये सब पुराने हो चुके हैं।

**श्री रामावतार शास्त्री** : (पटना) उन्हे बदल दीजिए।

**श्री राम प्यारे पनिका** : इसके लिए रेलवे को धन की जरूरत होगी।

**श्री नारायण चौबे** : महोदय, उन्हें यह बताने की आवश्यकता है कि अपेक्षाकृत पुराने डिब्बे खराब हो जाते हैं।

**श्री रामावतार शास्त्री** : क्योंकि हम वृद्ध होते जा रहे हैं।

**श्री नारायण चौबे** : महोदय, 19-1-84 को समाचार पत्र **दी स्टेट्समेन** एक समाचार आया हैं। माननीय मन्त्री जी ने उसे देखा होगा। उसमें लिखा है कि बीमार एक्सप्रेस (छत्तीसगढ़ एक्प्रेस) बहुत ही खराब हालत में हैं। आपके इन्जन खराब हैं। लोकोटोड, वर्कशाप में कलपुर्जें नहीं हैं, आपके औजार काम नहीं कर सकते। कभी-कभी फिटर्स (मिस्त्री) को अपने स्वयं के औजार लाने होते हैं। अभी भी आप रेल कर्मचारी को जिम्मेदार ठहराते हैं। आप अपनी नीति को इसके लिए जिम्मेदार ठंहराईये जिसके लिए धनाभाव हैं। आपके पास अधिक धन होना चाहिए। सम्पूर्ण सदन के साथ मैं भी यह कहूंगा और मैं मांग करता हूं कि योजना आयोग को इसके लिए पर्याप्त धन देना चाहिए। रेलवे के पास अधिक धन होना चाहिए। रेलों अधिक आय का अर्जन करनी चाहिए तथा अधिक माल भी उठाना चाहिए और मेरे विचार से यह किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिवर्ष उसे 3.5 मिलियन टन सामान ले जाता है, रूस प्रति वर्ष 4 हजार मिलियन टन सामान ले जाता है चीन में यह आंकड़े 1200 मिलियन टन प्रतिवर्ष हैं और भारत मे 228 से 230 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देता। रेलवे की यदि सही आयोजना और निगरानी हो तो रेलवे वर्तमान ढांचे के होते हुए भी अधिक आय कर सकती हैं, अधिक माल उठा सकती हैं रेलों में प्रत्येक वर्ष मई से सितम्बर तक माल की कमी होती है इन महीनों में बेकार वेगनों की संख्या 12000 से 18000 प्रति दिन होती है यहां तक कि वर्तमान ढांचे के होते हुए भी रेलवे आसानी से 270/275 मिलियन टन माल प्रति वर्ष उठा सकती हैं बशर्ते कि सरकार द्वारा संचालित सरकारी क्षेत्र उद्यम भी अपना माल रेलवे से ही भेजें न कि निजी रोडवेज के साधनों से। सरकारी क्षेत्र उद्यम पर गैर-सरकारी परिवहन लाबों अत्यधिक दबाव हैं सुसंचलित रेलवे अगर माल उठाए तो यह देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा।

सड़कों की तुलना में रेलवे की क्षमता 9.1 के अनुपात हैं। किन्तु प्रभावशाली सड़क परिवहन लाबी सरकारी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों पर प्रभाव डालती है। इसलिए रेलों को पूरे साल एक ही दर पर माल नहीं मिलता।

अभी हाल ही में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक सी० ए० जी० ने यह दोषारोपण किया है कि अकार्यकुशलता तथा भ्रष्टाचार के कारण रेलवे को 77 से 82 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इसलिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले सरकारी क्षेत्रों के उच्चधिकारियों को निजी परिवहन लाबी के प्रभाव से बचाये तथा रेलों द्वारा अधिक माल ठोयें। इससे रेलवे का धन की प्राप्ति होगी तथा सरकारी क्षेत्र कुछ धन प्राप्त करेगा अगर सरकारी क्षेत्र अपना सामान रेलों

द्वारा ढोयेगा तो इससे उनको पैसों की बचत होगी। किन्तु यह मजबूत एवं प्रभावी लाबी है और इसीलिए वे सड़क द्वारा माल भेजते हैं तथा निजी क्षेत्र की मदद करते हैं

हम धीरे-धीरे लम्बी मालगाड़ियां चला सकते हैं जो कि 6000 से 7000 टन तक माल ले जा सकती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मालगाड़ियां 15000 टन से 20000 टन माल ले जाती हैं। हमारें यहां 2000 से 3000 टन तक ही माल ले जाती हैं। बेहतर यातायात का संगठन कीजिये, अच्छे माल डिब्बे बनाइये तथा उच्च किस्म के एवं मजबूत इंजन भी। यहां तक पटरियों तथा पुलों के वर्त्तमान मानदंड में भी, अगर हम समुचित प्रबन्ध करें तो हम 6000 से 7000 टन तक माल ढो सकते हैं। इससे धन की बचत होगी। ईंधन तथा जनशक्ति की बचत होगी। इस क्षेत्र में कुछ पैसा लगाने से काफी अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रमण्डल सम्मेलन के दौरान गोवा सैरगाह पर खर्च किए गये पैसे से यह कम फायदेमन्द नहीं होगा।

मंत्री जी ने अपने भाषण के पृष्ठ संख्या 14 पर कहा है :

"मैं किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं सह सकता।" मैं इस बयान का अत्यधिक स्वागत करता हूं। किन्तु वास्तविकता क्या है ? हाल ही में समाचार पत्रों से पता चला हैं कि पूर्वी रेलवे में 22 करोड़ रुपये की लागत का सामान दिखाया गया हैं किन्तु वास्तव में वे वहां हैं ही नहीं। हाल ही में खड़गपुर वर्कशाप में लाखो रुपयों का घोटाला पकड़ा गया है। सामान सिर्फ कागजों पर दिखाया गया है किन्तु वास्तव में वहां कोई सामान नहीं हैं।

**श्री राम प्यारे पनिका :** वह आपके राज्य में स्थित है।

**श्री नारायण चौबे :** मेरे विचार में जिस व्यक्ति ने यह कार्य किया है वह अवश्य ही आपके निर्वाचन क्षेत्र से होगा।

मैं यह स्पष्ट कहना चाहूंगा कि रेल मंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी है। मुझे प्रसन्नता है और मैं पूरी तरह से इसका समर्थन करता हूं।

**इन्डियन एक्सप्रेस** में यह खबर छपी है कि रेलवे के कुछ अधिकारी मन्त्री का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वह इलाहाबाद गये और उन्होंने यह पाया कि प्रश्न पत्र पहले से ही सबको मालूम हो गए थे।

**श्री राम प्यारे पनिका :** किन्तु मंत्री जी ने तुरन्त ही उन्हें निलम्बित कर दिया था।

**श्री नारायण चौबे :** यह अच्छा है। किन्तु मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि भ्रष्टाचार अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें। ये अधिकारी आम रेलवे के आम कर्मचारी सम्पर्क करते हैं, उन्हें नौकरी से निकालते है तो वे कभी भी ये नहीं सोचते कि उस स्थिति में क्या होगा जब नौकरी खत्म हो जाएगी। कुछ खुशी है कि उन्होंने अब यह समझना शुरू कर दिया है।

किन्तु यहां नियम एवं विनियम है और आपको उनके अनुसार चलना चाहिए। रेलवे अधिकारी को अपने अनुभव से उस आम आदमी की स्थिति समझनी चाहिए जिसकी नौकरी छूट जाती है।

मुझे मालूम है कि कुछ मामले हैं। मैंने कई अवसरों पर मन्त्री जी को लिखा है। दक्षिण पूर्व रेलवे हाई स्कूल, खड़गपुर के वरिष्ठ अध्यापक श्री जी० डी० घोष ने प्रधानाचार्य के भ्रष्टाचार का भण्डाफोड किया और इसके परिणाम स्वरूपउसे नौकरी छोड़नी पड़ी। यह व्यक्ति रेलवे स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा किए गए कार्यों के भण्डाफोड का पहला गवाह था।

सभी अधिकारी उसके विरुद्ध हो गए। तब भी उसे जाना पड़ा, क्योंकि उसने प्रथम ग्रेड के अधिकारी के भ्रष्टाचार का भंडाफोड करने का दुःसाहस किया था।

महोदय, मैं रेलवे गार्डो, चलती गाड़ियों, लोको शेडों और वर्कशापों में होने वाली चोरियों की बात पर आता है। चोरियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। कुछ आर० जी० एफ० के व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। और कभी कभी सारा सामान खुद ही चुराकर ले जाते हैं। वर्कशापों में प्रशिक्षण प्राप्त कुत्ते रखकर चोरियों को कम किया जा सकता है मैंने कई निजी फैक्ट्रियों में देखा है कि प्रशिक्षित कुत्तों को रख कर वे चोरियां बन्द करने में समर्थ हो सके हैं मेरे विचार से, प्रशिक्षित कुत्ते मानव से कहीं अधिक विश्वसनीय हैं।

रेल कर्मचारियों को नौकरी में रखने की बात भी पूर्णतया भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। मैं श्री गनी खान चौधरी से अनुरोध करूंगा कि वे मेरी बात सुनें। आप का नाम लोगों द्वारा यहां वहां यह कहते हुए लिया जाता है "आप पैसा दीजिए वह आपको नौकरी देंगे।"

**प्रो० सत्य देव सिंह** (छपरा) : यह निराधार है।

**श्री नारायण चौबे** : हो सकता निराधार हो मुझे विश्वास है कि वह ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं। किन्तु मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं......

**श्री प्रताप भानु शर्मा** (विदिशा) : आप उस व्यक्ति को हमारे समाने लाइये।

**श्री नारायण चौबे** : महोदय भारतीय तेल निगम और भारत पैट्रोलियम निगम द्वारा सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को कमीशन के आधार पर क्लेम एजेन्ट नियुक्त किया जाता है। वे दावे पेश करते हैं। इस प्रकार से रेलवे के विरुद्ध दावे बढ़ते जाते हैं। पिछले वर्ष उत्तरी रेलवे ने दावों के रूप में सिर्फ एक करोड़ रुपये का भुगतान किया, हाल ही में यह 6 करोड़ से 7 करोड रुपये प्रतिवर्ष हो गया है। सेवानिवृत सी० सी० एस० रेलवे,** तथा सेवानिवृत जरनल

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैनेजर, पश्चिम रेलवे,**…… इस प्रकार के नियुक्त एजेन्ट हैं। ये सभी रेलवे से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और रेलवे के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। कृपया इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

**सभापति महोदया** : किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख मत कीजिए।

**श्री नारायण चौबे** : ठीक है, नाम नहीं लूंगा। उत्तरी रेलवे के एक सेवानिवृत सी० सी० एम० तथा पश्चिम रेलवे के एक सेवानिवृत जनरल मैनेजर इस प्रकार के एजेन्ट नियुक्त हैं।

कल ही अखबार में यह खबर प्रकाशित हुई है कि कुछ समय पूर्व एक योजना बनाई जाती है उसके पश्चात योजना बदल दी जाती है किन्तु ठेकेदार वही रहता है। किन्तु परिवर्तन होते रहते हैं। यह खबर कल के ही अखबार में छपी है। योजना में परिवर्तन से ठेकेदार को अधिक धन प्राप्त होता है। और नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक ने बताया है कि 2.79 करोड़ रुपए इस चीज के लिए गंवाने पड़े।

यात्रियों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में, मैं आपको बताऊं कि आपने नई गाड़ियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए हमें प्रसन्नता है। किन्तु यात्री गाड़ियों तथा स्थानीय गाड़ियों में आज भी अत्यधिक खराब हालत है। इनमें, रोशनी, पानी तथा शौचालयों का अभाव है। डिब्बों (रेक) की हालत भी अत्यधिक खराब है।

अगर आप उड़ीसा जाने वाली गाड़ी को 16 रेक्स रहे थे तो अब यह घटकर 6 रह गए हैं। आम यात्री व आम कृषक की स्थिति बहुत ही खराब है। हम लोग प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी या फिर वातानुकूलित गाड़ियों 'टू टीयर' और लम्बी दूरी की गाड़ियों जैसे कि कालका से देहली आदि में सफर करते हैं और आप इन सभी की इनमें व्यवस्था करते हैं।

किन्तु आम व्यक्ति के लिए यह नामुमकिन है। इसके पश्चात आरक्षण के बारे में, जब आप देखने जाते हैं कि कुछ चैकिंग हो रही थी। किन्तु अब अगर आप किसी भी आरक्षित डिब्बे में घुसें तो आप पाएंगे कि यह ऐसे व्यक्तियों से भरा हुआ है जिनके पास न तो कोई टिकट है और न ही उन्होंने उसका कोई आरक्षण ही करवाया है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। रास्ते के स्टेशनों पर आरक्षण करवाने का कोई प्रबन्ध नहीं है।

हाल ही में आपने नई दिल्ली में आरक्षण दफ्तर का पुन:निर्माण किया है। मुझे बताया गया है कि आप इसे फिर से बदलने जा रहे हैं और आप इसे पुन:निर्मित करने जा रहे हैं पहले ही एक करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। और मुझे बताया गया है कि आप इसके लिए इससे कहीं ज्यादा रकम खर्च करेंगे।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

खाना अत्यधिक खराब एवं महंगा है। मुझे बताया गया है कि रेलों में केटरिंग (खान-पान) निगम है। आप इसे कोई-सा भी निगम करें कृपया यह देखें कि भोजन के मूल्यों में कोई वृद्धि न हो।

कालका-हावड़ा मेल में केटरिंग को कौन चला रहा है ? यह क्यों निजी व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है ?

**एक माननीय सदस्य** : बहुत खराब बात है।

**श्री नारायण चौबे** : क्या आप उनकी सेवाओं के बारे में जानते हैं ? कृपया इसे देखिए। आप गुप्त रूप से वहां जाइए ताकि उनको यह पता न चले कि आप वहां जा रहे हैं।

आप कभी भी निविदा नहीं मांगते। एक ही विशेष परिवार को आने वाले वर्षों के लिए इसे दे दिया जाता है। कृपया इसे देखिए। (खान-पान) केटरिंग विभाग विभागीय होना चाहिए।

कई प्लेटफार्मों पर सफाई बिजली, पानी तथा और सभी चीजों की दशा अत्यधिक शोचनीय है।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। हाल ही में खड़गपुर के बस स्टैंड को दक्षिणी तरफ से उत्तरी दिशा में बदल दिया गया। आपने देखा है। यात्रियों की अत्यधिक दुर्दशा है। कृपया इसे देखिए, जैसाकि आपने वायदा किया था कि बस स्टैंड के नजदीक एक नया उप-मार्ग बनाया जाएगा।

प्लेटफार्म टिकटों के बारे में, किराए को निकटतम रुपए में बदलना, न्यायोचित नहीं है। क्या आपके कहने का मतलब है कि इस देश में लगातार सिक्कों की कमी बनी रहेगी ? क्या वित्त मन्त्री कहते हैं कि देश में हमेशा ही छोटे सिक्कों का अभाव रहेगा ? हाल ही में आपने टिकट का न्यूनतम मूल्य एक रुपया कर दिया है और दो वर्ष पहले यह चालीस पैसे था।

आपने कहा है कि कम दूरी वाले यात्री कम होते हैं। वे बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं।

आखिर में मैं उन रेलवे कर्मचारियों के बारे में बोल रहा हूं जो कि देश में शुद्ध समझे जाते हैं। 17 लाख रेलवे कर्मचारियों में से 10 लाख व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं।

**श्री राम प्यारे पनिका** : आप 'वर्ण' में विश्वास नहीं करते। क्या आप इसकी अपने विचारों के अनुसार तुलना कर रहे हैं ?

**श्री नारायण चौबे** : चतुर्थ श्रेणी में 10 लाख लोगों की संख्या अत्यधिक है। उनकी प्रारम्भिक तनख्वाह 196 रुपए मात्र है। आज रेलवे में कार्यरत कर्मचारी सचमुच अत्यधिक निराश है। अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होगी। हाल ही में, निश्चित ही, आपने पदोन्नति के कुछ अवसर खोले है और वह भी 3 प्रतिशत वर्कशाप में तथा 5 प्रतिशत खुली लाइन में कटौती करके।

सभी रेलवे कालोनियों में मकानों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। आपको इसके ऊपर अधिक धन खर्च करना चाहिए। सभी पुरानी कालोनियों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मकान तपेदिक, कुष्ठ रोग तथा और भी जाने क्या-क्या बीमारियों के घर हैं। कृपया इस ओर ध्यान दीजिए। रेलवे कर्मचारी इन गन्दे, सीलन भरे मकानों में बिना बिजली एवं हवा के रहते हैं।

आपके पास सिर्फ 5·87 लाख रेलवे के क्वार्टर हैं जिनमें से काफी खराब हालत में हैं। आप 6,600 मकान प्रतिवर्ष बनाना चाहते हैं। रेलवे के सभी 17 लाख कर्मचारियों को मकान देने में आपको सिर्फ 180 वर्ष लगेंगे। इससे कम नहीं। पिछले वर्ष रेलवे के लिए मकानों के आपने 40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी।

इस वर्ष आपने 47 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कृपया विचार करिए, मूल्य अत्यधिक बढ़ गए हैं। इन पैसों में आप उतने मकान नहीं बना सकते जितने आपने पिछले वर्ष बनाए थे।

आपके पास रेलवे की काफी भूमि है, जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। आप रेलवे की भूमि रेल कर्मचारियों को दे दीजिए और आवास समितियां बनाइए तथा उन्हें ऋण दीजिए रेल कर्मचारी अपने क्वार्टर बना सकते हैं और इसी से समस्या का एक हद तक समाधान हो जाएगा।

उन्हें चिकित्सा का लाभ भी बहुत कम मिल रहा है। आपने अस्पताल और डाक्टरों के लिए 36 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं लेकिन 17 लाख कर्मचारियों की दवा के लिए केवल 12 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी है। पिछले वर्ष यह राशि 11·5 करोड़ रुपए थी। क्या इससे बढ़े हुए मूल्यों की प्रति पूर्ति हो जाती है ?

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, निश्चय ही, रेलवे में काफी अच्छे स्कूल हैं। लेकिन कोई नए स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप इस ओर ध्यान देंगे। दक्षिण-पूर्वी रेलवे में शिक्षा विभाग में बहुत भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद फैला हुआ है।

मैंने इन बातों की ओर ध्यान दिलाया था। अभी तक वहां कई रिक्तियां हैं और उन पदों पर उपयुक्त अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। पदोन्नति और स्थानान्तरण को

मामले में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का बोलबाला है। एक साधारण स्नातक एस० पी० ओ० (शिक्षा) के पद पर नियुक्त है और वह एम० ए०, एम० एस० सी० और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त किए लोगों पर हुक्म चला रहा है क्योंकि उच्चाधिकारियों के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं। मुझे आशा है आप इसकी जांच करेंगे।

सफाई के लिए पिछले वर्ष आपने 23.22 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था और इस वर्ष यह प्रावधान 23.18 करोड़ रुपए रखा गया है। क्या मूल्यों में कमी आई है? मामला क्या है? क्या रेलवे कालोनियां छोटी हो गई हैं?

कर्मचारी कल्याण निधि के लिए पिछले वर्ष 1.66 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया जबकि इस वर्ष यह राशि 1.60 करोड़ रुपए रखी गई है।

रेल कर्मचारियों को आपसे पूरा न्याय नहीं मिल रहा है। मैं मांग करता हूं कि रेल कर्मचारियों को अन्य सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों जैसे इस्पात और कोयला उपक्रम के कर्मचारियों के समान वेतन मिलना चाहिए।

**सभापति महोदय** : आपका समय समाप्त हो चुका है।

**श्री नारायण चौबे** : महंगाई भत्ते की जो चार किश्तें देय हो चुकी हैं, उनका भुगतान किया जाना चाहिए और वेतन आयोग को शीघ्र अपने सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए।

कर्मचारियों का स्थायीकरण किया जाना चाहिए। दो लाख कर्मचारी जो अभी तक नैमित्तिक रूप से कार्य कर रहे हैं उन्हें स्थायी बनाया जाना चाहिए।

आप भूमिगत रेलवे आरम्भ करने जा रहे हैं। इसके लिए कार्य कर रहे श्रमिक अभी भी अस्थायी हैं। आपको देखना चाहिए कि उन्हें स्थायी बनाया जाए।

आपने रेलवे में नई नियुक्तियां करनी बन्द कर दी हैं। नई नियुक्तियां आवश्यक की जानी चाहिए। निश्चय ही, मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि रेलवे को रद्दी की टोकरी मान लिया जाए हर व्यक्ति को वहां नौकरी मिल जाए। लेकिन मानदण्ड के अनुसार रिक्तियों की पूर्ति करनी ही चाहिए।

मैं रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक अन्य बात यह कहना चाहता हूं कि खड़गपुर वर्कशाप में 2000 रेल कर्मचारी बेकार होने जा रहे हैं क्योंकि आपने खड़गपुर में बिजली से चलने वाले इंजनों की सावधिक मरम्मत आरम्भ करने का आपने वचन नहीं निभाया है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

मुझे बहुत खुशी है और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि 26-2-1984 को महा प्रबन्धकों की बैठक में आपने निर्णय किया है कि ड्राइवरों की ड्यूटी का समय कम करके दस घंटे किया जाना चाहिए। हालांकि यह निर्णय लेने में विलम्ब किया गया है तथापि इसका

स्वागत है। यदि यह बात ठीक है कि आपने यह निर्णय लिया है, तो जिन चालकों ने 1981 में इस मांग को उठाया था और जिन्हें उसके लिए नौकरी से निकाल दिया गया था उन्हें वापस लिया जाना चाहिए तथा आपने उनको 10 घन्टे की ड्यूटी का जो वचन दिया था उसे पूरा किया जाना चाहिए।

आप इंजनों का विद्युतीकरण कर रहे हैं और डीजल इंजन चला रहे हैं। भाप-इंजन शेड में विशेषकर खड़गपुर शेड में बड़ी संख्या में काम करने वाले आदिवासी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को, जो बेकार घूम रहे हैं, नौकरियां दी जानी चाहिए।

अब मैं खान-पान विक्रेताओं और बैरों पर आता हूं। प्रो० दण्डवते के समय में, केटरिंग बैरों के लिए कुछ रास्ते निकाले गए थे। अभी भी कुछ कार्य हो रहा है। खान-पान विक्रेताओं के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए।

आपके ए० आई० आर० एफ० तथा एन० एफ० आई० आर० दो मान्यता प्राप्त महासंघ है। अब यह नया नेशनल फोरम ऑफ रेलवे कांग्रेस मैन कहां से आ गया। वे इश्तहार दे रहे हैं, जिनमें उनका कहना है :—

"भारत की माननीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से ही नेशनल फोरम ऑफ रेलवे कांग्रेस मैन बन गया है ...।

क्या सरकार की स्थिति बदल गई है? मैं नहीं जानता। उन्हें इसे मान्यता देने दीजिए मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि वे इसे मान्यता देते हैं तो उन्हें एल० आर० एस० ए० तथा आई० आर० डब्ल्यू० एफ० तथा अन्य संगठनों को भी मान्यता देनी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय रेलवे रक्षा करनी होगी। भारतीय रेलवे को योजना आयोग से अधिक राशि मिलनी चाहिए। भारतीय रेलवे को अपनी कार्य-क्षमता बढ़ाकर तथा अधिक माल ले जाकर अधिक धन कमाना चाहिए। भारतीय रेल-कर्मचारियों के साथ कोयला, इस्पात तथा सीमेंट जैसे सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के समान व्यवहार करना चाहिए।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : सभापति महोदया, रेल मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यह ठीक ही कहा गया है कि यह बैलेंस्ड बजट है। मन्त्री जी ने सौ नई ट्रेन चलाने, 72 ट्रेन डीजलाइजेशन करने 232 गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने, और कोयले का प्रबन्ध किया है। इन उपलब्धियों पर हम गर्व कर सकते हैं।

इसके लिए मैं मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में दिल्ली से जोधपुर के लिए सुपर फास्ट ट्रेन शुरू की है। इसी प्रकार दिल्ली से अहमदाबाद के लिए भी

प्रबन्ध किया है। यह गाड़ी सप्ताह में तीन दिन चलती है। मैं चाहता हूं कि इसको रेग्युलर किया जाए जिससे जनता की बड़ी भारी सेवा होगी। मेरे क्षेत्र बाड़मेर में पिछले तीन वर्षों से सिर्फ दो ही ट्रेन चलती हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ डिफेंन्स फोर्सेस और बी० एस० एफ० के नौजवान हर तीसरे महीने में आते-जाते रहते हैं जिससे काफी भीड़ रहती है।

मैं चाहता हूँ कि आप इस रेल मार्ग को एक्जामीन कराएं जिससे नई सुपर फास्ट ट्रेन चालू की जा सके। मरूधर एक्सप्रेस जो चलाई है, वह भी हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जोधपुर से जयपुर तक इसका डीजलाइजेशन किया जाना चाहिए। इसका नाम तभी सार्थक होगा जब इसको बाड़मेर से जयपुर वाया जोधपुर चलाया जाएगा। इसको भी रेग्यूलर चलाया जाए जिससे इसकी इम्पार्टेंस और ज्यादा बढ़ सके। जिस प्रकार मरूधर एक्सप्रेस की महत्ता है उसी प्रकार चेतक एक्सप्रेस की भी इम्पार्टेंस है।

अगर इसका भी डीजलाइजेशन कर दिया जाए तो दिल्ली से उदयपुर पहुंचने में तीन-चार घन्टे की सेविंग हो सकती है। व्यास जी भी अभी कह रहे थे कि राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारा, रेगिस्तानी क्षेत्र तो और भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। वह हिन्दुस्तान का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ थार—डेजर्ट एरिया है, जिसका मैं प्रतिनिधि हूं। पठानकोट से बीकानेर और काण्डला के लिए तो योजना बना ली गई है।

अब प्रश्न यह है कि बीकानेर से काण्डला तक की रेल लाइन बनाई जाए जो कि सीमावर्ती क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। राजस्थान कैनाल जैसलमेर में पहुंच गई है और बाड़मेर में पहुंचने जा रही है। हमारे यहां जैसलमेर में सर्वेक्षण एवं शोध कार्य भी चल रहा है इसलिए यहां गैस और प्रैट्रोल मिलने की पूरी संभावना है।

जैलमेर, बीकानेर, गंगानगर में इस प्रकार की सम्भावनाएं हैं और उस दिशा में आयल इंडिया एवं ओ० एन० जी० सी० काम कर रहा है। ऐसी हालत में अगर काण्डला पोर्ट से सारे राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का और कश्मीर का सम्बन्ध हो जाता है तो काफी समृद्धि हो सकती है। इस दृष्टि से यह रेलवे लाइन बहुत महत्वपूर्ण होगी।

मैंने कंसल्टेटिब कमेटी में भी कहा था और आपने भी कहा था कि सातवीं योजना में इसके लिए व्यवस्था करेंगें। मैं चाहता हूं कि सातवीं योजना में इसका प्रावधान होना चाहिए क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण रेल लाइन है और काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी है। आप पहाड़ी क्षेत्र में नार्थ ईस्टर्न रीजन में रेल लाइन बना रहे हैं उसी तरह इस रेलवे लाइन को बनाने की भी बड़ी आवश्यकता है। 36 सालों में आपने राजस्थान में रेल विस्तार के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया है वह कुल इन्वेस्टमेंट का 0·6 परसेंट है। जो कि क्षेत्र और आबादी को देखते हुए बहुत कम है। इस बारे में आपको विचार करना चाहिए।

हमारे क्षेत्र की कुछ मांगें हैं। आज ही मुझे पत्र मिला है, और वह मांग बड़ी आसान है, जोधपुर से जो भीलडी ट्रेन जाती है और फिर वहां भुज से गाड़ी आती है जिससे हमारे यहां

के लोग अहमदाबाद पहुंचते हैं। हमारे यहां के व्यापारियों और उद्योगपतियों को अहमदाबाद और बम्बई से घनिष्ठ सम्बन्ध है, उनका कहना है कि जोधपुर से भीलडी लाइन को आगे बढ़ा कर अगर अहमदाबाद तक ऐक्सटेंड कर दिया जाय तो इससे व्यापारियों और उद्योगपतियों तथा मन्दिरों के दर्शन करने वाले यात्रियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। हमारे मारवाड़ में रोड एवम् मेवानगर के बहुत मशहूर मन्दिर हैं जहां हजारों, लाखों यात्री हर वर्ष दर्शनार्थ आते हैं। इसके साथ ही ट्रन में 5 कोचेज और बढ़ा दी जाएं जिनमें से एक 3 और एक 2 टीयर की कोच हो तो लोगों को काफी सुविधा मिल जाएगी।

बिलाड़ा से बर के सर्वेक्षण का कार्य है, वह मामला प्लानिंग कमीशन में पड़ा हुआ है, उसको भी जल्दी कार्यान्वित किया जाए।

डैमरेज पर आज ही उत्तर आया जिसके अनुसार 31 अगस्त 1983 का आपका 41 करोड़ रु० पब्लिक अन्डर टेकिंग्स पर बकाया पड़ा हुआ है। इसकी आपको रिकवरी करनी चाहिए जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। इसी प्रकार से रेलवे की बहुत सी जमीन को लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और उससे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यह फायदा आप स्वयं उठा सकते हैं और करोड़ों रु० आपकी आमदनी बढ़ा सकती है। जिस जमीन की आपको आवश्यकता न हो उसको बेचकर आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इस बारे में भी आपको विचार करना चाहिए।

पैसेंजर फेयर से जो आपको आमदनी हुई है वह पिछले साल से कम हुई है। इसी प्रकार गुड्स ट्रैफिक से भी जो रेवेन्यू मिला है और उससे जो आमदनी हुई है व ठीक नहीं हुई है।

आप इनकम बढ़ायें, रेवेन्यु, बढ़ायें और इस बारे में पूरी कोशिश करें। आज विद्आउट टिकिट चलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और देखते हैं कि आज रेलवे में चेन-पुलिंग का काम बहुत चलता है। इस पर सख्ती से कंट्रोल होना चाहिये। स्टेशनों पर नौजवान गुंडे चेन-पुलिंग करते हैं और गाड़ी रुकवाकर गड़ बड़ करते हैं। इस बारे में स्ट्रांग स्टैप उठाने चाहियें।

एक्सीडैंट्स के बारे में अभी जो आपने कदम उठाये हैं वह ठीक हैं, लेकिन ह्यूमन फेल्योर के कारण जो एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके लिये इस प्रकार के एक्सीडेंट्स की पूरी जांच की जानी चाहिये, इसके लियें सौफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमैंट या मशीन की आपको व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकार के एक्सीडैंट्स की पूरी जांच की जानी चाहिये, इसके लिये आपको एक सैल कायम करना चाहिये। ह्यूमन फेल्योर के कारण जो एक्सीडैंट्स होते हैं, उनसे भयंकर नुकसान होता है और इस कारण जो डैमेजस देने पड़ते हैं, उनके बारे में पूरे प्रबन्ध करने की आवश्यकता है।

दिल्ली से अहमदाबाद तक मीटर गेज को ब्राडगेज करने के बारे में राजस्थान के लोग आवाज उठा रहे हैं, गुजरात के लोग भी आवाज उठा रहे हैं, परन्तु अभी तक कोई व्यवस्था

नहीं की गई है। हम आपकी कठिनाइयों को भी जानते हैं। प्लानिंग कमीशन ने आपका 100 करोड़ रुपया बढ़ाया है, बजट प्रावीजन में भी 50 करोड़ रुपया बढ़ाया गया है, यह पर्याप्त नहीं है। हमें इसके लिये सोचना पड़ेगा। 5 वर्ष तक सदस्य लोक-सभा का मेम्बर रहता है, वह समझता आखिर कि इस अवधि में कुछ वह उपलब्धि कराये लेकिन आज 5 बरस में भी कोई उपलब्धि नहीं हुई। रेलवे लाइन बना नहीं सकते क्योंकि उसके लिये फंड नहीं है। आज तक जो व्यवस्था चल रही है, इसके बारे में हमको रि-थिंकिंग की आवश्यकता है। प्लानिंग कमीशन से भी यह कहने की आवश्यकता है कि इसके लिये फंड बढ़ाये। सभी मैम्बर्स की जब इस प्रकार की राय है, अपोजिशन और हमारी पार्टी की भी यही राय है तो फाइनेन्स डिपाटमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट को इस बारे में ठोस निर्णय लेने चाहिये और रेलवे की मदद करनी चाहिये। इस तरह से हमारे पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिये उनको प्राथमिकता देनी चाहिये।

हमारे क्षेत्र को अभी तक प्राथमिकता नहीं दी गई है। मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की आप उन्नति करें, विकास करें। आप पूरी ईमानदारी और लग्न के साथ काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि जब आप इस तरह काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी और हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र उन्नति करेंगे। इन बातों के साथ मैं रेलवे बजट का स्वागत करता हूं।

**श्री शान्तुभाई पटेल** (साबरकंठा) : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने सारे देश में चलने वाली रेल के बारे में जो बजट रखा है, इसका अनुमोदन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। रेलवे का काम सारे देश में चलता है, रेल का जितना विकास होता है, देश का भी ज्यादा विकास होता है रेल का जो पिछड़ा विस्तार है, वहां पर रेल डालने की जो डिमांड है, रेल मंत्री जी यहां सुनते हैं, जानते हैं, हम लोग जो अपने क्षेत्रों से आते हैं, वही बात करते हैं। अभी जैन साहब ने बताना कि पूरे 5 साल में पिछड़े विस्तार का कुछ काम होना चाहिये।

मैं पिछले चार साल से नडियाद-कपड़वंज लाइन के कनर्शन और कपड़वंज-मोड़ासा लाइन के कंस्ट्रक्शन के बारे में कहता आ रहा हूं। दिसम्बर, 1983 में इसके लिए कुछ प्राविजन किया गया और यह काम चालू हुआ, इस लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। उस क्षेत्र के लोग भी इसके लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देंगे। मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं कि यह काम जल्दी पूर्ण करने की व्यवस्था की जाए।

ये दोनों काम 1978 में शुरू हुए थे। चूंकि दो तीन साल उनके लिए प्राविजन कम रखा गया था, इस लिए वे काम बन्द हो गए। मैं रेलवे मंत्री, प्रधान मंत्री और पार्टी में यह रिक्वेस्ट करता रहा कि उस काम को चालू किया जाए। पिछले साल दिसम्बर में इसके लिए 1 करोड़ रुपये का प्राविजन किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम पिछड़े क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र के लाभ के लिए है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने इस बारे में प्लानिंग मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट की थी।

मैंने देखा है कि 1984-85 के बजट में इसके लिए केवल 40 लाख रुपए का प्राविजन रखा गया है। इस रकम से तो जमीन के एक्वोजीशन का काम भी नहीं हो सकेगा। इसके लिए 300 हैक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, जिसमें से 200 हैक्टेयर जमीन ले ली गई है। पिछले साल 54 लाख रुपए खर्च कर के जमीन ले ली गई है। अर्थ-वर्क के टैंडर निकाले गए हैं। मेरी प्रार्थना है कि कंट्रैक्टर को यह काम देकर इसे जल्दी पूरा कराया जाए। छोटे और बड़े पुलों और ब्रिजों का काम कुछ हुआ है और कुछ अधूरा है। यह काम जल्दी से जल्दी पूरा करके कपड़वंज-मोड़ासा लाइन के कंस्ट्रक्शन को पूर्ण किया जाए।

मेरे क्षेत्र में अहमदाबाद से खेडब्रमा मीटरगेज लाइन है। स्टीम इंजिनों के कारण गाड़ियां टाइम पर नहीं पहुंचती हैं और डीजल इंजिन पूरी संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि गाड़ियों को समय पर पहुंचाने के लिए डीजल इंजिनों की व्यवस्था की जाये, ताकि आम लोग, और विशेषकर सर्विस करने वाले पास-होल्डर्ज, टाइम पर पहुंच सकें।

चेन-पुलिंग को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इससे यात्रियों को बहुत तकलीफ होती है और सर्विस करने वाले पास-होल्डर्ज टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं।

अक्सर देखा जाता है कि जो माल ट्रकों के द्वारा ले जाया जाता है, वह समय पर पहुंच जाता है, जबकि रेलवे द्वारा भेजा गया माल समय पर नहीं पहुंचता है। इसके अलावा रेलवे में माल की चोरी भी होती है। इस लिए लोग ट्रकों से माल भेजना पसन्द करते हैं। इसलिए प्रशासन को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि रेलवे द्वारा भेजा गया माल समय पर पहुंचे और उसकी चोरी को भी रोका जाए। इससे रेलवे को होने वाला नुकसान और घाटा भी कम हो जाएगा। अगर रेलवे के आफिसर्ज और कर्मचारी-वर्ग पूरा ध्यान दें, तो रेलवे की व्यवस्था में सुधार हो सकता है और यात्री तथा माल समय पर और सुरक्षित पहुंच सकते हैं।

मेरे चुनाव-क्षेत्र में हिम्मतनगर एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर है। हम लोग वहां पर ओवरब्रिज बनाने के लिए पिछले तीन साल से कह रहे हैं। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इसके लिए जिस खर्च का एस्टीमैट लगाया गया है, वह पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे।

पिछड़े क्षेत्र के लोग पैसा नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप बजट में इसके लिए प्राविजन कर के इस काम को जल्दी से जल्दी, शुरू कराए और इसे जल्दी से जल्दी पूरा करिए। इसका कारण यह है कि वह नेशनल हाईवे है। उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है और बहुत समय बरबाद होता है। इसलिए इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की जरूरत है।

मोड़ासा कपड़वंज रेलवे लाइन का काम जो चल रहा है उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं। यह बजट जो आप ने पेश किया है जिसमें रेलवे के विस्तार का सारा काम है वह अच्छी तरह से चले इसके लिए वित्त मंत्रालय से कुछ ज्यादा पैसों का इंतजाम होना चाहिए और रेलवे की तरफ से कुछ बांड्स वगैरह निकाल कर उसके लिए पैसे की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें लाइनों का विस्तार हो सके।

**श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** (मेघपुर) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं मन्त्री जी को मुबारकवाद देना चाहता हूं। कारण यह है कि इन्होंने नौकरशाही पर लोकशाही को स्थापित करने का प्रयास किया है। स्वर्गीय हनुमन्थैया जी के बाद ये पहले मन्त्री हैं जिन्होंने इस तरह की व्यवस्था की है कि जिससे लोगों को यह विश्वास बंधा है कि इस मुल्क में वास्तव में लोक शाही हैं, नौकरशाही नहीं है। हनुमथैया जी ने उस समय के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट (नौकर-शाह) को डिस्चार्ज किया था और रेल प्रशासन में इस तरह की डिसिप्लिन आई थी कि कहीं कुछ कहने की जरूरत नही थी, स्वयं सारा काम होता था। उस समय न एमर्जेन्सी थी न कुछ था। लेकिन फिर भी गाड़ियां समय से चलती थी।

इन्होंने दो तीन काम ऐसे किए हैं पहले तो इन्होंने पहले के चेयरमैन* को हटाया...

**सभापति महोदया** : कृपया नाम लें क्योंकि जो अपने को यहां डिफेंड नहीं कर सकता उसका नाम लेना चाहिए।

**श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : आपके निर्देश के आलोक में मैं अपने को अमेंड कर लेता हूं। पहले के चेयरमैन को इन्होंने हटाया। वह इस तरह के बदमिजाज चेयरमैन थे कि वह कहते थे कि यह क्या होता है एमपीज वगैरह, इनकी चिट्ठियों का तो जवाब भी नहीं दिया जाना चाहिए। आपको जानकर यह भी हैरत होगी कि इनके ही इंस्टेंस पर दो मन्त्री बदले गए। लेकिन माननीय मन्त्री जी ने उनको हटाया।

यह कहा जाता था कि ये ट्रैफिक के बड़े एक्सपर्ट हैं और वास्तव में रेलवे में जो काम चल रहा है ट्रैफिक का वह उन्हीं के इंटेंस से चल रहा है सारी चीजों को व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। लेकिन उनके हटाने पर भी रेल-प्रशासन में कहीं कोई कमी नहीं आई। बल्कि इसके बाद दुर्घटनाएं कम हुई और आर्निग्स भी बढ़ी जैसाकि इनकी फिगर्स बताती हैं। इसलिए मन्त्री जी इसके लिए मुबारकवाद के पात्र हैं।

दूसरे, जो मन्त्री जी ने अभी रेलवे सर्विस कमीशन इलाहाबाद के चेयरमैन का हटाया जिसके कारण (क्वेश्चन्स) सवाल लीक हुए थे, चार लाख लड़कों का जीवन जिसमें इनवाल्व्ड था, जिसमें से दस हजार से ज्यादा कम से कम नौकरी अवश्य पाते, उसको लीक कर के उस

* कार्यवाही—वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया।

परीक्षा को पोस्टपोन कराया, उसको भी इन्होंने मुअत्तल किया है। इसके लिए भी यह धन्यवाद के पात्र हैं।

तीसरी बात मैं कहता हूं, अभी जो ऐक्सीडेंट हुआ लखनऊ में जिसके लिए इन्होंने डी० आर० एम० को सस्पेंड किया, इसके लिए भी यह धन्यवाद के पात्र हैं।

मोटे तौर पर यह बात मैं कहना चाहता हूं कि जो मोटी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं पर जवाबदेही ज्यादा होनी चाहिए। रेलवे में जी० आर० के कुछ रूल्स हैं, जिसमें कर्मचारी को क्या कुछ करना चाहिए यह सन्निहित है लेकिन पदाधिकारी को क्या करना चाहिए यह सन्निहित नहीं है, कोई ऐक्सीडेंट यदि हुआ तो कर्मचारी तो सस्पेंड किया जाता हैं, उसको डिस्चार्ज किया जाता है, उसके इन्क्रीमेंट रोके जाते हैं लेकिन पदाधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं होती।

...(व्यवधान)...

**एक माननीय सदस्य :** इसके साथ-साथ यह भी हो रहा है।

**श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** मैं तो स्वयं कह रहा हूं, आप बोझा मत लीजिए रेलवे मिनिस्ट्री का। आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना चाहिए। इसलिए जी० आर० अमेंड करना चाहिए और उसमें यह इन्क्लूड करना चाहिए कि पदाधिकारी का वास्तव में क्या दायित्व होगा, केवल उनके अधिकार की बात ही नही होनी चाहिए।

आज रेलवे में टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है। अफसरों की हर लेवेल पर बढ़ोत्तरी हो रही है। आप देखेंगे कि एक जी० एम० की जगह तीन-चार जी०एम० हैं और एक डी० आर० एम० की जगह तीन-चार ऐडीशनल डी० आर० एम० हैं।

लेकिन उस प्रपोर्शन में रेलवे कर्मचारियों की बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है। यदि पूछा जाता है तो कहते हैं कि एफिशिएन्सी के लिए अफसरों को बढ़ा रहे हैं।

(व्यवधान)

**प्रो० सत्यदेव सिंह** (छपरा) : माननीय सदस्य आपत्तिजनक बात कह रहे हैं। यह

आसन ग्रहण करें। हाउस को चलाने का काम आपका नहीं है। मैं स्वयं देख रही हूं कि किसको क्या बोलना चाहिए। **(व्यवधान)** माननीय सदस्य अपनी बात कह सकते हैं और जब आपका मौका आयेगा आप भी अपनी बात कह सकेंगे। आप बीच में न बोलिए।

**श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** मेरी समझ में नहीं आया कि इनको क्यों बुरा लगा **(व्यवधान)** इस पर आपत्ति क्यों है ? मैंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है।

**(व्यवधान)**

**सभापति महोदया** : आपको बीच में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। आप उनको बोलने दीजिए- उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है।

**श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : मैं यह कह रहा था कि रेल प्रशासन में टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, अफसरों की बढ़ोत्तरी हो रही है और कर्मचारियों की छटनी की जा रही है। वास्तव में जो लोग रेल प्रशासन चलाते हैं उन लोगों की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। इसमें मैंने क्या आब्जेक्शनेबल बात कह दी—यह मेरी समझ में नहीं आया।

इस सदन में बार बार यह बात उठाई गई है कि रेलवे बोर्ड एक व्हाइट एलिफैंट है, स्लगिशएस है। सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने मांग की है कि रेलवे बोर्ड को एवालिश किया जाना चाहिए लेकिन आज तक उसको एवालिश नहीं किया गया है लेकिन अब समय आ गया है जब इसको एवालिश किया जाना चाहिए।

रेलवे बोर्ड आज सुपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम करता है। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। भूतपूर्व रेल मन्त्री स्वर्गीय केदार पांडे जी ने एक लखनऊ के कर्मचारी को, जिसको सस्पेन्ड कर दिया गया था, कंबिन्त होने पर री-इन्स्टेट कर दिया लेकिन रेलवे बोर्ड ने अन्त तक इसको नहीं माना जिसके कारण उसे ला कोर्ट्र की शरण लेनी पड़ी। इसलिए मैं समझता हूं आज बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग आज आइबरी टावर में बैठ कर, एयरकंडीशंड कमरे में बैठकर फैसले करते हैं उनको लाइन पर भी जाना चाहिए।

आज रेलवे बोर्ड के आफिसर्स का भी जोन्स ट्रांसफर होना चाहिए। जब दूसरे विभाग में ट्रांसफर होते हैं तो यहां पर क्यों नहीं हो सकते ? आज जो रेलवे बोर्ड का मेम्बर हो गया वह रेलवे बोर्ड का मेम्बर ही रिटायर होगा। ऐसी हालत में वे सझझतें हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है और इसीलिए वे मनमानी भी करते हैं।

**(व्यवधान)**

आज सवाल इस बात का है कि जन-प्रतिनिधि बड़े हैं या नौकरशाह बड़े हैं। यदि इस देश में जनतन्त्र को रहना है तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का वर्चस्व नौकरशाही पर होना चाहिए। सुना है कि वर्तमान मन्त्री जी थोड़ी सी कड़ाई की तो नौकरशाह पास कैजूअल लीव लेना है चाहते हैं लेकिन मैं मन्त्री जी को रेल कर्मचारियों की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि रेल पदाधिकारी छुट्टी पर ही नहीं, नौकरी से भी बाहर चले जायें, तो रेल प्रशासन पहले से बेहतर ढंग से चलेगा। गाड़ियां समय पर चलेंगी और कोई दुर्घटना नहीं घटेगी।

रेल मन्त्री जी ने सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंचुयलिटी आ नारा गत साल दिया था। आज देखने की बात यह है कि उन्होंने कितनी दूर तक इसमें कामयाबी हासिल की है। इस नारे के बाद भी जो दुर्घटनायें हुई हैं, उसके लिए अधिकारीगण ज्यादा जवाबदेह है, बजाय

बजाय कर्मचारियों के। क्योंकि उनकी चिन्ता यही रहती है, कि समय से गाड़ी चल पड़े, चाहे वह चलना खतरनाक ही क्यों न हो सेफ-जरनी के लिए जरूरी है कि इंजिन अच्छी हालत में हो ब्रेक वैन में खास लैवल तक वैक्युयम रहे। पर उस की बिना परवाह किए ही तथा कभी कभी ब्रेकवैन के भी कर्मचारी पर दबाव डाला जाता है गाड़ी चलाने को जिसके चलते एक्सीडेंट होता है।

इसलिए मैं मांग करूंगा कि दुर्घटना में दोष वास्तव में कर्मचारियों का नहीं है; जबकि सही मायनों में दोषी दबाव डालने वाला पदाधिकारी है, जिसके विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

अब मैं सेफ्टी आर्गेनिजेशन के बारे में कहना चाहता हूं। उसका काम दुर्घटना हो जाने पर शुरू होता है। यद्यपि उसका काम दुर्घटना होने से पहले होना चाहिए ताकि दुर्घटना हो ही नहीं। इसलिए मैं मांग करना चाहूंगा कि सेफ्टी आर्गेनिजेशन को एक्सीडेंट के लिए जवाब देह मानना चाहिए। इस संदर्भ में आल इंडिया गार्डस काउन्सिल द्वारा स्व० केदार पांडे जी के वक्त में एक सैमीनार हुआ था। जिसमें काफी अच्छे सुझाव आए थे कि दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है।

सबसे मुख्य सुझाव यह है कि गार्ड और ड्राइवर के बीच में काम्युनिकेशन हो, पर वह अभी तक सभी गाड़ियों में नहीं हो पाया है। इसलिए मैं मांग करना चाहूंगा कि जो वास्तव में अच्छे सुझाव थे उन सुझावों को तुरन्त लागू किया जाए।

टसीमइंजन से डीजल तथा बिजली इंजन की तरफ बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब तक वह पूरा नहीं हो जाता है स्टीम इंजन का प्रापर मेंटिनेंस भी होना चाहिए जो हो नहीं पा रहा है।

एमजी के डिब्बों का क्या हाल है, चूंकि इसका भी मेंटिनेंस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से खराब डिब्बों को चलाया जा रहा है। इसका शीघ्र मेंटिनेंस होना चाहिए।

आरपी एफ को और पावर देने की बात भी की जाती है। पर उसे न रेलवे कर्मचारी और न सिक्योरिटी फोर्स की उचित सुविधायें दी जा रही है। अतः इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

पिछले 28 फरवरी को मैं सुबह तमिलनाडु एक्सप्रेस से झांसी जा रहा था। मैंने नई दिल्ली स्टेशन पर एक क्रिमिनल गंग को आपरेट करते देखा। हम जिस एसी-2 टायर में सफर कर रहे थे। उसमें मेरे केबिन के बंगल वाले केबिन में दो आदमी घुसे और एक विदेशी का सामान लेकर गायब हो। स्टेशन पर उतरने पर पता लगा कि 3 टायर के सामने एक विदेशी महिला रो रही थी चूंकि उसका भी सामान उड़ा लिया गया। मैं चाहूंगा कि इसकी पूरी

इन्क्वायरी होनी चाहिए और ए सी-2 टायर में बिना टिकट वालों को अन्दर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।

आज रेलवे कर्मचारी कैटेगरींज में बंटा हुआ है। ये ए. आइ. आर. एफ. और एन. एफ. आई. आर. मजदूर की समस्याओं को न समझ सकते है और न ही उसका निराकरण कर सकते हैं। इसीलिए कैटेगोरिकल एसोसिएशन बढ़ रही है। अतः एक उद्योग में एक मजदूर संगठन की बात सरकार ने भी की है। मैं मांग करना चाहता कि एक उद्योग में एक मजदूर संगठन का चुनाव सिकेट बलैट द्वारा कराया जाना चाहिए और उसके जो प्रतिनिधि होंगे वे पूरे रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे। लेकिन कल ही श्रम मंत्री जी ने इस बात को मूल रूप से माना है, लेकिन जो रिकाग्नाइज फैडरेशन नहीं हैं, उसका विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि उनके साथ जनता नहीं हैं। मैं मांग करना चाहूंगा कि उसमें तनिक भी देर न करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सिक्रेट बैलेट द्वारा चुनाव कराना चाहिए।

रेल बजट में करीब सौ नई गाड़ियां चलाने की बात कहीं गई है। जिसमें पटना से दिल्ली तक मगध एक्सप्रेस चलाने की बात की गई है। पर यह गाड़ी चलाने पर सोनभद्र और विमक्र शिला को बन्द कर दिया गया, जिसकी चर्चा नहीं है। अब मगध एक्सप्रेस रोजाना पटना जाती है, पर आधी गाड़ी पटना रह जाती है और आधी भागलपुर जाती है। भागलपुर से आने पर ही पटना से वह दिल्ली के लिए चलती है, जो प्रायः पटना में लेंट पहुंती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि उन्होंने कैपिटल को कैपिटल से जोड़ने की बात की है, इसलिए वे इस बात की ओर ध्यान दें कि यह गाड़ी समय से चलें।

इस बजट में पिछड़ें इलाकों की उपेक्षा की गई है।

**7.00**

पिछड़ें इलाकों के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। मैं इसी सन्दर्भ में बिहार जो देश का पिछड़ा हुआ प्रदेश है, और विशेष रूप से उस क्षेत्र का जिस से मैं चुन कर यहां आया हूं, उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे यहां की दो लाइनें हैं, जिन के बारे में मैं 1971 से कहता आ रहा हूं। दौरान-मधेपुरा लाइन को को सिंघेश्वर से जोड़ा जाय, यह केवल 9 किलोमीटर का क्षेत्र है। दूसरें विहारीगंज को बख्तियारपुर से जोडा जाय, इस समय बख्यिारपुर पहुंचने के लिए 60 किलोमीटर का टर्न लेकर जाना पड़ता है।

रेलों को देश की अर्थ-व्यवस्था की लाइफ-लाइन कहा गया है लेकिन उसके लिए पैसे की हमेशा कमी रहती है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन हमेशा इसकी उपेक्षा करता है। इसलिए इस विभाग को ज्यादा से ज्यादा आवंटन दिए जाने के लिए जोरदार रूप से मांग करता हूं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब एनर्जी और दूसरे विभागों के लिए बाहरी साधनों से पैसा लेकर काम को बढ़ाया जा सकता है, तो रेलवे के लिए ऐसा प्रबन्ध क्यों नहीं किया जाता।

रेलवे के लिए एल० आई० सी से पैसा लिया जा सकता है, शेयर फलोट किये जा सकते हैं या किसी अन्य देश से पैसा लेकर इस काम को बढ़ाया जा सकता है। इसी संदर्भ में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हू—आज से 50 वर्ष पहले रेल-वित्त को आय-वित्त से अलग किया गया था, यह उसका गोल्डन-जुबली वर्ष है, लेकिन फिर भी इस विभाग में नये प्रगति के कामों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि पैसे का अभाव है।

इसलिए मैंने जो सुझाव दिया है आप उस पर गम्भीरता से विचार करें ताकि रेलवे के लिए अलग से वित्त का प्रबन्ध किया जा सके और इसके विकास के कार्यों को बढ़ाया जा सके। इसी संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं—सरकार द्वारा रेलवे को विशेष मदद दी जानी चाहिए ताकि 3500 सवारी डिब्बों, 21 हजार माल डिब्बों

**17-02**

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

और 18 हजार किलोमीटर खराब रेलवे लाइन को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा सके।

इस काम के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष लोन फलोट किया जाना चाहिए और इस तरह से जो रुपया प्राप्त हो वह केवल रेलवे के विकास पर ही खर्च किया जाना चाहिए।

आगे आने वाले 10 वर्षों तक 260 करोड़ रुपया प्रति-प्लाण्ड ग्रान्ट रेलवे को मिलनी चाहिए, जिसके लिये रेलवे-रिफार्म्ज-कोटी ने सिफारिश की है। 1984-85 तक रेलवे 818 रु० के ऋण में जाएगी, जिसे राइट-आफ किया जाना चाहिए।

गेज-कन्वर्शन की बात कही गई है—कटिहार-बरौनी के कन्वर्शन का काम शुरू हो गया था, पता नहीं क्यों रुक गया ? मैं आग्रह करना चहूंगा कि कटिहार-बरौनी कन्वर्शन को फौरन टेक-अप करें। समस्तीपुर-दरभंगा कन्वर्शन के लिए एजीटेशन चल रहा है, वहां पर लोग जेल जा रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दें।

पूरे रेल बजट में थेफ्ट और पिलफरेंज की कोई बात नहीं कही गई है। वास्तव में करोड़ों रुपया का थेफ्ट और पिलफरेज होता है। मैंने पिछली दफा भी रेल बजट पर बोलते हुए कहा था कि इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इस नुकसान को बचाया जा सके, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

लेविल-कासिंग लोगों की सुविधा के लिए बनाई जाती है। हमने पूर्वोत्तर रेलवे-क्रासिंग मन्जूर कराई थी, पता नहीं वह क्यों पूरी नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि आप इसे शीघ्र पूरा करायें। जहां पर यह सुविधा है उसको बन्द करने में मुझे कोई तुक नहीं आती है। दिल्ली के जंगपुरे में जो रेलवे-क्रासिंग था पता नहीं उसको क्यों बन्द कर दिया। इसके खिलाफ

एजीटेशन चल रहा है। आपने 26 जनवरी तक उसे खोलने का आश्वासन भी दिया था परन्तु नहीं खोला। हमारा दल और बी० जे० पी० के लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं. दर्जनों लोग जेल में हैं। बल्कि वहां एक लड़का प्रवीण सूरी मर गया। मैं आग्रह करूंगा कि रेलवे एक्सीडेन्ट में जो मुआवजा आम लोगों को देते हैं, इसको भी रेलवे एक्सीडेंट मान कर प्रवीण सूरी के परिवार को मुआवजा दिया जाए।

प्लेट फार्म टिकट आपने एक रुपए का कर दिया है। कम से कम यात्रा करने के लिए भी एक रुपये का टिकट होगा, ऐसी स्थिति में लोग प्लेट फार्म टिकट नहीं लेंगे। मेरा अनुरोध है कि इसको 50 पैसे ही रहने दिया जाए।

कोरापुट-रायगढ़ रेलवे लाइन को पार्वतीपुर होकर जाना चाहिए जिससे 100 किलो मीटर की बचत होगी। इसको पालिटकल ग्राउन्डस पर लिया जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए और लोगों की सुविधा को दृष्टि में रख कर इस काम को किया जाना चाहिए।

आपने पंकचुएलिटी की बात कही है। पता नहीं आप इतनी पंकचुएलिटी कहां से लाते हैं ? आप 90, 95 परसेंट तक पंकचुएलिटी बताते हैं। यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि आप इंडियन रेलवे में इतनी पंकचुएलिटी की बात करते हैं। मैं बिहार से आता हूं। हमारे यहां एन० ई० रेलवे में जितनी गाड़ियां हैं सब चार-चार घंटे लेट चलती हैं। पता नहीं फिर कहां से आप पंकचुएलिटी की बात करते हैं।

जहां तक रेलवेज में सफाई का सम्बन्ध है इसकी हालत खराब है। चाहे गाड़ियों में सफाई की बात हो, चाहे स्टेशनों पर सफाई की बात हो, इसकी ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए।

जहां तक केटरिंग का सवाल है, आपने केटरिंग कारपोरेशन बनाने की बात कही है। इसका हम स्वागत करेंगे और हम अवश्य चाहेंगे कि यात्रियों को अच्छा खाना मिले।

***श्री नन्दी येल्लैया** (सिद्दीपेट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का समर्थन करता हूं। सदन में बहुत से सदस्यों ने इस बारे में अपनी राय प्रकट की है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इस चर्चा में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र, अपने जिले और राज्य को देश का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ

* तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

क्षेत्र बताया है। प्रत्येक सदस्य ने माननीय मन्त्री से अनुरोध किया है कि वह उनके क्षेत्र में सर्वेक्षण कराने तथा वहां रेल लाइन बिछाने के आदेश जारी करें। उनका निवेदन क्षेत्र के पिछड़ेपन के बारे में था।

मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि क्या देश में क्षेत्र ऐसा है जो पिछड़ा हुआ नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि रेलवे बोर्ड तथा मंत्रालय के पास एक नक्शा होना चाहिए, जिसमें देश के वास्तव में पिछडेपन तथा उन्नत क्षेत्रों की स्थिति दर्शायी गई हो।

मैं माननीय रेल मन्त्री के इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि एक खान-पान निगम स्थापित किया जाए। यह स्वागत योग्य प्रस्ताव है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। देश की उन्नति जनता के स्वाथ्य पर निर्भर करती है, लम्बी दूरी की यात्रा, चाहे वह 24 घंटे की हो या 15 घंटे की, करने वाले यात्रियों के पास उन्हें दिया गया भोजन खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। इन यात्रियों को दिया जाने वाला भोजन घटिया किस्म का होता है। अतः जो लोग यात्रा के दौरान गाडियों में खाना खाते हैं, वे यात्रा समाप्त होते ही बीमारे पड़ जाते हैं। इस भोजन से उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। अतः खान-पान निगम स्थापित करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। मंत्री महोदय को यह निगम स्थापित करने की एक योजना तैयार करनी चाहिए। मुझे आशा है कि इस निगम के स्थापित होने से यात्रियों को भोजन की आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

श्री गनी खान चौधरी बहुत अनुभवी प्रशासक है। मन्त्रालय का कार्य भार संभालने के बाद उन्होंने अपने मन्त्रालय की स्थिति ठीक करने का प्रयत्न किया और उसमें काफी हद तक सफल भी रहे। यहां तक कि विपक्षी दल के सदस्य श्री डी० पी० यादव भी उनकी इसलिए सराहना कर रहे हैं।

श्री हनुमन्नथय्या के जाने के बाद, हमें इनमें कार्यक्षम रेल मन्त्री नहीं मिले थे। मुझे आशा है कि अपने शासन काल के दौरान रेल मन्त्री इस मंत्रालय को नया आकार नया ढांचा प्रदान करेंगे वह काम करने वाले व्यक्ति हैं। यह तथ्य इसका साक्ष्य है कि दुर्घटनाओं की संख्या 1982-83 में 645 से कम होकर 1983-84 में 529 थी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने में सफल होने पर पूरे सदन ने उसकी प्रशंसा की थी। तोड-फोड करने वाले तथा ये दुर्घटनाएं कराने वाले समाज विरोधी तत्वों के साथ कठोरता से पेश आना चाहिए। ऐसे तत्वों का पता लगाने, उन्हें पकड़ने तथा सजा मिलाने में सब दलों को एक जुट

होकर कार्य करना चाहिए। रेलवे हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। प्रत्येक सदस्य तथा प्रत्येक दल की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह रेलवे सम्पत्ति की रक्षा करें। मुझे आशा है कि विपक्ष के सदस्य इस सम्बन्ध में सरकार को सहयोग देंगे। माननीय रेल मन्त्री ने बजट में कई नई रेल लाइनें बिछाने का सुझाव दिया है। महोदय, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र न केवल राज्य का पूरे देश का सबसे पिछडा हुआ क्षेत्र है इस प्रदेश के मेडक, करीम नगर, सिद्दीपेट, और संगरेली क्षेत्र अभी तक पिछडे हुए क्षेत्र हैं।

इन स्थानों को जोड़ने वाली कोई रेलवे लाइन नहीं है। हम 17 क्रमशः सभी रेल मंत्रियों श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री केदार पांडे, श्री जाफर शरीफ के समक्ष यह मामला प्रस्तुत करते हैं। लेकिन हमारे अनुरोध पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। कई दशकों से इन क्षेत्रों के लोग यह मांग करते आ रहे हैं।

इस क्षेत्र के विकास के लिए यहां रेल लाइन बिछाना बहुत आवश्यक है। बहुत अनुरोध करने के बाद श्री कमलापति त्रिपाठी पेड्डापल्ली-पाटनचेरू लाइन का जोकि 280 किलोमीटर लम्बी है, प्रारंभिक सर्वेक्षण कराने के लिए राजी हुए थे। इस पर 96 करोड रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस क्षेत्र के पिछडेपन को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही इस लाइन का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। हमारी। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी मेडक क्षेत्र की ही प्रतिनिधि हैं, जो इस क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इस क्षेत्र के लोग इस नई रेल लाइन के लिए हमारी प्रधान मन्त्री की ओर बडी उत्सुकता से देख रहे हैं। महोदय, यह सर्वविदित तथ्य है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को पिछडे वर्गों के लोगों तथा पिछडे प्रदेश के विकास में बहुत रुचि है। उनके नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम आरंभ किए हैं।

अतः इस क्षेत्र के लोग यह आशा रखते हैं कि हमारी प्रधानमन्त्री यह नई रेल लाइन बनवा कर उनके साथ न्याय करेंगी यह लाइन उनके लिए वरदान सिद्ध होगी। एक बार यह लाइन बन जाने पर पूरे क्षेत्र का स्वतः विकास करने लगेगा इसकी लागत ज्यादा नहीं बैठती। हाल ही में रेल राज्य मन्त्री श्री जाफर शरीफ ने करीम नगर में एक नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि मंत्रालय ने पेडडापल्ली पारनचेरू लाइन के निर्माण का प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया है। सभी स्थानीय दैनिक पत्रों जैसे 'दि डेकक्रॉनिकिल ईनाडू तथा यह खबर मोटी सुर्खियों में प्रकाशित की है उन्होंने यह कहा बताते है कि इस नयी रेल लाइन का निर्माण 7 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश इस वर्ष के बजट में इसकी सुरक्षा की गई है।

साथ ही मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह तेल्लापल्ली-पाटनचेरू लाइन को मेडक जिले के मुख्यालय, संगरेड्डी, तक बढ़ा दें। इसमें खर्च ज्यादा नहीं होगा। महोदय इस समय रेल कर्मचारियों को फैमिलीपास केवल पत्नी और बच्चों के लिए दिए जा रहे हैं

उनके माता-पिता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। केवल पिता की मृत्यु के बाद ही कर्मचारी को अपनी माता तथा अन्य उन व्यक्तियों को जो उस पर निर्भर है, साथ ले जाने की अनुमति होती है। यह बहुत अन्यायपूर्ण और अनुचित है। हर माता-पिता की इच्छा होती है कि वह अपने बेटे के साथ यात्रा करें और पवित्र स्थानों तथा पर्यटन-स्थलों पर जाए आपको पिता मृत्यु की शर्त नहीं रखनी चाहिए। मुझे आशा है कि यह अवांछित शर्त हटाई जाएगी तथा रेलवे कर्मचारी के माता-पिता को उसके साथ यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी महोदय, रेलों में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। कल ही हमारे एक माननीय सदस्य श्री एस० आर० ए० एस० अप्पालानायडू के, जो विजाग से यात्रा कर रहे थे, 4000 रु० कीमत के कपड़े और अन्य वस्तुएं खो गई। विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की गई।

अतः इस बुराई को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों में से नहीं हूं जो समय समाप्ति की घन्टी बजाए जाने के बाद भी बोलना जारी रखते हैं।

मैं समय का बहुत पाबंद रहा हू। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं काजीपेट और सिकन्दराबाद के बीच विद्युतीकरण कार्यक्रम शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। कृपया मुझे कुछ शब्द हिन्दी में भी कहने की अनुमति दीजिए।

मैंने इस हाउस में कई बार सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स पर निवेदन किया है और अब फिर माननीय मंत्री श्री गनी खां चौधरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तेलापुर से पटनचरू तक जो आठ किलोमीटर का काम चल रहा था, वह रुक गया है। लोग यह डाउट कर रहे हैं कि हमारा जो मेडक का बैकवर्ड एरिया है, यहां पर रेलवे लाइन का काम समाप्त होने वाला है। हमारे आन्ध्र प्रदेश में तेलगु देशम के मुख्य मन्त्री श्री एन० टी० रामा राव हमेशा अपने भाषण में कहते हैं कि सेन्टर से हर काम के लिए पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन, जो भी रूरल एरिया में काम हो रहा है, वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट के फण्ड से ही हो रहा है। इसलिए, मैं चाहता हू कि हमारे मेडक क्षेत्र की ओर खास ध्यान दिया जाए। इतना कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं।

***श्री पी० शनमुगम** : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल मन्त्री पद सम्भालने के बाद, श्री गनी खान चौधरी ने रेलवे के विकास के लिए कई बहुत रचनात्मक और साहसिक कदम उठाए हैं जिनकी इस सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए। संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का सदस्य होने के नाते,मैं पांडिचेरी के लोगों की समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मन्त्री उन पर ध्यान देंगे तथा पांडिचेरी के लोगों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठायेंगे।

महोदय, पांडिचेरी को गर्व है कि उसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के

* तमिल में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कई देश भक्तों को आश्रय दिया। श्री सुब्रामनिया शिव, महाकवि सुब्रह्मण्यम भारती और महान अरविन्द घोष और अन्य कई लोग पांडिचेरी में रहे तथा उन्होंने स्वतंत्रता संदेश का प्रचार किया। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पांडिचेरी को फ्रांस द्वारा प्रदान की गई संस्कृति को बनाए रखने की आवश्यकता को समझते हुए उसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया। आज भी पांडिचेरी में फ्रांस की संस्कृति की महक बनी हुई है। पांडिचेरी में देश का उत्कृष्ट मैडिकल कालेज, 'जिपमेर' है। एम० बी० बी० एस० और चिकित्सा में और उच्च उपाधियां प्राप्त करने के लिए देश के विभिन्न भागों के छात्र यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। देश के कई भागों के लोग इस कालेज के अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। देश के कोने-कोने से लाखों लोग अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए अरविन्द आश्रम घूमने आते हैं। पांडिचेरी अरविन्द के राजनैतिक दर्शन के ज्ञान का केन्द्र है। इन सबके होते हुए, पांडिचेरी अभी तक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। पांडिचेरी के लोग गरीबी की रेखा के नीचे का जीवन जी रहे हैं। इस तथ्य, को सरकार ने पांडिचेरी के औद्योगिक विकास की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया, का पता इससे चलता है कि पांडिचेरी में बड़ी लाइन नहीं है। केवल पांडिचेरी क्षेत्र ही पिछड़ा हुआ नहीं है बल्कि बड़ी रेल लाइन के अभाव में तमिलनाडु का निकटवर्ती जिला दक्षिण अरकोट भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। पांडिचेरी का खूबसूरत बंदरगाह भी अविकसित स्थिति में है क्योंकि उसका भीतरी प्रवेश बड़ी लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है।

मैं मांग करता हूं कि बंगलौर से पांडिचेरी बरास्ता होसूर, कृष्णागिरी, तिरुवनमलाई, तक बड़ी लाइन बिछाई जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देंगे। बन्दरगाह पर बढ़ती हुई भीड़ भाड़ कम करने के लिए निकटवर्ती कांडला बंदरगाह का विकास किया गया है। इसी तरह, मद्रास बंदरगाह को भीड़ से राहत दिलाने के लिए, निकटवर्ती पांडिचेरी बंदरगाह का विकास करना होगा। पांडिचेरी बंदरगाह का विकास करने के लिए, उसके भीतरी प्रदेश में बड़ी लाइन बिछानी होगी। केन्द्र सरकार की पांडिचेरी की जनता के कल्याण में रुचि है। मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री पांडिचेरी से बड़ी लाईन द्वारा रेल सम्पर्क स्थापित करेंगे।

महोदय, मद्रास के लिए पांडिचेरी एक्सप्रेस सुबह 6 बजे चलती थी और 4 घंटे बाद मद्रास पहुंचती जाती थी इसी तरह मद्रास से यह गाड़ी 4 बजे शाम को चलती थी और शाम 8 बजे मद्रास पहुचती थी। पांडिचेरी के लोगों के लिए यह बड़ी सुविधाजनक थी। मैं नहीं जानता कि दक्षिण रेलवे ने किन कारणों से इस गाड़ी को अब बन्द कर दिया है। मेरी मांग है कि पांडिचेरी के लोगों के हित के लिए इस गाड़ी को पुनः चलाया जाना चाहिए। इस गाड़ी के अभाव में पांडिचेरी के लोग विलुपुरम जंक्शन जाते हैं और वहां तमिलनाडु के अन्य भागों तथा देश के विभिन्न भागों में जाने वाली गाड़ियां पकड़ते हैं। वास्तव में पांडिचेरी के लोगों की सुविधा के लिए पांडिचेरी से विलपुरम तक दो गाड़ियां सुबह और विलुपुरम से पांडिचेरी के

लिए दो गाड़ियां शाम को चलाई जानी चाहिए। कराईकल, जो कि इसी संघ राज्य क्षेत्र का भाग है, पांडिचेरी से 135 किलोमीटर दूर है। आम आदमी, व्यापारी और अधिकारी पांडिचेरी से रात को चलकर सुबह कराईकल पहुंचते हैं और इसी तरह कराईकल से रात को चलकर सुबह पांडिचेरी पहुंचते हैं। इसमें प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीयों का एक डिब्बा लगाया जाता था। इस सवारी डिब्बे से लोग पांडिचेरी से विलपुरम, विलपुरम से मायावरम और मायावरम से कराईकल जाया करते थे। पांडिचेरी वापिस लौटने के लिए वे यही रास्ता अपनाते थे। प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी का यह एक डिब्बा फ्रांसिसी शासन काल में चलाया गया था। किसी कारण बाद में इसे बन्द कर दिया गया। मेरी मांग है कि पांडिचेरी तथा कराईकल के लोगों के हित के लिए यह सुविधा उन्हें पुनः दी जानी चाहिए। इसी तरह पेरालाम से कराईकल की रेल लाइन सौ वर्ष से पहले की है और यह पुरानी पड़ गई है। इस पटरी पर भारी सामान नहीं ले जाया जा सकता। इस पटरी को तुरन्त हटाया जाना चाहिए तथा इस रास्ते से वस्तुओं की ढुलाई के लिए नई लाइन बिछाई जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ में रेल मंत्री द्वारा पेश किए गए 1984-85 के बजट का स्वागत करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री एस० टी० के० जक्कायन (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, अपनी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम की ओर से, मैं 1984-85 के रेल-बजट पर कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस रेल-बजट में 114·22 करोड़ की राशि यात्रि-किराए और माल भाड़े में वृद्धि करके एकत्र करने का प्रावधान किया गया है। इसमें से 104·22 करोड़ की राशि यात्रि-किराए में वृद्धि द्वारा एकत्रित की जा रही है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि जिस अनुपात में यात्री-किराए में वृद्धि की जा रही है उस अनुपात में यात्रियों के लिए सुख-सुविधाओं में वृद्धि नहीं की जा रही है लगभग 2000 रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की भी सुविधा नहीं है। यात्रियों को शुद्ध और पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है। यहां तक कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों को भी डिब्बों की छत पर बनी टंकियों में जमा पानी दिया जा रहा है। रेलगाड़ियों में इस प्रकार की कुत्सित सेवा का मुझे व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने खानपान व्यवस्था में कर्मचारियों को वाश-बेसिन से जल लेकर यात्रियों को पिलाते हुए देखा है। 1955 में दिल्ली से मद्रास तक का रेल किराया 34 रु० था और आज 136 रु० है। यात्रि-किराया 40 बार बढ़ाया गया है। दुर्भाग्य की बात है कि यात्रियों के लिए सुख-सुविधाओं को 40 % नहीं बढ़ाया गया है। मेरा विचार है कि मंत्री महोदय भी इस बात को स्वीकार करेंगे। 96 % यात्री दूसरी श्रेणी में यात्रा करते हैं। यात्रियों के लिए जन सुविधाओं में सुधार करने के लिए माननीय मंत्री को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए।

रेल मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि 46 चालू परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी। किन्तु 1984-85 के बजट में इन सभी कार्यों के लिए उन्होंने केवल

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

90 करोड़ रुपए ही रखे हैं। जब हम अधिक राशि के आंवटन के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं। "मैं अधिक धन मांगने कहां जाऊंगा ?" चालू परियोजनाओं के लिए अधिक राशि आवंटित करने के लिए साधन और तरीके उपलब्ध हैं। 1982-83 में रेलवे ने सामान्य राजस्व में 436 करोड़ रु० का योगदान दिया है। रेलवे सरकारी क्षेत्र का वाणिज्यिक उपक्रम है। जब रेलवे की परिसम्पत्तियां पुरानी हो चुकी है और मूल्य ह्रास को घटाकर उनका प्रत्यक्ष मूल्य शून्य है तो फिर रेलवे विभाग सामान्य राजस्व में 436 करोड़ रु० का लाभांश क्यों दे रहा है ? केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 6000 करोड़ रु० का निवेश किया है और उनमें से अधिकतर उपक्रम प्रतिवर्ष करोड़ों रु० का घाटा उठा रहे हैं। वे किसी लाभांश की घोषणा नहीं कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार शांत बैठी हुई है।

रेलवे एक सार्वजनिक सेवा प्रतिष्ठान है। वे आम लोगों के लिए 135 रु० लाभ कर गाड़ियां चला रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं को भाड़े की राज सहायता प्राप्त दरों पर लाया ले जाया जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं के लिए माल-भाड़े की राज सहायता प्राप्त दरों के कारण 1982-83 में 104.48 करोड़ रु० का नुकसान हुआ था और उसी वर्ष अलाभकारी लाइनों पर गाड़ियां चलाने के कारण 46.50 करोड़ रु० का नुकसान हुआ था। इस वातावरण में, मैं नहीं समझ पाता हूं कि रेलवे को सामान्य राजस्व में 436 रु० का योगदान क्यों करना चाहिए? रेल अभि समय समिति जो नियमित अंतरालों पर बनायी जाती है—कि संस्तुतियों के आधार पर यह लाभांश घोषित किया गया है।

मंत्री महोदय इस दलील का सहारा लेंगे। किन्तु मैं कहता हूं कि ऐसी रेल अभिसमय समिति की बिलकुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर रेल मंत्री को, वित्त मंत्री की तरह केन्द्रीय योजना आयोग का बनाया सदस्य बनाया जाना चाहिए। केवल तभी रेल वित्त की ठीक से व्यवस्था हो सकती है। मैं माननीया प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वह रेल मंत्री को केन्द्रीय योजना आयोग का सदस्य बनायें।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के 1982-83 के प्रतिवेदन के अध्याय एक, सात, नौ और दस की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इन अध्यायों में आप पायेंगे कि धोके घड़ी की घटनाओं कुबन्ध के कारण तथा सामान और उपकरण की सीधी खरीद में किये गए कदाचार के कारण हुई हानियों के अतिरिक्त इस वर्ष रेलवे ने गाड़ियों से भेजे जाने वाले सामान की चोरी के लिए, वैगनों के खोये जाने के लिए, रेल दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के मुआवजे देने में और दुर्घटनाओं में नष्ट इन्जनों, डिब्बों, गाड़ियों और पटरियों के नवीकरण पर 500 करोड़ रु० खर्च किये। रेलवे को देय बकाया लाइसेंस शुल्क के रूप में भी बहुत बड़ी राशि बाकी है। बार-बार होने वाले इस नुकसान को कम करने के लिए यदि रेलवे सशक्त और प्रभावी पग उठायें तो क्या चालू परि-योजनाओं के लिए अधिक धनराशि आवंटित करना कठिन होगा ; यह पूर्णतया सम्भव है और मैं रेल मंत्री से इस पर ध्यान देने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्रीमन्, 88 % माल और 80 % यात्री, 53 % बड़ी लाइनों द्वारा ले जाए जा रहे हैं और 12 % माल तथा 20 % यात्री 40 % मीटर लाइन द्वारा ले जाए जा रहे हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश में बड़ी लाइन बिछाए जाने की अनिवार्य आवश्यकता है। 26987 रेल-फाटकों पर चौकिदार नहीं हैं। 1982-83 में केवल 40 रेल-फाटकों पर रक्षक नियुक्त किए गए थे। इस गति से तो सारे रक्षक रहित रेल-फाटकों जो देश में बड़ी रेल दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण हैं—पर रक्षक नियुक्त करने के लिए 200 वर्ष भी पर्याप्त नहीं होंगे। मैं सुझाव देता हूं कि रेल-मन्त्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे रेल-फाटकों पर नहीं तो कम से कम दुर्घटना-प्रणत रेल-फाटकों पर तो रक्षकों की नियुक्ति अवश्य कर दी जाये।

श्रीमन्, मैं इस बात से निराश हूं कि 1984-85 के रेल बजट में तमिलनाडु में कोई नयी रेल-लाइन बिछाने का प्रावधान नहीं है। तमिलनाडु में कुछ पिछड़े क्षेत्र हैं। जिनके विकास का द्वार खोलने के लिए उन्हें रेल-लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता है। डा० पुरात्ची तालाइवार एम० जी० रामचन्द्रन के कुशल नेतृत्व में तमिलनाडु की राज्य सरकार ने 1980-85 की राज्य की पंचवर्षीय योजना में ऐसी कुछ महत्वपूर्ण लाइनों को बिछाने की योजना को स्वीकृति मिल जाएगी तभी, वास्तव में विकास का युग आरम्भ होगा। तमिलनाडु के आर्थिक विकास के लिए डिंडिगल-कुंबुम लाइन, बंगलौर-पांडिचेरी और चामराज नगर—पलानी रेल लाइन आवश्यक है। करूर-डिंडिगल-तूतीकोरिन बड़ी लाइन के लिए इस वर्ष के बजट में 4 करोड़ रु० की नगण्य राशि का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना पर रेलवे 6 करोड़ रु० पहले ही खर्च हो चुके हैं।

अनुमान है कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए 42 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी, । इस परियोजना के लिए जिस दर पर प्रावधान किया जा रहा है, उस हिसाब से तो इस परियोजना को पूरा करने में 10 वर्ष और लगेंगे इस अवधि के दौरान लागत और भी बढ़ जायेगी और तब इस परियोजना को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि 100 करोड़ रु० तक बढ़ सकती है। मुझे आश्चर्य है कि उस समय इस परियोजना को पूरा करने के लिए रेलवे कहां से धन लाएगा लाएगा। मैं निवेदन करता हूं कि इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जाना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं अपने क्षेत्र की रेल सम्बन्धी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। श्रीमन्। कोडाईकनाल पर्वतों की राजकुमारी के रूप में जानी जाती है, सारे विश्व से पर्यटक कोडाईकनाल आते हैं। फिर भी कोडाइकनाल के बीच रेल-लाइन बिछाने हेतु यातात सर्वेक्षण किया चाहिए और उसके अनुसार आवश्यक पत्र उठाए जाने चाहिए।

मैं सुझाव देता हूं कि बहुत समय से पिछड़े क्षेत्रों का जैसे चेदापही, इल्लुपही, इलुमलाइ और आसपास के क्षेत्रों का, औद्योगिक विकास करने के लिए मदुराई-तिरुने लवेली लाइन को दिशा-परिवर्तन किया जाना चाहिए मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि ऐसे क्षेत्रों को भारत के रेल-मानचित्र में सम्मिलित किया जाए।

श्रीमन्, तांनरम-चेंगलेपुटर के बीच दोहरी लाइन बिछाए जाने की मांग उस क्षेत्र में बढ़ाते हुए यातायात को देखते हुए काफी लम्बे समय से की जा रही है। जब श्री ओ० वी० अलगेसन उप रेल मंत्री थे तो आशा की जाती थी कि यह कार्य हो जायेगा। उस समय यह अनुभव किया गया था कि तांबरम-चेंगलेपुट के बीच बड़ी लाइन अधिक मितव्ययी और लाभकारी रहेगी। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर रेल मंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है। किन्तु इस बजर में चेंगलेपुर और तांनरम के बीच न तो दोहरी लाइन बिछाने का प्रावधाव है न बड़ी लाइन बिछाने का। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस भूल पर ध्यान दें तथा आवश्यक कार्यवाही करें।

श्रीमन्, मदुराई-बोदी-मूनार लाइन का यातायात सर्वेक्षण तीव्र गति से किया जाना चाहिए। डिंडिगल और कंवम के बीच रेल-लाइन बिछाने के धारे में यातायात सर्वेक्षण 1952 में किया गया था तथा बाद में उस विचार को छोड़ दिया गया था। मैं मांग करता हूं कि डिंडिगल और कंबम के बीच रेल-लाइन बिछाने के लिए फिर से सर्वेक्षण कराया जाए तथा वहां लाइन बिछाने के लिए पत्र उठाए जाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री विष्णु प्रसाद, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके दल के बहुत से सदस्यों को इस चर्चा में शामिल करें तो कृपया आप संक्षिप्त भाषण दीजिए।

**श्री विष्णु प्रसाद** (कलियाबोर) मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं। जैसा कि बजट प्रस्तावों से दिखाई देता है माननीय रेल-मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया वर्ष 1984-85 का रेल बजट युक्ति संगत है तथा इसमें सभी पक्षों के साथ न्याय किया गया है।

सभा के दोनों ओर के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषण मैंने सुने हैं। सभी ने बज्ट का स्वागत किया है तथा बजट में किए गए प्रावधानों की प्रशंसा की है। इससे पता चलता है कि बजट सभी वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है।

औषधियों, माचिस, कॉफी, चाय और कापियों जैसी वस्तुओं के लिए पार्सल दरें कम करने के लिए मैं मंत्री महोदय का स्वागत ा हूं। इससे इन वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट लाने में सहायता मिलेगी। इससे ढुलाई के लिये अधिक माल को आकर्षित करने में भी सहायता मिलेगी। 121 वस्तुओं की भाड़ा-दर कम करने के लिए मैं रेल-मंत्रालय को बधाई देता हूं।

इससे मूल्यों को कम करने में सहायता मिलेगी तथा सरकार द्वारा किए जाने वाले मुद्रा-स्फीति विरोधी उपायों में योगदान मिलेगा।

यात्रियों को अच्छी सेवा प्रदान करने तथा रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए इस बजट में कुछ नये कार्यक्रमों के प्रस्ताव रखे गए हैं। बिना टिकट यात्रा करने से होने वाले भारी नुकसान और यातायात में कमी को पूरा करने के लिए तथा आधुनिकीकरण के लिए, सर्वत्र यात्री यातायात पर थोड़ा सा अधिभार लगाना न्यायोचित है और किसी को भी इस पर शिकायत नहीं होनी चाहिए।

वर्ष 1983-84 के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के लिए रेल मंत्री बधाई के पात्र हैं। 100 से अधिक नयी गाडियां चला दी गई हैं तथा 12 लम्बी दूरियों की गाड़ियों की आवृत्ति बढ़ा दी गई है 72 रलगाड़ियों को डीजल के इंजन से चलने वाली बना दिया गया है तथा 237 गाड़ियों की गति बढ़ा दी गई है।

महोदय, हमारे जैसे देश में, रेलों का पूंजी निवेश अधिकतम है जो 47,000 करोड़ रुपये है यह अन्य किसी भी वाणिज्यिक उद्यम की भांति है तथा इसे लाभ भी पूंजी निवेश के अनुपात में होना चाहिये। साथ ही, हमारी रेलों को सामाजिक बाहन भी उठना चाहिये। बजट का बनाते समय माननीय रेल मंत्री जी ने वाणिज्यिक पक्ष तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन रखने की कोशिश की है इंजनों तथा डिब्बों और पटरियों की स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत से वैगनों की उम्र कभी की पूरी हो चुकी है तथा 24 प्रतिशत यात्री बोगियां एकदम कबाड़ हैं। इसीलिये रेलवे सुधार समिति ने सुझाव दिया था कि रेलवे को इंजनों तथा डिब्बों और पटरियों की मरम्मत और नवीकरण के लिये कम से कम 2000 करोड़ रुपये आवंटित करने चाहिए।

किन्तु बजट में पटरियों के बदलने के लिये कितना प्रावधान किया गया। है ? पट्टी बदलने के लिये केवल 350 करोड़ रुपया और इंजनों व डिब्बों के लिये केवल 524·37 करोड़ रुपये रखे गये हैं।

**श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : योजना मंत्री यहां बैठे हैं, आप उनसे पूछिए।

**श्री विष्णु प्रसाद** : : बजट से रेलवे के धन संकट का पता चलता है। 46 परियोजनाएं चल रही हैं और उनके लिये कम से कम एक हजार करोड़ रुपया चाहिये। परन्तु बजट में केवल 90 करोड़ रुपये ही रखे गये हैं। रेलवे विद्युतीकरण के लिये भी बहुत थोड़ी राशि रखी गई है। बजट के ज्ञापन के स्पष्टीकरण में यह बताया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजनावधि में 14·000 किलोमीटर पटरियों के नवीकरण तथा 2·800 किलोमीटर विद्युतीकरण की परिकल्पना की गयी वास्तविक उपलब्धि बहुत कम होगी। धन की कमी की बजह से बहुत सी नईलाइनें बिछाने की परियोजनाओं गेज बदलने की योजनाओं तथा बहुत से अन्य कार्यों का सातवीं पंचवर्षीय योजना में डाल दिया जायगा।

रख-रखाव के पिछले ढेर सारे कार्यों को पूरा करने, मरम्मत तथा विस्तार के लिये रेलवे को अधिक पाशि प्राप्त होनी चाहिए। अत: योजना आयोग को आम बजट में रेलवे को अत: में सरकार से अपील करता हूं कि रेलवे मंत्रालय को इस धनराशि की स्वेच्छा से खर्च करने का अधिकार होना चाहिये ताकि उन्हें योजना अयोग अथवा वित्त मंत्रालय की स्वीकृति लेने की आवश्यकता न पड़े। समय-समय पर सुझाव भी दिया गया है कि रेलवे निदेशा से धन राशि जुटाने की व्यवस्था करें व विश्व बैंक अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय बक से धन ले सकते हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि उन्हें विशेष रेल विकास निधि की स्थापना करना चाहिये। वे बौंड (ऋण पत्र) के द्वारा बाजार से भी ऋण ले सकते हैं। समय-समय पर में प्रस्ताव किये गये हैं। किन्तु अभी तक भी रेल मंत्रालय ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है।

17 जनवरी, 1983 के **फाइनेंशियल एक्सप्रेस** में यह डिप्पणी की गयी थी :—

> "ऐसी स्थिति में, सरकार द्वारा उपलब्ध मिश्रित्व आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था ही इसका हल है, अर्थात सरकार द्वारा धन दिया जाये तथा बाजार से भी धन एकत्रित किया जाये इसके अतिरिक्त, उन्हें अपने पूंजी ढांचे को आधुनिक लेखा प्रक्रियाओं के अनुरूप ढालना होगा।"

अत: केन्द्रीय बजट के लिये यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार रेलवे के लिये अधिक धन की व्यवस्था कर। तभी रेलों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। रेलवे सुधार समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि रेलवे को 260 करोड़ रुपये का गैर-योजना अनुदान भी मिलना चाहिये। यह तब तक दिया जाना चाहिये जब तक पुराना बकाया न चुक जाए। मैं यह सुझाव दूंगा कि इसे मान लिया जाना चाहिये और मैं सरकार से यह राशि वार्षिक रूप में देने के लिये कहूंगा ताकि रेलवे व्यवस्था को अधिक सुचारू राशि एवं सुदृढ़ बनाया जा सके।

रेलों का उत्पादन-शुल्क से छूट दी जानी चाहियें। इससे रेलों को 200 करोड़ से 300 करोड़ रुपये तक की राहत मिलेगी। अत: रेल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि रेलवे कुछ नवीन परिवर्तन तथा साहसी कदम उठाये। रेलों के लिये बनायी गई योजनाओं तथा उपलब्धि के बीच के अन्तर को देखते हुए कि रेलवे के सम्बन्ध में दृढ़ उपाय किये जाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि निर्भीक रेल मंत्री रेलों को स्वस्थ बनाये रखने के लिये दृढ़ करने में समर्थ होंगे।

अगर में उत्तर पूर्वी क्षेत्र की कुछ समस्याओं का उल्लेख नहीं करता हूं तो मैं अपनी कर्त्तव्य पूरा करने में असफल रहूंगा।

(व्यवधान)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिये कई योजनाओं की स्वीकृति देने के लिये कई योजनाओं की स्वीकृति देने के लिये मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। बो गई गाँव से गौहाटी तक की

लाइन का निर्माण होने जा रहा है। गोहाटी से डिबरुगढ़ तक की मीटर गेज लाइन को बदलने के लिये भी इस बजट में एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में छह रेलवे लाइनें बिछायी गयी है. जो पूर्वी प्रदेश के राज्यों और उत्तर के संघ राज्य को जाड़ती हैं। हाल ही में प्रधान मंत्री ने जोगीघोया में सड़क-एवं-रेल पुल के निर्माण की नींव रखी है। हम इसका स्वागत करते हैं तथा प्रधान मंत्री जी एवं भारत सरकार को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास में दिलचस्पी लेने के लिये बधाई देते हैं।

सन् 1981 के दौरान, भारत सरकार ने कुछ परियोजनाओं के सर्वेक्षण कार्य को स्वीकृति दी उन प्रस्तावों में गोहाटी से डिबरुगढ़ लाइन, बरास्ता नौगांव तथा बोकाखाट-जोरहाट-सिबसागर व्यापार की दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्व लाइन है।

इसी तरह ही पंचरत्न से गोहाटी की लाइन भी महत्वपूर्ण है।

अगर यह दो रेलवे लाईन बिछा दी जाती है तो इससे मेघालय तथा असम की घाटी की भारी सेवा होगी तथा संचार साधनों में सुधार होगा एवं आर्थिक विकास की वृद्धि में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की सामरिक आवश्यकताओं को, दूसरे शब्दों में सम्पूर्ण देश की आवश्यकताओं को, पूरा करेंगी।

मैं भारत सरकार से गोहाटी के लिए परिक्रमा सेवा शुरू करने का भी आग्रह करूंगा, जो कि सभी राजधानी के स्थल गोहाटी से 20 मील दूर है तथा हवाई अड्डे से प्रागज्योतिशपुर की दूरी 32 मील है। इस रेलवे लाइन का विद्युतीकरण होना चाहिए। यदि यह परिक्रमा रेल सेवा आरम्भ कर दी जाती है तो दूसरे गोहाटी के लोगों की सेवा होगी और साथ ही साथ सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की भी।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान तिनसुखिया मेल की ओर दिलाना चाहूंगा। यह देश में सबसे अधिक भीड़ वाली रेलगाड़ी है। अतः मैं रेल मन्त्री से आग्रह करूंगा कि वह इस गाड़ी के डिब्बों को बढ़ायें व इसके ठहरने के स्थानों को कम करें। इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे तुरन्त कर सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको इसके लिये पत्र लिखना चाहिए था।

**श्री विष्णु प्रसाद** : मैंने इसे औपचारिक सलाहकार समिति में रखा था तथा माननीय मंत्री जी को नई दिल्ली से गोहाटी तक राजधानी एक्सप्रैस शुरू करने के लिए भी कहा था।

**श्री विष्णु प्रसाद** : माननीय सदस्यों ने मंत्री जी को पत्र लिखे होते और उसके बाद वे उन बातों का उल्लेख यहां करते। कुछ समस्याएं तो यहां पहली दफा उठाई जा रही हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने औपचारिक सलाहकार समिति में इसे उठाया था। रेलवे प्रतिष्ठान के बारे में मैं कहूंगा कि असम, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी, एक भी प्रतिष्ठान नहीं हैं।

अत: मैं रेल मंत्री से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कम से कम एक रेलवे प्रतिष्ठान की स्वीकृति देने का अनुरोध करूंगा।

संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

**श्री राम नगीना मिश्र** (सलेमपुर) : मान्यवर, कुछ कहने से पहले में आपका शुक्र गुजार हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया। अभी-अभी जैसा कि आपने कहा कि समय बहुत कम है और सभी माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कहें। दुर्भाग्य की बात है कि हमें जब भी बोलने का मौका दिया जाता है, समय समाप्त हो जाता है और काफी लोगों को मजबूर होकर आपसे निवेदन करना पड़ता है। समयाभाव के कारण शिष्टाचार की बातें भी करने में मैं मजबूर हूं। हमारे मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पक्ष और विपक्ष, दोनों की बात सुनने पर मुझे ऐसा आभास हुआ, मैं अपने मन की बात कह रहा हूं, दोनों पक्षों के लोगों ने कहा है, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही संतुलित बजट पेश किया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि दोनों ही पक्ष यह महसूस करते हैं कि हमारे मंत्री जी के हाथ आर्थिक दृष्टि से बंधे हुए हैं, जिस की वजह से वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यदि रेल मंत्री को सचमुच में छूट नहीं दी गई और आर्थिक सहायता विशेष रूप से नहीं दी गई, तो जितना विकास मंत्री जी करना चाहते हैं, वे नहीं कर पायेंगे। रेलवे का विकास का मतलब —देश का विकास। समय कम है, इसलिए मैं एक-दो बातें जो जरूरी हैं, कह कर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अभी अभी अखबारों में हमने पढ़ा और पढ़ कर प्रसन्नता हुई कि हमारे मंत्री जी बहुत अच्छे प्रशासक हैं और निर्भीक हैं। रेलवे विभाग की एक परीक्षा होने वाली थी, उसका पेपर आउट हो जाने की वजह से मंत्री जी ने उसको रोक दिया। लाखों विद्यार्थी बिना परीक्षा दिए वापस गए। मंत्री जी ने जांच करवाई और जिस अफसर पर सन्देह था कि उसके कारण पर्चे आउट हुए होंगे, उसको सस्पेण्ड कर दिया गया। लेकिन साथ ही मुझे दुख भी होता है—इस काम के लिए उनको चारों तरफ से साधुवाद मिलना चाहिए था, लेकिन देखा कि अखबारों एक खबर निकली, वह शायद किसी यूनियन के हैड भी हैं, कहा गया यदि सस्पेन्शन वापस लिया गया तो हम लोग हड़ताल करेंगे और न जाने क्या-क्या खुराफात करेंगे। मैं आपके माध्यम से उन कर्मचारियों से भी निवेदन करूंगा—अगर यह काम आप लोग करते हैं तो देश में कोई अनुशासन नहीं चल पाएगा। कोई चोरी के आधार पर निकाला जाय तो हड़ताल, कोई अनुशासनहीनता में निकाला जाय तो हड़ताल, इस तरह कैसे प्रशासन चलेगा। मैं मंत्री

जी से कहूंगा कि यह कड़वी दवा है, लेकिन इससे भविष्य अच्छा रहेगा, इस पर जरूर अमल होना चाहिए । साथ ही जो यह रेलवे सेवा आयोग है उस पर कड़ी नजर रखी जाए । यदि कड़ी नजर नहीं रखी जाएगी तो आए-दिन इस तरह से घुटाले होते रहेंगे, अच्छे तथा मेघावी छात्र नहीं आ सकेंगे, गलत छात्र आयेंगे ।

बहुत पहले से एक मांग मंत्री जी के सामने चली आ रही है बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो बी० ए०, इन्टरमीडिएट हैं आप के यहां कैजुअल लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। यहां तक देखने में आया है कि वे दो-दो और तीन-तीन साल से काम आ रहे हैं। चार-पांच महीने के बाद उन की सर्विस में ब्रेक कर दिया जाता है जिस से वे परमानेन्ट नहीं हो सकते हैं। आप से पहले जो रेल मन्त्री थे उन्होंने आश्वासन दिया था यदि रेलवे में कोई जगह खाली होगी और यदि वे उस के योग्य पाये जायेंगे तो उन्हीं लोगों में से भरती की जाएगी। मैं जानना चाहता हूं क्या उस नीति पर अमल हो रहा है ? यदि नहीं हो रहा हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है और यदि हो रहा है तो उस के क्या परिणाम निकले हैं, इस में क्या प्रगति हुई है ? मैं आज जोरदार शब्दों में मांग करता हूं कि इन लाखों मजदूरों का जो कैजुअल लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, उन की योग्यता को दृष्टि में रख कर रैगुलर नौकरी में रखा जाए।

जो बातें अन्य माननीय सदस्यों ने कही हैं, मैं उन को दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन खान-पान के मामले में अवश्य कहना चाहता हूं आप का यह काम बहुत ढीला चल रहा है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात रेल-गाड़ियों में सुरक्षा की है। एक बार में लखनऊ से आ रहा था गाड़ी बाड में गई थी, उस में आर० पी० एफ० के लोग रहते हैं, उन्होंने वहीं से फाटक खोल दिया। ऐसे कामों पर कड़ी नजर रखी जाए। क्योंकि जो चोरियां होती हैं उन के बारे में आम लोगों की धारणा यह है कि इस में इन लोगों का हाथ रहता है......

**प्रो० सत्य देव सिंह** : कि लोगों का ?

**श्री राम नगीना मिश्र** : आर० पी० एफ० और रेल कर्मचारियों का हाथ रहता है। जो जानकारी मुझे हुई है मैं उसे निर्भीकता से आप के सामने रख रहा हूं और यही कारण है कि रेलवे में चोरियां बढ़ती जा रही है। आपको मालूम होगा मुगलसराय स्टेशन पर आज तक किसी चोरी को रोका नहीं जा सका। आप चाहें तो इस की स्पेशल जांच करवा लें। रोजाना लाखों रुपयों की चोरी होती है और आज भी वह जगह चोरियों के लिए प्रसिद्ध है।

आप ने इस बजट में रेल किराये नहीं बढ़ाए, यह बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिया आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। मैंने

गोंडा के पास देखा बिना ठिकट यात्रा करने वालों को पकड़ ले जाया जा रहा था, वहां पर लोगों ने पत्थरबाजी की, गोलियां भी चलीं, एक आदमी मारा गया और बहुत से घायल हुए बिना-ठिकट यात्रा की मौजूदा हालत यह है यदि इस को 50 फीसदी भी रोक दिया जाए तो तो रेलवे को बहुत बड़ी आमदनी हो जाएगी। गाजियाबाद के पास मैं अभी हाल में आ रहा था।

चेन-पलिंग हुई-यह चार-पांच दिन पहले की घटना है, रेलवे पुलिस कुछ नहीं कर सकी, लेकिन यात्रियों ने उनको पकड़ कर खूब पिटाई की और पुलिस को पकड़ा दिया। यात्री दुखी हो गये थे; क्योंकि रोज चेन-पुलिंग होती थी। यदि इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाए तो इससे रेलवे की आमदनी बहुत बढ़ जायगी।

प्लेट फार्म टिकट आप ने एक रुपये का कर दिया है-मेरी दृष्टि में यह बहुत ज्यादा है। हम लोग जब जाते हैं तो जो लोग रिसीव करने आते हैं तब भी/लेना पड़ता है। मेरा ऐसा अनुमान है कि इससे आपको विशेष आमदनी नहीं हो पायेगी। साल भर आप इसको चला कर देख लीजिए-जितनी आमदनी आपको आठ आने का टिकट रखने से होती थी, उतनी आमदनी भी नहीं हो पाएगी। एक रु० का टिकट रखने से होती थी, उतनी आमदनी भी नहीं हो पायेगी। एक रु० का टिकट, होने से कोई भी नहीं खरीदेगा, जो खरीदेगा, जो खरीदते हैं वे भी नहीं खरीदेंगे। मैं जिस इलाके से आता हूं वहां एक अलग सरकार बनी हुई है, आदमियों का अपहरण किया जाता है और फिरौती ले कर छोड़ा जाता है, उसी के पड़ौस वाले इलाके में हम लोग रहते हैं। मैं इस बात को रेलवे के हित में समझता हूं कि इसको 8 आने का ही रहने दिया जाय।

मंत्री महोदय ने लोक सभा में बयान दिया था कि आज जितनी गाड़िया चल रही हैं, यदि वे घाटे में भी चल रही होंगी, तो भी जनहित में उनको चलाते रहेंगे। इसी सम्बन्ध में एक सबल-अयोध्या का आया था जिसको आप बन्द करने जा रहे थे, लेकिन मंत्री जी ने वहां के लोगों के जज बात को देख कर फैसला किया कि उसको बन्द नहीं किया जायगा, चाहे जितना भी घाटा हो।

मान्यवर पहले भटनी से बरहज तक चार गाड़ियां चलती थीं लेकिन अब केवल दो बार ही ट्रेनें चलाई जाती हैं। मंत्री जी इस बात को जानते हैं। वे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अगर उन्हें यह बात मालूम न हो तो हम आपसे यही प्रार्थना करते है कि हमारी जो ट्रेनें बंद कर दी गई हैं उन ट्रेनों को फिर से चला दिया जाए। हम जब वहां जाते है तो लोग हमसे कहते हैं कि हम सदन में ठीक से वकालत नहीं करते हैं, इस कारण से ये ट्रेनें चल रही हैं। हम आपसे हाथ कर प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं उन ही ट्रेनों को फिर से चला दें।

अभी व्यास जी बोल रहे थे तो अधिकारी नाराज हो रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोरखपुर से आगे देवरिया तक कोई ट्रेन नहीं जाती थी। जब हमने लिखा तो हमें लिख कर आया कि टेक्नीकल डिफिकल्टीज के कारण आगे गाड़ी नहीं जा सकती है। जब से मंत्री जी ने रेलवे को अपने अधिकार में लिया है और व्यक्तिगत रुचि ली है। तब से एक ट्रेन नहीं सब ट्रेनें देवरिया से आगे छपरा तक जाने लगी हैं। हम आपसे यही चाहते हैं कि जो ट्रेनें हमारी पहले चलती थीं, उन्हीं को फिर से चलवा दें, हम आपसे अधिक ट्रेन नहीं मांगते।

आज नया बजट बन रहा है और नए काम का उसमें समावेश हो रहा है। हम उस इलाके से आते हैं जिस इलाके में एक पुल के कार्य का समावेश आज से 8-9 साल पहले के बजट में हुआ था। हमारे देश की प्रधान मंत्री जी ने छितौनी में जाकर के गण्डक नदी पर बिहार और यू० पी० को जोड़ने के लिए पुल का शिलान्यास किया था। उसके लिए लाखों रु० खर्च हुआ था, उसके लिए सामान भी वहां गया था, काम भी शुरू हुआ था। हर साल पूछने पर कि यह पुल बनेगा या नहीं, इस पुल के बनने का काम पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे जनता का विश्वास डगमगाता है। मैं जानना चाहूंगा कि जिस पुल के निर्माण का समावेश बजट में हुआ था, जिस पुल का शिलान्यास देश की प्रधान मंत्री जी ने किया था, वह काम 9-10 साल के बाद भी अधूरा क्यों है ? मुझे यह कहते हुए संकोच होता है कि एक पुल के निर्माण कार्य का उद्घाटन प्रधान मंत्री जी करें, और वह काम पूरा न हो। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है जिससे आप उस पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं करना चाहते हैं, कौन-सी परिस्थितियां हैं जो आपको मजबूर कर रही है, क्या आपके सामने आर्थिक दबाव है ? वहां के किसानों और छोटे लोगों की बड़ी आशाएं हैं आकांक्षाएं हैं कि इस पुल का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसको जल्दी से जल्दी बनवाएं।

इतना ही नहीं, देवरिया शहर में रेलवे ब्रिज बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रिकमण्ड किया था। हर साल बजट में जिक्र होता है कि वह बनेगा, वह बनेगा, लेकिन आज तक वह नहीं बन पाया है। कम से कम आप यह बता दें कि वह बनेगा या नहीं बनेगा। सभी जगह सैकड़ों पुल बन रहे हैं, हमारे यहां एक छोटा-सा पुल नहीं बन पा रहा है।

कुशीनगर एक धार्मिक स्थल है जहां भारत से नहीं बल्कि विश्व के कोने-कोने से लोगों यात्रा करने के लिए आते हैं। आज से चार साल पहले कुशीनगर, छितौनी तक रेल लाईन के बारे में कहा गया था कि वह बनेगी। उसका सर्वे भी हो चुका है और आपके कागजों में वह मौजूद होगा। वहां की जनता हम से पूछती है कि उस रेल पहले लाईन का क्या हुआ। हम इस बजट में देखते हैं उस रेल-लाईन का समावेश नहीं है। आप इससे वाले बजट में देख

लीजिए, उसमें यह हुआ था कि यह एक इम्पार्टेंट रेल लाईन है, लेकिन आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। सर्वे में अनुमान लगाया कि यह 15 करोड़ रु० में बन जाएगी। सर्वे आपके पास है।

**18.00**

इतना ही नहीं मान्यवर पर साल इसी सदन में जब बेलथरा रोड से धलिया तक ब्रांच लाइन खोलने का मैंने निवेदन किया था तो कर पा रहे हैं लेकिन अगली बार अवश्य इसका ध्यान रखा जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर लोग बसों की छतों पर ब्रांच लाइन स्थापित की जाए।

भटनी जंग्शन है बनारस और गोरखपुर का। जयंती जनता ट्रेन आपने चलाई इसके लिए धन्यवाद। लेकिन भटनी जंग्शन पर जयंती जनता को रोका जाना चाहिए। इसके अलावा भाटपाररानी में झांसी मेल और मोर्चा को रोका जाए।

इसके साथ ही मान्यवर बहुत जरूरी चीज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बनारस से भटनी तक रेल लाइन कन्वर्शन का काम कितने समय में पूरा होगा। इसके अभाव में गोरखपुर से बनारस लोग नहीं जा सकते। मैं जानना चाहूंगा कि बनारस से भटनी रेल लाइन कब तक बनकर तैयार होगा।

अंत में यहीं निवेदन करूंगा कि जिन बातों की ओर मैंने ध्यान दिलाया है उस पर मंत्री महोदय सहानुभूति पूर्वक विचार करें। धन्यवाद।

**प्रो० सैफुद्दीन सोज** (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, 5457 करोड़ रु० की राजस्व वसूली तथा 70 करोड़ रु० के घाटे वाला यह मालूम पड़ता है। मैं श्री मधुदण्डवत से सहमत हूं जिन्होंने कहा कि रेलवे के पास धन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि रेलों का सही में विकास किया जा सके। महोदय, मैं चाहूंगा कि रेल मंत्री जी बाद में योजना मंत्री से बातचीत करे ; विशेष रूप में उचित धन राशि के लियें, ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रो० सोज, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

**6.0.3 म० प०**

**तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 7 मार्च, 1984/17 फाल्गुन, 1905 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

इण्डियन प्रेस दिल्ली-34

P.L.S. 48/44/10/84 (N)
210

© 1984 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
प्रबन्धक इण्डियन प्रेस, दिल्ली द्वारा मुद्रित